



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 09 अप्रैल, 2016 ई0 (चैत्र 20, 1938 शक सम्वत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

अधिसूचना

10 सितम्बर, 2015 ई0

संख्या F-9(25)RG/UERC/2015/962-विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-61 सपठित धारा-181 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्-

भाग-1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ-

- (1) इन विनियमों का नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय शुल्क के अवधारण हेतु निबन्धन और शर्तों) विनियम, 2015, संक्षेप में उ0वि0नि0आ0, शुल्क विनियम, 2015 होगा।
- (2) इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।
- (3) ये विनियम वित्तीय वर्ष 2016-17 अर्थात् 01 अप्रैल, 2016 से वित्तीय वर्ष 2018-19, अर्थात् 31 मार्च, 2019 तक इन विनियमों के अधीन आने वाले सभी मामलों में शुल्क के अवधारण हेतु लागू होंगे।
परन्तु इन विनियमों की अधिसूचना के पश्चात् चालू हुई सभी नई परियोजनाएं इन विनियमों के उपबन्धों द्वारा लागू होंगी।
- (4) वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए जब तक आयोग द्वारा अग्रिम विस्तारित न किया जाए, तब तक विनियम 55(ए) लागू होगा।

2. विनियमों की परिधि-

- (1) ये विनियम निम्नलिखित मामलों में लागू होंगे :-

(a) एक उत्पादक कम्पनी द्वारा एक वितरण अनुज्ञापी को विद्युत की आपूर्ति;

परन्तु, विद्युत की आपूर्ति में कमी होने पर आयोग, विद्युत के युक्तियुक्त मूल्य सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम एक वर्ष हेतु एक उत्पादक कंपनी और एक अनुज्ञापि या अनुज्ञापियों के मध्य हुए करार के अनुसरण में विद्युत के कय या विक्रय हेतु शुल्क की न्यूनतम और अधिकतम सीमा तय कर सकता है;

- (b) विद्युत का राज्यान्तर्गत पारेषण;
- (c) एस.एल.डी.सी. प्रभार;
- (d) विद्युत की खुदरा आपूर्ति;

परन्तु, दो या इससे अधिक वितरण अनुज्ञापियों द्वारा एक ही क्षेत्र में विद्युत के वितरण के मामलों में, वितरण अनुज्ञापियों के मध्य प्रतिस्पर्धा विकसित करने के लिए आयोग, विद्युत के खुदरा विक्रय हेतु शुल्क की केवल अधिकतम सीमा तय कर सकता है;

परन्तु, आगे यह कि जहां आयोग ने अधिनियम की धारा 42 के अधीन उपभोक्ताओं की किसी श्रेणी के लिये उन्मुक्त अभिगमन की अनुमति दी है, वहां आयोग इन विनियमों और समय-समय पर संशोधित उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन के निबंधन और शर्तों) विनियम, 2015 के अनुसार व्हीलिंग प्रभार, प्रतिसहायिकी अधिभार, अतिरिक्त प्रभार तथा अन्य उन्मुक्त अभिगमन संबंधी प्रभार अवधारित कर सकता है।

(2) निम्नलिखित मामलों में शुल्क के अवधारण हेतु ये विनियम लागू नहीं होंगे:

- (a) उत्पादक स्टेशन जिनका शुल्क केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिस्पर्धात्मक बोली दिशा निर्देशों के अनुसार पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञात किया गया है और अधिनियम की धारा 63 के अधीन आयोग द्वारा अंगीकृत किया गया है।
- (b) ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के उत्पादन स्टेशन, जो समय समय पर संशोधित उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह-उत्पादन स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन) विनियम, 2010 तथा उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह-उत्पादन स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन) विनियम, 2013 या उसके पश्चात् किसी भी अधिनियम द्वारा शासित होंगे।

(3) सभी प्रयोजनों, जिनमें इन विनियमों की अधिसूचना तक की अवधि से संबंधित समीक्षा मामलों सम्मिलित हैं, के लिये शुल्क के अवधारण से संबंधित मुद्दे उस अवधि के दौरान प्रचलित विनियमों द्वारा शासित होंगे।

3 परिभाषाएं

जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में:

- (1) "लेखा विवरण" से प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु निम्नलिखित विवरण अभिप्रेत है, यथा—
 - (a) कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-3 के भाग-1 में समावेशित प्रपत्र के अनुसार तैयार तुलन पत्र
 - (b) इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया के नकदी प्रवाह विवरण (ए.एस-3) पर लेखा मानक के अनुसार तैयार, नकदी प्रवाह विवरण;
 - (c) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 128(1) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित लागत अभिलेख;
 - (d) समय समय पर आयोग द्वारा निर्देशित जानकारी के साथ अन्य समर्थक दस्तावेज व उनकी टिप्पणियां;
 - (e) कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-3 के भाग 2 में समावेशित आवश्यकताओं के अनुपालन के साथ लाभ और हानि लेखा;
 - (f) संविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट;

परन्तु विद्युत के वितरण के कारोबार में संलिप्त किसी स्थानीय प्रधिकारी के मामलों में लेखा विवरण से अभिप्राय होगा कि ऐसे प्राधिकारी पर लागू सुसंगत अधिनियमों और संविधियों के अनुसार तैयार किये गये व रखे गये उपरोक्तानुसार मर्दे।
- (2) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) जिसमें उसके संशोधन भी सम्मिलित हैं, अभिप्रेत है;
- (3) "अतिरिक्त पूंजीकरण" से परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि के पश्चात् वास्तव में हुए या होने के लिए प्रक्षेपित तथा विनियम 22 के उपबन्धों के अधीन कुशल जांच के पश्चात् आयोग द्वारा स्वीकार किया गया पूंजीगत व्यय अभिप्रेत है।
- (4) "कुल राजस्व आवश्यकता" से इन विनियमों के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष विशेष के लिए अपने अनुज्ञापित/विनियमित कारोबार से संबंधित सभी अनुमोदनीय व्ययों ओर रिटर्न की, शुल्कों के माध्यम से वसूली हेतु पारेषण अनुज्ञापि या वितरण अनुज्ञापि या उत्पादक कंपनी या एस.एल.डी.सी. की आवश्यकता अभिप्रेत है;

- (5) "आवंटन विवरण" से अनुज्ञापियों/उत्पादक कंपनी/एस.एल.डी.सी. के प्रत्येक पृथक कारोबार के संबंध में प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु एक ऐसा विवरण अभिप्रेत है जिसमें किसी ऐसे राजस्व, लागतों, आस्तियों, दायित्वों, आरक्षितियों या प्रावधानों को दर्शाया गया हो जो;
- (a) प्रत्येक ऐसे पृथक कारोबार से या कारोबार के प्रभारित होतें हैं का तथा साथ में उस प्रभार के आधार का वर्णन; या
- (b) अनुज्ञापी/उत्पादक कंपनी के अनुज्ञापित/विनियमित कारोबार और प्रत्येक अन्य पृथक कारोबार के मध्य प्रभाजन अथवा आवंटन द्वारा अवधारित तथा उसके साथ प्रभाजन अथवा आवंटन के आधार का वर्णन;

परन्तु एक उत्पादक स्टेशन के संबंध में ऐसा आवंटन विवरण इस प्रकार रखा जायेगा कि शुल्क अवधारण, चरणवार, यूनिटवार या संपूर्ण उत्पादन स्टेशन के लिये किया जा सके।

- (6) "आवेदक" से एक ऐसी उत्पादक कंपनी या पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी या एस.एल.डी.सी. अभिप्रेत है जिसने अधिनियम और इन विनियमों के अनुसार कुल राजस्व आवश्यकता और या शुल्क के निर्धारण हेतु आवेदन/याचिका का वार्षिक निष्पादन समीक्षा हेतु आवेदन किया है तथा इसमें एक ऐसी उत्पादक कंपनी या पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी या एस.एल.डी.सी. सम्मिलित है जिसका शुल्क स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध या प्रभावित व्यक्ति या वार्षिक निष्पादन समीक्षा के भाग के रूप में आयोग द्वारा समीक्षा का विषय है;
- (7) "लेखा परीक्षण" से समय-समय पर संशाधित कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 224, 233बी और 619 या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) का अध्याय 10 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार, यथास्थिति, उत्पादक कंपनी या अनुज्ञापी या एस.एल.डी.सी. द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक अभिप्रेत है;
- (8) एक उत्पादक स्टेशन के मामले में, एक अवधि के संबंध में "अनुषंगी ऊर्जा उपभोग" से उत्पादक स्टेशन के अनुषंगी उपकरण जैसे कि संयंत्र के प्रचालन के उद्देश्य से उपयोग किये गये, किये जा रहे उपकरण और मशीनरी जिसमें उत्पादक स्टेशन का स्विचयार्ड सम्मिलित है, द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा की मात्रा और उत्पादक स्टेशन के भीतर की परिवर्तक हानियां अभिप्रेत है तथा इसे उत्पादक स्टेशन की सभी यूनिट्स के जनरेटर टर्मिनल्स पर उत्पादित सकल ऊर्जा के योग के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जायेगा;

परन्तु एक उत्पादक स्टेशन के कॉलोनी उपभोग और अन्य सुविधाओं तथा उत्पादक स्टेशन पर निर्माण कार्य हेतु उपभोग की गई ऊर्जा को इन विनियमों के प्रयोजन हेतु अनुषंगी ऊर्जा के भाग के रूप में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

- (9) किसी दी गई अवधि हेतु पारेषण प्रणाली के संबंध में "उपलब्धता" से उस अवधि में "घंटो में " समय अभिप्रेत है जिसमें पारेषण प्रणाली डिलिवरी बिंदु तक अपनी रेटेड वोल्टेज पर विद्युत के प्रेषण हेतु सक्षम है तथा इसे दी गई अवधि में कुल घंटो के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जायेगा।
- (10) "आधार वर्ष" से वह वर्ष अभिप्रेत है जो नियंत्रण अवधि से दो वित्तीय वर्ष पूर्ववर्ती है तथा नियंत्रण अवधि हेतु आधार वर्ष वित्तीय वर्ष 2014-15 होगा;
- (11) एक उत्पादन स्टेशन के संबंध में "लाभार्थी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऐसे उत्पादक स्टेशन पर उत्पादित विद्युत क्रय करता है जिसका शुल्क इन विनियमों के अधीन अवधारित है, तथा पारेषण कारोबार के संबंध में ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने पारेषण प्रभारों का भुगतान कर पारेषण क्षमता की संविदा की है।
- (12) एक संयुक्त चक ताप उत्पादक स्टेशन के संबंध में "ब्लॉक" में कम्बसटन टर्बाईन-जेनरेटर्स, सहायक वेस्ट ताप रिकवरी ब्यायलर्स, संयोजित भाप टर्बाईन जेनरेटर्स और अनुषांगिकी सम्मिलित है;
- (13) "पूँजी लागत" से विनियम 21 के अनुसार अवधारित पूँजी लागत अभिप्रेत है;
- (14) "सी.ई.आर.सी." से केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग अभिप्रेत है।
- (15) "विधि में परिवर्तन" से निम्नलिखित में से किसी घटना का अर्थ है जिसमें इन विनियमों के अन्तर्गत उत्पादन स्टेशन या पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली या एस.एल.डी.सी. के प्रचालन अभिग्रस्त निहितार्थ होते हो:
- (a) किसी विधान, प्रभाव में लाना, अंगीकरण, प्रख्यापन, संशोधन, आशोधन या निरस्त होना; या
- (b) किसी सक्षम न्यायालय, न्यायधिकरण या सरकारी अभिकरण जो ऐसे निर्वचन या अनुप्रयोग हेतु विधि के अधीन अंतिम प्रधिकारी हो, के द्वारा किसी भारतीय विधि के निर्वचन या अनुप्रयोग में परिवर्तन; या
- (c) परियोजना हेतु किसी सम्मति या अनापत्ति या अनुमोदन या उपलब्ध अथवा प्राप्त अनुज्ञप्ति में किसी शर्त या प्रसंविदा में किसी सक्षम संविधिक प्राधिकारी द्वारा परिवर्तन; या
- (d) भारत सरकार और किसी अन्य प्रस्तुत संपन्न स्तर के मध्य किसी द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार/संधि का प्रवृत्त होना या उसमें परिवर्तन होना।
- (16) "आयोग" से विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 82 के अधीन गठित उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग अभिप्रेत है;
- (17) "नियंत्रण अवधि" से 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च, 2019 तक की तीन वित्तीय वर्ष की अवधि अभिप्रेत है जिसके लिए इन विनियमों में राजस्व आवश्यकता और शुल्क के अवधारण के सिद्धांत विनिर्दिष्ट किये गये हैं;

- (18) "पारम्परिक ऊर्जा संयंत्र" से 25 MW से अधिक क्षमता के गैस आधारित तापीय या जल विद्युत उत्पादक स्टेशन अभिप्रेत है;
- (19) "कटऑफ तिथि" से संपूर्ण परियोजना अथवा उसके एक भाग के वाणिज्यिक प्रचालन के दो वर्ष के पश्चात् वर्षात में 31 मार्च अभिप्रेत है और यदि संपूर्ण परियोजना या उसका भाग किसी वर्ष की अंतिम तिमाही में वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित होता है तो कट ऑफ तिथि वाणिज्यिक प्रचालन के वर्ष में तीन वर्ष पश्चात् वर्षात की 31 मार्च होगी;

परन्तु यदि दस्तावेजी साक्ष्य से यह सिद्ध हो जाता है कि परियोजना विकासकर्ता के नियंत्रण से बाहर से कारणों से कट ऑफ तिथि के भीतर पूंजीकरण नहीं किया सका तो आयोग कटऑफ तिथि को विस्तारित कर सकेगा;

- (20) "वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि" या "सी.ओ.डी." से एक उत्पादक स्टेशन या उसकी यूनिट या ब्लॉक अथवा एक पारेषण प्रणाली या उसके तत्व की निम्नलिखित रूप से अवधारित की जायेगी:
- (a) एक उत्पादक यूनिट या ताप उत्पादक स्टेशन के ब्लॉक के मामले में वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से अधिकतम निरंतर रेटिंग (एम.सी.आर.) या लाभार्थी, यदि कोई है, को नोटिस के पश्चात् एक सफल ट्रायल रन के द्वारा संस्थापित क्षमता (IC) प्रदर्शित करने के पश्चात् उत्पादक कंपनी द्वारा घोषित तिथि, और पूर्णरूप में एक उत्पादन स्टेशन के मामले में उत्पादक स्टेशन की अंतिम उत्पादक यूनिट या ब्लॉक की वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि अभिप्रेत होगी:
- (b) जल विद्युत उत्पादक स्टेशन की उत्पादक यूनिट के संबंध में वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से ग्रिड संहिता के अनुसार शिड्यूल प्रक्रिया पूरी तरह से लागू होने के पश्चात् 00.00 बजे से उत्पादक कंपनी द्वारा घोषित तिथि और पूर्ण रूप से एक उत्पादक स्टेशन के संबंध में, एक सफल ट्रायल रन के द्वारा उत्पादक स्टेशन की संस्थापित क्षमता के तदनु रूप पीकिंग क्षमता प्रदर्शित करने के पश्चात् उत्पादक कंपनी द्वारा घोषित तिथि अभिप्रेत होगी;

परन्तु:

- (i) जहां लाभार्थी उत्पादक स्टेशन से ऊर्जा क्रय करने की लिये बंधे हुए है, वहां ट्रायल रन उत्पादक कंपनी द्वारा लाभार्थियों को सात दिन से नोटिस के पश्चात् आरम्भ होगा तथा शिड्यूलिंग, ट्रायल रन के पूर्ण होने के पश्चात् 00.00 बजे से आरम्भ होगी।
- (ii) उत्पादक कंपनी यह प्रमाणित करेगी कि उत्पादक स्टेशन केन्द्रीय विद्युत प्रधिकरण (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाईनों के निर्माण हेतु तकनीकी मानक) विनियम, 2010 और ग्रिड संहिता के तकनीकी मानकों के मुख्य उपबंधों को पूरा करता है:

- (iii) यदि एक जल विद्युत उत्पादक स्टेशन, जिसके पास पॉन्डेज ओर स्टोरेज है, अपर्याप्त जलाशय या ताल स्तर के कारणों से संस्थापित क्षमता में तदनुसार पीकिंग क्षमता प्रदर्शित नहीं कर पाता है तो उत्पादक स्टेशन की अंतिम यूनिट की तिथि ही उत्पादक स्टेशन वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि मानी जायेगी और ऐसे जल विद्युत स्टेशन के लिये, जैसे ही और जब ऐसा जलाशय/तालाब स्तर प्राप्त हो जाये, उत्पादन यूनिट या उत्पादक स्टेशन की संस्थापित क्षमता के तदनुसार पीकिंग क्षमता प्रदर्शित करना आवश्यक होगा:
- (iv) यदि एक रन-ऑफ-रिवर जलविद्युत उत्पादक स्टेशन या उसकी उत्पादक यूनिट, लीन इनपलोज अवधि के दौरान जब पीकिंग क्षमता के ऐसे प्रदर्शन हेतु जल का प्रवाह अपर्याप्त होता है वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित होती है तो उस जल विद्युत उत्पादन स्टेशन या उत्पादक यूनिट के लिये जब जैसे ही जल का प्रवाह उपलब्ध हो, संस्थापित क्षमता के तदनुसार पीकिंग क्षमता प्रदर्शित करना आवश्यक होगा।
- (v) उत्पादक स्टेशन की कमीशनिंग और इस संबंध में सभी नियमों और विनियमों तथा साथ ही विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाईनों के निर्माण हेतु सी.ई.ए. तकनीकी मानक विनियम, 2010 के अनुपालन से संबंधित प्रमाण-पत्र पर संलग्नक 5 में संलग्न प्रारूप में निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदन के पश्चात् कंपनी के सी.एम.डी./सी.ई.ओ./एम.डी. द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।
- (c) एक पारेषण प्रणाली के संबंध में वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 00.00 बजे से पारेषण अनुज्ञापी द्वारा घोषित वह तिथि अभिप्रेत है जिसका पारेषण प्रणाली का एक तत्व रेटेड वोल्टेज पर विद्युत के पारेषण हेतु सफल ट्रायल रन के पश्चात् निरंतर सेवा में है:

परन्तु:

- (i) नियमों में निर्धारित किये गये अनुसार विद्युत निरीक्षक से अनापत्ति किसी पारेषण लाईन या उप स्टेशन के चार्ज किये जाने से पूर्व आवश्यक होगी।
- (ii) जहां पारेषण लाईन या उप स्टेशन एक उत्पादक स्टेशन विशेष से ऊर्जा निष्क्रमण हेतु समर्पित है, वहां उत्पादक कंपनी और पारेषण अनुज्ञापी, जहां तक व्यवहारिक हो, एक साथ उत्पादक स्टेशन और पारेषण प्रणाली को चालू करने का प्रयास करेंगे और इन विनियमों के विनियम 21(7) के अनुसार उपयुक्त पारेषण सेवा करार के माध्यम से ऐसा सुनिश्चित करेंगे:
- (iii) यदि एक पारेषण प्रणाली या उसके एक एलिमेंट को नियमित सेवा से ऐसे कारणों से रोका जाता है जिनका पारेषण अनुज्ञापी या उसके आपूर्तिकर्ता या उसके ठेकेदारों को

दोष नहीं दिया जा सकता तो पारेषण अनुज्ञापी ऐसी पारेषण प्रणाली या उसके एलीमेन्ट के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि के अनुमोदन हेतु एक उपयुक्त आवेदन के माध्यम से आयोग के पास निवेदन कर सकता है। ऐसे मामलों में आयोग पारेषण प्रणाली या एक एलीमेन्ट के नियमित सेवा में आने से पूर्व वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि अनुमोदित कर सकता है।

(iv) एक वितरण अनुज्ञापी के मामले में वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से, इसके रेटेड वोल्टेज स्तर पर एक वितरण अनुज्ञापी की विद्युत लाईन या उप स्टेशन की चार्जिंग की तिथि या वितरण अनुज्ञापी द्वारा चार्जिंग के लिये तैयार घोषित किये जाने की तिथि से सात दिन पश्चात्, किन्तु ऐसे कारणों, जिनका दोष इससे आपूर्तिकर्ताओं या ठेकेदारों को नहीं दिया जा सकता, से यह चार्ज नहीं हो पाता, दोनों में से जो पहले हो, अभिप्रेत होगी:

परन्तु नियमों में निर्धारित किये गये अनुसार किसी एच.टी./ई.एच.टी. या उपस्टेशन को चार्ज करने से पहले विद्युत निरीक्षक की अनापत्ति आवश्यक होगी।

परन्तु वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि जब तक सभी पक्षों की परस्पर सहमति न हो यथास्थिति ऊर्जा क्रय करार या क्रियान्वयन करार या पारेषण सेवा करार या व्हीलिंग करार या निवेश अनुमोदन में उल्लेखित वाणिज्यिक प्रचालन की अनुसूचित तिथि से पहले की गई तिथि नहीं होगी।

- (21) "दिन" से 00.00 बजे से आरम्भ होने वाली 24 घंटे की अवधि अभिप्रेत है;
- (22) "घोषित क्षमता" या "डी.सी." से, एक उत्पादक स्टेशन के संबंध में ईंधन और जल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए और सुसंगत विनियम में आगे की अर्हता के अधीन, दिन में किसी टाईम ब्लॉक या पूरे दिन के संबंध में ऐसे उत्पादक स्टेशन द्वारा घोषित मेगा में एक्स-बस विद्युत प्रेषण की क्षमता अभिप्रेत है;
- (23) इन विनियमों के अधीन शुल्क के उद्देश्य से "पूँजीकरण निरसान" से आयोग द्वारा स्वीकृत हटाने/निकालने के तदनुरूप परियोजना की सकल स्थिर आस्तियों में कमी करना अभिप्रेत है;
- (24) "डी-कमीशनिंग" से किसी प्रधिकृत एजेन्सी द्वारा स्वयं अथवा परियोजना विकासकर्ता या लाभार्थियों या दोनों के द्वारा किये गये आवेदन पर यह प्रमाणित किये जाने के पश्चात् कि प्रौद्योगिक रूप से कालातीत या अनार्थिक प्रचालन या दोनों कारणों के कारण आस्तियों की निष्पादन हीनता के फल-स्वरूप परियोजना का प्रचालन नहीं किया जा सकता, उत्पादक स्टेशन अथवा उसकी यूनिट या पारेषण प्रणाली अथवा उसके एलीमेन्ट का सेवा से हटाना, अभिप्रेत है;
- (25) "डिजाईन ऊर्जा" से ऊर्जा की वह मात्रा अभिप्रेत है जिसे जल विद्युत उत्पादक स्टेशन की 95 प्रतिशत संस्थापित क्षमता के साथ 90 प्रतिशत विश्वसनीय वर्ष में उत्पादित किया जा सकता है;

- (26) "वितरण कारोबार" से वितरण अनुज्ञापी के आपूर्ति क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति हेतु वितरण प्रणाली के प्रचालन और रखरखाव का कारोबार अभिप्रेत है;
- (27) "वितरण हानि" से वितरण अनुज्ञापी की वितरण प्रणाली में ऊर्जा की हानियां अभिप्रेत है, जिसमें एयर कंडीशनिंग, लाईटिंग, बैटरी चार्जिंग, उप-स्टेशन उपकरणों के साधनों के उद्देश्य हेतु उपस्टेशन में अनुषंगी ऊर्जा उपभोग सम्मिलित है;
- (28) एक पारेषण प्रणाली के संबंध में "एलीमेन्ट" से ऐसी आस्ति अभिप्रेत होगी जिसे निवेश अनुमोदन में परियोजना की परिधि के अधीन स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है;
- (29) "वर्तमान उत्पादक स्टेशन" से ऐसा उत्पादक स्टेशन अभिप्रेत है जिसने इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से पूर्व सी.ओ.डी. प्राप्त कर लिया है;
- (30) "वर्तमान परियोजना" से, इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से पहले किसी तिथि पर वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित परियोजना अभिप्रेत है;
- (31) "शुल्क और प्रभारों से अपेक्षित राजस्व" से प्रचालित शुल्कों पर अनुज्ञापित/विनियम कारोबार से अनुज्ञापी/उत्पादक कंपनी/एस.एल.डी.सी. को जमा अनुमानित राजस्व अभिप्रेत है;
- (32) "उपार्जित व्यय" से एक उपयोगी परिसंपत्ति के सृजन या अधिग्रहण हेतु वास्तव में परिनियोजित नकद या नकद समतुल्य भुगतान की गई निधि, चाहे वह इक्विटी हो या डैट या दोनों अभिप्रेत है और इसमें वे प्रतिबद्धताएं और दायित्व सम्मिलित नहीं हैं जिनके लिए भुगतान अवमुक्त नहीं किया गया है;
- (33) "विस्तारित जीवन" से प्रत्येक मामलों में अलग-अलग आयोग द्वारा अवधारित किये गये अनुसार उत्पादक स्टेशन अथवा उसकी यूनिट या पारेषण प्रणाली अथवा उसके एलीमेन्ट के उपयोगी जीवन से आगे का जीवन अभिप्रेत है;
- (34) "वित्तीय वर्ष" से कैलेंडर वर्ष के 1 अप्रैल से आरम्भ होकर अगले कैलेंडर वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि अभिप्रेत है;
- (35) "अपरिहार्य घटनाओं" से किसी पक्ष, किसी घटना या परिस्थितियों के संबंध में वे घटनाएं अभिप्रेत है जो उस पक्ष के युक्तियुक्त नियंत्रण में नहीं है, या उस पक्ष के किसी कृत्य के लोप के कारण नहीं है और जिसे युक्तियुक्त देखभाल और उचित तत्परता के प्रयोग से वह पक्ष रोक पाने में असमर्थ है जिसके पूर्वगामी की व्यापकता को सीमित किये बिना, भी सम्मिलित है:
- (a) दैवीय कृत्य जैसे आकाशीय बिजली, भूस्खलन, तूफान, तत्वों के कृत्य, भूकम्प, बाढ़, सूखा और प्राकृतिक आपदा या अतिशय रूप से प्रतिकूल मौसम की परिस्थियाँ;

- (b) सार्वजनिक शत्रु का कोई कृत्य, युद्ध (घोषित या अघोषित), घेराबन्धी, अवरोध, विप्लव, दंगे, क्रान्ति, तोड़-फोड़, आतंकवादी या सैन्य कार्यवाही, बर्बरता और सिविल व्यवधान;
- (c) अपरिहार्य दुर्घटना, आग, धमाका, रेडिएक्टिव संदूषण और जहरीला हानिकारक रसायनिक संदूषण;
- (d) ग्रिड की कोई बंदी अथवा व्यवधान जो राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा या आयोग द्वारा या राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अपेक्षित या निर्देशित हो; और कोई बंदी या रूकावट जो किसी महत्वपूर्ण संयंत्र या उपकरण की विफलता के गंभीर और त्वरित जोखिम को टालने के लिये आवश्यक हो;
- (36) "उत्पादन कारोबार" से एक उत्पादक स्टेशन से विद्युत उत्पादन का कारोबार अभिप्रेत है;
- (37) "उत्पादन शुल्क" से एक उत्पादक स्टेशन विद्युत की एक्स-बस आपूर्ति हेतु शुल्क अभिप्रेत है;
- (38) एक संयुक्त चक्र ताप उत्पादक स्टेशन के संबंध में "उत्पादक यूनिट" से गैस टर्बाईन-जनरेटर, स्टीम टर्बाईन-जनरेटर एवं अनुषंगी, जिसमें हीट रिकवरी यूनिट भी सम्मिलित है, अभिप्रेत है या अन्य ताप उत्पादक स्टेशन के संबंध में गैस टर्बाईन-जनरेटर और अनुषंगी अभिप्रेत है; तथा एक जल विद्युत स्टेशन के संबंध में टर्बाईन जनरेटर और इसकी अनुषंगी अभिप्रेत है;
- (39) "उत्पादन स्टेशन" से विद्युत उत्पादन हेतु कोई स्टेशन अभिप्रेत है, इसमें स्टेप-अप ट्रांसफार्मर, स्विच गियर, स्विच यार्ड, केबल्स या इस प्रयोजन हेतु उपयोग में लाया जाने वाला कोई अन्य अनुबन्ध उपकरण, यदि कोई है के साथ कोई भवन और संयंत्र और उसका स्थल तथा उत्पादक स्टेशन के प्रचालन स्टाफ के आवास हेतु उपयोग में लाया जाने वाला भवन सम्मिलित है, और जहां जल-शक्ति से विद्युत उत्पादित की जाती है वहां इसमें पेनस्टॉक्स, हैड एंड टेल वर्क्स, मेन और रेगुलेटिंग जलाशय, बांध और अन्य हायड्रॉलिक वर्क्स, सम्मिलित हैं किंतु इसमें किसी भी स्थिति में उप-स्टेशन सम्मिलित नहीं है;
- (40) "ग्रिड संहिता" से समय समय पर संशोधित उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (राज्य ग्रिड संहिता) विनियम, 2007 अभिप्रेत है;
- (41) एक ताप उत्पादक स्टेशन के संबंध में "ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू" या "जी.सी.वी." से गैसीय ईंधन के एक मानक धन मीटर के पूर्ण दहन द्वारा kCAL में उत्पादित ताप अभिप्रेत है;
- (42) "सकल स्टेशन ताप दर" या "GHR" से ताप उत्पादन स्टेशन में जनरेटर टर्मिनल्स पर विद्युत ऊर्जा का एक kwh उत्पादित करने के लिये आवश्यक Kcal के ताप ऊर्जा इनपुट अभिप्रेत है;

- (43) "भारत सरकार अभिकरण" से भारत सरकार, राज्य से सरकार (जहां परियोजना अवस्थित है) और भारत सरकार या राज्य सरकार, जहां परियोजना अवस्थित है, द्वारा नियंत्रित कोई मंत्रालय या विभाग या बोर्ड या एजेन्सी या अन्य विनियामक अथवा न्यायिक-कल्प प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (44) "अशस्त ऊर्जा" से उत्पादक स्टेशन की यूनिट अथवा ब्लॉक के वाणिज्यिक प्रचालन से पूर्व इन्जेक्ट की गई विद्युत अभिप्रेत है;
- (45) "संस्थापित क्षमता" से आयोग द्वारा समय समय पर स्वीकृत, उत्पादक स्टेशन की सभी यूनिटों की नाम पट्टिका क्षमता का समेशन या उत्पादक की क्षमता जनरेटर टर्मिनल्स पर गणना किये अनुसार अभिप्रेत है;
- (46) "अन्तः संयोजन बिंदु" से वह बिन्दु अभिप्रेत है जहां विक्रेता के पावर स्टेशन स्विच यार्ड बस से यथा स्थिति, अन्तर्राज्यीय/राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली में ऊर्जा इन्जेक्ट की जाती है (राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली के साथ पावर स्टेशन को जोड़ने वाली डेडिकेटेड पारेषण लाईन सहित)।
- (47) "अन्तर्राज्यीय उत्पादक स्टेशन" या "ISGS" से केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता में दिया गया इसका अर्थ अभिप्रेत है;
- (48) "राज्यान्तर्गत उत्पादक स्टेशन" से ऐसा उत्पादक स्टेशन या कैप्टिव उत्पादक संयंत्र (CGP) अभिप्रेत होगा जो एक अन्तर्राज्यीय उत्पादक स्टेशन नहीं है।
- (49) "निवेश अनुमोदन से" परियोजना हेतु परियोजना हेतु मंजूरी, जिसमें परियोजना के क्रियान्वयन हेतु फंडिंग और परियोजना के लागू होने के लिये समय सीमा बताते हुए आयोग द्वारा या एक उत्पादक कंपनी के मामले में यथास्थिति CEA या उत्पादक कंपनी के बोर्ड द्वारा अनुमोदन अभिप्रेत है; परन्तु निवेश अनुमोदन की तिथि आयोग के अनुमोदन की तिथि से और एक उत्पादक कंपनी के मामलों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा बोर्ड के संकल्प/कार्यवृत्त/अनुमोदन की तिथि से मानी जायेगी;
- (50) "दीर्घावधि पारेषण ग्राहक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास पारेषण अनुज्ञापि के साथ सात वर्ष से अधिक का पारेषण सेवा करार है जिसमें पारेषण प्रभारों का भुगतान कर राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली के उपयोग हेतु डीमंड पारेषण अनुज्ञापि सम्मिलित है;
- (51) ताप उत्पादक स्टेशन की एक यूनिट के संबंध में "अधिकतम निरंतर रेटिंग" या "MCR" से रेटेड मानदंडों पर विनिर्माता द्वारा गारंटीशुदा जेनरेटर टर्मिनल्स पर अधिकतम निरंतर आउटपुट अभिप्रेत है, और एक संयुक्त चक्र ताप उत्पादक स्टेशन के एक ब्लॉक के संबंध में जल या वाष्प इन्जेक्शन (यदि लागू हो) के साथ विनिर्माता द्वारा गारंटीशुदा, जेनरेटर टर्मिनल्स पर अधिकतम निरंतर आउटपुट और 50 Hz ग्रिड फ्रीक्वेंसी व विनिर्दिष्ट स्थल परिस्थितियों तक संशोधित, अभिप्रेत है;

- (52) "नये उत्पादक स्टेशन या नयी परियोजना" से इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि पर या उसके पश्चात् COD प्राप्त करने वाला एक उत्पादक स्टेशन या नई परियोजना अभिप्रेत है;
- (53) "गैर शुल्क आय" से मुख्य कारोबार की आस्तियों के उपयोग द्वारा प्राप्त शुल्क से आय से अन्यथा आय अभिप्रेत है और इसमें अन्य कारोबार से आय का समानुपात सम्मिलित हो सकता है;
- (54) एक ताप उत्पादक स्टेशन के संबंध में "मानकीय वाषिक संयंत्र उपलब्धता कारक" या "NAPAF" से विनियम 47(1)(ए) में विनिर्दिष्ट उपलब्धता कारक और एक जल विद्युत उत्पादक स्टेशन के संबंध में विनियम 47(1)(बी) और 47(1)(सी) में विनिर्दिष्ट उपलब्धता कारक अभिप्रेत है;
- (55) "प्रचालन और अनुरक्षण व्यय" या "O&M व्यय" से कंपनी या एक परियोजना विशेष के प्रचालन और अनुरक्षण पर उपगत व्यय अभिप्रेत है और इसमें जन शक्ति, मरम्मत, स्पेयर्स, उपभोज्य, बीमा और ऊपरी खर्च पर व्यय सम्मिलित है, किन्तु ईंधन व्यय और जल प्रभार इसमें सम्मिलित नहीं है;
- (56) "मूल परियोजना लागत" से आयोग द्वारा स्वीकृत वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि तक परियोजना की मूल परिधि की भीतर यथास्थिति, उत्पादक कंपनी या अनुज्ञापी या SLDC द्वारा उपगत पूंजीगत व्यय अभिप्रेत है;
- (57) "अन्य कारोबार" से अधिनियम की धारा 41 के अधीन पारेषण अनुज्ञापी द्वारा या अधिनियम की धारा 51 के अधीन वितरण अनुज्ञापी द्वारा आरम्भ किया गया हो और जिसे ऐसे पारेषण अनुज्ञापी या ऐसे वितरण अनुज्ञापी की अस्तियों के अधिकतम उपयोग हेतु हाथ में लिया गया हो; अभिप्रेत है;
- (58) किसी अवधि हेतु उत्पादक स्टेशन के संबंध में "संयंत्र उपलब्धता कारक (PAF)" मानकीय अनुषंगी ऊर्जा उपभोग द्वारा कम किए गए हुए MW में संस्थापित क्षमता के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त उस अवधि के दौरान सभी दिनों के लिये दैनिक घोषित क्षमता (DCs) का औसत अभिप्रेत है;
- (59) एक दी गई अवधि हेतु ताप उत्पादक स्टेशन या यूनिट के संबंध में, "संयंत्र उपलब्धता कारक (PAF)" से उस अवधि में संस्थापित क्षमता के तदनुरूप निष्कासित ऊर्जा के रूप में अभिव्यक्त उस अवधि के दौरान अनुसूचित उत्पादन के तदनुरूप कुल निष्कासित ऊर्जा अभिप्रेत है जिसकी संगणना निम्नलिखित फॉर्मूला से की जायेगी:

$$PLF = 10000 * \sum_{i=1}^N \frac{SG_i}{\{N \times 1C \times (100 - AUX_n)\}} \%$$

जब कि,

1C = उत्पादक स्टेशन या यूनिट की संस्थापित क्षमता MW में

SG_i = अवधि के पर्वे टाईम ब्लॉक हेतु MW में अनुसूचित उत्पादन,

N = अवधि के दौरान टाईम ब्लॉक्स की संख्या, और

AUXn = सकल ऊर्जा उत्पादन के रूप में मानकीय अनुषंगी ऊर्जा उपभोग;

- (60) "परियोजना" से यथास्थिति, SLDC या वितरण प्रणाली के मामले में एक उत्पादक स्टेशन या पारेषण प्रणाली या अव्यव अभिप्रेत है और एक बहु-उद्देशीय जल-विद्युत स्टेशन में उत्पादन सुविधा के सभी अवयव जैसे बांध, ऊर्जा उत्पादन को प्रभाजित इन्टेक-वॉटर की उत्पादक यूनिट्स सम्मिलित होती है;
- (61) "कुशल जांच" से उपगत हुए या उपगत होने के लिये प्रस्तावित पूंजीगत व्यय की युक्तियुक्ता की संवीक्षा, वित्तीय योजना, दक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग, लागत और समय में अधिक वृद्धि और अन्य कारक जो शुल्क के अवधारण हेतु आयोग द्वारा उपयुक्त समझी जाये अभिप्रेत है। कुशल जांच कराते समय आयोग यह देखेगा कि वह उत्पादक कंपनी या पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी या SLDC अपने निर्णयों में सावधान ओर परियोजना के निष्पादन में सतर्क रही है;
- (62) "एक पारेषण या वितरण प्रणाली में 'रेटेड वोल्टेज" से वह डिजाइन वोल्टेज अभिप्रेत है जिस पर पारेषण और वितरण प्रणाली प्रचालन हेतु डिजाइन की गई है और इसमें ऐसी लोअर वोल्टेज सम्मिलित है जिस पर दीर्घावधि पारेषण ग्राहको या उपयोगकर्ताओं के साथ परामर्श कर तत्समय लाईन चार्ज की जाती है;
- (63) "नियमित सेवा" से सफल ट्रायल परिचालन के पश्चात् एक पारेषण प्रणाली या उसके तत्व को उपयोग में लाना अभिप्रेत है;
- (64) "रन-ऑफ-रिवर उत्पादक स्टेशन" से ऐसा जल विद्युत स्टेशन अभिप्रेत है जिसमें अप-स्ट्रीम पॉडेज नहीं है;
- (65) "पॉडेज के साथ रन-ऑफ-रिवर उत्पादक स्टेशन" से ऐसा जल विद्युत उत्पादक स्टेशन अभिप्रेत है जिस में ऊर्जा मांग के दैनिक परिवर्तन को पूरा करने के लिये पर्याप्त पॉडेज है;
- (66) "अनुसूचित ऊर्जा" से एक दिन में एक उत्पादक स्टेशन द्वारा ग्रिड में इन्जेक्ट करने के लिये संबंधित भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अनुसूचित ऊर्जा की मात्रा अभिप्रेत है;
- (67) "अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन तिथि या 'SCOD' से यथास्थिति, निवेश अनुमोदन में इंगित या ऊर्जा क्रय करार या पारेषण सेवा करार जो पहले हो में सहमत एक उत्पादक स्टेशन या उत्पादक यूनिट या उसके ब्लॉक अथवा पारेषण प्रणाली या उसके तत्व के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (या) अभिप्रेत है;
- (68) किसी समय पर अथवा किसी अवधि या टाईम ब्लॉक के लिये "अनुसूचित उत्पादन" या "SG" से संबंधित भार प्रेषण केन्द्र द्वारा स्वीकृत MW या MWh एक्स-बस में उत्पादन की अनुसूची अभिप्रेत है;

नोट:

ओपन सायकल गैस टर्बाईन उत्पादक स्टेशन या कम्बाईन्ड सायकल उत्पादक स्टेशन के लिये यदि किसी टाईम ब्लॉक हेतु औसत फ्रीक्वेंसी 49.52 Hz से नीचे है किंतु 49.02 से नीचे नहीं है और अनुसूचित उत्पादन घोषित क्षमता के 98.5 प्रतिशत से अधिक है तो अनुसूचित उत्पादन कम होकर घोषित क्षमता का 98.5 प्रतिशत हुआ समझा जायेगा और यदि किसी टाईम ब्लॉक हेतु औसत फ्रीक्वेंसी 49.02 Hz से कम है व अनुसूचित उत्पादन घोषित क्षमता के 96.5%से अधिक है तो अनुसूचित उत्पादन कम होकर घोषित क्षमता का 96.5% हुआ माना जायेगा।

- (69) "लघु गैस" टर्बाईन उत्पादक स्टेशन" से ओपन सायकल गैस टर्बाईन या 50 MW अथवा इससे कम क्षमता के गैस टर्बाईन के साथ कम्बाईन्ड उत्पादक स्टेशन अभिप्रेत है;
- (70) "आरम्भ तिथि या शून्य तिथि" से परियोजना के क्रियान्वयन के प्रारम्भ हेतु निवेश अनुमोदन में इंगित तिथि अभिप्रेत है और जहां कोई तिथि इंगित नहीं की गई है वहां निवेश अनुमोदन की तिथि आरम्भ तिथि या शून्य तिथि मानी जायेगी;
- (71) "स्टोरेज प्रकार का उत्पादक स्टेशन" से मांग के अनुसार विद्युत में उत्पादन में परिवर्तन कर सकने की स्टोरेज क्षमता के साथ संबद्ध एक जल विद्युत उत्पादक स्टेशन अभिप्रेत है।
- (72) "शुल्क" से उत्पादन या पारेषण या व्हीलिंग और विद्युत की आपूर्ति हेतु प्रभारों की अनुसूची के साथ उनकी प्रयोज्यता के निबंधन और शर्तें, अभिप्रेत है।
- (73) "शुल्क अवधि" से वह अवधि अभिप्रेत है जिसके लिये शुल्क या कुल राजस्व आवश्यकता इन अधिनियमों के अधीन आयोग द्वारा अवधारित की जाती है।
- (74) "टाईम ब्लॉक" से, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, 00.00 बजे से आरम्भ होकर 15 मिनट का ब्लॉक अभिप्रेत है।
- (75) "ट्रेडिंग कारोबार" से अन्य अनुज्ञापी या उपभोक्ताओं या उपभोक्ताओं की श्रेणी को विद्युत से री-सेल हेतु ट्रेडिंग अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी द्वारा विद्युत के क्रय का कारोबार अभिप्रेत है।
- (76) "पारेषण कारोबार" से पारेषण लाईनें स्थापित करने या प्रचालित करने का कारोबार अभिप्रेत है।
- (77) "पारेषण हानि" से एक पारेषण अनुज्ञापी की पारेषण प्रणाली में हानियां अभिप्रेत है। एयर कंडीशनिंग, लाईटिंग, बैटरी चार्जिंग, उप-स्टेशन उपकरणों के उपस्करों के प्रयोजन हेतु उप-स्टेशन में अनुषंगी ऊर्जा उपभोग की लागत;
- (78) "पारेषण सेवा करार" से पारेषण अनुज्ञापी और पारेषण सेवा/लाईनों के उपभोगकर्ता के साथ किया गया करार, संविदा, समझौता ज्ञापन या ऐसी कोई प्रसंविदा अभिप्रेत है।
- (79) "पारेषण प्रणाली" से संलग्न उप-स्टेशन के साथ अथवा उसके बिना लाईन या लाईनों का समूह अभिप्रेत है जिसमें उपस्टेशनों तथा पारेषण लाईनों के साथ संलग्न उपकरण सम्मिलित हैं।

- (80) एक उत्पादक स्टेशन या उसकी यूनिट के संबंध में "ट्रायल रन" से ताप उत्पादक स्टेशन या उसकी यूनिट के मामले में 72 घंटे की निरंतर अवधि हेतु अधिकतम निरंतर रेटिंग या संस्थापित क्षमता पर उत्पादक स्टेशन या उसकी यूनिट की सफल रनिंग तथा जल विद्युत स्टेशन या उसकी यूनिट के मामलों में 12 घंटे की सफल रनिंग अभिप्रेत है।

परन्तु जहां लाभार्थी उत्पादक स्टेशन से ऊर्जा क्रय हेतु बंधे हुए हैं वहां ट्रायल रन उत्पादक कंपनी द्वारा लाभार्थियों को सात दिन का नोटिस देने के पश्चात आरम्भ होगा।

- (81) एक पारेषण प्रणाली या उसके तत्व के संबंध में "ट्रायल प्रचालन" से, सेवा में आवश्यक मीटरिंग प्रणाली, टेलीमेट्री और सुरक्षा प्रणाली के साथ, ऊर्जा के निरंतर प्रवाह पर 24 घंटे के लिये पारेषण प्रणाली या उसके तत्व की सफल चार्जिंग अभिप्रेत होगी।

- (82) "अनानुसूचित अन्तः परिवर्तन" (UI) से भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता में परिभाषित रूप में अनानुसूचित अन्तः-परिवर्तन अभिप्रेत है।

- (83) एक उत्पादक स्टेशन की यूनिट और COD से पारेषण/वितरण प्रणाली के संबंध में "उपयोगी जीवन" से निम्नलिखित अभिप्रेत होगा, यथा :

- जल-विद्युत उत्पादक स्टेशन - 35 वर्ष
- गैस/तरल ईंधन आधारित ताप उत्पादक स्टेशन - 25 वर्ष
- पारेषण लाईन - 35 वर्ष
- AC और DC उप-स्टेशन - 25 वर्ष
- गैस इन्सुलेटेड उप-स्टेशन (GIS) - 25 वर्ष
- वितरण लाईन और वितरण प्रणालियां - 35 वर्ष

परन्तु AC और DC उप-स्टेशनों और ऐसे GIS जिनके लिये इन अधिनियमों की अधिसूचना के पश्चात निर्विदा आमंत्रण नोटिस जारी किया गया है, के लिये उपयोगी जीवन 35 वर्ष माना जायेगा।

परन्तु आगे यह कि अपने उपयोगी जीवन के पूरा हो जाने के पश्चात परियोजना के जीवन का विस्तार आयोग द्वारा तय किया जायेगा।

- (84) "उपयोगकर्ता" से पारेषण या वितरण अनुज्ञापी, एक उत्पादक कंपनी, एक व्यक्ति जिसने एक कैप्टिव उत्पादक संयंत्र स्थापित किया हुआ हो या एक ऐसा उपभोक्ता जो एक पारेषण अनुज्ञापी की पारेषण प्रणाली अथवा वितरण अनुज्ञापी की वितरण प्रणाली का उपयोग कर उन्मुक्त अभिगमन प्राप्त कर रहा हो, अभिप्रेत है,

(85) "वर्ष" से 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है, और

- (a) "वर्तमान वर्ष" से वह वर्ष अभिप्रेत होगा जिसमें शुल्क के अवधारण हेतु याचिका दायर की गई है,
- (b) "पूर्व वर्ष" से वर्तमान वर्ष से ठीक पहले का वर्ष अभिप्रेत होगा,
- (c) "आगामी वर्ष" से वर्तमान वर्ष से अगला वर्ष अभिप्रेत होगा।

इन विनियमों में उपयोग किये गये शब्द और अभिव्यक्तियां जो यहां परिभाषित नहीं किये गये हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित किये गये हैं, उनका वही अभिप्राय होगा जो समय-समय पर संशोधित विद्युत अधिनियम, 2003 या आयोग में किसी अन्य विनियम में दिया गया है।

भाग-II

बहुवर्षीय शुल्क संरचना सामान्य सिद्धांत

4 बहु-वर्षीय संरचना:

बहु वर्षीय शुल्क संरचना निम्नलिखित पर आधारित होगी :

- (a) नियंत्रण अवधि के प्रारम्भ होने से पहले आयोग में अनुमोदन हेतु संपूर्ण नियंत्रण अवधि के लिये आवेदक द्वारा प्रस्तुत कारोबार योजना।
- (b) नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष हेतु कुल राजस्व आवश्यकता और शुल्कों के अवधारण हेतु MYT याचिका के साथ जमा किये गये, इन विनियमों के अधीन नियत युक्तियुक्त धारणाओं और वित्तीय एवं प्रचालक सिद्धांतों/मानदंडों पर आधारित नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु अपेक्षित ARR की आवेदक का पूर्वानुमान;
- (c) आगामी नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष हेतु ARR/शुल्क याचिका के साथ 31.03.2016 को समाप्त होने वाली नियंत्रण अवधि की समीक्षा भी की जायेगी।
- (d) विशिष्ट मानदंडों हेतु ट्रैजेक्टरी-जैसी कि अनुज्ञापी द्वारा दी गई प्रस्तुतियों, आवेदकों में वास्तविक निष्पादन डाटा और समान स्थिति वाली युटिलिटीज द्वारा प्राप्त निष्पादन के आधार पर आयोग द्वारा नियत की गई है।
- (e) निष्पादन की वार्षिक समीक्षा अनुमोदित पूर्वानुमान के सापेक्ष में नियंत्रणनीय कारकों व अनियंत्रणनीय कारकों में निष्पादन में परिवर्तनों के वर्गीकरण द्वारा संचालित की जायेगी।

(f) इन विनियमों के उपबन्धों के अनुसार नियंत्रणनीय और अनियंत्रणनीय कारकों के कारण अतिरिक्त लाभ या हानि को बांटना।

5 नियंत्रण अवधि:

इन विनियमों के अधीन, नियंत्रण अवधि तीन (3) वित्तीय वर्षों की होगी, इन विनियमों के अधीन प्रथम आवेदन 01 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2019 तक तीन वित्तीय वर्षों की नियंत्रण अवधि हेतु किया जायेगा।

6 प्रचालन मानक अधिकतम सीमा के मानक होंगे:

यहां इसमें विनिर्दिष्ट प्रचालन में नॉर्म्स अधिकतम सीमा के नॉर्म्स हैं और इसके कारण प्रचालक के संशोधित नॉर्म्स नियत करने के लिये आयोग और उन संशोधनों से सहमत होने के लिये उत्पादक कंपनी, पारेषण अनुज्ञापी, वितरण अनुज्ञापियों, SLDC और लाभार्थियों को रोका नहीं जायेगा और ऐसी स्थिति में ऐसे संशोधित नॉर्म्स शुल्क के अवधारण हेतु प्रयोज्य होंगे।

7 आधार रेखा का अवधारण:

नियंत्रण अवधि के आधार वर्ष हेतु आधार रेखा मूल्य (प्रचालन और लागत मानदंड) आयोग द्वारा अवधारित किये जायेंगे तथा आयोग द्वारा अनुमोदित मूल्यों, नवीनतम परीक्षित लेखन, सुसंगत वर्ष हेतु अनुमान, कुशल जांच और आयोग द्वारा विचारित अन्य कारकों पर आधारित होंगे।

आयोग, आधार वर्ष के वास्तविक रूप से संपरीक्षित लेखे पर आधारित आधार वर्ष हेतु आधार रेखा मूल्यों का पुनःनिर्धारण कर सकेगा।

8 व्यापार योजना:

(1) एक आवेदक, 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2019 तक तीन (3) वित्तीय वर्षों की नियंत्रण अवधि हेतु 30 नवंबर, 2015 तक एक व्यापार योजना उविनिआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 2014 के अनुसार शपथपत्र के अधीन जमा करेगा :

(a) उत्पादक कंपनी हेतु व्यापार योजना संपूर्ण नियंत्रण अवधि के लिये होगी और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का समावेश होगा:

(i) पूंजी निवेश योजना, जिसमें वर्तमान स्टेशनों के लिये उत्पादक कंपनी द्वारा नियोजित निवेशों, फंडिंग के स्रोत के साथ पूंजीगत क्रय के वार्षिक चरण, वित्त पोषण योजना और तदनु रूप पूंजीकरण अनुसूची के विवरण सम्मिलित होंगे। यह योजना कंपनी के विभिन्न संयंत्रों के लिये आर एड एम योजनाओं और प्रस्तावित दक्षता सुधार के अनुरूप होगी;

- (ii) पूंजी निवेश योजना, उन प्रचलित परियोजनाओं, जो वर्षों तक समीक्षा के अधीन रहेंगी और नई परियोजनाओं (औचित्य के साथ) जो समीक्षा के अधीन वर्षों में प्रारम्भ होगी किन्तु शुल्क अवधि के भीतर या शुल्क अवधि के आगे पूरी होंगी, पृथक रूप से दर्शायेगी;
- (iii) उत्पादक कंपनी, वर्तमान बाजार परिस्थितियों, वर्तमान ऋण करारों के निबंधकों, उत्पादन कारोबार से जुड़े जोखिमों और विश्वसनीयता पर विचार करने के पश्चात पूंजी संरचना और वित्त पोषण की लागत (उधार पर ब्याज और इक्विटी पर रिटर्न) का संयंत्र-वार विवरण प्रस्तुत करेगी;
- (iv) मशीन की बड़ी बंदी, यदि कोई हो, से संबंधित विवरण;
- (v) निष्पादन मानदंडों की ट्रेजेक्टरी;
- (b) पारेषण अनुज्ञापितियों के लिये व्यापार योजना संपूर्ण नियंत्रण अवधि के लिये होगी और इसमें अन्य बातों के अतिरिक्त निम्नलिखित का समावेश होगा:
- (i) पूंजी निवेश योजना, जो व्यापार योजना में प्रस्तावित भार वृद्धि और गुणवत्ता सुधार के अनुरूप होनी चाहिये। निवेश योजना में पूंजीगत व्यय के चरणों के साथ फंडिंग का स्रोत, वित्त पोषण योजना और तदनुरूप पूंजीकरण अनुसूची भी सम्मिलित होने चाहिये। पारेषण अनुज्ञापि द्वारा पूंजी निवेश योजना के एक भाग के रूप में जमा की जाने वाली प्रणाली संवर्धन/विस्तार योजना, नियंत्रण अवधि के दौरान भार वृद्धि फोरकास्ट/उत्पादन निष्क्रमण आवश्यकता के अनुरूप होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त पूंजी निवेश योजना CEA/CTU/STU/वितरण अनुज्ञापि द्वारा निर्मित योजनाओं की संपुष्टि में होनी चाहिये।
- (ii) प्रस्तावित प्रत्येक योजना की उपयुक्त पूंजीगत संरचना तथा वित्त पोषण (उधार पर ब्याज) और इक्विटी पर रिटर्न, वर्तमान ऋण करार के निबंधन इत्यादि।
- (iii) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु पारेषण हानि घटाने की ट्रेजेक्टरी, जिसमें लक्ष्य हानि प्राप्त करने के लिये प्रस्तावित उपायों का विवरण सम्मिलित है।
- (c) वितरण अनुज्ञापितियों के लिये व्यापार योजना संपूर्ण नियंत्रण अवधि के लिये होगी और उसमें अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित का समावेश होगा :
- (i) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु प्रत्येक ग्राहक श्रेणी और उप-श्रेणी हेतु विक्रय/मांग फोरकास्ट;

- (ii) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु वितरण हानि घटाने की ट्रेजेक्टरी जिसमें लक्ष्य हानि प्राप्त करने के लिये प्रस्तावित उपायों का विवरण सम्मिलित है,
- (iii) व्यापार योजना अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिये विक्रय फोरकास्ट और वितरण हानि ट्रेजेक्टरी पर आधारित दीर्घावधि, मध्यम अवधि और लघु अवधि मामले में ऊर्जा की अधिप्राप्ति, योजना ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना में ऊर्जा दक्षता और मांग की ओर में प्रबंधन उपाय भी सम्मिलित होंगे,
- (iv) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु संग्रहण दक्षता सुधार ट्रेजेक्टरी,
- (v) विक्रय/मांग फोरकास्ट, ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना, वितरण हानि ट्रेजेक्टरी, आपूर्ति की गुणवत्ता हेतु लक्ष्य, इत्यादि का विचार करते हुए पूंजी निवेश योजना पूंजी निवेश योजना, राज्य पारेषण युटिलिटी (STU) द्वारा बनाई गई विस्तृत योजना के अनुकूल होगी और निवेश योजना में फंडिंग के स्रोत, वित्त पोषण योजना और तदनु रूप पूंजीकरण अनुसूची के साथ-साथ पूंजीगत व्यय के वार्षिक चरण सम्मिलित होने चाहिये,
- (vi) प्रस्तावित प्रत्येक योजना की उपयुक्त संरचना और वित्त पोषण की लागत (उधार पर ब्याज और इक्विटी पर रिटर्न), वर्तमान ऋण करारों में निबंधन, इत्यादि,
- (vii) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा की उपलब्धता से संबंधित विवरण और आयोग द्वारा विनिदिष्ट RPO के अनुपालन हेतु प्रस्तावित कार्रवाईयां।
- (d) राज्य भार प्रेषण केन्द्र हेतु व्यापार योजना संपूर्ण नियंत्रण अवधि के लिये होगी और इसमें अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित सम्मिलित होगा:
- (i) पूंजी निवेश योजना जिसमें व्यय के चरण और फंडिंग पैटर्न सम्मिलित होंगे,
- (ii) नियंत्रण अवधि हेतु अनुमानित बजट,
- (2) आवेदक, व्यापार योजना के एक भाग के रूप में नियंत्रण अवधि हेतु अपनी जनशक्ति योजना के संबंध में विवरण भी प्रस्तुत करेगा।
- (3) आयोग उचित परामर्श प्रक्रिया अपनाने के पश्चात व्यापार योजना की समीक्षा करेगा और इसका अनुमोदन करेगा।

9 निश्चित परिवर्तियों के लिये विशिष्ट ट्रेजेक्टरी:

- (1) आयोग, पिछले निष्पादन और साथ ही समरूप स्थित अनुज्ञापियों/उत्पादक कंपनियों के निष्पादन को ध्यान में रखते हुए निश्चित परिवर्तियों हेतु एक ट्रेजेक्टरी नियत करेगा:

परन्तु वे परिवर्तियां जिनके लिये ट्रेजेक्टरी नियत की जायेगी, में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे किन्तु उन तक सीमित नहीं होंगे:

(a) उत्पादक स्टेशनों के मामले में:

उत्पादक स्टेशन की उपलब्धता, स्टेशन ताप दर, अनुषंगी उपभोग, इत्यादि।

(b) पारेषण अनुज्ञापी के मामले में:

पारेषण हानियां, पारेषण प्रणाली उपलब्धता, इत्यादि।

(c) वितरण अनुज्ञापी के मामले में:

आपूर्ति उपलब्धता, वायर्स की उपलब्धता, वितरण हानियां, संग्रहण दक्षता, इत्यादि।

परन्तु आगे यह कि इस ट्रेजेक्टरी को निर्धारित लाक्ष्यों के सापेक्ष उच्चतर और निम्नतर निष्पादन के कारण उपभोक्ताओं के साथ लाभों और हानियों को साझा करने हेतु उपबंध करना चाहिये।

(2) इन विनियमों के अनुसार आयोग द्वारा नियत ट्रेजेक्टरी को आवेदक द्वारा अपनी MYT याचिका में सम्मिलित किया जायेगा।

10 नियंत्रण अवधि हेतु MYT याचिका:

(1) आवेदक, शपथ पत्र के अधीन और समय-समय पर संशोधित UERC (कारोबार का संचालन) विनियम, 2014 के अनुसार, आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में नियंत्रण अवधि के आरम्भ में पिछले वर्ष की अधिकतम 30 नवम्बर तक, प्रयोज्य शुल्क के साथ, नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिये कुल राजस्व आवश्यकता और शुल्क से अपेक्षित राजस्व की फोरकास्ट प्रस्तुत करेगा।

परन्तु नई परियोजना (ओं) संबंधित यूनिट (टों) और तत्व (वों) के मामलों में, आवेदक अग्रिम रूप से ऊपर विनिर्दिष्ट तरीके से वाणिज्यिक प्रचालन की प्रत्याशित तिथि से 180 दिन पूर्व या उससे पहले एक आवेदन करेगा।

(2) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये कुल राजस्व आवश्यकता की फोरकास्ट:

(a) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु कुल राजस्व आवश्यकता के विभिन्न घटकों के प्रक्षेपण हेतु आवेदक एक गणितीय मॉडल विकसित करेगा। इस प्रयोज्य हेतु आवेदक उपयुक्त मैक्रो-इकॉनॉमिक-वेरिबल्स, बाजार सूचकांक, पिछले वर्षों के चलन इत्यादि का उपयोग कर सकता है। इसके अतिरिक्त आवेदक अपनी वार्षिक समीक्षा और शुल्क अवधारण हेतु याचिका और MYT याचिका के साथ सभी फॉर्मूलों और लिंकिजेस सहित उपरोक्त मॉडल की एक सॉफ्ट कॉपी भी जमा करेगा।

(3) शुल्क और प्रभारों से अपेक्षित राजस्व की फोरकास्ट:

- (a) आवेदक, शुल्क और प्रभारों से अपेक्षित राजस्व के प्रक्षेपण हेतु एक गणितीय मॉडल विकसित करेगा जो निम्नलिखित पर आधारित होगा:
- (i) एक उत्पादक कंपनी के मामले में, आवेदन करने की तिथि पर प्रचलित उत्पादन शुल्कों और वितरण अनुज्ञापी तथा उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों को आबंटित क्षमता के अनुमानों और नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु अपेक्षित ऊर्जा उत्पादन के आधार पर।
 - (ii) एक पारेषण अनुज्ञापी के मामले में, आवेदन करने की तिथि पर प्रचलित शुल्कों और पारेषण प्रणाली के उपयोगकर्ताओं, जिसमें नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक सम्मिलित हैं, को आबंटित पारेषण क्षमता के अनुमानों के आधार पर।
 - (iii) एक वितरण अनुज्ञापी के मामले में, आवेदन करने की तिथि पर प्रचलित खुदरा एवं व्हिलिंग शुल्कों और नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को आपूर्ति की गई और उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ताओं को व्हील की गई विद्युत की मात्रा के अनुमानों के आधार पर।
 - (iv) SLDC के मामले में, आवेदन करने की तिथि पर लागू फीस और प्रभारों तथा राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली के उपयोगकर्ताओं को आबंटित पारेषण क्षमता के आधार पर।
 - (v) आवेदक, अपनी MYT याचिका और वार्षिक निष्पादन समीक्षा तथा शुल्क अवधारण हेतु याचिका के साथ सभी फॉर्मूलों और लिंकिजेससहित उपरोक्त मॉडल की एक सॉफ्ट कॉपी जमा करेगा।
- (4) आवेदन की जांच करने के पश्चात आयोग या तो—
- (a) नियंत्रण अवधि हेतु कुल राजस्व आवश्यकता और शुल्क व प्रभारों से अपेक्षित राजस्व की फोरकास्ट को अनुमोदित करते हुए आदेश पारित करेगा जो उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट आशोधनों और शर्तों के अधीन होगा, या
 - (b) कारण अभिलिखित कर आवेदन को अस्वीकार करेगा।
- परन्तु आवेदन अस्वीकार करने से पहले आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।
- (5) अपने MYT आदेश में आयोग, आवेदक की कुल राजस्व आवश्यकता और शुल्क व प्रभारों से अपेक्षित राजस्व में सम्मिलित उन परिवर्तियों को विनिर्दिष्ट करेगा, जिनकी वार्षिक निष्पादन समीक्षा के एक भाग के रूप में आयोग द्वारा समीक्षा की जायेगी,

परन्तु ऐसी परिवर्तियां आवेदक की लागत और राजस्व फोरकास्ट की उन मुख्य मदों तक सीमित रहेंगी जिनका, आयोग की राय में, नियंत्रण अवधि के दौरान राज्य के उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति की लागत पर भौतिक प्रभाव पड़ सकता है,

परन्तु आगे यह कि नीचे दिये गये विनियमों के अधीन आयोग द्वारा नियत परिवर्तियों को जब तक कि आयोग द्वारा अपने आदेश में ऐसी समीक्षा से छूट प्रदान न की गई हो, वे वार्षिक निष्पादन समीक्षा का एक भाग होगी।

11 वार्षिक लेखे, रिपोर्ट्स इत्यादि की तैयारी और उनको जमा करना :

- (1) प्रत्येक आवेदक एक वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगा और साथ ही वर्तमान और पूर्व वर्ष के दौरान और डल्ल नियंत्रण अवधि के शेष वर्षों, जिनमें आगामी वर्ष भी सम्मिलित है, में संभावित रूप से किये जाने वाले कार्य-कलापों का विवरण प्रदान करते हुए वार्षिक रिपोर्ट और आंकड़े तैयार करेगा। विभिन्न प्रदर्शन च्हांउमजमते के संदर्भ में कार्य-कलापों की रिपोर्ट में इंगित लक्ष्यों तथा सफलताओं को भी सम्मिलित किया जायेगा।
- (2) आयोग, आवेदकों को वित्तीय निष्पादन की समीक्षा हेतु आयोग द्वारा अपेक्षित अर्ध वार्षिक लेखा विवरण जमा करने के लिये भी निर्देश दे सकता है।
- (3) आयोग, आवेदक को आयोग या किसी अन्य प्राधिकारी जिसे वह इस निमित्त अभिहित करे, के समक्ष ऐसी अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है जिसे वह अपने कृत्यों के निष्पादन हेतु आवश्यक समझे।
- (4) आयोग, एक उपयुक्त समय पर पृथक विनियामक लेखे तैयार करने के लिये प्रपत्र विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

12 वार्षिक निष्पादन समीक्षा :

- (1) बहु वर्षीय शुल्क संरचना के अधीन उत्पादक कंपनी या पारेषण और वितरण अनुज्ञापी या स्क्व का निष्पादन एक वार्षिक निष्पादन समीक्षा के अधीन होगा।
- (2) आवेदक शपथ पत्र के अधीन और समय-समय पर संशोधित उ.वि.नि.आ. (कारोबार का संचालन) विनियम, 2014 के अनुसार प्रत्येक वर्ष 30 नवंबर तक वार्षिक निष्पादन समीक्षा हेतु आवेदन करेगा।

परन्तु आवेदक समय-समय पर आयोग द्वारा नियत रूप में आयोग को जानकारी प्रस्तुत करेगा जिसके साथ लेखा पत्रक, लेखों के अंश और ऐसे अन्य विवरण होंगे जिनकी आयोग को कुल राजस्व आवश्यकता और शुल्क व प्रभारों से अपेक्षित राजस्व के अनुमोदित पूर्वानुमान से वित्तीय निष्पादन में किसी अंतर के कारणों और विस्तार का आंकलन करने के लिये आवश्यकता हो।

परन्तु आगे यह कि वार्षिक निष्पादन समीक्षा हेतु आवेदन आयोग को जमा किया जायेगा और आयोग द्वारा ऐसे आवेदनों के निपटान हेतु विनियमों में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर, शुल्क अवधारण हेतु एक आवेदन के जमा करने व उसके निपटान हेतु इन विनियमों में दिये गये तरीके से आयोग उसका निपटारा करेगा।

- (3) वार्षिक निष्पादन समीक्षा की परिधि, आवेदक के वास्तविक निष्पादन के साथ कुल राजस्व आवश्यकता और शुल्क व प्रभारों से अपेक्षित राजस्व की फोरकास्ट की तुलना होगी और इसमें निम्नलिखित का समावेश होगा:-
- (a) पिछले वित्तीय वर्ष हेतु आवेदक के संपरीक्षित निष्पादन के साथ उस पिछले वित्त वर्ष हेतु अनुमोदित फोरकास्ट की तुलना और अनियंत्रणीय कारकों के प्रभाव के पास शू सहित कुशल जांच के अधीन व्ययों और राजस्व का सहीकरण।
- (b) अनुमोदित फोरकास्ट के संदर्भ में आवेदक के नियंत्रण के भीतर के कारकों (नियंत्रणीय कारक) और आवेदक से नियंत्रण से बाहर के कारकों (अनियंत्रणीय कारक) के निष्पादन में अंतरों का वर्गीकरण।
- (c) पिछले वित्त वर्ष के लिये संपरीक्षित वित्तीय परिणामों के आधार पर, यदि आवश्यक हो तो आगामी वित्त वर्ष हेतु अनुमानों का पुनरीक्षण।
- (d) पिछले वर्ष के लिये नियंत्रणीय कारकों के कारण लाभों और हानियों के बंटवारे का संगणन।
- (4) समीक्षा पूर्ण हो जाने पर आयोग, आवेदक से नियंत्रण के भीतर के कारकों (नियंत्रणीय कारक) और आवेदक के नियंत्रण से बाहर के कारकों (अनियंत्रणीय कारक) के लिये इस विनियम के अधीन नियत परिवर्तियों हेतु, निष्पादन में किन्हीं परिवर्तनों या अपेक्षित परिवर्तनों का आरोपण करेगा।
- (5) "अनियंत्रणीय कारको" में ऐसे कारक सम्मिलित होंगे जो आयोग द्वारा अवधारित किये गये अनुसार आवेदक के नियंत्रण से बाहर होंगे। अनियंत्रणीय कारकों में कुछ निम्नलिखित हैं :-
- (a) अपरिहार्य घटनाएं जैसे युद्ध की कार्रवाई, आग, प्राकृतिक आपदा इत्यादि,
- (b) विधि, केन्द्र सरकार, सरकार या आयोग के न्यायिक निर्णयों में परिवर्तन,
- (c) आर्थिकी के प्रभाव जैसे स्फीति दर, बाजार ब्याज दरों, करों और कानूनी लेवीज में अकल्पित परिवर्तन;
- (d) वितरण अनुज्ञापियों इत्यादि के लिये ऊर्जा क्रय व्ययों में परिवर्तन,
- (e) भाड़ा दरों में परिवर्तन,

- (f) प्रतिकूल प्राकृतिक घटनाओं के कारण जल विद्युत ताप मिश्रण में परिवर्तन के फलस्वरूप परिवर्तन और
- (g) उपभोक्ताओं की संख्या या मिश्रण में या उपभोक्ताओं को आपूर्ति की गई विद्युत की मात्राओं में परिवर्तन,
- (h) प्राथमिक ईंधन लागत।
- (6) आवेदक के निष्पादन में कुछ उदाहरण-स्वरूप परिवर्तन या अपेक्षित परिवर्तन, जिन्हें आयोग द्वारा नियंत्रणीय कारकों पर आरोपित किया जा सकता है, में निम्नलिखित सम्मिलित होगा किन्तु उन तक सीमित नहीं होगा :
- (a) भू अधिग्रहण मुद्दों के कारण समय और/या लागत बढ़ने के फलस्वरूप पूंजीगत व्यय में परिवर्तन,
- (b) एक परियोजना को लागू करने में दक्षता जिसके लिये ऐसी परियोजना की परिधि में अनुमोदित परिवर्तन, कानूनी लेवीज़ में परिवर्तन या अपरिहार्य घटनाओं और उत्पादक कंपनी या पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी या SLDC के ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता या एजेन्सी के कारण परियोजना के निष्पादन में विलम्ब को आरोपित नहीं किया जा सकता।
- (c) तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों में परिवर्तन,
- (d) अशोध्य ऋण,
- (e) निष्पादन मानदंडों में परिवर्तन,
- (f) कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं में परिवर्तन,
- (g) समय-समय पर संशोधित उविनिआ (निष्पादन के मानक) विनियम, 2007 के विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा करने में विफलता, सिवाय उसके जहां ऐसे विनियमों के अनुसार छूट प्राप्त हो,
- (h) पूंजीगत व्ययों में परिवर्तन के कारण वित्त पोषण पद्धति में परिवर्तन,
- (i) आपूर्ति की गुणवत्ता में परिवर्तन,
- (j) प्रचालन और अनुरक्षण व्ययों में परिवर्तन,
- (7) आवेदकों को विनियम 10(2) के अधीन पूर्वानुमान विकसित होते के समय जो उनको ज्ञात या उपलब्ध नहीं थी, ऐसी जानकारी के फलस्वरूप वे वार्षिक निष्पादन समीक्षा के एक भाग के रूप में, नियंत्रण अवधि की शेष अवधि हेतु से कुल राजस्व आवश्यकता और शुल्क व प्रभारों से अपेक्षित राजस्व की अनुमोदित फोरकास्ट में आशोधन हेतु आवेदन कर सकते हैं।

- (8) आवेदकों को विनियम 10(2) के अधीन फोरकास्ट विकसित होने के समय जो जानकारी ज्ञात या उपलब्ध नहीं थी, ऐसी जानकारी के फलस्वरूप, आयोग यदि उपयुक्त समझे तो स्वप्रेरणा से अथवा किसी हितबद्ध या प्रभावित पक्ष के आवेदन पर, वार्षिक निष्पादन समीक्षा के एक भाग के रूप में, नियंत्रण अवधि की शेष अवधि हेतु कुल राजस्व की अनुमोदित फोरकास्ट आशोधित कर सकता है।
- (9) ऊपर दिये गए विनियम 8 और उप-विनियम (2) के अधीन किये गये आवेदन पर आयोग उसी प्रकार विचार करेगा जिस प्रकार शुल्क के अवधारण हेतु मूल आवेदन पर किया जाता है और ऐसी समीक्षा के पूर्ण हो जाने पर, या ऐसे परिवर्तनों जिन्हें वह उपयुक्त समझे, के साथ प्रस्तावित आशोधन को अनुमोदित करेगा या कारण अभिलिखित कर आवेदन को अस्वीकार करेगा।
- (10) वार्षिक निष्पादन समीक्षा के पूरा हो जाने पर आयोग निम्नलिखित को अभिलेखित करते हुए एक आदेश पारित करेगा :
- (a) अनियंत्रणीय कारकों के कारण आवेदक को अनुमोदित कुल लाभ अथवा हानि और वह तंत्र जिसके द्वारा विनियम 13 के अनुसार ऐसे लाभ या हानियां आवेदक को अनुमन्य की जायेगी।
- (b) नियंत्रणीय कारकों के कारण आवेदक को अनुमोदित लाभ अथवा हानि और विनियम 14 के अनुसार बांटे जाने वाले ऐसे लाभ या ऐसी हानियों की हिस्सेदारी।
- (c) आगामी वर्ष हेतु आवेदक के पूर्वानुमान का अनुमोदित आशोधन, यदि कोई है।

आवेदन में ARR के सहीकरण के कारण इन विनियमों के अनुसार आयोग द्वारा अवधारित अधिशेष/घाटा आगामी वित्त वर्ष के लिये अग्रणीत किया जायेगा।

13 अनियंत्रणीय कारकों के कारण लाभ और हानियों में हिस्सेदारी :

- (1) अनियंत्रणीय कारकों के कारण आवेदक को अनुमोदित कुल लाभ अथवा हानि आयोग के आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि में आवेदक को शुल्क प्रभारों के समायोजन के रूप में अनुज्ञात किया जायेगा।
- (2) ऊपर दिए गये उप-विनियम (1) में समावेशित कुछ भी ईंधन मूल्य में परिवर्तन के कारण किसी लाभ या हानि के संबंध में लागू नहीं होगा, जिसका निपटारा विनियमों के सुसंगत भाग के अधीन विनिर्दिष्ट रूप में किया जायेगा।

14 नियंत्रणीय कारकों के कारण लाभ और हानि में हिस्सेदारी :

- (1) नियंत्रणीय कारकों के कारण आवेदक को अनुमोदित कुल लाभ और हानि का निपटारा निम्नलिखित तरीके से किया जायेगा :
- (a) ऐसे लाभ या हानि का 1/3 छूट के रूप में पास ऑन किया जायेगा या उतनी अवधि, जितनी कि आयोग के आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, में वसूली हेतु अनुज्ञात किया जायेगा,

- (b) ऐसे लाभ या हानि की शेष राशि आवेदक द्वारा उपयोग में लाई जायेगी या आमेलित की जायेगी।

15 शुल्क अवधारण की आवश्यकता :

- (1) आयोग, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए, नियंत्रण अवधि के दौरान प्रत्येक वित्त वर्ष के लिये एक बहु वर्षीय शुल्क संरचना के अधीन एक उत्पादक कंपनी/पारेषण अनुज्ञापी/वितरण अनुज्ञापी/SLDC के शुल्क/प्रभार अवधारित करेगा :
 - (a) इन विनियमों में विनिर्दिष्ट MYT सिद्धांत, और
 - (b) ऐसे वित्त वर्ष के लिये कुल राजस्व आवश्यकता और शुल्क व प्रभारों से अपेक्षित राजस्व की अनुमोदित फोरकास्ट, जिसमें ऐसी फोरकास्ट का अनुमोदित आशोधन सम्मिलित है, और
 - (c) पिछले वित्त वर्ष हेतु सहीकरण का प्रभाव और वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिये निष्पादन समीक्षा, और
 - (d) शुल्कों के पाय थ्रू के रूप में अनुज्ञात करने के लिये अनुमोदित लाभ और हानियां,
- (2) एक पारेषण अनुज्ञापी या एक वितरण अनुज्ञापी या एक उत्पादक कंपनी या SLDC के लिये ARR की वसूली हेतु शुल्क और प्रभार सामान्यतया वर्ष में एक बार से अधिक अवधारित नहीं होंगे, सिवाय ईंधन लागत और ऊर्जा क्रय लागत के कारण इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट ईंधन अधिभार फार्मूला के निबंधनों के अधीन व्यक्त रूप से अनुमति प्राप्त परिवर्तनों के संबंध में।

16 शुल्क के अवधारण हेतु याचिका

- (1) अधिनियम के अधीन शुल्क के अवधारण हेतु आवेदन ऐसे प्रपत्र में और ऐसे तरीके से किया जायेगा जैसा कि इन विनियमों में विनिर्दिष्ट किया गया है और उसमें साथ, समय-समय पर संशोधित उविनिआ (फीस और जुर्माना) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2012 के अधीन विनिर्दिष्ट फीस संलग्न की जायेगी।
- (2) नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष हेतु शुल्क के अवधारण के लिये आवेदन विनियम 10 के अधीन नियंत्रण हेतु बहुवर्षीय शुल्क याचिका के साथ किया जायेगा और नियंत्रण अवधि के पश्चात्वर्ती वर्षों के लिये शुल्क के अवधारण हेतु याचिका विनियम 12 के अधीन वार्षिक निष्पादन समीक्षा हेतु याचिका के साथ की जायेगी।
- (3) आगामी वर्ष हेतु अनुज्ञापियों या SLDC द्वारा नियोजित प्रस्तावित योजनाओं/परियोजनाओं के लिये निवेश अनुमोदन हेतु आवेदन के साथ, समय-समय पर संशोधित UERC (कारोबार का संचालन)

विनियम, 2014 के अध्याय V1 में विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार आगामी वर्ष के लिये शुल्क में अवधारण हेतु आवेदन संलग्न होगा।

- (4) अपेक्षित राजस्व और व्यय की गणना हेतु जानकारी प्रस्तुत करने के लिये और शुल्क अवधारण हेतु प्रारूप, उत्पादन, पारेषण, वितरण और SLDC हेतु विनिर्दिष्ट प्रारूपों में प्रस्तुत किये जायेंगे। इन प्रारूपों में प्रस्तुत जानकारी के साथ समर्थित दस्तावेज/गणनाएं और सॉफ्ट कॉपी संलग्न होनी चाहिये।
- (5) शुल्क के अवधारण हेतु याचिका में निम्नलिखित सम्मिलित होगा :
- (a) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु वर्तमान शुल्क का विवरण और सभी लागू निबंधन एवं शर्तों और वर्तमान शुल्क से अपेक्षित राजस्व।
- (b) प्रस्ताविक शुल्कों का विवरण, जिसमें किसी प्राप्त सहायकी, राज्य सरकार से शोध्य या शोध्य होने के लिये कल्पित सहायकी की गणना, प्रयोजन ग्राहक जिसकी ओर यह निर्देशित है तथा यह दर्शाते हुए कि उन उपभोक्ताओं पर लागू वर्तमान और प्रस्ताविक शुल्क पर सहायकी किस प्रकार प्रक्षेपित है, पूर्ण विवरण का समावेश होगा। इस विवरण में उन उपभोक्ताओं के लिये सहायकी का विचार किये बिना परिकलित शुल्क भी सम्मिलित होगा।
- (c) वार्षिक राजस्वों में अनुमानित परिवर्तन का विवरण जो उस अवधि, जिसमें वे लागू होने हैं, में प्रस्तावित शुल्क परिवर्तनों से परिणामित होंगे।
- (d) यदि प्रस्तावित शुल्क एक वित्त वर्ष आरम्भ होने के पश्चात प्रारम्भ होना है तो वित्त वर्ष के शेष माहों के दौरान अपेक्षित राजस्व और प्रस्तावित शुल्क आशोधन के अधीन आपूर्ति की गई विद्युत की मात्रा के अनुपात के विवरण को सम्मिलित किया जायेगा।
- (e) एक वितरण अनुज्ञापी के मामले में आपूर्ति की वोल्टेज-वार लागत की विस्तृत गणनाएं जिसमें उपभोक्ता की प्रत्येक श्रेणी के संबंध में वाह्य सहायकियां और प्रति सहायकियां सम्मिलित नहीं हैं।
- (f) एक वितरण अनुज्ञापी के मामले में, वर्तमान शुल्क में और प्रस्ताविक शुल्क में प्रति-सहायकी की राशि की गणना दर्शाते हुए विवरण। ऐसा अवधारण आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा।
- (g) प्रस्तावित शुल्क परिवर्तनों के लिये औचित्य प्रदान करते हुए एक स्पष्टीकारक नोट।
- (h) सुसंगत अनुज्ञापी शर्तों द्वारा अपेक्षित या आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य जानकारी।
- (6) यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक अनुज्ञापी रखता है और/या वितरण अथवा पारेषण के एक से अधिक क्षेत्र का अनुज्ञापी समझा जाता है तो वह प्रत्येक अनुज्ञापी या पारेषण अथवा वितरण के क्षेत्र

के संबंध में उपरोक्तानुसार पृथक गणना प्रस्तुत करेगा। इसी प्रकार एक उत्पादक कंपनी उत्पादक स्टेशन वार गणना प्रस्तुत करेगी।

- (7) एक उत्पादक स्टेशन का स्वामी और प्रचालक वितरण अनुज्ञापी उत्पादन कारोबार, अपने अनुज्ञापित कारोबार और अन्य कारोबारों के लिये पृथक लेखे रखेगा और प्रस्तुत करेगा।
- (8) पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी या SLDC को ऐसी सभी परियोजनाओं/योजनाओं के 'सैद्धांतिक' अनुमोदन हेतु विनियम 21(6) में विनिर्दिष्ट तरीके से याचिका दायर करना आवश्यक है जिनकी पूंजी लागत उनके संबंधित अनुज्ञापी की शर्तों में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट राशि से अधिक हो। परन्तु जहां आयोग ने अनुमानित पूंजी लागत और वित्त पोषण योजना को 'सैद्धांतिक' स्वीकृति दी है वहां यह वास्तविक पूंजीगत व्यय पर कुशल जांच लागू करने के लिये दिशा-निर्देशक कारक के रूप में कार्य करेगा।
- (9) शुल्क याचिकाएं अंग्रेजी में प्रस्तुत की जायेंगी। याचिका की सॉफ्ट कॉपी और प्रारूप के साथ एम.एस. वर्ड और एम.एस. एक्सेल फॉर्मेट में कम्प्यूटेशन शीट्स और समर्थित दस्तावेज भी आयोग के पास प्रस्तुत किये जायेंगे।
- (10) इन विनियमों में किसी बात से समावेशित होते हुए भी जमा करने की अनुसूचित तिथि से एक माह के पश्चात भी शुल्क के अवधारण और वार्षिक निष्पादन समीक्षा हेतु आवेदन में विलंब/जमा न करने की दशा में आयोग उक्त आवेदनों को दायर किये जाने हेतु स्वप्रेरित कार्यवाही आरम्भ कर सकता है।

परन्तु उपर्युक्त कार्यवाही के पश्चात भी आवेदक द्वारा आवेदन दायर न करने की स्थिति में, आयोग जैसे उपयुक्त समझे वैसे उपयुक्त समायोजन सम्मिलित करने के पश्चात आयोग स्वयं उसके पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर शुल्क तय कर सकता है।

परन्तु आगे यह कि यदि आवश्यक है तो आयोग, अधिनियम की धारा 129 और/या धारा 142 के अधीन निर्देश भी पारित कर सकता है।

17 नियंत्रण अवधि के अंत में समीक्षा

- (1) एक नियंत्रण अवधि की समाप्ति दूसरी नियंत्रण अवधि का आरम्भ हो सकती है, अथवा जैसा आयोग तय करे। आयोग, नियंत्रण अवधि के आरम्भ में नियत किये गये लक्ष्यों के संबंध में निष्पादन का विश्लेषण करेगा और प्राप्त वास्तविक निष्पादन, अपेक्षित सुधार और अन्य सुसंगत कारकों के आधार पर अगली नियंत्रण अवधि हेतु आधार मूल्य अवधारित करेगा।
- (2) आयोग, पश्चात्वती नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष हेतु दायर की गई ARR/शुल्क याचिका के साथ नियंत्रण अवधि के अंतिम वर्ष के निष्पादन की वार्षिक समीक्षा और नियंत्रण अवधि के ठीक पिछले

अंतिम वर्ष का सहीकरण करेगा। नियंत्रण अवधि के अंतिम वर्ष के निष्पादन की वार्षिक समीक्षा और नियंत्रण अवधि के ठीक पिछले अंतिम वर्ष का सहीकरण, वित्त वर्ष हेतु प्रचलित विनियमों में परिभाषित आदर्शों के आधार पर किया जायेगा।

- (3) आयोग, सभी स्टोक होल्डर्स की जानकारी के लिये, याचिका के संबंध में आवेदक से मांगी गई और प्राप्त की गई जानकारी के विवरण के साथ, अपनी वेब-साईट पर ऊपर विनियम 8, 10, 12 और 16 के अधीन दायर की गई याचिका अपलोड करेगा। आयोग, आवेदक से ऐसी जानकारी अपनी वेबसाईट पर अपलोड करने के लिये भी कह सकता है।

18 आयोग द्वारा आदेश

- (1) आयोग एक पूर्ण आवेदन की प्राप्ति अर्थात् इसकी स्वीकृति से एक सौ बीस (120) दिन के भीतर और जनता से प्राप्त सभी सुझाव और आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात:

(a) ऐसे आदेश में समावेशित और आशोधनों और ऐसी शर्तों के साथ आवेदन स्वीकार करते हुए आदेश जारी करेगा, या

(b) यदि ऐसा आवेदन, अधिनियम और उसके अधीन निर्मित नियमों और विनियमों के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुरूप नहीं है तो कारण अभिलिखित कर आवेदन को अस्वीकार करेगा,

परन्तु एक आवेदक को, उसका आवेदन अस्वीकार करने से पहले, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा।

- (2) आयोग द्वारा अवधारित शुल्क, शुल्क आदेश में विनिर्दिष्ट तिथि से प्रवृत्त होगा।

19 शुल्क का प्रकाशन

आवेदक, आयोग द्वारा अनुमोदित शुल्क या शुल्कों का प्रकाशन कम से कम दो (2) अंग्रेजी और दो (2) स्थानीय भाषा में ऐसे दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करायेगा जिनका/अनुमोदित शुल्क/शुल्क अनुसूची को अपनी वेब साईट में डालेगा और युक्तियुक्त रिप्रोडक्शन प्रभारों का भुगतान करने पर किसी व्यक्ति को यथा स्थिति ऐसे शुल्क या शुल्कों के समावेश के साथ एक पुस्तिका क्रय हेतु उपलब्ध करायेगा,

परन्तु जहां आवेदक एक उत्पादक कंपनी है वहां यह प्रकाशन ऐसे समाचार पत्रों में किया जायेगा, जिनका उस वितरण अनुज्ञापी, जिसको शुल्क आदेश के निबंधनों के अन्तर्गत विद्युत की आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है, के क्षेत्र में व्यापक प्रसार हो और ऐसा उत्पादक कंपनी की वेबसाईट में भी इसे डाला जायेगा।

20 शुल्क आदेशों की संसूचना

आयोग, आदेश पारित करने के सात दिनों के भीतर, आदेश की एक प्रति उत्तराखण्ड सरकार, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, आवेदक और उत्तरवादियों को भेजेगा।

भाग-3

लागत और रिटर्न के संगणन हेतु वित्तीय सिद्धांत

21 पूंजी लागत और पूंजी संरचना

- (1) इस विनियम के अनुरूप कुशल जांच के पश्चात् आयोग द्वारा अवधारित पूंजी लागत उत्पादक कंपनी, पारेषण अनुज्ञापी, वितरण अनुज्ञापी और SLDC की वर्तमान और नई परियोजनाओं के लिये शुल्क के अवधारण का आधार निर्मित करेगी।
- (2) वर्तमान परियोजना की पूंजी लागत में निम्नलिखित सम्मिलित होगा :
 - (a) 01.04.2016 पर विधिवत सहीकृत 01.04.2016 से पूर्व आयोग द्वारा स्वीकृत पूंजी लागत,
 - (b) विनियम 22 के अनुसार अवधारित शुल्क के संबंधित वर्ष हेतु अतिरिक्त पूंजीकरण और पूंजीकरण निरसन, और
 - (c) विनियम 23 के अनुसार इस आयोग द्वारा स्वीकृत नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के कारण हुए व्यय,
- (3) नयी परियोजनाओं, अर्थात् इस विनियम की अधिसूचना पर या उस के पश्चात् वाणिज्यिक प्रचालन प्राप्त करने वाली परियोजनाओं में निम्नलिखित सम्मिलित होगा :
 - (a) परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि तक उपगत या उपगत होने के लिये प्रक्षेपित व्यय,
 - (b) ऋण की वास्तविक राशि पर निर्माण की अवधि में ब्याज और वित्तीय प्रभार,
 - (c) निर्माण के दौरान ब्याज और निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय, जो इन विनियमों के विनियम 21(9) व 21(10) के अनुसार संगणित हो,
 - (d) इन विनियमों के विनियम 21(11) में विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा दरों के अधीन पूंजीकृत प्रारम्भिक स्पेयर्स,
 - (e) इन विनियमों के विनियम 22 के अनुसार अवधारित अतिरिक्त पूंजीकरण और पूंजीकरण निरसन के कारण व्यय,
 - (f) इन विनियमों के विनियम 45 के अधीन विनिर्दिष्ट CoD से पूर्व ईंधन लागत से अधिक अशक्त ऊर्जा के विक्रय के कारण राजस्व का समायोजन, और
 - (g) CoD से पहले आस्तियों का उपयोग कर उत्पादक कंपनी, पारेषण अनुज्ञापी और वितरण अनुज्ञापी द्वारा अर्जित किसी राजस्व का समायोजन।
- (4) एक नये जल विद्युत उत्पादक स्टेशन के मामले में पूंजी लागत में निम्नलिखित भी सम्मिलित होगा :

- (a) अनुमोदित रूप में राष्ट्रीय R&R पॉलिसी और R&R पैकेज की संपुष्टि के साथ परियोजना के अनुमोदित पुनर्वासन और पुनः स्थापन (R&R) योजना की लागत और,
- (b) प्रभावित क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (RGGVY) परियोजना की ओर विकासकर्ता के 10% योगदान की लागत,
- (5) वर्तमान और नयी परियोजना की पूंजी लागत में से निम्नलिखित को अलग कर दिया जायेगा या हटा दिया जायेगा:
- (a) परियोजना का भाग संरचित करने वाली आस्तियां जो उपयोग में नहीं है,
- (b) आस्तियों का पूंजीकरण -निरसन
- (c) जल विद्युत उत्पादक स्टेशन के मामलों में, द्विचरण पारदर्शी बोली प्रक्रिया अपना कर राज्य सरकार द्वारा आबंटित परियोजना स्थल प्राप्त करने के लिये परियोजना विकासकर्ता द्वारा हुए व्यय या होने के लिये प्रतिबद्ध व्यय, और
- (d) उस भूमि की अनुपातिक लागत जिसे नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित उत्पादक स्टेशन से ऊर्जा के उत्पादन हेतु उपयोग में लाया जा रहा है:
- परन्तु परियोजना के निष्पादन हेतु केन्द्र या राज्य सरकार या कोई कानूनी निवाद या प्राधिकरण जिस पर पुनर्भुगतान का दायित्व नहीं है उसे ऋण पर व्याज इक्विटी पर रिटर्न और ह्रास की संगणना के प्रयोजन से पूंजी लागत से अलग रखा जायेगा,
- (6) पूंजी लागत के 'सैद्धांतिक' अनुमोदन हेतु याचिका :
- कोई अनुज्ञापी जो एक पारेषण प्रणाली या वितरण या SLDC की क्षमता को स्थापित, प्रचालित बनाये या वृद्धि करना चाहता है, परियोजना आरम्भ करने से पहले परियोजना की पूंजी लागत और वित्त पोषण योजना के 'सैद्धांतिक' अनुमोदन हेतु समय-समय पर संशोधित उविनिआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 2014 के अनुसार शपथ पत्र के अधीन एक आवेदन/याचिका दायर करेगा। निवेश अनुमोदन हेतु पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली या SLDC का आवेदन/याचिका, परियोजना का प्रयोजन स्पष्ट रूप से निम्नानुसार उपबंधित करेगी :
- (a) पारेषण आवेदन/याचिका में युटिलिटी विशेष हेतु सुसंगत प्रणाली सशक्तिकरण, भार वृद्धि इत्यादि, इसके लागत-लाभ विश्लेषण और अन्य विवरण जैसे परियोजना की अवस्थिति, स्थल विशिष्ट विशेषताएं, पूंजी लागत का ब्रेकअप, वित्तीय पैकेज, निष्पादन मानदंड, कमीशनिंग शिड्यूल, संदर्भ मूल्य स्तर, अनुमानित पूर्णता लागत जिस में विदेशी-विनियम घटक, (यदि कोई है) निर्धारित और प्राप्त किये जाने वाले पर्यावरण मानकों, इत्यादि का समावेश होगा।

(b) वितरण आवेदन/याचिका में प्रणाली सशक्तिकरण, हानि कम करने, भार वृद्धि पूरी करने, उविनिआ (निष्पादनों के मानक) विनियम, 2007 के अधीन दायित्व पूरा करने इत्यादि, वित्तीय पैकेज, निष्पादन मानदंड, कमीशनिंग शिड्यूल, संदर्भ मूल्य स्तर, अनुमानित पूर्णता लागत जिसमें विदेशी विनिमय घटक (यदि कोई है), निर्धारित और पूरा किये जाने वाले पर्यावरणीय मानक, इत्यादि की जानकारी का समावेश होगा।

परन्तु जहां आयोग ने अनुमानित पूंजी लागत और वित्त-पोषण योजना को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया है, वहां यह एक युटिलिटी विशेष के लिये ARR और शुल्कों का अवधारण करते समय वास्तविक पूंजीगत व्यय पर कुशल जांच लागू करने के लिये एक दिशा-निर्देशक कारक के रूप में कार्य करेगा।

(7) शुल्क अवधारण के लिये अनुमोदित पूंजी लागत का विचार किया जायेगा और यदि परियोजना लागत में किसी वृद्धि हेतु पर्याप्त औचित्य प्रदान किया जाता है तो कुशल जांच के अधीन आयोग द्वारा इस पर विचार किया जायेगा :

परन्तु यदि वास्तविक पूंजी लागत अनुमोदित पूंजी लागत से कम है तो वास्तविक पूंजी लागत विचारित की जायेगी,

परन्तु एक पूंजी लागत की कुशल जांच समय-समय पर आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट बेंचमार्क मानकों के आधार पर की जायेगी,

परन्तु आगे यह कि ऐसे मामलों में जहां बेंच मार्क मानक विनिर्दिष्ट नहीं किये गये हैं, वहां कुशल जांच में पूंजीगत व्यय की संवीक्षा, वित्त पोषण योजना, निर्माण के दौरान ब्याज, इसकी युक्तियुक्तता के लिये निर्माण के दौरान हुए आकस्मिक व्यय, दक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग, लागत का बढ़ना एवं समय का बढ़ना, अधिप्राप्ति हेतु बोली और ऐसे अन्य मामले जो शुल्क अवधारण हेतु आयोग द्वारा उपयुक्त समझे जाये, सम्मिलित होंगे;

परन्तु आगे यह भी कि यदि उत्पादक स्टेशन SCOD या वास्तविक COD जो भी संबंध पारेषण प्रणाली के बाद में है, पर कमीशन्ड नहीं किया जाता है तो उत्पादक स्टेशन के कमीशन्ड होने तक इन विनियमों के विनियम 3 के उप-विनियम (20) के खण्ड (c) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार पारेषण प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित किये जाने पर, उत्पादक कंपनी IDC और IEDC या पारेषण प्रभार वहन करेगी,

परन्तु यह भी कि यदि पारेषण प्रणाली को उत्पादक कंपनी से SCOD पर कमीशन्ड नहीं किया जाता तो पारेषण अनुज्ञापी अपनी स्वयं की व्यवस्था व लागत से उत्पादक स्टेशन से निष्क्रमण की व्यवस्था करवायेगा जब तक कि संबंध पारेषण प्रणाली कमीशन्ड न हो जाये।

परन्तु आगे यह भी कि ऐसे मामलों में जहां बेंचमार्क मानक विनिर्दिष्ट किये गये हैं वहां उत्पादक कंपनी या पारेषण अनुज्ञापी बेंचमार्क मानकों से ऊपर की लागत की अनुमति हेतु आयोग की संतुष्टि के लिये, बेंचमार्क मानकों से पूंजी लागत अधिक होने के कारण प्रस्तुत करेंगे।

परन्तु आगे यह भी कि यदि एक जल विद्युत उत्पादक स्टेशन का स्थल, द्विचरण पारदर्शी बोली प्रक्रिया अपनाकर राज्य सरकार द्वारा एक विकासकर्ता (जो राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन कंपनी न हो) को प्रदान किया जाता है तो कोई उपगत व्यय या उपगत होने के लिये वचनबद्ध व्यय जो परियोजना विकासकर्ता द्वारा किया गया हो और जिसमें परियोजना स्थल आंबटित कराने के लिये भुगतान की गई/देय प्रीमियम सम्मिलित है को पूंजी लागत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(8) जहां ऊर्जा क्रय करार या पारेषण या व्हीलिंग करार पूंजी लागत की अधिकतम सीमा उपबंधित करता है वहां आयोग द्वारा स्वीकृत पूंजीगत व्यय शुल्क के अवधारण हेतु ऐसी अधिकतम सीमा पर विचार करेगा।

(9) निर्माण के दौरान ब्याज (IDC)

(a) निर्माण के दौरान ब्याज का संगणन, ऋण निधि के भरने की तिथि से उधार के तदनुरूप तथा SCOD तक निधियों की कुशल चरणबद्धता को हिसाब में लेने के पश्चात् होगा।

(b) SCOD प्राप्त करने में विलंब के कारण IOC को अमल में लाने हेतु अतिरिक्त लागतों के मामलों में यथा स्थिति उत्पादक कंपनी या पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी या SLDC को फंड्स की कुशल चरणबद्धता सहित ऐसे विलंब हेतु समर्थक दस्तावेजों के साथ विस्तृत औचित्य प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

परन्तु यदि विलंब यथास्थिति उत्पादक कंपनी या पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी या SLDC पर उपरोप्य नहीं है और इन विनियमों के विनियम 12(5) में विनिर्दिष्ट अनियंत्रणीय कारणों के कारण है, तो उचित कुशल जांच और फंड्स की कुशल चरणबद्धता को ध्यान में रखते हुए IDC अनुमोदित की जा सकेगी।

(10) निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय (IEDC) :

(a) निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय का संगणन शून्य तिथि से और SCOD तक प्रचालन पूर्व व्ययों को हिसाब में लेते हुए किया जायेगा :

परन्तु जमा या अग्रियों या किन्हीं अन्य प्राप्तियों पर ब्याज के कारण SCOD तक निर्माण अवधि के दौरान अर्जित कोई राजस्व, निर्माण के दौरान हुए आकस्मिक व्यय के कारण हिसाब में लिया जायेगा।

- (b) SCOD प्राप्त करने में विलंब के फलस्वरूप IEDC के कारण अतिरिक्त लागतों के मामले में यथा स्थिति उत्पादक कंपनी या पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी या SLDC को ऐसे विलंब हेतु समर्थक दस्तावेजों के साथ विस्तृत औचित्य प्रस्तुत करना होगा जिसमें विलंब की अवधि के दौरान आकस्मिक व्यय और वसूल किये गये या तदनु रूप वसूली योग्य तदनु रूप विलंब सम्मिलित हैं:

परन्तु यदि विलंब यथा स्थिति उत्पादक कंपनी या पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी या SLDC पर उपारोप्य नहीं है, और विनियम 12(5) में विनिर्दिष्ट अनियंत्रणीय कारकों के कारण है तो उचित कुशल जांच के पश्चात् IEDC अनुज्ञात की जा सकेगी।

परन्तु आगे यह कि जहां विलंब उत्पादक कंपनी या पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी या SLDC द्वारा नियुक्त एजेन्सी या ठेकेदार या आपूर्तिकर्ता पर उपारोप्य है वहां ऐसी एजेन्सी या ठेकेदार या आपूर्तिकर्ता से वसूली गई निर्णीत नुकसान को पूंजी लागत की संगणना करने समय ध्यान में रखा जायेगा।

- (c) यदि SCOD से आगे के समय हेतु वृद्धि सम्यक कुशलता के पश्चात स्वीकार्य नहीं है तो समय वृद्धि के दौरान तदनु रूप लागत परिवर्तन के कारण पूंजी लागत में वृद्धि को उत्पादक कंपनी या पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी या SLDC के आपूर्तिकर्ता या ठेकेदार के साथ संविदाओं में मूल्य परिवर्तन उपबंधों के होते हुए भी पूंजीकरण से अलग रखा जायेगा।

- (11) प्रारम्भिक स्पेयर्स : प्रारम्भिक स्पेयर्स को कट-ऑफ तिथि तक वास्तविकों के अनुसार संयंत्र और मशीनरी के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित अधिकतम सीमा मानकों के अधीन पूंजीकृत किया जायेगा:

- (a) ताप उत्पादक स्टेशनस - 4.0%
- (b) जल विद्युत उत्पादक स्टेशनस - 4.0%
- (c) पारेषण प्रणाली
- (i) पारेषण लाईन - 1.00%
- (ii) पारेषण उप-स्टेशन - 4.00%

- (12) इक्विटी और ऋण के सापेक्ष शेयर के रूप में पूंजी की पुनः संरचना शुल्क अवधि के दौरान अनुज्ञेय होगी बशर्त कि इसका शुल्क पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। ऐसी पुनः संरचना से हुए किसी भी लाभ को, एक उत्पादक कंपनी के मामले में क्षमता प्रभार शेयर करने वाले व्यक्तियों के साथ और ऐसे अनुज्ञापियों के मामले में पारेषण या वितरण अनुज्ञापी या उपभोक्ताओं के दीर्घावधि राज्यान्तर्गत

उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों के साथ 2:1 के अनुपात में, 2/3rd आवेदक द्वारा रखकर और 1/3rd लाभार्थियों के पास ऑन कर शेर किया जायेगा।

22 अतिरिक्त पूंजीकरण और पूंजीकरण निरसन

(1) वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि के पश्चात और कट-ऑफ तिथि तक वास्तव में उपगत या उपगत होने के लिये मूल परिधि के भीतर निम्नलिखित पूंजीगत व्यय, कुशल जांच के अधीन आयोग द्वारा स्वीकार किये जायेंगे :

- (a) अनिष्पादित दायित्व;
- (b) निष्पादन हेतु आस्थगित कार्य;
- (c) विनियम 21(11) के उपबंधों के अधीन, कार्य की मूल परिधि के भीतर प्रारम्भिक पूंजीगत स्पेयर्स की अधिप्राप्ति;
- (d) मध्यस्थ का अधिनिर्णय पूरा करने के लिये या किसी न्यायालय के आदेश या डिक्री के अनुपालन हेतु दायित्व, ओर
- (e) विधि में परिवर्तन के कारण

परन्तु व्यय के अनुमानों, आस्थगित दायित्वों और निष्पादन हेतु आस्थगित कार्यों के साथ कार्य की मूल परिधि में सम्मिलित विवरण को, शुल्क के अवधारण हेतु आवेदन के साथ जमा किया जायेगा।

(2) कट-ऑफ तिथि के पश्चात वास्तव में उपगत निम्नलिखित प्रकृति के व्यय कुशल जांच के अधीन आयोग द्वारा स्वीकार किये जायेंगे :

- (a) मध्यस्थ का अधिनिर्णय पूरा करने या किसी न्यायालय के आदेश अथवा डिक्री के अनुपालन के दायित्व,
- (b) विधि में परिवर्तन,
- (c) कार्य की मूल परिधि के भीतर आस्थगित कार्य,
- (d) वास्तविक भुगतान द्वारा ऐसे दायित्वों के निष्पादक के विस्तार तक कट-ऑफ तिथि के पश्चात आयोग द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु कोई दायित्व,
- (e) कोई अतिरिक्त पूंजीगत व्यय जो यथास्थिति उत्पादक स्टेशन या पारेषण प्रणाली के दक्ष प्रचालन हेतु आवश्यक हो गया हो। दावों के साथ तकनीकी औचित्य सिद्ध करना होगा जिसके

साथ उचित समर्थक दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करने होंगे जैसे आस्तियों को अवनति के मामले में एक स्वतंत्र एजेन्सी द्वारा परीक्षण के परिणाम, प्राकृतिक आपदाओं से हुई हानि, प्रौद्योगिकी के पुराने हो जाने, फॉल्ट स्तर में वृद्धि जैसे तकनीकी कारण हेतु क्षमता के उच्चीकरण के मामले में स्वतंत्र एजेन्सी की रिपोर्ट,

- (f) जल विद्युत उत्पादक स्टेशनों के मामले में, किसी बीमा योजना से प्राप्तियां और सफल व दक्ष संयंत्र प्रचालन हेतु आवश्यक हो चुके किसी अतिरिक्त कार्य के कारण उपगत व्यय के लिये समायोजन के पश्चात कोई अतिरिक्त व्यय जो प्राकृतिक आपदाओं द्वारा क्षतिग्रस्त होने के कारण आवश्यक हो चुके हों (किन्तु उत्पादक स्टेशन की लापरवाही के कारण पावर हाउस में जल प्लावन के कारण नहीं) जिसमें भूगर्भीय घटनाओं के कारण सम्मिलित है,

परन्तु इस अकाउंट में अतिरिक्त पूंजीकरण केवल तभी अनुज्ञात होगा जब ऊपर लिखित प्राकृतिक आपदाओं के समय उपयुक्त और पर्याप्त बीमा कवर उपलब्ध था,

- (g) पारेषण और वितरण प्रणाली के मामले में, मदों पर आए कोई अतिरिक्त व्यय जैसे रिलेज़ कन्ट्रोल व इन्स्ट्रुमेंटेशन, कम्प्यूटर सिस्टम, पावर लाईन कैरियर कम्युनिकेशन, डीसी बैटरीज़, स्विचयार्ड का बदलाव, फॉल्ट स्तर में वृद्धि के कारण उपकरण, इमरजेंसी रेस्टोरेशन सिस्टम, इन्सुलेटर्स क्लीनिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, बीमा द्वारा कवर न किये गये क्षतिग्रस्त उपकरण का बदलाव और कोई अन्य व्यय जो पारेषण और वितरण प्रणाली के सफल और दक्ष प्रचालन हेतु आवश्यक हो गया है,

परन्तु कट ऑफ तिथि के पश्चात खरीदे गये उपकरण और सामान, फर्नीचर, एयर कंडीशनर्स, वोल्टेज स्टेबलाइजर्स, रेफ्रिजरेटर्स, कूलर्स, फैंस, वाशिंग मशीन्स, हीट कन्वेक्टर्स, मैट्रेसेज, कार्पेट्स इत्यादि जैसी छोटी मदें/आस्तियां प्राप्त करने पर किये गये किसी अतिरिक्त व्यय को 01.04.2016 से प्रभावी शुल्क के अवधारण हेतु अतिरिक्त पूंजीकरण के लिए विचारित नहीं किया जाएगा।

- (h) किसी आस्ति/उपकरण (उदाहरण के लिये ट्रांसफॉर्मर, सर्किट ब्रेकर, C.T., P.T. इत्यादि) से अनिष्पादन/विफल होने के कारण उसके बदले जाने पर निम्नलिखित दृष्टिकोण अपनाया जायेगा:

- (i) अनिष्पादन/अस्तियों के विफल होने/उपकरण के मामले में इसे इस जांच हेतु स्टोर में भेजा जायेगा कि क्या यह शून्य लागत पर मरम्मत योग्य है अथवा नहीं,
- (ii) यदि आस्ति मरम्मत योग्य है तो ऐसी आस्ति/उपकरण को आस्तियों की पुस्तक से हटाया नहीं जायेगा,

परन्तु अवस्थिति, आस्ति संख्या इत्यादि जैसी सामग्री के लिये उचित ट्रेकिंग उपलब्ध होनी चाहिये,

(iii) यदि आस्ति मरम्मत योग्य नहीं है, तो निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी :

- आस्ति को अवक्षयित मूल्य पर आस्तियों की पुस्तिका से हटा दिया जायेगा।
- विफल आस्ति/उपकरण को विफल से स्क्रेप सामग्री में स्थानांतरित किया जाये।
- इसे लोहे, पीतल इत्यादि जैसी स्क्रेप इन्वेन्टरी में खंडित किया जाये।
- स्क्रेप इन्वेन्टरी निर्मित की जाये।

परन्तु स्क्रेप इन्वेन्टरी को खंडित करने और स्क्रेप इन्वेन्टरी निर्मित करने का कार्य एक साथ किया जायेगा। खंडित स्क्रेप मूल्य पिछले स्क्रेप विक्रय मूल्य के आधार पर तय किया जायेगा। नियंत्रण लेखा (खंडन) व्यय लेखा होगा। नियंत्रण लेखा का अंतर अर्थात् लाभ अथवा हानि को तदनुसार अंकित किया जायेगा।

(iv) यदि कोई नई आस्ति/उपकरण जारी किया जाता है तो, इसे भारित औसत लागत पर जारी किया जायेगा व क्रमशः पूंजीकृत किया जायेगा तथा तदनुसार नई आस्तियां संरचित की जायेगी और लेखा पुस्तकों में तदनुरूप प्रविष्टियां की जायेगी।

(3) यथास्थिति एव उत्पादक कंपनी या वितरण अनुज्ञापी या पारेषण अनुज्ञापी या SLDC की आस्तियों के पूंजीकरण-निरसन के मामले में, पूंजीकरण-निरसन की तिथि पर ऐसी आस्ति की मूल लागत सकल स्थिर आस्ति के मूल्य में से घटायी जायेगी तथा तदनुरूप ऋण और साथ ही इक्विटी को भी, इस बात का विचार करते हुए कि इसका पूंजीकरण किस वर्ष में हुआ था, ऐसा पूंजीकरण-निरसन होने के वर्ष में क्रमशः शेष ऋण और इक्विटी में से घटाया जायेगा।

23 नवीनीकरण और आधुनिकीकरण

- (1) उत्पादक स्टेशन के उपयोगी जीवन के आगे के जीवन में विस्तार के उद्देश्य से नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (R&M) पर व्यय पूरे करने के लिये उत्पादक कंपनी अपने प्रस्ताव के सैद्धांतिक अनुमोदन हेतु आयोग के समक्ष एक आवेदन करेगी जिसमें विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के साथ इसकी पूर्ण परिधि, औचित्य, लागत-लाभ विश्लेषण, संदर्भ तिथि से अनुमानित जीवन विस्तार, वित्तीय पैकेज, व्यय के चरण, पूर्णता की अनुसूची, संदर्भ मूल्य स्तर, अनुमानित पूर्णता लागत जिसमें विदेशी विनिमय घटक, यदि कोई है, लाभार्थियों के साथ परामर्श का रिकॉर्ड, और कोई अन्य जानकारी जिसे उत्पादक कंपनी द्वारा सुसंगत समझा जाये, सम्मिलित है, प्रदान की जायेगी।
- (2) जहां उत्पादक कंपनी नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के लिये सैद्धांतिक अनुमोदन हेतु आवेदन करती है वहां सैद्धांतिक अनुमोदन, लागत अनुमानों की युक्तियुक्तता, वित्त पोषण योजना, पूर्णता की

अनुसूची, निर्माण के दौरान ब्याज, दक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग, लागत-लाभ विश्लेषण, और अन्य ऐसे कारक जो आयोग द्वारा सुसंगत समझे जायें, का विचार करने के पश्चात प्रदान किया जायेगा।

- (3) नवीनीकरण और आधुनिकीकरण व्ययों के अनुमानों व जीवन विस्तार के आधार पर कुशल जांच के पश्चात तथा बदली गई आस्ति की मूल राशि बट्टे खाते में डालने व संचित अवक्षय घटाने, जिसमें मूल परियोजना लागत से पहले ही वसूले गये अवक्षय के सापेक्ष अग्रिम सम्मिलित है, के पश्चात उपगत या उपगत होने के लिये प्रक्षेपित तथा आयोग द्वारा स्वीकृत व्यय, शुल्क अवधारण का आधार संरचित करेगा।

24 ऋण-इक्विटी अनुपात

- (1) 01.04.2016 पर या उसके पश्चात वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित परियोजना के लिये ऋण-इक्विटी अनुपात 70:30 होगा। जहां नियोजित इक्विटी 30% से अधिक है वहां शुल्क के उद्देश्य से इक्विटी की राशि 30% एक मानवीय तक सीमित होगी तथा शेष राशि ऋण के रूप में विचारित की जायेगी। जहां वास्तविक नियोजित इक्विटी 30% से कम है वहां वास्तविक इक्विटी का उपयोग शुल्क संगणनाओं में इक्विटी पर रिटर्न के अवधारण हेतु किया जायेगा।

स्पष्टीकरण : शेयर पूंजी जारी करते समय उत्पादक कंपनी, या पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी या SLDC द्वारा लगाया गये प्रीमियम और खुली आरक्षितियां, यदि कोई हैं, से संरचित आंतरिक संसाधनों के निवेश की भी इक्विटी पर रिटर्न की संगणना के उद्देश्य से समादत्त पूंजी के रूप में गणना की जायेगी, बशर्ते कि ऐसी प्रीमियम राशि और आंतरिक संसाधनों का वास्तविक उपयोग पूंजी व्यय पूरा करने के लिये किया जाये।

- (2) विदेशी मुद्रा में निवेश की गई इक्विटी, इसके हस्ताक्षरित होने की तिथि (यों) पर प्रचलित विनियम-दर के आधार पर रुपये में परिवर्तित की जायेगी।
- (3) परियोजना के निष्पादन हेतु प्राप्त कोई अनुदान, ऋण इक्विटी अनुपात के उद्देश्य से पूंजी संरचना का भाग नहीं समझा जायेगा।
- (4) उत्पादक कंपनी या पारेषण अनुज्ञापी या SLDC या वितरण अनुज्ञापी यथास्थिति अपने पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिये, उपयोग किये गये या उपयोग किये जाने के लिये प्रस्ताविक के समर्थन में आंतरिक संसाधनों के संचार संबंध में कंपनी के बोर्ड का संकल्प या राज्य सरकार का अनुमोदन प्रस्तुत करेंगे।
- (5) 01.04.2016 के पश्चात उपगत या उपगत होने के लिये प्रक्षेपित कोई व्यय जिसे शुल्क के अवधारण हेतु अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के रूप में आयोग द्वारा स्वीकार किया गया हो और जीवन विस्तार हेतु

नवीनीकरण और आधुनिकीकरण व्यय, इन विनियमों के विनियम 22 और 23 में विनिर्दिष्ट तरीके से सेवित किया जायेगा।

- (6) उत्पादन कंपनी, पारेषण अनुज्ञापी, वितरण अनुज्ञापी, या SLDC के मामले में जहां निवेश 01.04.2016 से पहले किये गये हैं, ऋण: इक्विटी अनुपात पिछले आदेशों में आयोग द्वारा अनुमोदित रूप में होगा।

25 उपभोक्ता अंशदान, जमा कार्य और अनुदान/सहायकी

- (1) उत्पादन कंपनी, अनुज्ञापियों या SLDC द्वारा किये गये निम्नलिखित प्रकृति के कार्य इस श्रेणी के अन्तर्गत श्रेणीबद्ध किये जायेंगे :
- (a) जमा कार्यों के संदर्भ में उपयोगकर्ताओं से निधियां या उनका एक भाग प्राप्त करने के पश्चात कार्य।
- (b) राज्य और केन्द्र सरकारों से प्राप्त अनुदानों, जिसमें RGGVY, APDRP, इत्यादि सम्मिलित हैं, के उपयोग द्वारा हाथ में लिये गये पूंजीगत कार्य।
- (2) ऐसे पूंजीगत व्यय पर व्यय के व्यवहार हेतु सिद्धांत निम्नलिखित होंगे :
- (a) इन विनियमों में विनिर्दिष्ट मानकीय O&M व्यय अनुज्ञात होंगे।
- (b) विनियम 28 में विनिर्दिष्ट अवक्षय से संबंधित उपबंध वित्तीय समर्थन की परिधि तक लागू होंगे जिसमें यथास्थिति अनुज्ञापी या SLDC या उत्पादक कंपनी द्वारा प्रदान किये गये ऋण और इक्विटी अंशदान सम्मिलित हैं। उपभोक्ता अंशदान या पूंजीगत अनुदान/सहायकियों के माध्यम से निधि पोषित आस्तियों पर अवक्षय अनुज्ञात नहीं होगा।
- (c) विनियम 26 में विनिर्दिष्ट, इक्विटी पर रिटर्न से संबंधित उपबंध यथास्थिति अनुज्ञापी या SLDC या उत्पादक कंपनी पर 70:30 के मानकीय ऋण इक्विटी या वास्तविक इक्विटी, जो कम हो, की परिधि तक लागू होंगे।

26 इक्विटी पर रिटर्न

- (1) इक्विटी पर रिटर्न की संगणना, विनियम 24 के अनुसार अवधारित इक्विटी आधार पर की जायेगी। परन्तु इक्विटी पर रिटर्न, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ में उपयोग में लाई गयी आस्तियों के लिये अनुज्ञात इक्विटी पूंजी की राशि पर अनुमोदित होगा।
- (2) इक्विटी पर रिटर्न की संगणना ताप उत्पादक स्टेशनों, पारेषण अनुज्ञापी, SLDC और रन ऑफ द रिवर जल विद्युत उत्पादक स्टेशन के लिये 15.5% की आधार दर पर तथा स्टोरेज प्रकार के जल विद्युत उत्पादक स्टेशनों और पैंडिज के साथ रन ऑफ रिवर उत्पादक स्टेशन और वितरण अनुज्ञापी के लिये 16.50% की आधार दर पर पोस्ट टैक्स आधार पर की जायेगी।
- परन्तु

- (i) 1 अप्रैल 2016 के पश्चात कमीशनड उत्पादन और पारेषण परियोजनाओं के मामले में 0.5% का एक अतिरिक्त रिटर्न अनुज्ञात किया जायेगा यदि ऐसी परियोजनाएं इन विनियमों के परिशिष्ट-1 में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पूर्ण कर ली जाती है।
- (ii) 0.5% का अतिरिक्त रिटर्न स्वीकार्य नहीं होगा यदि परियोजना किन्हीं भी कारणों से ऊपर विनिर्दिष्ट समय रेखा के भीतर पूरी नहीं की जाती है।
- (iii) 0.5% का अतिरिक्त RoE अनुज्ञात किया जायेगा यदि पारेषण परियोजना के किसी भी तत्व को विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाये और उत्तर क्षेत्रीय ऊर्जा समिति द्वारा यह प्रमाणित किया जाये कि तत्व विशेष की कमीशनिंग से क्षेत्रीय/राष्ट्रीय ग्रिड में प्रणाली प्रचालन को लाभ होगा :
- (iv) 50 किलो मीटर्स से कम लम्बाई वाली पारेषण लाईनों के लिये अतिरिक्त RoE स्वीकार्य नहीं होगी।

27 ऋण पूंजी पर और प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज और वित्त प्रभार

- (1) विनियम 24 में इंगित तरीकों से ज्ञात ऋणों को ऋण पर ब्याज की गणना हेतु सकल मानकीय ऋण के रूप में विचारित किया जायेगा।
- (2) 01.04.2016 पर बकाया मानकीय ऋण, अनुमोदित सकल मानकीय ऋण से 31.03.2016 तक आयोग स्वीकृत संचयी चुकौती घटा कर ज्ञात किया जायेगा।
- (3) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु चुकौती ऐसे वर्ष के लिये अनुज्ञात अवक्षय के बराबर समझी जायेगी। आस्तियों के पूंजीकरण-निरसन के मामले में चुकौती को, आनुपातिक आधार पर संचयी चुकौती को हिसाब में लेकर समायोजित किया जायेगा और यह समायोजन, ऐसी आस्ति के पूंजीकरण निरसन की तिथि तक वसूले गये संचयी अवक्षय से अधिक नहीं होना चाहिये।
- (4) यथास्थिति उत्पादक कंपनी या पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी या SLDC द्वारा उपयोग की गई किसी अधिस्थगन अवधि के होते हुए भी ऋण की चुकौती परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष से अनुज्ञात की जाएगी तथा वर्ष या वर्ष के भाग के लिए स्वीकृत अवक्षय के बराबर होगी।
- (5) ब्याज दर, पूंजीकृत ब्याज हेतु उपयुक्त लेखांकन समायोजन प्रदान करने के पश्चात पिछले वर्ष में वास्तविक ऋण पोर्ट फोलियों के आधार पर परिकलित ब्याज की भारित औसत दर होगी:

परन्तु यदि किसी वर्ष विशेष के लिये कोई वास्तविक ऋण नहीं है किन्तु मानकीय ऋण अब भी बकाया है तो पिछली उपलब्ध भारित औसत ब्याज दर विचारित की जायेगी।

परन्तु आगे यह कि यदि यथा-स्थिति उत्पादक स्टेशन या पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली या SLDC के पास वास्तविक ऋण नहीं है तो एक संपूर्ण रूप में उत्पादक कंपनी या पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी या SLDC की भारत औसत ब्याज दर विचारित की जायेगी।

- (6) ऋण पर ब्याज, भारत औसत ब्याज दर लागू कर वर्ष के मानकीय औसत ऋण पर परिकलित किया जायेगा।
- (7) यथास्थिति, उत्पादक कम्पनी या पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी या SLDC जहां तक ब्याज पर शुद्ध बचत होती है इसे पुनः वित्त पोषित करने का पूरा प्रयास करेंगे और ऐसी स्थिति में ऐसे पुनः वित्त पोषण से संबंधित लागतों को लाभार्थियों द्वारा वहन किया जायेगा तथा ब्याज पर शुद्ध बचत लाभार्थियों और यथा-स्थिति उत्पादक कम्पनी या पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी या SLDC के मध्य 1:2 के अनुपात में साझा की जायेगी।
- (8) ऋण के निबंधनों और शर्तों में परिवर्तन को ऐसे पुनः वित्त पोषण की तिथि से प्रक्षेपित किया जायेगा।
- (9) समय समय पर आयोग द्वारा तय की गई ब्याज दर पर उपभोक्ताओं से वितरण अनुज्ञापी द्वारा प्रतिभूति निक्षेप के रूप में रखी गयी राशि पर ब्याज अनुज्ञात किया जायेगा।

परन्तु किसी वर्ष की सही-करण कार्यवाहियों के दौरान यह पाया जाता है कि उपभोक्ताओं को भुगतान किया गया वास्तविक ब्याज अनुज्ञापी द्वारा अपने लेखों में प्रदान किये गये से कम है तो भुगतान किया गया वास्तविक ब्याज प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज के रूप में अनुज्ञात किया जायेगा।

28 अवक्षय

- (1) अवक्षय के उद्देश्य से मूल्य आधार आयोग द्वारा स्वीकृत आस्ति की पूंजी लागत होगा।
परन्तु उपभोक्ता अंशदान और पूंजी सहायकियों/अनुदानों के द्वारा निधि पोषित आस्तियों पर कोई अवक्षय अनुज्ञात नहीं होगा।
- (2) आस्ति का सैल्वेज मूल्य 10% के रूप में विचारित किया जायेगा और अवश्रय आस्ति की पूंजी लागत के अधिकतम 90% तक अनुज्ञात होगा।

परन्तु उत्पादक स्टेशनों के मामले में सैल्वेज मूल्य, स्थल के सृजन हेतु राज्य सरकार के साथ विकास कर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित करार में उपबंधित रूप में होगा।

परन्तु आगे यह कि इन विनियमों के अधीन, शुल्क अवधारण हेतु अवक्षीय मूल्य के संगणन के उद्देश्य से उत्पादक स्टेशन की आस्तियों की पूंजी लागत विनियमित शुल्क पर दीर्घावधि ऊर्जा क्रय करार के अधीन विद्युत के विक्रय के प्रतिशत के तदनु रूप होगी।

परन्तु यह भी कि यथास्थिति, उत्पादक स्टेशन या उत्पादक यूनिट या पारेषण प्रणाली की निम्न उपलब्धता के कारण अनानुज्ञात कोई अवक्षय उपयोगी जीवन या विस्तारित जीवन के दौरान व इसके पश्चात् के चरण पर वसूली हेतु अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

परन्तु IT उपकरण और सॉफ्टवेयर हेतु साल्वेज मूल्य 'कुछ नहीं' के रूप में विचारित किया जायेगा और आस्तियों का 100% मूल्य अवक्षयीय विचारित किया जायेगा।

(3) पट्टे के अधीन धारित भूमि से अन्य भूमि और जलविद्युत उत्पादक स्टेशन के मामले में जलाशय हेतु भूमि अवक्षयीय आस्ति नहीं होगी तथा उसके मूल्य को, (-) आस्ति के अवक्षयीय मूल्य की संगणना करते समय, पूँजी लागत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(4) अवक्षय का परिकलन स्ट्रेंथ लाईन मैथड या सीधी रेखा कार्य विधि के आधार पर और इन विनियमों के परिशिष्ट-II में विनिर्दिष्ट दरों पर वार्षिक रूप से किया जायेगा।

परन्तु वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 12 वर्ष की अवधि के पश्चात् वर्ष समाप्ति की 31 मार्च पर शेष अवक्षयीय मूल्य, आस्तियों के शेष उपयोगी जीवन में विस्तारित होगा।

(5) वर्तमान परियोजनाओं के मामले में 01.04.2016 पर शेष अवक्षयीय मूल्य, आस्तियों के सकल अवक्षयीय मूल्य से 31.3.2016 तक आयोग द्वारा स्वीकृत संचयी अवक्षय घटा कर निकाला जायेगा। वसूले गये संचयी अवक्षय और 12 वर्षों के तदनुरूप इन विनियमों में विनिर्दिष्ट अवक्षयीय दरों को लागू कर निकाले गये अवक्षय के मध्य अंतर को 12 वर्ष तक शेष अवधि में विस्तारित किया जायेगा। वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 12 वर्ष की अवधि के पश्चात् वर्ष समाप्ति की 31 मार्च पर शेष अवक्षयीय मूल्य शेष जीवन में विस्तारित होगा।

(6) अवक्षय वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष से प्रभारित होगा। वर्ष के एक भाग हेतु आस्ति के वाणिज्यिक प्रचालन के मामले में अवक्षय आनुपातिक आधार पर प्रभारित होगा।

(7) उत्पादक स्टेशन या उसकी यूनिट या वितरण अनुज्ञापी या SLDC या पारेषण प्रणाली या उसके तत्व के संबंध में, संचयी अवक्षय, पूँजीकरण निरसित आस्ति को उपयोगी सेवाओं द्वारा शुल्क में वसूले गये अवक्षय को दृष्टिगत रखकर समायोजित किया जायेगा।

29 पट्टा प्रभार

उत्पादक कम्पनी, SLDC या पारेषण अथवा वितरण अनुज्ञापी द्वारा पट्टे पर ली गई आस्तियों के लिये पट्टा प्रभार, पट्टा करार के अनुसार विचारित किया जायेगा बशर्ते कि इन्हें आयोग द्वारा युक्तियुक्त समझा जाये।

30 प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय

- (1) प्रचालन एवं अनुरक्षण या O&M व्ययों में जन-शक्ति, मरम्मत एवं अनुरक्षण (R&M) और प्रशासकीय व सामान्य व्ययों सहित बीमा व्ययों का समावेश होगा।
- (2) प्रचालन और अनुरक्षण व्यय, पश्चातवर्ती इन विनियमों में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट कार्य विधि पर आधारित नियंत्रण अवधि हेतु अवधारित होंगे।
- (3) पट्टे पर ली गई और उपभोक्ता के अंशदान से सृजित आस्तियों पर O&M व्यय विचारित किये जायेंगे, यदि उत्पादक कंपनी या पारेषण या वितरण अनुज्ञापी या SLDC के पास इसके O&M का दायित्व है और वे O&M व्यय वहन करते हैं।
- (4) वर्ष के दौरान जोड़ी गयी सकल स्थिर आस्तियों के लिये वार्षिक O&M व्यय आनुपातिक आधार पर, कमीशनिंग की तिथि से विचारित किये जायेंगे।
- (5) युद्ध, विद्रोह, विधि में परिवर्तन या ऐसी घटनाओं के कारण O&M प्रभारों में वृद्धि एक विनिर्दिष्ट अवधि हेतु आयोग द्वारा विचारित की जायेगी।
- (6) मानकीय O&M व्ययों और वास्तविक O&M व्ययों में परिवर्तन, नियंत्रणीय कारकों के कारण लाभ/हानि का भाग माने जायेंगे।

31 अशोध्य और संदिग्ध ऋण

- (1) आयोग पिछले वर्ष में वितरण अनुज्ञापी द्वारा अशोध्य ऋणों को वास्तव में बट्टे खाते डालने की शर्त के अधीन उसके अनुमानित वार्षिक राजस्व का एक प्रतिशत (1%) तक अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिये उपबंध अनुज्ञात कर सकता है।

परन्तु जहां अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिये पूर्व वर्षों में अनुज्ञात ऐसे उपबंधीकरण की कुल राशि वर्ष के आरम्भ में प्राप्तियों के पांच (5) प्रतिशत से अधिक होता है वहां ऐसा कोई विनियोजन अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जिसका उक्त अधिकतम से आगे उपबंधीकरण बढ़ाने का प्रभाव हो सकता है।

32 विदेशी मुद्रा विनियम दर परिवर्तन (FERV)

- (1) ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती के लिये विदेशी मुद्रा विनियम दर परिवर्तन हेतु बचाव व्यवस्था की लागत वर्ष-दर-वर्ष आधार पर अनुज्ञात की जाएगी और भुगतान की देय तिथि पर देय होगी तथा आयोग की कुशल जांच के अधीन होगी। आवेदक आयोग को प्रतिरक्षा की ऐसी लागत का पूर्ण विवरण प्रदान करायेगा।

- (2) यदि मान्य कारणों से प्रतिरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई है तो FERV, शुल्क अवधारण के उद्देश्य से आयोग द्वारा अस्थायी रूप से अनुमानित की जायेंगी और वास्तविक के अनुसार समायोजन के अधीन होगी।

33 कार्यशील पूँजी पर ब्याज

कार्यशील कामकाजी पूँजी पर ब्याज की दर मानकीय आधार पर होगी और शुल्क के अवधारण हेतु किये जाने वाले आवेदन की तिथि पर भारतीय स्टेट बैंक की स्टेट बैंक अग्रिम दर (SBAR) के बराबर होगी।

(1) उत्पादन, पारेषण प्रणाली और SLDC:

- (a) ओपन साईकल गैस टर्बाईन/कम्बाईन्ड साईकल ताप उत्पादक स्टेशन्स के मामले में कार्यशील पूँजी में निम्नलिखित सम्मिलित होगा:
- (i) गैस ईंधन और तरल ईंधन पर उत्पादक स्टेशनों के प्रचालन की रीति को उचित रूप से हिसाब में लूते हुए NAPAF के तदनु रूप 1(एक) माह की भू-ईंधन लागत।
 - (ii) NAPAF के तदनु रूप 1/2 (आधे) माह के लिये तरल-ईंधन भण्डार और एक से अधिक तरल ईंधन के उपयोग के मामले में गैस और तरल ईंधन के उत्पादक स्टेशनों की प्रचालन रीति को विधिवत दृष्टिगत रखते हुए मुख्य तरल ईंधन की लागत।
 - (iii) एक माह के लिए प्रचालन और अनुरक्षण व्यय।
 - (iv) प्रचालन और अनुरक्षण व्यय को 30% की दर से अनुरक्षण स्पेयर्स।
 - (v) गैस ईंधन और तरल ईंधन पर उत्पादक स्टेशन के प्रचालन की रीति को विधिवत हिसाब में लेते हुए NAPAF पर परिकलित विद्युत के विक्रय हेतु क्षमता प्रभार और ऊर्जा प्रभार के 2 (दो) माह के बराबर प्राप्तियां।
- (b) जल विद्युत उत्पादक स्टेशनों और पारेषण प्रणाली और SLDC के मामले में कार्यशील पूँजी में निम्नलिखित सम्मिलित होगा:
- (i) एक माह के लिये प्रचालन और अनुरक्षण व्यय।
 - (ii) प्रचालन और अनुरक्षण व्ययों का 15% की दर से अनुरक्षण स्पेयर्स, और
 - (iii) वार्षिक स्थिर प्रभारों के दो माह के बराबर प्राप्तियां।
- (c) स्वयं के उत्पादक स्टेशन के मामले में, इन विनियमों के अनुसार कार्यशील पूँजी की संगणना में खुदरा आपूर्ति कारोबार को उत्पादन कारोबार द्वारा ऊर्जा की आपूर्ति की परिधि तक, प्राप्तियों के लिये कोई राशि अनुज्ञात नहीं होगी।

- (d) ऊपरउपरोक्त उप विनियम 1(a) के अधीन आच्छादित मामलों में ईंधन की लागत, उत्पादक कम्पनी द्वारा उपगत भू लागत (मानकीय ट्रांजिट और हैंडलिंग हानियों को हिसाब में लेते हुए) और शुल्क अवधारित किये जाने वाले माह से पूर्व के तीन माहों के लिये वास्तविकों के अनुसार ईंधन के सकल कैलोरिफिक मूल्य पर आधारित होगी और शुल्क अवधि के दौरान कोई ईंधन मूल्य वृद्धि प्रदान नहीं की जायेगी।

परन्तु ऊपर उप-विनियम के 1(a) अधीन आच्छादित नये उत्पादक स्टेशन के मामले में, जहां पिछले तीन माह के लिये डाटा उपलब्ध नहीं है वहां ईंधन की भू लागत और ईंधन का कैलोरिफिक सकल मूल्य वह लिया जायेगा जो उत्पादक स्टेशन द्वारा वास्तव में उपगत किया गया है।

(2) वितरण

- (a) वितरण अनुज्ञापी को वित्तीय वर्ष हेतु कार्यशील पूँजी के अनुमानित स्तर पर ब्याज अनुज्ञात होगा, जिसे निम्नानुसार संगणित किया जायेगा:
- (i) एक माह के लिए प्रचालन और अनुरक्षण व्यय;
 - (ii) प्रचालन और अनुरक्षण व्यय का 15% की दर से अनुरक्षण स्पेयर्स; धन
 - (iii) प्रचलित शुल्कों पर विद्युत के विक्रय से अपेक्षित राजस्व के दो माह के बराबर;
 - (iv) आयोग द्वारा अनुज्ञात वर्तमान देयोंके संग्रहण में ऐसी कमी के वित्त पोषण हेतु आवश्यक पूँजी; ऋण
 - (v) उपभोक्ताओं और वितरण प्रणाली उपयोग कर्ताओं से अधिनियम की धारा 47 की उप-धारा (1) के खण्ड (a) और खण्ड (b) के अधीन प्रतिभूति निक्षेप के रूप में धारित राशि; ऋण
 - (vi) वार्षिक ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना पर आधारित, क्रय की गई ऊर्जा की लागत के एक माह के बराबर।

34 आय पर कर

उत्पादक कंपनियों, पारेषण अनुज्ञापियों वितरण अनुज्ञापियों और SLDC के विनियमित कारोबार की आय शाखा पर आयकर की, यदि कोई है, तो उसकी कुशल जांच के अधीन, नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के सहीकरण के समय पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर, वास्तव में भुगतान किये गये आय कर के अनुसार उत्पादक कंपनियों, पारेषण अनुज्ञापियों, वितरण अनुज्ञापियों और SLDC को प्रतिपूर्ति की जायेगी।

35 विनियामक आस्तियां

आय और व्यय के असामान्य परिवर्तन के फल-स्वरूप पर्याप्त राजस्व अंतर है, जिसकी पूरी वसूली एक वर्ष में व्यवहार्य नहीं है, के मामले में, आयोग शुल्क नीति के खण्ड 8.2.2 में उपबंधित दिशा-निर्देशों के अनुसार विनियामक आस्तियों का सृजन अनुज्ञात कर सकेगा और एक से अधिक वर्ष में शुल्क या अधिभार के माध्यम से इसकी वसूली उपयुक्त रूप से उपबंधित कर सकता है।

इस प्रकार सृजित विनियामक आस्तियों का परिशोधन शुल्क नीति के अनुसार किया जायेगा बशर्ते कि आयोग ऐसी दरों पर विनियामक आस्ति पर वह लांगत अनुज्ञात करे जिसे वह उचित समझे।

भाग IV

राजस्व

36 शुल्क आय

यथास्थिति विद्युत के उत्पादन, पारेषण, व्हीलिंग और खुदरा आपूर्ति, SLDC प्रभारों के लिये आयोग द्वारा अवधारित सभी प्रभारों से उत्पन्न उत्पादक कंपनी, पारेषण अनुज्ञापी, वितरण अनुज्ञापी और SLDC की आय शुल्क आय के रूप में विचारित की जाएगी।

37 अन्य राजस्व

- (1) शुल्क राजस्व से अन्य सभी राजस्व जिनमें विद्युत के अनाधिकृत उपयोग हेतु प्रभार और कंपाउंडिंग के माध्यम से वसूली गई धन-राशि सम्मिलित है, को अन्य राजस्व के रूप में समूहबद्ध किया जायेगा।
- (2) पावर स्टेशन/उप-स्टेशन बस बार से ली गई, अपने प्रचालन स्टाफ हेतु आवासीय कॉलोनी या टाउन-शिप्स को आपूर्ति की गई ऊर्जा के लिये उत्पादन कंपनी/पारेषण अनुज्ञापी/वितरण अनुज्ञापी/SLDC द्वारा एक पृथक अकाउंट रखा जायेगा और लागू शुल्क के अनुसार मान्य दर से प्राप्त राजस्व, जहां लागू हो, वहां ARR/शुल्क याचिका में आयोग को वार्षिक रूप से रिपोर्ट किया जायेगा।
- (3) उत्पादन/पारेषण शुल्क का अवधारण करते समय, इस प्रकार प्राप्त किया गया राजस्व, अर्थात् उत्पादक कंपनी के मामले में वितरण अनुज्ञापी के सम्बन्ध में श्रेणीवार उपभोक्ताओं के लिए शुल्क या पारेषण अनुज्ञापी के मामले में जहां उप-स्टेशन स्थित है, को आयोग द्वारा उत्पादक कंपनी/पारेषण अनुज्ञापी/SLDC की अन्य आय के एक घटक के रूप में समझा जायेगा और उसे वार्षिक स्थिर प्रभारों में से घटाया जायेगा।

38 अधिभार और अतिरिक्त अधिभार

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 39, 40, 42 के अधीन अधिभार और अतिरिक्त अधिभार को आय के रूप में विचारित किया जायेगा और आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से व्यवहारित किया जायेगा

39 अन्य कारोबार से राजस्व

- (1) अन्य कारोबार से राजस्व को, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 41 और 51 के अधीन, आयोग द्वारा प्राधिकृत परिधि तक आय के रूप में माना जायेगा।

- (2) उत्पादक कंपनी, पारेषण अनुज्ञापी, वितरण अनुज्ञापी और SLDC, याचिका के साथ आयोग को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेंगे:

क्या उत्पादक कंपनी या SLDC या अनुज्ञापी EA 2003 की धारा 41 और 51 के अधीन निर्धारित अभिप्राय के भीतर किसी अन्य कार्य में संलिप्त है?

यदि हां, तो आवेदक निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा।

- उन सभी अन्य कारोबारों का नाम और विवरण जिन में आवेदक संलिप्त है;
- प्रत्येक ऐसे अन्य कारोबार के लिये पिछले वर्ष में उत्पादित, वर्तमान वर्ष में अनुमानित और आगामी वर्ष के लिये प्रक्षेपित राजस्व की राशि;
- उपरोक्त राजस्व उत्पन्न करने के लिये आवेदक द्वारा उपयोग में लायी गई कारोबार की आस्तियां।
- उपरोक्त राजस्व उत्पन्न करने के लिए हुए व्यय, प्रत्येक अन्य कारोबार के लिए पृथक रूप से,
- क्या ये व्यय पूर्ण अथवा आंशिक रूप से आवेदक के ARR में पहले से सम्मिलित किये गये हैं? यदि आंशिक रूप से, तो प्रभाजन का अनुपात और आधार प्रस्तुत किया जाये।

40 स्वच्छ विकास तंत्र (CDM) क्रेडिट को साझा किया जाना

अनुमोदित CMD परियोजना से कार्बन क्रेडिट की प्राप्तियों को निम्नलिखित तरीके से साझा किया जाएगा, यथा—

- CMD के कारण सकल प्राप्तियों का 100% यथास्थिति, उत्पादक स्टेशन या पारेषण प्रणाली के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि के पश्चात् प्रथम वर्ष में परियोजना विकासकर्ता द्वारा रखा जायेगा;
- द्वितीय वर्ष में लाभार्थियों का अंश 10% होगा जिसे क्रमशः 10% प्रति वर्ष बढ़ाया जायेगा जब तक कि यह 50% तक न पहुंच जाये। उसके पश्चात् प्राप्तियां यथा स्थिति उत्पादक कंपनी या पारेषण अनुज्ञापी, और लाभार्थियों द्वारा बराबर अनुपात में बांटी जायेगा। 4/

भाग-V

उत्पादन शुल्क का संगणन

41 प्रयोज्यता

- (1) इस भाग में विनिर्दिष्ट विनियम, उत्तराखण्ड में अवस्थित उत्पादक स्टेशनों से वितरण अनुज्ञापी को विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क के अवधारण के लिये लागू होंगे।

परन्तु उत्पादन के नवीकरणीय स्रोतों, जिनमें 25 MW तक की क्षमता वाली लघु हायड्रिल परियोजनाएं सम्मिलित हैं, से वितरण अनुज्ञापी को विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क का अवधारण, समय-समय पर संशोधित उविनिआ (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह-उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन) विनियम 2010 एवं 2013 के अनुसार होगा।

- (2) आयोग को, उत्पादक कंपनी द्वारा एवं वितरण अनुज्ञापी को विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क के अवधारण में, इस भाग में समावेशित निबंधनों और शर्तों से दिशा-निर्देशित किया जाएगा।

42 उत्पादन शुल्क के अवधारण हेतु याचिका

- (1) एक उत्पादक कंपनी, इन विनियमों के भाग II के उपबंधों का अनुपालन कर वितरण अनुज्ञापियों को विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क के अवधारण के लिये याचिका फाईल कर सकेगी।

- (2) इन विनियमों के अधीन उत्पादक कंपनी के संबंध में शुल्क चरण-वार, यूनिट-वार या संपूर्ण उत्पादक स्टेशन के लिये अवधारित किया जायेगा। इस भाग में विनिर्दिष्ट उत्पादक यथा स्थिति चरणों या यूनिटों पर उसी तरीके से लागू होगी जिस तरीके से उत्पादक स्टेशन पर लागू हो।

- (3) जहां उत्पादक स्टेशन के चरण या यूनिट हेतु शुल्क का अवधारण किया जा रहा है वहां उत्पादक कंपनी, यथास्थिति, सामान्य सुविधाओं संबंधित पूंजी लागत का आबंटन तथा संयुक्त व सामान्य मूल्यों का आबंटन, सभी चरणों या यूनिटों हेतु, एक युक्तियुक्त आधार अपनायेगी।

परन्तु उत्पादक कंपनी ऐसी लागतों के आबंटन हेतु आधार प्रदान करते हुए एक आबंटन विवरण रखेगी और शुल्क अवधारण हेतु आवेदन के साथ इसे आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

- (4) एक उत्पादक कंपनी एक उत्पादक स्टेशन की कमीशनिंग की पूर्वानुमानित तिथि से अग्रिम में अस्थायी शुल्क के अवधारण की तिथि या याचिका करने से पूर्व की तिथि तक वास्तव में हुए पूंजीगत व्यय पर धारित होगी जिन्हें विधिक संपरीक्षकों द्वारा विधिवत संपरीक्षित व प्रमाणित होना चाहिये तथा अस्थायी शुल्क, उत्पादक स्टेशन में वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से प्रभारित होगा।

- (5) एक उत्पादक कंपनी जिसके लिये आयोग ने अस्थायी शुल्क अवधारित किया है, उसे वार्षिक संपरीक्षित लेखों जो विधिक संपरीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित हो, के आधार पर उत्पादक स्टेशन के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि तक हुए वास्तविक पूँजीगत व्यय पर आधारित अंतिम शुल्क के अवधारण हेतु इन विनियमों के अनुसार एक नई याचिका दायर करनी होगी।

43 शुल्क के घटक

- (1) एक ताप ऊर्जा उत्पादक स्टेशन से विद्युत के विक्रय हेतु शुल्क में दो भागों का समावेश होगा, यथा, वार्षिक स्थायी प्रभारों की वसूली और ऊर्जा (परिवर्तन) प्रभार (प्राथमिक ईंधन लागत की वसूली हेतु)।
- (2) एक जल विद्युत उत्पादक स्टेशन से विद्युत के विक्रय हेतु शुल्क में दो भागों का समावेश होगा, यथा, वार्षिक क्षमता प्रभार की वसूली और ऊर्जा प्रभार।
- (3) उत्पादक कंपनी द्वारा क्षमता प्रभार, ऊर्जा प्रभार की वसूली और इन्सेन्टिव विनियम 47 में विनिर्दिष्ट प्रचालन मानकों की प्राप्ति पर आधारित होंगे।

44 वार्षिक स्थिर प्रभार

वार्षिक स्थिर प्रभारों में निम्नलिखित तत्वों का समावेश होगा:

- (a) ऋण पूँजी पर ब्याज और वित्तीय प्रभार;
- (b) अवक्षय;
- (c) पट्टा प्रभार—
- (d) प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय;
- (e) इक्विटी पर रिटर्न;
- (f) कार्यशील पूँजी पर ब्याज;

ऋण घटा कर:

- (g) गैर-शुल्क आय

परन्तु ताप एवं जलविद्युत उत्पादक स्टेशनों के लिये अवक्षय, ऋण पूँजी पर ब्याज और वित्त प्रभार, कार्यशील पूँजी पर ब्याज और इक्विटी पर रिटर्न इन विनियमों के भाग III में विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार अनुज्ञात होंगे।

45 अशक्त ऊर्जा का विक्रय

ताप उत्पादक स्टेशन से वितरण अनुज्ञापी को अशक्त ऊर्जा के विक्रय हेतु शुल्क, कुशल जांच के अधीन, इस अवधि के दौरान हुई वास्तविक ईंधन लागत के बराबर होंगे। जल विद्युत स्टेशन के लिये अशक्त ऊर्जा के विक्रय से शुल्क रू0 0.90 kWh होगा जो कि द्वितीयक ऊर्जा हेतु विनिर्दिष्ट दर है।

परन्तु अशक्त ऊर्जा के विक्रय से उत्पादक कंपनी द्वारा अर्जित ईंधन लागत की वसूली से अन्य कोई राजस्व, पूँजी लागत में घटाव के लिये उपयोग में लाया जायेगा और उसे राजस्व के रूप में नहीं माना जायेगा।

46 गैर शुल्क आय

आयोग द्वारा अनुमोदित उत्पादन कारोबार से संबंधित गैर शुल्क आय की राशि को उत्पादक कंपनी के शुद्ध वार्षिक स्थिर प्रभारों के अवधारण में वार्षिक स्थिर प्रभारों में से घटाया जायेगा।

परन्तु उत्पादक कंपनी आयोग को गैर शुल्क आय के अपने पूर्वानुमान का पूर्ण विवरण ऐसे स्वरूप में प्रस्तुत करेगी जैसा कि समय-समय पर आयोग द्वारा नियत किया जाये।

गैर शुल्क आय हेतु विचारित किये जाने वाले विभिन्न शीर्षों की सांकेतिक सूची निम्नलिखित रूप में होगी:

- (a) भूमि या भवन के किराये से आय
- (b) स्कैप के विक्रय से आय
- (c) सांविधिक निवेशों से आय
- (d) बिलों पर विलंबित या आस्थगित भुगतान पर ब्याज
- (e) आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को अग्रिमों पर ब्याज
- (f) स्टाफ क्वाटर्स से किराये की राशि
- (g) ठेकेदारों से किराये की राशि
- (h) ठेकेदारों और अन्यो से भाड़ा प्रभारों से आय
- (i) विज्ञापनों इत्यादि से आय
- (j) कोई अन्य गैर शुल्क आय

परन्तु उत्पादक कंपनी के विनियमित कारोबार के तदनुरूप इक्विटी पर रिटर्न से किये गये निवेशों से अर्जित ब्याज को गैर शुल्क आय में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

47 उत्पादक स्टेशनों के लिये प्रचालन के मानक

ताप उत्पादक स्टेशनों के लिये नीचे दिये गये प्रचालन के मानक लागू होंगे:

(1) मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (NAPAF):

(a) सभी ताप उत्पादक स्टेशनों के लिये: 85%

(b) वर्तमान जल विद्युत उत्पादक स्टेशनों के लिये:

पिछली नियंत्रण अवधि में, वर्तमान जल-विद्युत उत्पादक स्टेशनों के मामले में, आयोग द्वारा तय की गई NAPAF हेतु ट्रेजेक्टरी का लागू रहना जारी रहेगा। तथापि RMU के अधीन स्टेशन्स के NAPAF का समायोजन RMU के प्रभाव का विचार करते हुए तदनुसार किया जायेगा।

(c) नये जल-विद्युत उत्पादक स्टेशनों के लिये:

विवरण	मानकीय संयंत्र उपलब्धता कारक
पूर्ण जलाशय स्तर (FRL) और 8% तक के न्यूनतम ड्रॉ डाउन स्तर (MDDL) के मध्य शीर्ष परिवर्तन के साथ स्टोरेज और पॉडेज प्रकार के संयंत्र और जहां संयंत्र उपलब्धता सिल्ट द्वारा प्रभावित न हो।	90%
8% से अधिक के FRL और MDDL के मध्य शीर्ष परिवर्तन के साथ स्टोरेज और पॉडेज प्रकार के संयंत्र और जहां संयंत्र उपलब्धता सिल्ट द्वारा प्रभावित न हो।	DPR (CEA) या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित के परियोजना प्राधिकारियों द्वारा प्रदान माहवार पीकिंग NAPAF को तय करने का आधार संरचित करेगी। परियोजना प्राधिकारियों द्वारा प्रधान DPR में सम्मिलित माहवार पीकिंग सामर्थ्य (सी0ई0ए0 या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित) NAPAF को तय करने का आधार बनाएगी।
पॉडेज प्रकार के संयंत्र जहां संयंत्र उपलब्धता सिल्ट द्वारा पर्याप्त रूप से प्रभावित हो।	85%
रन-आफ रिवर प्रकार के संयंत्र	10 दिन के डिज़ाइन एनर्जी डाटा, (जहां उपलब्ध/सुसंगत हो) पूर्व अनुभव द्वारा आधुनिकीकृत, के आधार पर संयंत्र वार अवधारित किया जाये।

(i) विशेष परिस्थितियों जैसे असामान्य स्थल समस्याएं या अन्य प्रचालन स्थितियां और ज्ञात संयंत्र स्थितियों के अधीन NAPAF निर्धारण में आयोग द्वारा और छूट दी जा सकती है।

परन्तु एक नये जल विद्युत उत्पादक स्टेशन के मामले में विकासकर्ता के पास ऊपर सारणी में दिये गये सिद्धांत के आधार पर NAPAF तय करने के लिये अग्रिम में आयोग से संपर्क करने का विकल्प रहेगा।

परन्तु आगे यह कि उत्पादक कंपनियां, आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने के लिये, इन विनियमों के परिशिष्ट-III में नियत किये गये NAPAF के परिकलन हेतु दिशा निर्देशों के अनुसार विस्तृत परिकलन और उनके कारणों के साथ संयंत्रवार NAPAF प्रस्तुत करेगी।

(2) इन्सेन्टिव हेतु ताप उत्पादक स्टेशनों के लिए मानकीय वार्षिक संयंत्र भार कारक (NAPLF) 85% होगा।

(3) गैस-आधारित/तरल-आधारित ताप उत्पादक यूनिट (यूनिटों) के लिये सकल स्टेशन ताप दर:

=1.05x प्राकृतिकगैस एवं RLNG (Kcal/kwh) हेतु यूनिट की डिजाईन ताप दर

=1.071x तरल ईंधन (kcal/kwh) हेतु यूनिट की डिजाईन ताप दर

जहाँ एक यूनिट की डिजाईन ताप दर से अभिप्राय होगा 100% MCR पर एक यूनिटके लिये गारंटीड ताप दर और स्थल पर परिवेशी स्थितियां; और एक ब्लॉक की डिजायन ताप दर से अभिप्राय होगा 100% MCR पर एक ब्लॉक के लिये गारंटीड ताप दर, स्थल परिवेशी स्थितियां, शून्य प्रतिशत मेक अप डिजाईन कूलिंग जल तापमान बैंक प्रेशर।

(4) अनुषंगी ऊर्जा उपयोग

i. गैस टर्बाईन/कम्बाइन्ड साईकल उत्पादक स्टेशन्स:

● कम्बाइन्ड साईकल : 2.5%

● ओपन साईकल : 1.0%

ii. जल विद्युत उत्पादक स्टेशन्स:

(a) सतह जल विद्युत ऊर्जा उत्पादक स्टेशन्स

i. जनरेटर शैफ्ट पर माउंटेड, रोटेटिंग एक्साइटर्स के साथ: 0.7%

ii. स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम के साथ: 1%

(b) भूमिगत जल विद्युत उत्पादक स्टेशन

i. जनरेटर शैफ्ट पर माउंटेड, रोटेटिंग एक्साइटर्स के साथ: 0.9%

ii. स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम के साथ: 1.2%

48 प्रचालन और अनुरक्षण व्यय

प्रचालन और अनुरक्षण व्यय निम्नानुसार होंगे, यथा:

- (1) ओपन साईकल गैस टर्बाइन/कम्बाइन्ड साईकल उत्पादक स्टेशनों के लिये मानकीय ओ एंड एम व्यय निम्नानुसार होंगे:

वर्ष	गैस टर्बाइन/कम्बाइन्ड सायकल उत्पादक स्टेशन		लघु गैस टर्बाइन ऊर्जा उत्पादक स्टेशन (50 मेगावाट यूनिट आकार से छोटे)
	10 वर्षों के लिये वारंटी स्पेयर्स के साथ	वारंटी स्पेयर्स के बिना	
2015-16	9.25	13.87	16.83
2016-17	9.86	14.79	17.95
2017-18	10.52	15.77	19.14
2018-19	11.22	16.82	20.41

- (2) जल विद्युत उत्पादक स्टेशन्स

- (a) आधार वर्ष से पूर्व पांच वर्ष से अधिक के लिये प्रचालन में उत्पादक स्टेशनों के लिये

नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष हेतु प्रचालन एवं अनुरक्षण व्ययों को संपरीक्षित तुलन पत्र पर आधारित, आधार वर्ष तक पिछले पांच वर्षों के लिये वास्तविक ओ एंड एम व्ययों को हिसाब में लेते हुए आयोग द्वारा अनुमोदित किया जायेगा, जिसमें असामान्य प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय, यदि कोई है, सम्मिलित नहीं है तथा ये अनुमोदन कुशल जाँच और आयोग द्वारा विचारित किन्हीं अन्य कारकों के अधीन होगा।

- (b) आधार वर्ष से पूर्व 5 वर्ष से कम प्रचालन में उत्पादक स्टेशन्स के लिये:

ऐसे जल विद्युत उत्पादक स्टेशनों के मामले में जो कि आधार वर्ष, अर्थात् वित्तीय वर्ष 2014-15 से पूर्व पांच वर्ष की अवधि के लिये विद्यमान नहीं रहे हैं, वित्तीय वर्ष 2014-15 के आधार वर्ष हेतु प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय, प्रचालन के प्रथम वर्ष हेतु आयोग द्वारा स्वीकृत पूंजी लागत के 2.0% पर तय किया जायेंगे तथा पश्चातवर्ती वर्ष में, नीचे खण्ड (e) में विनिर्दिष्ट वृद्धि सिद्धांतों के अनुसार बढ़ाये जायेंगे।

- (c) 1.4.2016 को या उसके पश्चात वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित उत्पादक स्टेशनों के लिये:

नये जल विद्युत उत्पादक स्टेशनों, अर्थात् 1.4.2016 को या उसके पश्चात् वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित जल विद्युत उत्पादक स्टेशनों के मामले में, कमीशनिंग के वर्ष के लिये आधार प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय, 200 MW परियोजनाओं से कम स्टेशनों और 200 MW से

अधिक स्टेशनों के लिये आयोग द्वारा स्वीकृत वास्तविक पूंजी लागत (पुनर्वासन और पुनः स्थापन कार्यों को छोड़कर) क्रमशः 4% और 2.5% पर तय किये जायेंगे।

- (d) आधार वर्ष अर्थात् वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिये आधार O&M व्ययों, nवें वर्ष के लिये और साथ ही नियंत्रण अवधि अर्थात् 2015-16 से ठीक पहले वर्ष के लिये O&M व्ययों का पश्च निर्धारण नीचे दिये गये फॉर्मूला के आधार पर अनुमोदित किया जायेगा:-

जहाँ -

- O&M_n - nवें वर्ष के लिये प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय;
- EMP_n - nवें वर्ष के लिये कर्मचारी लागतें;
- R&M_n - nवें वर्ष के लिये मरम्मत और अनुरक्षण लागतें;
- A&G_n - nवें वर्ष के लिये प्रशासकीय और सामान्य लागतें;

उपरोक्त घटकों की संगणना निम्नलिखित तरीके से की जायेगी:

$$EMP_n = (EMP_{n-1}) \times (1+G_n) \times (1+CP \text{ Inflation})$$

$$R\&M_n = K \times (GFA_{n-1}) \times (1+WP \text{ Inflation}) \text{ और}$$

$$A\&G_n = (A\&G_{n-1}) \times (1+WP \text{ Inflation}) + Provision$$

जहाँ-

- EMP_{n-1-(n-1)} वें वर्ष के लिये कर्मचारी लागतें ;
- A & G_{n-1-(n-1)} वें वर्ष के लिये प्रशासकीय और सामान्य लागतें;
- प्रावधान: उत्पादक कंपनी द्वारा प्रस्तावित और कुशल जांच के पश्चात आयोग द्वारा अनुमोदित पहलों या अन्य एक बारी व्ययों के लिये लागत
- 'K' आयोग द्वारा % में विनिर्दिष्ट किया जाने वाला स्थिरांक है। नियंत्रण अवधि, के प्रत्येक वर्ष हेतु k का मूल्य, उत्पादक कंपनी की फाईलिंग, मरम्मत और अनुरक्षण व्ययों की बेंच माकिंग, पूर्व में आयोग द्वारा अनुमोदित GFA के मुकाबले अनुमोदित मरम्मत और अनुरक्षण व्यय और कोई अन्य कारक जो आयोग द्वारा उपयुक्त समझे गये हों, के आधार पर MYT शुल्क आदेश में आयोग द्वारा अवधारित किया जायेगा।

परन्तु उन परियोजनाओं, जिनका नवीकरण और आधुनिकीकरण किया जा रहा है, के nवें वर्ष हेतु O&M व्यय आयोग द्वारा स्वीकृत पूंजी लागत के 2% से अधिक नहीं होगा।

- CP इन्फ्लेशन-तीन वर्षों से ठीक पहले के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में औसत वृद्धि है;
- GFAn-1- nवें वर्ष के लिये उत्पादन कंपनी की सकल स्थिर आस्ति;
- Gn nवें वर्ष के लिये वृद्धि कारक है। Gn का मूल्य, कंपनी की फाईलिंग, बेंच मार्किंग और कोई अन्य कारक जिन्हें आयोग उपयुक्त समझे, के आधार पर अतिरिक्त जनशक्ति आवश्यकता को पूरा करने के लिये MYT शुल्क आदेश में आयोग द्वारा अवधारित होगा।

परन्तु सरकार की वेतन संरचना द्वारा शासित वर्तमान उत्पादक स्टेशन के मामले में आयोग सातवें वेतन आयोग के प्रभाव के लिये कर्मचारी व्ययों में एक पृथक उपबंध अनुज्ञात करने पर विचार कर सकता है।

परन्तु अवधारित मरम्मत और अनुरक्षण व्ययों का उपयोग केवल मरम्मत और अनुरक्षण कार्यों पर किया जायेगा।

- (e) ऊपर उप-विनियम 2(b) व 2(c) में अवधारित O&M व्ययों में नियंत्रण अवधि के लिये O&M व्ययों पर पहुंचने के लिये, पश्चातवर्ती वर्षों में वृद्धि की जायेगी जिसके लिये वर्ष विशेष (kवां वर्ष) हेतु वृद्धि कारक (EF_k) लागू किया जायेगा जिसका परिकलन निम्नलिखित फॉर्मूला का प्रयोग कर किया जायेगा:

$$EF_k = 0.55 \times WPI_{\text{inflation}} + 0.45 \times CPI_{\text{inflation}}$$

- (f) सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और ऊर्जा घटकों के साथ बहु-उद्देशीय जल विद्युत स्टेशनों के मामले में स्टेशन के ऊर्जा घटक पर प्रभारित O&M व्यय ही शुल्क के अवधारण हेतु विचारित किये जायेंगे।

49 ताप उत्पादक स्टेशनों के लिये वार्षिक स्थिर प्रभार और ऊर्जा प्रभारों का संगणन और भुगतान

- (1) ताप उत्पादक स्टेशन की स्थिर लागत इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट मानकों के आधार पर और क्षमता प्रभार के अधीन मासिक आधार पर वसूली गई, वार्षिक आधार पर संगणित की जायेगी। एक उत्पादक स्टेशन हेतु देय कुल क्षमता प्रभार उत्पादक स्टेशन की क्षमता में उनके संबंधित प्रतिशत अंश/आवंटन के अनुसार इसके लाभार्थियों द्वारा शेयर किया जायेगा।
- (2) एक कैलेंडर माह हेतु एक ताप उत्पादक स्टेशन को देय क्षमता प्रभार (इन्सेंटिव सहित) निम्नलिखित फॉर्मूला के अनुसार परिकलित किया जायेगा:

$$AFC \times (NDM/NDY) \times (PAFM/NAPAF) \text{ (रूपयों में)}$$

जहाँ,

AFC = वर्ष हेतु विनिर्दिष्ट वार्षिक स्थिर लागत (रूपयों में)

NAPAF = प्रतिशत में मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक

NDM = माह में दिनों की संख्या

NDY = वर्ष में दिनों की संख्या

PAFM = माह के दौरान प्राप्त संयंत्र उपलब्धता कारक, प्रतिशत में

परन्तु नवीकरण और आधुनिकीकरण के कारण बंदी के अधीन यथास्थिति उत्पादक स्टेशन या उसकी यूनिट अथवा पारेषण प्रणाली या उसके किसी तत्व के मामले में उत्पादक कंपनी या पारेषण अनुज्ञापी को AFC के एक भाग की वसूली करना अनुज्ञात होगा जिसमें केवल O&M व्यय और ऋण पर ब्याज सम्मिलित होगा।

- (3) PAFM की संगणना निम्नलिखित फॉर्मूला के अनुसार की जायेगी:

$$PAFM = 10000 \times \sum_{i=1}^N DC_i / \{ N \times IC \times (100 - AUX) \} \%$$

जहाँ,

AUX = प्रतिशत में मानकीय अनुषंगी ऊर्जा उपभोग।

DC_i = दिन की समाप्ति के पश्चात राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रमाणित, अवधि के i^{वें} दिन के लिए, अर्थात्, यथास्थिति, माह या वर्ष औसत घोषित क्षमता। (एक्स-बस मेगावॉट में)।

IC = उत्पादक स्टेशन की संस्थापित क्षमता (मेगावॉट में)

N = अवधि, अर्थात्, यथास्थिति माह या वर्ष के दौरान दिनों की संख्या।

नोट: DC_i और IC में वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित न की गई उत्पादक यूनिटों की क्षमता सम्मिलित नहीं होगी। संबंधित अवधि में IC में किसी परिवर्तन की दशा में इसका औसत मूल्य लिया जायेगा।

- (4) एक उत्पादक स्टेशन या उसकी यूनिट को इन्सेन्टिव, विनियम 47(2) में विनिर्दिष्ट मानकीय वार्षिक संयंत्र भार कारक (NAPAF) के तदनुरूप एक्स-बस ऊर्जा से अधिक अनुसूचित उत्पादन के तदनुरूप एक्स-बस अनुसूचित ऊर्जा के लिये 50 पैसा/ kWh की समान दर से देय होगा।

- (5) ऊर्जा प्रभार में प्राथमिक ईंधन लागत सम्मिलित होगी और यह माह की ऊर्जा प्रभार दर (ईंधन मूल्य समायोजन के साथ) पर एक्स ऊर्जा संयंत्र आधार पर कैलेंडर माह के दौरान ऐसे लाभार्थियों को आपूर्ति किये जाने हेतु अनुसूचित कुल ऊर्जा के लिये प्रत्येक लाभार्थी द्वारा देय होगा।

एक माह के लिये उत्पादक कंपनी को देय कुल ऊर्जा प्रभार होगा :-

$$(\text{रु0 में ऊर्जा प्रभार दर/kWh}) \times \{\text{kWh में माह हेतु अनुसूचित ऊर्जा (एक्स-बस)}\}$$

- (6) एक्स-ऊर्जा संयंत्र आधार पर रुपये प्रति kWh में ऊर्जा प्रभार दर (ECR) निम्नलिखित फार्मूला के अनुसार तीन दशमलव स्थान तक अवधारित की जायेगी :

- (a) गैस और तरल ईंधन आधारित स्टेशनों के लिये

$$\text{ECR} = \text{GHR} \times \text{LPPF} \times 100 / \{\text{CVPF} \times (100 - \text{AUX})\}$$

जहां,

AVX = प्रतिशत में मानकीय अनुषंगी ऊर्जा उपभोग

CVPF = गैस और तरल ईंधन आधारित स्टेशनों के लिये लागू kCal प्रति किलो, प्रति लीटर या प्रति मानक घन मीटर में प्राप्त प्राथमिक ईंधन का भारित औसत सकल कैलोरिफिक मूल्य।

ECR = रुपये प्रति kWh सेंट आउट में ऊर्जा प्रभार दर

GHR = kCal प्रति kWh में सकल स्टेशन हीट दर

LPPF = माह के दौरान लागू रुपये प्रति किलो, प्रति लीटर या प्रति घन मीटर में, प्राथमिक ईंधन का भारित औसत भू मूल्य।

- (7) उत्पादक कंपनी, उत्पादक स्टेशन के लाभार्थियों को इन विनियमों के संलग्नक-I में विनिर्दिष्ट प्रपत्रों के अनुसार GCV के मानदंडों और ईंधन, अर्थात् प्राकृतिक गैस, RLNG, तरल ईंधन, इत्यादि के मूल्य का विवरण प्रदान करेगी।

परन्तु बिल्स की प्रतियां और GCV के मानदंडों का विवरण तथा ईंधन अर्थात् प्राकृतिक गैस, RLNG, तरल ईंधन इत्यादि का मूल्य उत्पादक कंपनी की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किये जायेंगे। यह विवरण तीन माह की अवधि के लिये मासिक आधार पर वेबसाइट पर उपलब्ध होना चाहिये।

- (8) ईंधन की भू-लागत में लागू रॉयल्टी, कर, ड्यूटी, रेल/सड़क/गैस पाईप लाईन या ऊर्जा प्रभारों की संगणना के उद्देश्य से किन्हीं अन्य साधनों सहित ईंधन के ग्रेड/गुणवत्ता/कैलोरिफिक मूल्य के तदनुरूप ईंधन का मूल्य सम्मिलित होगा।

50 जल विद्युत उत्पादक स्टेशनों के लिये क्षमता प्रभारों और ऊर्जा प्रभारों की संगणना और भुगतान

- (1) जल विद्युत उत्पादक स्टेशन के वार्षिक स्थिर प्रभार, इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट मानकों पर आधारित, वार्षिक आधार पर संगणित किये जायेंगे और क्षमता प्रभार (इन्सेन्टिव सहित) और ऊर्जा प्रभार के अधीन मासिक आधार पर वसूल किये जायेंगे, जो उत्पादक कंपनी की विक्रय योग्य क्षमता, अर्थात् गृह राज्य को निःशुल्क ऊर्जा को सम्मिलित न की हुई क्षमता में लाभार्थियों को संबंधित प्रतिशत शेयर/आवंटन के अनुपात में उनके द्वारा देय होगा।
- (2) एक कैलेंडर माह हेतु एक जल विद्युत उत्पादक स्टेशन को देय क्षमता प्रभार (इन्सेन्टिव सहित) इस प्रकार होंगे:

$$AFC \times 0.5 \times NDM / NDY \times (PAFM / NAPAF) \text{ (रूपयों में)}$$

जहां,

AFC = वर्ष हेतु विनिर्दिष्ट वार्षिक स्थिर लागत, (रूपयों में)

NAPAF = प्रतिशत में मानकीय संयंत्र उपलब्धता कारक

NDM = माह में दिनों की संख्या

NDY = वर्ष में दिनों की संख्या

PAFM = माह के दौरान प्राप्त संयंत्र उपलब्धता कारक (प्रतिशत में)

- (3) PAFM की संगणना निम्नलिखित फार्मूला के अनुसार की जायेगी:

$$PAFM = 10000 \times \sum_{i=1}^N DC_i / \{ N \times IC \times (100 - AUX) \} \%$$

जहां,

AUX = प्रतिशत में मानकीय अनुषंगी ऊर्जा उपभोग

DC_i = माह के iवें दिन के लिये घोषित क्षमता (एक्स बस MW में) जिसे दिन के पूरा होने के पश्चात् उत्तराखण्ड राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रमाणित रूप में कम से कम तीन घंटे के लिये स्टेशन डिलीवर कर सके।

IC = पूर्ण उत्पादक स्टेशन की संस्थपित क्षमता (MW में)

N = माह में दिनों की संख्या

- (4) ऊर्जा प्रभार, संगणित ऊर्जा प्रभार दर पर, एक्स ऊर्जा संयंत्र आधार पर, कैलेंडर माह के दौरान, लाभार्थियों को आपूर्ति की गयी कुल ऊर्जा के लिये प्रत्येक लाभार्थी द्वारा देय होगा। एक माह हेतु उत्पादक कंपनी को देय कुल ऊर्जा प्रभार इस प्रकार होगा:-

$$(\text{ऊर्जा प्रभार दर } \text{रू0 में/kWh}) \times [\text{माह हेतु आपूर्ति की गई ऊर्जा (एक्स-बस) kWh में}] \times 100 - \text{FEHS}/100$$

- (5) एक उत्पादक स्टेशन के लिये एक्स-ऊर्जा संयंत्र आधार पर रूपये प्रति KWh में ऊर्जा प्रभार दर (EcR), उप-विनियम (7) के उपबंधों के अधीन निम्नलिखित फॉर्मूला के आधार पर तीन दशमलव स्थानों तक अवधारित की जायेगी:

$$\text{ECR} = \text{AFC} \times 0.5 \times 10 / \{ \text{DE} \times (100 - \text{AUX}) \times (100 - \text{FEHS}) \}$$

जहाँ,

DE = जल विद्युत उत्पादक स्टेशन हेतु विनिर्दिष्ट वार्षिक डिजाईन ऊर्जा MWh में

FEHS = लागू रूप में, प्रतिशत में, गृह राज्य हेतु निःशुल्क ऊर्जा।

- (6) यदि एक वर्ष के दौरान एक जल विद्युत उत्पादक स्टेशन द्वारा उत्पादित वास्तविक कुल ऊर्जा, उत्पादक कंपनी के नियंत्रण से बाहर के कारणों से डिजाईन ऊर्जा से कम है, तो उत्पादक कंपनी द्वारा दायर किये गये आवेदन पर रोलिंग आधार निम्नलिखित उपचार लागू होगा:

- (a) यदि ऊर्जा में घटत उत्पादक स्टेशन के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से दस वर्ष के भीतर होता है तो ऊर्जा में घटत के अगले वर्ष हेतु ECR का संगणन ऊपर उप-विनियम (5) में विनिर्दिष्ट फॉर्मूला के आधार पर इस आशोधन के साथ किया जायेगा कि उस वर्ष के लिये DE पिछले वर्ष की ऊर्जा प्रभार घटत को पूरा कर लिये जाने तक घटत के वर्ष के दौरान उत्पादित वास्तविक ऊर्जा के बराबर समझी जायेगी और उसके पश्चात सामान्य ECR लागू होगा;

यदि जल विद्युत स्टेशन से वास्तविक उत्पादन, हाईड्रोलॉजी कारक कारणों से 4 वर्ष की निरंतर अवधि हेतु डिजाईन ऊर्जा से कम है तो उत्पादक स्टेशन उस स्टेशन की डिजायन ऊर्जा के पुनरीक्षण हेतु सुसंगत हायड्रोलॉजी डाटा के साथ CEA से संपर्क कर सकता है।

- (b) यदि एक उत्पादक स्टेशन के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से दस वर्ष के पश्चात ऊर्जा में कमी होती है तो निम्नलिखित लागू होगा:

स्पष्टीकरण: मान लिया जाये कि स्टेशन के लिये विनिर्दिष्ट वार्षिक डिजायन ऊर्जा (DE) DE MWh है और संबंधित (प्रथम) और अगले (द्वितीय) वित्तीय वर्षों के दौरान उत्पादित वास्तविक ऊर्जा क्रमशः A1 और A2 MWh है, और A1, DE से कम है, तब तृतीय वित्तीय वर्ष के लिये ECR का परिकलन करने के लिये ऊपर उप-विनियम (5) में फॉर्मूला में विचारित

की जाने वाली डिजायन एनर्जी को DE MWh के अधिकतम और A1 MWh के न्यूनतम के अधीन (A1+A2-DE) MWh के रूप में मॉडरेटेड किया जायेगा।

(c) उत्पादित वास्तविक ऊर्जा (उदाहरणार्थ A1,A2) स्टेशन से बाहर भेजी गई शुद्ध मीटर्ड ऊर्जा को $100/(100-AUX)$ से गुणा कर ज्ञात किया जायेगा।

(7) यदि एक जल विद्युत स्टेशन के लिये ऊर्जा प्रभार दर (ECR) उपरोक्त संगणना के अनुसार नब्बे पैसे प्रति kWh से अधिक होती है और वर्ष में वास्तविक विक्रय योग्य ऊर्जा $(DE \times (100 - AUX) \times (100 - FEHS)/10000)$ MWh से अधिक होती है तो उपरोक्त से अधिक में ऊर्जा के लिये ऊर्जा प्रभार केवल नब्बे पैसे प्रति kWh पर बिल्ड किया जायेगा।

परन्तु एक वर्ष जिसमें उत्पादित कुल ऊर्जा, उत्पादक कंपनी के नियंत्रण से बाहर के कारणों से डिजायन ऊर्जा से कम थी, से अगले वर्ष में ऊर्जा प्रभार दर, पिछले वर्ष की ऊर्जा प्रभार घटत को पूरा करने के पश्चात, नब्बे पैसे प्रति kWh कर दिया जायेगा।

(8) उत्तराखण्ड राज्य भार प्रेषण केन्द्र, उपलब्ध होने के लिये घोषित सभी ऊर्जा के अधिकतम उपयोग हेतु, लाभार्थियों के साथ परामर्श कर, जल विद्युत उत्पादक स्टेशनों के लिये अनुसूची को अंतिम रूप देगा जिसे सभी लाभार्थियों के लिये, उत्पादक-स्टेशन में उनके संबंधित आवंटन के अनुपात में अनुसूचित किया जायेगा।

(9) उत्तराखण्ड राज्य भार प्रेषण केन्द्र उत्पादक स्टेशनों की घोषित क्षमता को दैनिक आधार पर प्रमाणित करेगा और वर्ष के दौरान PAFM को प्रमाणित करते हुए वर्ष के अंत में उत्पादक स्टेशन को एक प्रमाण पत्र भी जारी करेगा।

51 घोषित क्षमता का प्रदर्शन

(1) उत्पादक कंपनी को, जब कभी और जैसे राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा मांगा जाये, अपने उत्पादक स्टेशन की घोषित क्षमता प्रदर्शित करनी होगी। यदि राज्य पारेषण युटिलिटी द्वारा विनिर्दिष्ट छूट की सीमाओं के भीतर उत्पादक कंपनी अपनी घोषित क्षमता प्रदर्शित करने में असफल रहती है तो उत्पादक कंपनी को देय क्षमता प्रभार एक दंड के रूप में घटा दिये जायेंगे।

(2) एक दिन में अवधि या ब्लॉक के लिये पहली मिथ्या घोषणा के दंड की मात्रा दो दिन के क्षमता प्रभारों के तदनु रूप होंगी। द्वितीय मिथ्या घोषणा के लिये दंड चार दिन के क्षमता प्रभारों के बराबर होंगे और इस से आगे की मिथ्या घोषणाओं के लिये दंड गुणोत्तर वृद्धि के अनुसार गुणित किया जायेगा।

- (3) उत्पादक स्टेशन की प्रचालक लॉग बुक्स यथास्थिति SLDC द्वारा समीक्षा हेतु उपलब्ध करायी जायेंगी। ये बुक्स मशीन प्रचालन और अनुरक्षण, जलाशय स्तर और स्पिलवे गेट प्रचालन रिकॉर्ड रखती हैं।

52 अनुसूचीकरण

उत्पादक स्टेशन के लिये अनुसूचीकरण और प्रेषण हेतु कार्य-विधि ग्रिड संहिता में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगी।

53 मीटरिंग और लेखाकरण

समय-समय पर संशोधित उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (राज्य ग्रिड संहिता) विनियम, 2007 और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का संस्थापन और प्रचालन) विनियम, 2006 लागू होंगे।

54 प्रभारों की बिलिंग और भुगतान

प्रभारों की बिलिंग और भुगतान मासिक आधार पर निम्नलिखित तरीके से किया जायेगा :-

- (1) उत्पादक स्टेशनों के लिये वार्षिक स्थिर प्रभार, ऊर्जा प्रभार और इन्सेन्टिव की बिलिंग और भुगतान वर्ष के अंत में समायोजन के अधीन मासिक आधार पर किया जायेगा।
- (2) वितरण अनुज्ञापी और ऐसे व्यक्ति जिनके पास एक वर्ष से अधिक के लिये फर्म ऊर्जा हेतु ऊर्जा क्य करार हो, उत्पादक स्टेशन को संस्थापित क्षमता में अपने प्रतिशत शेयर, आवंटन या संविदा के अनुपात में स्थिर/क्षमता प्रभारों का भुगतान करेंगे।
- (3) यदि किसी अवधि में कोई क्षमता अनध्यपेक्षित (un-requisitioned) रह जाती है तो पूर्ण क्षमता प्रभार उप-विनियम (4) के अधीन उप-विनियम (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा साझा किये जायेंगे।
- (4) यदि किसी अवधि में कोई क्षमता अनध्यपेक्षित (un-requisitioned) रह जाती है तो उत्पादन स्टेशन राज्य से बाहर के किसी व्यक्ति सहित किसी भी व्यक्ति को विद्युत का विक्रय करने के लिये स्वतंत्र होगा और ऐसा व्यक्ति जिसे विद्युत का विक्रय किया गया है वह भी, उप-विनियम (2) में उल्लिखित व्यक्तियों के अतिरिक्त, उस के द्वारा उपयोग की गई क्षमता के अनुपात में स्थिर/क्षमता प्रभारों को साझा करेगा।

55 उत्पादक कंपनी/स्टार्ट अप ऊर्जा द्वारा विद्युत का क्रय :-

- (1) कोई व्यक्ति एक उत्पादक स्टेशन स्थापित करता है, उसका रखरखाव और प्रचालन करता है तथा उसे सामान्यतया वर्ष भर अनुज्ञापी से ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात् जो अनुज्ञापी का उपभोक्ता नहीं है, किसी भी उत्पादक कंपनी या वितरण अनुज्ञापी से विद्युत क्य कर सकता है यदि

उसका संयंत्र अपनी स्वयं की आवश्यकताओं का पूरा करने या स्टार्ट अप के लिये विद्युत उत्पादन करने की स्थिति में नहीं है और फल स्वरूप वितरण अनुज्ञापी से ऊर्जा की निकासी आवश्यक है।

- (2) यदि संयंत्र से उत्पादित विद्युत का राज्य वितरण अनुज्ञापी की विक्रय किया जाता है तो स्टार्ट अप ऊर्जा की अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिये राज्य वितरण अनुज्ञापी से उत्पादक स्टेशन द्वारा अधिप्राप्त ऊर्जा (kWh) को वितरण अनुज्ञापी को विक्रय की गई ऊर्जा से समायोजित किया जायेगा। वितरण अनुज्ञापी, उत्पादक कंपनी द्वारा उसको विक्रय की गई शुद्ध ऊर्जा, अर्थात् वितरण अनुज्ञापी को उत्पादक कंपनी द्वारा आपूर्ति की गई कुल ऊर्जा और उत्पादक कंपनी को वितरण अनुज्ञापी द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा के अंतर हेतु भुगतान करेगा।
- (3) यदि संयंत्र से उत्पादित विद्युत का राज्य वितरण अनुज्ञापी से अन्य किसी तृतीय पक्ष को विक्रय किया जाता है तो राज्य वितरण अनुज्ञापी से उत्पादक कंपनी द्वारा विद्युत का ऐसा क्य, उस माह के लिये संविदाकृत मांग के रूप में माह के दौरान अधिकतम मांग का विचार करते हुए औद्योगिक उपभोक्ता के लिये उपयुक्त "शुल्क की दर अनुसूची" के अधीन अस्थायी आपूर्ति हेतु आयोग द्वारा अवधारित शुल्क के अनुसार प्रभारित होगा। उस माह के लिये स्थिर/मांग प्रभार उतने दिनों के लिये देय होंगे जिस दौरान ऐसी आपूर्ति की निकासी की गई। तथापि, ऐसी कंपनी को मासिक न्यूनतम प्रभार या मासिक न्यूनतम उपभोग गारंटी प्रभार या किन्हीं अन्य प्रभारों के भुगतान से छूट प्राप्त होगी।

55- गैस आधारित उत्पादक स्टेशनों का शुल्क अवधारण:

भारत सरकार, ऊर्जा मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं0 4/2/2015-Th.1 दिनांक 27.03.2015, द्वारा जारी "गैस आधारित ऊर्जा उत्पादन क्षमता के उपयोग की योजना" के अधीन आच्छादित गैस आधारित उत्पादक स्टेशन्स का शुल्क सुसंगत विनियमों के विचलन में इस योजना के उपबंधों का उचित विचार कर अवधारित किया जा सकता है।

भाग – VI

पारेषण हेतु शुल्क

56 प्रयोज्यता

इस भाग में समावेशित विनियम, पारेषण अनुज्ञापी के साथ पारेषण प्रणाली उपयोगकर्ता द्वारा किये गये थोक ऊर्जा पारेषण करार या अन्य किसी व्यवस्था के अनुसरण में पारेषण अनुज्ञापी की राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली तक पहुंच और उसके उपयोग हेतु शुल्क के अवधारण में लागू होंगे।

परन्तु आयोग इस भाग में समावेशित मानकों में विचलन करता है या कुछ विशेष मामलों के लिये वैकल्पिक मानक तय कर सकता है जहां मामलो की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसे ऐसा उपयुक्त लगे; परन्तु आगे यह भी कि ऐसे विचलन के कारणों को लिखित में रिकॉर्ड किया जाएगा।

परन्तु आगे यह भी कि एक वर्तमान पारेषण प्रणाली के संबंध में, आयोग, ऐसी पारेषण प्रणाली के ऐतिहासिक निष्पादन को ध्यान में रखते हुए और निष्पादन में सुधार के युक्तियुक्त अवसर, यदि कोई हैं, के साथ नियंत्रण अवधि के आरम्भ में पारेषण अनुज्ञापियों द्वारा प्रस्तुत कारोबार योजना और बहु वर्षीय शुल्क याचिका के आधार पर शुल्क अवधारित करेगा।

आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 36 के परन्तुक के अधीन अनुज्ञापी द्वारा इस संबंध में किये गये आवेदन के अनुसरण में मध्यवर्ती पारेषण सुविधाओं के उपयोग हेतु दरें, प्रभार, निबंधन एवं शर्तें विनिर्दिष्ट किए जाने हेतु इस भाग में समाहित निबंधनों एवं शर्तों से दिशा निर्देशित होगा।

57 नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु वार्षिक पारेषण प्रभार

नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु वार्षिक पारेषण प्रभार, आयोग द्वारा अनुमोदित गैर शुल्क आय, अन्य कारोबार और लघु-अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रभारों से आय की राशि से कम कर नियंत्रण अवधि से संबंधित वित्त वर्ष हेतु पारेषण अनुज्ञापी की कुल राजस्व आवश्यकता की वसूली हेतु उपबंध करेंगे और इनका संगणन निम्नलिखित तरीको से किया जायेगा:

कुल राजस्व आवश्यकता निम्नलिखित का योग है:

- (a) प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय;
- (b) पट्टा प्रभार;
- (c) ऋण पूंजी पर ब्याज और वित्त प्रभार;
- (d) इक्विटी पूंजी पर रिटर्न;
- (e) आय-कर;
- (f) अवक्षय;
- (g) कार्यशील पूंजी और पारेषण प्रणाली उपयोग कर्ताओं से जमा राशि पर ब्याज, और पारेषण अनुज्ञापी के वार्षिक पारेषण प्रभार = कुल राजस्व आवश्यकता उपरोक्तानुसार ;

घटा कर :

- (h) गैर-शुल्क आय;
- (i) लघु-अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रभार और;

(j) इन विनियमों में विनिर्दिष्ट परिधि तक अन्य कारोबार से आय।

परन्तु अधिनियम की धारा 63 के अनुसरण में और पारेषण हेतु प्रतिस्पर्धात्मक बोली के लिये दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक रूप से प्रदान पारेषण प्रणाली परियोजनाओं के मामले में, वार्षिक पारेषण प्रभार ऐसे प्रतिस्पर्धात्मक रूप से प्रदान पारेषण परियोजनाओं द्वारा उद्धरित किये गये वार्षिक पारेषण सेवा प्रभारों (TSC) के अनुसार होंगे।

पारेषण अनुज्ञापी के वार्षिक पारेषण प्रभारों का अवधारण आयोग द्वारा इन विनियमों के भाग-II के अनुसार पारेषण अनुज्ञापी द्वारा किये गये, यथास्थिति, कुल राजस्व आवश्यकता के अवधारण हेतु आवेदन या प्रतिस्पर्धात्मक रूप से प्रदान पारेषण प्रणाली परियोजना के मामले में, वार्षिक पारेषण प्रभारों को अपनाने हेतु आवेदन के आधार पर किया जायेगा।

58 पूंजी निवेश योजना

- (1) पारेषण अनुज्ञापी, भार वृद्धि, पारेषण हानियों में कमी, आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार, विश्वसनीयता, मीटरिंग, संकुलता में कमी इत्यादि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये व्यापार योजना के एक भाग के रूप में नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु एक विस्तृत पूंजी निवेश योजना, वित्त पोषण योजना और भौतिक लक्ष्य दायर करेगा। व्यापार योजना के साथ पूंजी निवेश योजना, इन विनियमों के भाग-II में समावेशित विनियम 8 में विनिर्दिष्ट सभी पहलुओं का विवरण देते हुए, नियंत्रण अवधि के आरंभ में दायर की जानी चाहिये।
- (2) भार वृद्धि, पारेषण हानियों में कमी, आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार, विश्वसनीयता, मीटरिंग, संकुलता में कमी, इत्यादि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली के सुदृढीकरण और संवर्धन पर हाथ में लिये गये निवेश हेतु निवेश योजना एक न्यूनतम लागत योजना होगी।
- (3) निवेश योजना में, MYT अवधि में पारेषण अनुज्ञापी द्वारा हाथ में ली गई सभी पूंजीगत व्यय परियोजनाएँ सम्मिलित होंगी और ऐसे स्वरूप में होंगी जिसे समय-समय पर आयोग द्वारा नियत किया जाये।
- (4) पारेषण अनुज्ञाप्ति में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा से अधिक मूल्य की सभी पूंजीगत व्यय योजनाओं के लिये आयोग का पृथक पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा।
- (5) निवेश योजना के साथ ऐसी जानकारी, विवरण और दस्तावेज संलग्न किये जायेंगे जैसा कि आवश्यक हो, प्रस्तावित निवेश की आवश्यकता, विचारित विकल्प, लागत/लाभ विश्लेषण और अन्य पहलू जिनका पारेषण प्रभारों पर प्रभाव पड़ता हो, दर्शाये जायेंगे। निवेश योजना में पूंजीकरण अनुसूची और वित्त-पोषण योजना भी सम्मिलित होगी।

- (6) पारेषण अनुज्ञापी, यथास्थिति MYT याचिका के साथ या वार्षिक निष्पादन समीक्षा हेतु याचिका के साथ पूंजीगत व्यय परियोजनाओं की प्रगति का विवरण तथा ऐसी अन्य जानकारी, विवरण या दस्तावेज जो ऐसी प्रगति के मूल्यांकन हेतु आयोग द्वारा अपेक्षित हों, प्रस्तुत करेगा।
- (7) यदि आवश्यकता हो तो आयोग आशोधनों के साथ पारेषण अनुज्ञापी की पूंजी निवेश योजना का अनुमोदन करेगा। एक वर्ष हेतु दी गयी पारेषण अनुज्ञापी की अनुमोदित निवेश योजना के तदनुरूप लागतें उसकी राजस्व आवश्यकताओं हेतु विचारित की जायेंगी।

59 पूंजी लागत

- (1) शुल्क उद्देश्यों हेतु कुशल जांच के पश्चात ही ऐसे पूंजीगत व्यय पर विचार किया जायेगा जो आयोग के अनुमोदन के अनुमोदन से उपगत हुए हों या उपगत होने के लिये प्रस्तावित हों, इसमें उविनिआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 2014 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया अनुसार पूर्व अनुमोदन से छूट प्राप्त पूंजीगत व्यय भी सम्मिलित हैं।
- (2) अंतिम शुल्क, पारेषण प्रणाली के स्वीकृत पूंजीगत व्यय के आधार पर तय किया जायेगा और इसमें अधिकतम सीमा मानकों के अधीन पूंजीकृत प्रारम्भिक रिपेयर्स सम्मिलित होंगे।
- (3) लेखाकरण मानकों (AS 10)के उपबंध : समय-समय पर संशाधित इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया की स्थिर आस्तियों हेतु लेखांकन, पूंजीगत व्यय परियोजनाओं और/या पूंजीकृत स्थिर आस्तियों की मूल लागत के अवधारण में, इन विनियमों से असंगत न हो उस परिधि तक लागू होगी।

60 पारेषण शुल्क के अवधारण हेतु याचिका

पारेषण अनुज्ञापी, ऐसी पारेषण प्रणाली के एतिहासिक निष्पादन के अनुसार और प्रस्तुत की गई व्यापार योजना याचिका पर आयोग के आदेश के आधार पर अपनी राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली के लिये शुल्क तय करने हेतु एक आवेदन कर सकता है जो विनियम के अनुसार ऐसे प्रारूप में और ऐसी जानकारी के साथ होगा जिसे इन विनियमों के भाग-II के उपबंधों के अनुपालन में आयोग द्वारा समय-समय पर पैसा आवश्यक हो, मांगा जाए।

61 प्रचालन के मानक

समय-समय पर उनके आशोधन के अधीन, प्रचालन के मानक निम्नलिखित होंगे:-

- (1) उप-स्टेशन में अनुषंगी ऊर्जा उपभोग
 - a. AC प्रणाली

एयर कंडीशनिंग, प्रकाश, उपभोग इत्यादि के प्रयोजन से AC उप-स्टेशन में अनुषंगी ऊर्जा उपभोग हेतु प्रभार पारेषण अनुज्ञापी द्वारा वहन किये जायेंगे और मानकीय प्रचालन तथा अनुरक्षण व्ययों में सम्मिलित किये जायेंगे।

(2) पूर्ण पारेषण प्रभारों की वसूली हेतु लक्ष्य उपलब्धता

a) AC प्रणाली : 98%

नोट:-

(a) उपलब्धता लक्ष्य के स्तर से नीचे स्थिर प्रभारों की वसूली आनुपातिक आधार पर होगी। शून्य उपलब्धता पर कोई पारेषण प्रभार देय नहीं होंगे।

(b) लक्ष्य उपलब्धता का परिकलन इन विनियमों के परिशिष्ट-IV में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा और उत्तराखण्ड राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।

परन्तु 99.75% से अधिक की उपलब्धता हेतु कोई इन्सेन्टिव देय नहीं होगा।

परन्तु आगे यह भी कि AC प्रणाली के लिये प्रति वर्ष दो ट्रिपिंग अनुज्ञात होंगी। एक वर्ष में दो ट्रिपिंगस के पश्चात 12 घंटे की अतिरिक्त आउटेज, वास्तविक आउटेज के अतिरिक्त विचारित की जायेगी:

परन्तु यह भी कि एक उत्पादक स्टेशन से ऊर्जा के निष्क्रमण को प्रभावित करने वाले पारेषण तत्व के आउटेज के मामले में आउटेज घंटे को 2 के फैक्टर से गुणा किया जायेगा।

62 प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय

(1) नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष हेतु O&M व्यय, कुशल जांच और कोई अन्य कारकों जो आयोग द्वारा उपयुक्त समझे जायें, के अधीन आधार वर्ष तक पिछले पांच वर्षों के लिये वास्तविक O&M व्ययों को हिसाब में लेते हुए आयोग द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे।

(2) नवें वर्ष के लिये और साथ ही नियंत्रण अवधि से ठीक पहले के वर्ष अर्थात् वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये O&M व्यय नीचे दिये गये फॉर्मूला के आधार पर अनुमोदित किये जायेंगे :-

$$O\&M_n = R\&M_n + EMP_n + A\&G_n$$

जहाँ -

- O&M_n - nवें वर्ष के लिये प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय;
- EMP_n - nवें वर्ष के लिये कर्मचारी लागतें;
- R&M_n - nवें वर्ष के लिये मरम्मत और रखरखाव लागतें;

- A&G_n - nवें वर्ष के लिये प्रशासकीय और सामान्य लागतें;

(3) उपरोक्त घटकों का संगणन निम्नलिखित तरीके से किया जायेगा;

$$EMP_n = (EMP_{n-1}) \times (1+G_n) \times (1+CPI \text{ इन्फ्लेशन})$$

$$R\&M_n = K \times (GFA_{n-1}) \times (1+WPI \text{ इन्फ्लेशन}) \text{ और}$$

$$A\&G_n = (A\&G_{n-1}) \times (1+WPI \text{ इन्फ्लेशन}) + \text{प्रावधान}$$

जहाँ,

- EMP_{n-1} - (n-1)वें वर्ष के लिये कर्मचारी लागतें;
- A&G_{n-1} - (n-1)वें वर्ष के लिये प्रशासकीय और सामान्य लागतें;
- प्रावधान : पारेषण अनुज्ञापी द्वारा प्रस्तावित और कुशल जांच के पश्चात् आयोग द्वारा अनुमोदित पहलों हेतु लागत या एक-बारी व्यय।
- 'K' आयोग द्वारा % में विनिर्दिष्ट स्थिरांक है। नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु K का मूल्य, पारेषण अनुज्ञापी की फाईलिंग, मरम्मत और रखरखाव व्ययों की बेंच मार्किंग, अनुमोदित मरम्मत और रखरखाव व्ययों के मुकाबले पूर्व में आयोग द्वारा अनुमोदित GFA और आयोग द्वारा उपयुक्त समझे गये किन्हीं अन्य कारकों पर आधारित MYT शुल्क आदेश में आयोग द्वारा अवधारित किया जायेगा।
- CPI इन्फ्लेशन - ठीक पिछले तीन वर्षों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में औसत वृद्धि है;
- WPI इन्फ्लेशन - ठीक पिछले तीन वर्षों के लिये थोक मूल्य सूचकांक (WPI) में औसत वृद्धि है;
- GFA_{n-1} - n-1वें वर्ष के लिये पारेषण अनुज्ञापी की सकल स्थिर आस्ति;
- G_n, n-1वें वर्ष के लिये एक वृद्धि कारक है। G_n का मूल्य, पारेषण अनुज्ञापी की फाईलिंग, बेंच-मार्किंग और अन्य किसी कारक, जिसे जिन्हें आयोग उपयुक्त समझता हो, पर आधारित अतिरिक्त जन-शक्ति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये MYT शुल्क आदेश में आयोग द्वारा अवधारित किया जायेगा:

परन्तु ऐसे मामले में जहां पारेषण अनुज्ञापी सरकारी वेतन संरचना द्वारा शासित होता हो वहां आयोग VIIवें वेतन आयोग के प्रभाव हेतु कर्मचारी व्ययों में एक पृथक उपबंध अनुज्ञात करने पर विचार कर सकता है।

परन्तु अवधारित मरम्मत और रखरखाव व्ययों का उपयोग केवल मरम्मत और रखरखाव कार्यों के लिये किया जायेगा।

63 गैर शुल्क आय

- (1) आयोग द्वारा अनुमोदित पारेषण कारोबार से संबंधित गैर-शुल्क आय की राशि, पारेषण अनुज्ञापी के वार्षिक पारेषण प्रभारों के अवधारण में कुल राजस्व आवश्यकता में से घटायी जायेंगी :
- परन्तु पारेषण अनुज्ञापी अपनी गैर शुल्क आय के पूर्वानुमान का पूर्ण विवरण आयोग को प्रस्तुत करेगा जो ऐसे स्वरूप में होगा जैसा समय-समय पर आयोग द्वारा नियत किया जाये।
- (2) गैर शुल्क आय हेतु विचारित किये जाने वाले विभिन्न शीर्षों की सांकेतिक सूची निम्नलिखित होगी:
- भूमि या भवन पर किराये से आय;
 - स्कैप के विक्रय से आय;
 - संविधिक निवेशों से आय;
 - बिलों पर विलंबित या आस्थगित भुगतान पर ब्याज;
 - आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों की अग्रिमों पर ब्याज;
 - स्टाफ क्वार्टर्स से किराया आय;
 - ठेकेदारों से किराया आय;
 - ठेकेदारों और अन्यो से भाड़ा प्रभार से आय;
 - विज्ञापनों इत्यादि से आय;
 - विविध प्राप्तियां;
 - भौतिक सत्यापन पर प्राप्त आधिक्य;
 - निवेशों, सावधि-जमा व कॉल जमाओं और बैंक के अतिशेष पर ब्याज;
 - पूर्व अवधि आय;

परन्तु पारेषण अनुज्ञापी के विनियमित कारोबार के तदनुरूप इक्विटी पर रिटर्न से किये गये निवेश से अर्जित ब्याज को गैर शुल्क आय में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

64 अन्य कारोबार से आय

जहां पारेषण अनुज्ञापी अधिनियम की धारा 41 के अधीन अन्य कारोबार में संलग्न है, वहां ऐसे अन्य कारोबार पर हुई सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागतें घटाने के पश्चात ऐसे अन्य कारोबार से प्राप्त राजस्व के एक तिहाई के बराबर राशि को, पारेषण अनुज्ञापी के वार्षिक पारेषण प्रभारों का परिकलन करते समय कुल राजस्व आवश्यकताओं में से घटाया जायेगा:

परन्तु पारेषण अनुज्ञापी, पारेषण कारोबार और अन्य कारोबार के मध्य सभी संयुक्त और सामान्य लागतों के आबंटन के लिये एक युक्तियुक्त आधार अपनायेगा तथा शुल्क के अवधारण हेतु अपने आवेदन के साथ आयोग को विधिक लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत् संपरीक्षित और प्रमाणित कर आवंटन पत्रक प्रस्तुत करेगा;

परन्तु आगे यह कि जहां ऐसे कारोबार की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागतों का कुल योग किन्हीं भी कारणों से ऐसे अन्य कारोबार से प्राप्त राजस्व से अधिक होता है, वहां ऐसे अन्य कारोबार के कारण पारेषण अनुज्ञापी की कुल राजस्व आवश्यकताओं में किसी राशि को जोड़ना अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

65 पारेषण प्रभारों का संगणन और भुगतान

- (1) पारेषण अनुज्ञापी के लिये वार्षिक पारेषण प्रभार इन विनियमों में विनिर्दिष्ट मानकों के आधार पर अवधारित होगा और उपयोगकर्ताओं से पारेषण प्रभार के रूप में मासिक आधार पर वसूला जायेगा जो आवंटित पारेषण क्षमता के अनुपात में पारेषण प्रभार साझा करेंगे।

परन्तु पारेषण प्रणाली उपयोगकर्ता द्वारा देय प्रभारों में, वोल्टेज, दूरी, दिशा, प्रवाह की मात्रा और उपयोग का समय जैसे कारकों पर भी आयोग द्वारा अपने आदेश में विनिर्दिष्ट रूप से विचार किया जायेगा।

- (2) एक कैलेंडर माह हेतु AC प्रणाली या उसके भाग के लिये देय पारेषण प्रभार (इन्सेन्टिव सहित) निम्नलिखित समीकरणों के अनुसार संगणित किये जायेंगे:

- (a) **For TAFM ≤ 98%**
 $ATC \times (NDM/NDY) \times (TAFM/98\%)$
- (b) **For TAFM: 98% < TAFM ≤ 98.5%**
 $ATC \times (NDM/NDY) \times (1)$
- (c) **For TAFM : 98.5% < TAFM ≤ 99.75%**
 $ATC \times (NDM/NDY) \times (TAFM/98.5\%)$
- (d) **For TAFM : ≥ 99.75%**
 $ATC \times [NDM/NDY] \times [99.75\%/98.5\%]$

जहाँ,

- ATC = वर्ष हेतु विनिर्दिष्ट वार्षिक पारेषण प्रभार, रूपयों में।
- NATAF = मानकीय वार्षिक पारेषण उपलब्धता कारक, प्रतिशत में।
- NDM = माह में दिनों की संख्या।
- NDY = वर्ष में दिनों की संख्या।

- TAFM = परिशिष्ट IV के अनुसार संगणित, माह हेतु पारेषण प्रणाली उपलब्धता कारक, प्रतिशत में।
- (3) ऊपर उप-विनियम (2) के अनुसार आयोग द्वारा अवधारित रूप में मासिक पारेषण शुल्क, अपनी आवंटित क्षमताओं के अनुपात में मासिक आधार पर सभी दीर्घावधि और मध्यम-अवधि उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों (वर्तमान वितरण अनुज्ञापियों सहित) द्वारा साझा किया जायेगा।
- (4) पारेषण अनुज्ञापी अपने TAFM के अनुमान पर आधारित एक माह के लिये पारेषण प्रभार (इन्सेन्टिव सहित) हेतु बिल जारी करेगा। यदि कोई समायोजन हैं तो वे TAFM के आधार पर किये जायेंगे जिसे सुसंगत माह के अंतिम दिन से 30 दिन के भीतर SLDC द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।
- (5) पारेषण प्रभारों का परिकलन, विभिन्न NATAF वाली पारेषण प्रणाली के भाग हेतु पृथक रूप से किया जायेगा, और उसके पश्चात दीर्घावधि पारेषण ग्राहकों DICs द्वारा अपनी शेयरिंग के अनुसार संकलित किया जायेगा।

66 उन्मुक्त अभिगमन लेनदेन

उन्मुक्त अभिगमन से संबंधित सभी मामलों का निपटारा समय-समय पर लागू और संशोधित उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन हेतु निबंधन और शर्तें) विनियम, 2015 के अनुसार किया जायेगा।

67 पारेषण हानियां

राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अवधारित और आयोग द्वारा अनुमोदित, पारेषण अनुज्ञापी की पारेषण प्रणाली में ऊर्जा हानियां, राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली के उनके उपयोग के अनुपात में पारेषण प्रणाली उपयोगकर्ताओं द्वारा वहन की जायेंगी।

परन्तु आयोग, पारेषण अनुज्ञापी को लागू बहु वर्षीय शुल्क संरचना के भाग के रूप में, विनियम 9 के अनुसार पारेषण हानियों में कमी के लिये एक ट्रेजेक्टरी नियत करेगा।

भाग - VII

वितरण खुदरा आपूर्ति हेतु शुल्क

68 प्रयोज्यता

- (1) ये विनियम, अपने उपभोक्ताओं को वितरण अनुज्ञापी द्वारा विद्युत के खुदरा विक्रय हेतु शुल्क के अवधारण के लिये लागू होंगे:

परन्तु अपनी प्रणाली के उपयोग हेतु उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों द्वारा वितरण अनुज्ञापी को, देय व्हीलिंग प्रभार और वितरण हानियों का अवधारण, समय-समय पर लागू और संशोधित उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन हेतु निबंधन और शर्तों) अधिनियम, 2015 के अनुसार होगा।

69 नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु कुल राजस्व आवश्यकता

- (1) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु कुल वार्षिक व्यय और इक्विटी पर रिटर्न इन विनियमों के निबंधनों में अनुज्ञात व्यय और रिटर्न के आधार पर ज्ञात किये जायेंगे।
- (2) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु एक वितरण अनुज्ञापी की खुदरा आपूर्ति शुल्क आयोग द्वारा अनुमोदित सुसंगत वर्ष हेतु गैर शुल्क आय, उन्मुक्त अभिगमन के मामले में व्हीलिंग से आय, अन्य कारोबार से आय, प्रति सहायकी अधिभार और अतिरिक्त अधिभार से प्राप्तियों की राशि और राज्य सरकार से इस वित्तीय वर्ष हेतु यदि कोई सहायकी प्राप्त है, को कम कर नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु वितरण अनुज्ञापी के कुल राजस्व आवश्यकता की वसूली उपबंधित करेगा और इसमें निम्नलिखित का समावेश होगा:
 - (a) ऊर्जा क्रय की लागत;
 - (b) पारेषण प्रभार;
 - (c) प्रणाली प्रचालन प्रभार, अर्थात् NLDC/RLDC/SLDC को भुगतान की गई फीस और प्रभार;
 - (d) ऋण पूंजी और उपभोक्ता प्रतिभूति जमा पर ब्याज और वित्त प्रभार;
 - (e) अवक्षय, जिसमें अमूर्त आस्तियों का परिशोधन सम्मिलित है;
 - (f) पट्टा प्रभार;
 - (g) प्रचालन और अनुरक्षण व्यय;
 - (h) कार्यशील पूंजी पर ब्याज; और
 - (i) इक्विटी पूंजी पर ब्याज;
 - (j) आय कर;
 - (k) अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान;
- (3) विद्युत के विक्रय से शुद्ध राजस्व आवश्यकता = कुल राजस्व आवश्यकता उपरोक्तानुसार, में से निम्नलिखित घटा कर :
 - (a) गैर शुल्क आय;

- (b) उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों से वसूली गयगए व्हीलिंग प्रभारों से आय;
- (c) इन विनियमों में विनिर्दिष्ट परिधि तक अन्य कारोबार से आय;
- (d) उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ताओं से प्रति सहायकी अधिभार से प्राप्तियां; और
- (e) उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ताओं से व्हीलिंग के प्रभारों पर अतिरिक्त अधिभार से प्राप्तियां।
- (f) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 के अधीन सहायकी से अन्य राज्य सरकार से प्राप्त कोई राजस्व सहायकी या अनुदान।

70 व्यापार योजना

- (1) प्रत्येक वितरण अनुज्ञापी, समय-समय पर आयोग द्वारा नियत और इन विनियमों के भाग-II में समावेशित विनियम 8 में विनिर्दिष्ट तरीके से, पूर्ण विवरण के साथ 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2019 तक तीन (3) वित्तीय वर्षों की नियंत्रण अवधि हेतु 30 नवंबर, 2015 तक एक व्यापार योजना प्रस्तुत करेगा।
- (2) व्यापार योजना में अन्य विवरणों के साथ-साथ, समय-समय पर आयोग द्वारा नियत दिशा निर्देशों और प्रारूपों के अनुसार पूंजी निवेश योजना, वित्त पोषण योजना और भौतिक लक्ष्यों का समावेश होगा।

71 पूंजी निवेश योजना

- (1) वितरण अनुज्ञापी, व्यापार योजना के भाग के रूप में अनुमोदन हेतु आयोग के पास भार वृद्धि, वितरण हानियों में कमी, आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार, विश्वसनीयता, मीटरिंग, उपभोक्ता सेवाएं, इत्यादि में सुधार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये, नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु एक विस्तृत पूंजी निवेश योजना, वित्त पोषण योजना और भौतिक लक्ष्य दायर करेगा।
- (2) भार वृद्धि, वितरण हानियों में कमी, आपूर्ति, विश्वसनीयता, मीटरिंग इत्यादि की गुणवत्ता में सुधार, इत्यादि की आवश्यकता को पूरा करने के लिये वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण और संवर्धन हेतु निवेश योजना, एक न्यूनतम लागत योजना होगी।
- (3) निवेश योजना में, नियंत्रण अवधि में वितरण अनुज्ञापी द्वारा हाथ में ली जाने वाली सभी पूंजीगत व्यय परियोजनाएं सम्मिलित होंगी और वे ऐसे स्वरूप में होंगी जैसा समय-समय पर आयोग द्वारा नियत किया जाये।
- (4) वितरण अनुज्ञापि में आयोग विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा से अधिक की सभी पूंजीगत व्यय योजनाओं के लिये आयोग की पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा।

- (5) निवेश योजना के साथ ऐसी जानकारी, विवरण और दस्तावेज संलग्न किये जायेंगे जो प्रस्तावित निवेश की आवश्यकता, विचारित विकल्प, लागत/लाभ विश्लेषण और अन्य पहलू जिनका वहीलिंग शुल्क और खुदरा शुल्कों पर प्रभाव हो, दर्शाते हुए अपेक्षित हों। निवेश योजना में पूंजीकरण अनुसूची और वित्त पोषण योजना भी सम्मिलित होगी।
- (6) वितरण अनुज्ञापी, MYT के साथ या वार्षिक निष्पादन समीक्षा हेतु आवेदन के साथ पूंजीगत व्यय परियोजनाओं की प्रगति तथा साथ ही ऐसी अन्य जानकारी, विवरण या दस्तावेज प्रस्तुत करेगा जो ऐसी प्रगति के मूल्यांकन हेतु आयोग द्वारा अपेक्षित हों।

72 ऊर्जा अधिप्राप्ति दिशा-निर्देश

- (1) वितरण अनुज्ञापी, नियंत्रण अवधि हेतु ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना के अनुसार वर्ष के दौरान अपनी ऊर्जा अधिप्राप्ति का उत्तरदायित्व लेगा जिसमें इन विनियमों के अनुसार आयोग द्वारा अनुमोदित लघु-अवधि, मध्यम-अवधि और दीर्घावधि ऊर्जा अधिप्राप्ति सम्मिलित होगी।
- (2) वितरण अनुज्ञापी निम्नलिखित के संबंध में इस भाग में समाहित दिशा निर्देशों को अपनायेगा;
 - (a) सात (7) वर्षों से अधिक (अर्थात् दीर्घावधि ऊर्जा अधिप्राप्ति) की अवधि के साथ किसी व्यवस्था या करार के अधीन ऊर्जा की अधिप्राप्ति;
 - (b) एक (1) वर्ष से अधिक किंतु अधिकतम सात वर्ष (अर्थात् मध्यम अवधि ऊर्जा अधिप्राप्ति) की अवधि के साथ किसी व्यवस्था या करार के अधीन ऊर्जा की अधिप्राप्ति; और
 - (c) एक (1) वर्ष के बराबर या उस से कम अवधि (अर्थात् लघु अवधि ऊर्जा अधिप्राप्ति) के साथ किसी व्यवस्था या करार के अधीन ऊर्जा की अधिप्राप्ति;

73 ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना

- (1) वितरण अनुज्ञापी, अपने आपूर्ति क्षेत्र में विद्युत की मांग की सेवा हेतु ऊर्जा की अधिप्राप्ति के लिये एक योजना तैयार करेगा और उस योजना को आयोग के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा:
परन्तु ऐसी ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना 1 अप्रैल, 2016 से प्रारम्भ होने वाली द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिये प्रस्तुत की जायेगी:
परन्तु आगे यह भी कि व्यापार योजना के एक भाग के रूप में अनुमोदित ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना, शुल्क के अवधारण हेतु आवेदन के साथ प्रस्तुत की जायेगी।
परन्तु वितरण अनुज्ञापी द्वारा प्रस्तुत ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना में इन विनियमों के अनुसार ऊर्जा के दीर्घावधि, मध्यम-अवधि और लघु-अवधि ऊर्जा अधिप्राप्ति स्रोत सम्मिलित हो सकेंगे। तथापि, वितरण अनुज्ञापी को, जहां तक संभव हो, सिवाय विनियम 75 में विनिर्दिष्ट शर्तों के लघु-अवधि कर्षों के

लिये योजना नहीं बनानी चाहिये और दीर्घावधि तथा मध्यम अवधि ऊर्जा अधिप्राप्तियों से अपनी आवश्यकता पूरी करने का प्रयास करना चाहिये तथा तदनुसार योजना बनानी चाहिये।

(2) वितरण अनुज्ञापी की ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना में निम्नलिखित का समावेश होगा:

- नियंत्रण अवधि के दौरान आपूर्ति के क्षेत्र के भीतर प्रत्येक शुल्क श्रेणी हेतु विद्युत के लिये अबाधित मांग का मात्रात्मक पूर्वानुमान ;
- उत्पादन और ऊर्जा क्य के चिह्नित स्रोतों से विद्युत आपूर्ति की मात्राओं का एक अनुमान;
- आधार भार और पीक भार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये ऊर्जा की उपलब्धता का एक अनुमान;

परन्तु वह अनुमान मेगा वॉट (MW) और साथ ही मिलियन यूनिट्स (MU_s) दोनों में अभिव्यक्त मांग और आपूर्ति का मासिक प्राक्कलन होना चाहिये।

- समय-समय पर संशोधित उविनिआ (मानकों का निष्पादन) विनियम, 2007 के अनुसार आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता के संबंध में मानकों को बनाये रखना;
- ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता के संदर्भ में क्रियान्वित किये जाने के लिये प्रस्तावित उपाय;
- ऊपर (a) से (d) पर आधारित ऊर्जा उत्पादन और/या अधिप्राप्ति, जिसमें उत्पादन क्षमता का संवर्धन और आपूर्ति के नये चिन्हित स्रोत सम्मिलित हैं, के नये स्रोतों की आवश्यकता;
- ऊर्जा की अधिप्राप्ति हेतु योजना जिसमें ऐसी अधिप्राप्ति के लिये मात्राएं और लागत अनुमान सम्मिलित है;

परन्तु दीर्घावधि अधिप्राप्ति योजना में समाहित पूर्वानुमान/अनुमान, अधिप्राप्त की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा (विद्युत की मिलियन यूनिट्स में) और अधिकतम मांग (MW/MVA में) के संबंध में पीक और ऑफ-पीक अवधि पृथक रूप से उल्लिखित की जायेगी।

परन्तु आगे यह कि पूर्वानुमान/अनुमान, नियंत्रण अवधि के प्रत्येक माह हेतु तैयार किये जायेंगे; परन्तु यह भी कि दीर्घावधि अधिप्राप्ति योजना, आपूर्ति के विभिन्न स्रोतों की लागतों के संबंध में उपलब्ध जानकारी के आधार पर लागत-प्रभावी योजना होगी।

(h) प्रस्तावित लघु-अवधि ऊर्जा अधिप्राप्ति इन विनियमों के विनियम 75 के अनुसार होगी।

(3) पूर्वानुमान/अनुमान पूर्व डाटा और भविष्य के संबंध में युक्तियुक्त धारणाओं पर आधारित पूर्वानुमान तकनीकों का उपयोग कर तैयार किये जायेंगे।

परन्तु पूर्वानुमान/अनुमान हेतु ये कारक अमल में लाये जायेंगे जैसे-कुल आर्थिक संवृद्धि, विद्युत-सघन क्षेत्रों की उपभोग संवृद्धि, विद्युत उद्योग में प्रतिस्पर्धा का आगमन, कैप्टिव ऊर्जा में

चलन, हानि घटाने हेतु की गयी पहलों का प्रभाव, उत्पादक स्टेशन संयंत्र भार कारकों में सुधार और अन्य सुसंगत कारक।

(4) जहां आयोग ने वितरण अनुज्ञापी के क्षेत्र में विद्युत के कुल उपभोग का प्रतिशत सह-उत्पादन और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से क्रय करना नियत किया है, वहां ऐसे वितरण अनुज्ञापी की ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना में कम से कम नियत स्तर तक ऐसे स्रोतों से अधिप्राप्ति की योजना सम्मिलित होगी।

(5) वितरण अनुज्ञापी के लिये, राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली हेतु पारेषण प्रणाली योजना के साथ अपनी सुसंगतता के सत्यापन हेतु राज्य पारेषण युटिलिटी को ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना की एक प्रति अग्रसरित करना आवश्यक होगा;

परन्तु वितरण अनुज्ञापी, पारेषण प्रणाली योजना के साथ ऐसी योजना की सुसंगतता सुनिश्चित करने के लिये ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना की तैयारी के समय पर राज्य पारेषण युटिलिटी से भी परामर्श कर सकेगा।

(6) वितरण अनुज्ञापी, ऊपर उप-विनियम (1) के अधीन अधिप्राप्ति योजना की प्रस्तुति के समय पर उसको अतिरिक्त जानकारी पहले से ज्ञात या उपलब्ध न होने के फल-स्वरूप वार्षिक निष्पादन समीक्षा हेतु आवेदन के भाग के रूप में नियंत्रण अवधि के शेष भाग के लिये ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना में आशोधन हेतु आवेदन करेगा:

(7) आयोग, उप-विनियम (1) के अधीन अधिप्राप्ति योजना की प्रस्तुति के समय पर आयोग को अतिरिक्त जानकारी पहले से ज्ञात या उपलब्ध न होने के फलस्वरूप, यदि वह ऐसा समझे, तो स्वप्रेरणा आधार पर या किसी हितबद्ध अथवा प्रभावित व्यक्ति द्वारा किये गये आवेदन पर, वार्षिक निष्पादन समीक्षा के भाग के रूप में नियंत्रण अवधि के शेष भाग हेतु वितरण अनुज्ञापी की अधिप्राप्ति योजना का आशोधन कर सकता है;

(8) आयोग, वितरण अनुज्ञापी की ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना, या उसके किसी प्रस्तावित आशोधन की समीक्षा करेगा, और ऐसी समीक्षा पूरी हो जाने पर आयोग—

(a) जैसा कि उपयुक्त समझे, ऐसे आशोधनों और शर्तों के अधीन ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना, या उसके आशोधनों को अनुमोदित करते हुए आदेश जारी करेगा; या

(b) यदि ऐसी योजना इस भाग में समाहित दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं है तो कारण अभिलिखित कर ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना या उसके आशोधन हेतु आवेदन को अस्वीकार करेगा और वितरण अनुज्ञापी को, आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतिफल पर आधारित एक संशोधित योजना प्रस्तुत करने का निर्देश देगा:

परन्तु वितरण अनुज्ञापी को उसकी ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना के अस्वीकार किये जाने से पहले युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा।

74 ऊर्जा क्रय करार/व्यवस्था का अनुमोदन

- (1) इन विनियमों के प्रभावी होने के पश्चात उत्पादक कंपनी से या अनुज्ञापी से या आपूर्ति के अन्य स्रोत से वितरण अनुज्ञापी द्वारा ऊर्जा अधिप्राप्ति हेतु प्रत्येक करार या व्यवस्था केवल आयोग के पूर्वानुमोदन से ही प्रभावी होंगे;

परन्तु आपाती आधार पर उत्पादक कंपनी से या अनुज्ञापी से या आपूर्ति के किसी अन्य स्रोत से वितरण अनुज्ञापी द्वारा ऊर्जा की अधिप्राप्ति हेतु किसी करार या व्यवस्था के संबंध में आयोग की पूर्वानुमति आवश्यक होगी:

परन्तु आगे यह कि ऊर्जा अधिप्राप्ति हेतु वर्तमान व्यवस्था या करार में किसी परिवर्तन के लिये आयोग की पूर्वानुमति की आवश्यकता होगी, चाहे ऐसा वर्तमान करार/व्यवस्था आयोग द्वारा अनुमोदित की गई थी या नहीं।

- (2) आयोग, वितरण अनुज्ञापी की अनुमोदित ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना और निम्नलिखित कारकों को दृष्टिगत रखते हुए ऊर्जा अधिप्राप्ति करार/व्यवस्था के अनुमोदन हेतु आवेदन की समीक्षा करेगा:

- अनुमोदित ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना के अधीन ऊर्जा अधिप्राप्ति के लिये आवश्यकता;
- केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बोली की पारदर्शी प्रक्रिया का अनुसरण;
- जहां ऊपर (b) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी है, वहां इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट शुल्क के अवधारण हेतु निबंधन और शर्तों का अनुपालन;
- करार/व्यवस्था के अधीन अधिप्राप्त ऊर्जा की आपूर्ति और निष्क्रमण हेतु राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली में क्षमता की उपलब्धता (या अपेक्षित उपलब्धता)।
- ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत के सह-उत्पादन और उत्पादन को प्रोन्नत करने की आवश्यकता।

75 अतिरिक्त लघु-अवधि ऊर्जा अधिप्राप्ति

- (1) वितरण अनुज्ञापी वर्ष के दौरान इन विनियमों के अनुसार आयोग द्वारा अनुमोदित नियंत्रण अवधि के लिये ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना से अधिक अतिरिक्त लघु-अवधि ऊर्जा अधिप्राप्ति का उत्तरदायित्व ले सकता है।

- (2) जहां वित्त वर्ष के दौरान आपूर्ति के किसी अनुमोदित स्रोत से विद्युत की आपूर्ति में कमी या विफलता रही है, वहां वितरण अनुज्ञापी ऊर्जा की अधिप्राप्ति हेतु अतिरिक्त लघु-अवधि व्यवस्था या करार कर सकता है (लघु अवधि से अभिप्राय है एक वर्ष की अवधि तक);

परन्तु यदि कुल ऊर्जा क्रय लागत या छः माह के किसी ब्लॉक की मात्रा जिसमें ऐसी लघु-अवधि ऊर्जा अधिप्राप्ति सम्मिलित है, ऊर्जा क्रय लागत या छः माह के संबंधित ब्लॉक हेतु आयोग द्वारा अनुमोदित मात्रा के 105% से अधिक होती है तो वितरण अनुज्ञापी आयोग का पूर्वानुमोदन प्राप्त करेगा;

- (3) जहां वितरण अनुज्ञापी ने आपूर्ति का एक नया लघु-अवधि स्रोत चिन्हित किया है जिससे ऐसे शुल्क पर ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है जिससे इसकी अनुमोदित कुल ऊर्जा अधिप्राप्ति लागत कम होती है तो वितरण अनुज्ञापी, आयोग की पूर्वानुमति के बिना ऐसे आपूर्तिकर्ता के साथ एक लघु-अवधि ऊर्जा अधिप्राप्ति करार या व्यवस्था कर सकेगा।

- (4) वितरण अनुज्ञापी के समक्ष यदि ऐसी आपातकालीन स्थितियां आती हैं जिससे वितरण प्रणाली के स्थायित्व को खतरा पैदा हो या ग्रिड की विफलता को रोकने के लिये राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा ऐसा निर्देश दिया जाये तो वितरण अनुज्ञापी आयोग की पूर्वानुमति के बिना ऊर्जा की अधिप्राप्ति हेतु एक लघु-अवधि व्यवस्था या करार कर सकता है।

- (5) लघु-अवधि ऊर्जा अधिप्राप्ति हेतु एक करार या व्यवस्था, जिस के लिये पूर्वानुमति आवश्यक नहीं है, करने की तिथि से पन्द्रह (15) दिन पहले वितरण अनुज्ञापी आयोग को ऐसे करार या व्यवस्था का पूर्ण विवरण प्रदान करेगा जिसमें मात्रा, शुल्क परिकलन, अवधि, आपूर्तिकर्ता का विवरण, आपूर्तिकर्ता के चयन का तरीका और ऐसे अन्य विवरण जो ऐसे करार/व्यवस्था के संबंध में यह मूल्यांकन करने के लिये आवश्यक हों कि विनियम में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन किया गया है:

परन्तु जहां आयोग के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि वितरण अनुज्ञापी द्वारा की गई व्यवस्था या करार ऊपर उप-विनियम (2) से उप-विनियम (4) तक में विनिर्दिष्ट मानदंड को पूरा नहीं करते हैं वहां आयोग, उससे उत्पन्न अनुमोदित स्तर के ऊपर ऊर्जा अधिप्राप्ति की कुल लागत (अतिरिक्त राजस्व का शुद्ध) में वृद्धि अथवा वितरण अनुज्ञापी की उपगत कोई हानि जो फलस्वरूप उपभोक्ताओं के ऊपर डाली जा रही हो, को नामंजूर कर सकेगा।

- (6) ऊपर उप-विनियम (2) से उप-विनियम (4) में विनिर्दिष्ट मामलों के अधीन जहां वितरण अनुज्ञापी आयोग के अनुमोदन के बिना लघु-अवधि ऊर्जा अधिप्राप्ति हेतु करार या व्यवस्था करता है, वहां उससे उत्पन्न अनुमोदित स्तर के ऊपर ऊर्जा अधिप्राप्ति की कुल लागत (अतिरिक्त राजस्व का शुद्ध) में किसी वृद्धि को निष्पादन में ऐसा परिवर्तन समझा जायेगा जो संपूर्ण रूप से नियंत्रणीय कारकों के कारण हो।

76 वितरण खुदरा आपूर्ति शुल्क के अवधारण हेतु याचिका

- (1) एक वितरण अनुज्ञापी इन विनियमों के भाग-II के उपबंधों का अनुपालन करते हुए वितरण के खुदरा शुल्क के अवधारण हेतु याचिका करेगा।
- (2) आगामी वर्ष के लिये शुल्क के अवधारण हेतु वितरण अनुज्ञापी द्वारा दायर की गई शुल्क याचिका में, वितरण अनुज्ञापी की व्यापार योजना और इन विनियमों में समाहित सिद्धांतों पर आधारित आधार वर्ष हेतु डाटा, वर्तमान वर्ष के लिये वास्तविक और अनुमानित डाटा, और नियंत्रण अवधि के सभी वर्षों के लिये पूर्वानुमान और लक्ष्यों का समावेश होगा।
- (3) आयोग, इन विनियमों में विनिर्दिष्ट नियंत्रण अवधि हेतु, इन विनियमों में नियत किये गये MYT सिद्धांतों पर वितरण अनुज्ञापी की कुल राजस्व आवश्यकता का निर्धारण करेगा।

77 विक्रय पूर्वानुमान

- (1) मौसमी परिवर्तनों की पकड़ के महत्व का विचार करते हुए नियंत्रण अवधि के लिये मासिक विक्रय पूर्वानुमान, जहां तक संभव हो पिछले चलनों पर आधारित, प्रत्येक उपभोक्ता श्रेणी/उप-श्रेणी के संबंध में और ऐसी उपभोक्ता श्रेणी/उप-श्रेणी के भीतर शुल्क स्लैब के लिये की जायेगी तथा व्यापार योजना के साथ अनुमोदन हेतु आयोग को प्रस्तुत की जायेगी। पिछले डाटा में किसी असामान्यता को दूर करते हुए, उपभोक्ताओं की संख्या, संयोजित भार और ऊर्जा उपभोग के संबंध में ज्ञात और मापीय परिवर्तनों का प्रभाव प्रक्षेपित करने के लिये उपयुक्त समायोजन किये जायेंगे; परन्तु जहां आयोग ने किसी विशेष शुल्क श्रेणी के पूर्वानुमान हेतु कार्यविधि नियत कर रखी है, वहां वितरण अनुज्ञापी ऐसी शुल्क श्रेणी हेतु विक्रय पूर्वानुमान विकसित करने में ऐसी कार्यविधि को सम्मिलित करेगा।
- (2) विक्रय पूर्वानुमान, इन विनियमों के अधीन व्यापार योजना के भाग के रूप में प्रस्तुत दीर्घावधि ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना के एक भाग के रूप में तैयार भार पूर्वानुमान से सुसंगत होगा और पूर्व डाटा तथा भविष्य के संबंध में युक्तियुक्त धारणाओं पर आधारित होगा।
- (3) आयोग, उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि, पिछले वर्षों में संयोजित भार और ऊर्जा उपभोग तथा अगले वर्ष में अपेक्षित वृद्धि और कोई अन्य कारक जिसे आयोग सुसंगत समझे, के आधार पर युक्तियुक्तता के पूर्वानुमान की जांच करेगा और ऐसे आशोधनों, जिन्हें वह उचित समझे, के साथ उपभोक्ताओं को विद्युत का प्रक्षेपित विक्रय अनुमोदित करेगा।

78 उपभोक्ताओं को विद्युत के विक्रय का अनुश्रवण

- (1) वितरण अनुज्ञापी, अनुमोदित विक्रय पूर्वानुमान के आधार पर वर्ष के दौरान मांग में मौसमी परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों को मासिक विक्रय की आवश्यकता ज्ञात करेगा।
- (2) वितरण अनुज्ञापी विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों को विक्रय का अनुश्रवण करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ता की किसी श्रेणी को विक्रय अनुचित रूप से प्रतिबंधित न हो।
- (3) वितरण अनुज्ञापी, विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों को विद्युत के विक्रय के संबंध में आयोग के समक्ष मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

79 वितरण हानियाँ

- (1) वितरण प्रणाली में ऊर्जा हानि से वितरण हानि अभिप्रेत होगा।
- (2) एक विशेष वोल्टेज स्तर तक और उस से ऊपर वितरण हानि का परिकलन वितरण प्रणाली में आरम्भ में इन्जेक्टेड ऊर्जा तथा उस स्तर तक विक्रय की गई ऊर्जा और अगले वोल्टेज स्तर तक भेजी की गई ऊर्जा के योग के मध्य अंतर के रूप में किया जायेगा।
एक विशेष वोल्टेज स्तर तक और उस से ऊपर % वितरण हानि, वितरण प्रणाली में आरम्भ में इन्जेक्टेड ऊर्जा के प्रतिशत के रूप में उस स्तर तक वितरण हानि के रूप में अभिव्यक्त की जायेगी।
- (3) आयोग सर्किल-वार/डिवीजन-वार और/या माह-वार वितरण हानि परिकलन पर जानकारी मांग सकता है।
- (4) वितरण हानि परिकलनों को सिद्ध करने के लिये आयोग वितरण अनुज्ञापी से उचित और विश्वसनीय ऊर्जा संपरीक्षित करवाने के लिये कह सकता है।
- (5) वितरण अनुज्ञापी, आपूर्ति की वोल्टेज-वार लागत के अवधारण हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 से आगे नियंत्रण अवधि के शेष वर्षों के लिये वोल्टेज-वार हानियाँ भी प्रस्तावित करेगा। आयोग, नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु वितरण हानि ट्रेजेक्टरी के लिये अनुज्ञापी द्वारा की गई फाईलिंग्स की जांच करेगा और जैसे आवश्यक समझे वैसे आशोधन के साथ अनुमोदित करेगा।
- (6) आयोग वितरण अनुज्ञापी से, तकनीकी हानि (अर्थात् लाईनों, उप-स्टेशनों और उपकरण में ओहमिक/कोर हानि) तथा वाणिज्यिक हानि (अर्थात् मीटरिंग अशुद्धता/अपर्याप्तता, ऊर्जा की चोरी, इत्यादि के कारण अलेखीकृत ऊर्जा) को पृथक करते हुए वोल्टेज-वार हानियों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने के लिये कह सकता है। आयोग, वितरण हानि (तकनीकी हानि और वाणिज्यिक हानि को पृथक कर) के संबंध में वितरण अनुज्ञापी द्वारा की गई फाईलिंग्स की जांच करेगा और जैसे आवश्यक समझे वैसे आशोधन के साथ उसे अनुमोदित करेगा।

- (7) आयोग, दक्षता के स्वीकार्य मानकों तक वितरण हानि स्तरों (तकनीकी और वाणिज्यिक दोनों) को क्रमिक रूप से नीचे लाने के लिये, हानि में कमी हेतु नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिये दीर्घावधि और लघु-अवधि लक्ष्य तय कर सकता है।

80 ऊर्जा की उपलब्धता

- (1) शुल्क वर्ष के लिये, ऊर्जा की मासिक उपलब्धता निम्नलिखित के आधार पर सुनिश्चित की जायेगी:
- केन्द्र/राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशनों से
 - केन्द्र/राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशनों में आवंटित और अनावंटित क्षमता में वितरण अनुज्ञापी का शेयर;
 - उत्पादकों द्वारा प्रदान प्रक्षेपणों और उत्पादकों से आपूर्ति के ऐतिहासिक डाटा पर आधारित प्रत्येक उत्पादक स्टेशन से ऊर्जा की संभावित उपलब्धता; या
 - केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित स्टेशन के लिये PLF/उत्पादन लक्ष्य; या
 - किसी नियोजित अनुरक्षण या बंदी के लिये समायोजित स्टेशन का ऐतिहासिक निष्पादन।
 - अन्य स्रोतों से :
 - किसी अन्य वितरण अनुज्ञापी, बोर्ड या ट्रेडिंग अनुज्ञापी के साथ वितरण अनुज्ञापी की बैंकिंग व्यवस्था।
 - ऊर्जा के क्रय के संबंध में किसी वितरण अनुज्ञापी, बोर्ड, उत्पादक कंपनी या ट्रेडिंग अनुज्ञापी के साथ वितरण अनुज्ञापी का करार।
- (2) वितरण अनुज्ञापी, आयोग द्वारा अपने समय-समय पर संशोधित उविनिआ (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह-उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन) विनियम, 2013 में विनिर्दिष्ट नवीकरणीय क्रय दायित्व की अपनी वार्षिक आवश्यकता और नियंत्रण अवधि हेतु अपने RPO का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उपाय भी सम्मिलित करेगा।

81 ऊर्जा क्रय लागत

- आयोग द्वारा अनुमोदित ऊर्जा क्रय/बैंकिंग/ट्रेडिंग करारों का, वितरण अनुज्ञापी की ऊर्जा क्रय लागत के अवधारण हेतु विचार किया जायेगा।
- नियंत्रण अवधि हेतु वितरण अनुज्ञापी की अपने उपभोक्ताओं को विक्रय किए जाने हेतु ऊर्जा क्रय की आवश्यकता, नियंत्रण अवधि हेतु विक्रय पूर्वानुमान, पारेषण हानि और वितरण हानि स्तर के लक्ष्य के आधार पर अनुमानित की जायेगी।
- नियंत्रण अवधि के लिये राज्य उत्पादक स्टेशनों से अधिप्राप्त विद्युत की लागत ऐसे उत्पादक स्टेशनों से विद्युत के क्रय हेतु आयोग द्वारा अनुमोदित दरों के आधार पर अवधारित होगी और केन्द्रीय क्षेत्र

के उत्पादक स्टेशन से अधिप्राप्त विद्युत का अवधारण, ऐसे उत्पादक स्टेशनों के लिये केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित शुल्कों के आधार पर किया जायेगा। अन्य स्रोतों से ऊर्जा की लागत आयोग द्वारा अनुमोदित ऊर्जा क्रय/बैंकिंग/ट्रेडिंग करारों के अनुसार होगी।

- (4) नियंत्रण अवधि के अधीन विभिन्न वर्षों के लिये वितरण अनुज्ञापी की ऊर्जा क्रय लागत योग्यता क्रम सिद्धांत के आधार पर आंकलित की जायेगी। सभी ऊर्जा क्रय लागतों को वैध समझा जायेगा जब तक यह स्थापित नहीं हो जाता कि योग्यता क्रम सिद्धांत का भौतिक रूप से उल्लंघन हुआ है या ऊर्जा का क्रय अनुचित दरों पर हुआ है।
- (5) नियंत्रण अवधि के विभिन्न वर्षों के लिये वितरण अनुज्ञापी की कुल ऊर्जा क्रय लागत अवधारित करने के लिये आयोग वितरण अनुज्ञापी के नवीकरणीय क्रय दायित्व और सुसंगत विनियमों/आदेशों के अधीन विभिन्न प्रकार के नवीकरणीय स्रोतों हेतु आयोग द्वारा अवधारित शुल्कों का भी विचार करेगा।
- (6) जबकि अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभारों का प्राक्कलन केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के आदेशों के अनुसार किया जायेगा, वहीं राज्यान्तर्गत पारेषण प्रभार का प्राक्कलन समय-समय पर आयोग द्वारा अनुमोदित पारेषण शुल्कों के अनुसार किया जायेगा। इसके अतिरिक्त भार प्रेषण सेवाओं का उपयोग करने के लिये प्रणाली प्रचालकों (राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र, क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र, राज्य भार प्रेषण केन्द्र इत्यादि) को देय भार प्रेषण प्रभारों का प्राक्कलन समय-समय पर उपयुक्त आयोग द्वारा अनुमोदित फीस एवं प्रभारों के अनुसार किया जायेगा। राज्य से बाहर विक्रय की गई ऊर्जा के लिये भुगतान किये गये SLDC प्रभारों का शुल्क अवधारण हेतु विचार नहीं किया जायेगा।

82 ऊर्जा क्रय में परिवर्तन

- (1) आयोग द्वारा अनुमोदित ऊर्जा की आवश्यकता से अधिक वितरण अनुज्ञापी द्वारा क्रय की गई ऊर्जा या किसी भी वर्ष में क्रय की ऊर्जा के मिश्रण में परिवर्तन पर आयोग द्वारा विचार किया जायेगा यदि ऐसा वितरण अनुज्ञापी के युक्तियुक्त नियंत्रण के बाहर के कारणों से हुआ हो और इसके फलस्वरूप हुए वित्तीय हानि या लाभ अगले वर्ष के शुल्क में समायोजित किये जायेंगे।

83 ईंधन प्रभार समायोजन (एफ.सी.ए.)

- (1) FCA प्रभार, उपभोक्ता को कोई छूट दिये बिना वितरण अनुज्ञापी के संपूर्ण विक्रय पर लागू होंगे।
- (2) FCA प्रभारों को, इन विनियमों के अनुसार, स्वयं के उत्पादक स्टेशनों से उत्पादित ऊर्जा से संबंधित ईंधन लागतों में और ऐसी लागतें उपगत होने के पश्चात् किसी माह के दौरान अधिप्राप्त ऊर्जा में वास्तविक परिवर्तन के आधार पर, संगणित और प्रभारित किया जायेगा तथा ईंधन लागतों में अनुमानित या अपेक्षित परिवर्तनों के आधार पर संगणित नहीं किया जायेगा।

- (3) तिमाही के लिये FCA प्रभार तिमाही समाप्ति के 15 दिन के भीतर संगणित किये जायेंगे और दूसरी तिमाही के ही पहले माह से तिमाही हेतु, आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना और कम या अधिक वसूली को अगली तिमाही हेतु अग्रणीत किया जायेगा।
- (4) वितरण अनुज्ञापी, आयोग के कार्योत्तर अनुमोदन के लिये तिमाही के अंत के 30 दिनों के भीतर आयोग द्वारा सत्यापन हेतु अपेक्षित विस्तृत संगणन और समर्थक दस्तावेजों के साथ, सम्पूर्ण तिमाही के लिये सभी उपभोक्ताओं को प्रभारित या वापस किये जाने वाले प्रभार और उपगत हुई ईंधन लागत का विवरण प्रस्तुत करेगा।
- (5) आयोग FCA संगणनाओं की जांच करेगा और यदि आवश्यक हो तो द्वितीय तिमाही के अंत से पहले इसे आशोधनों के साथ अनुमोदित करेगा। वितरण अनुज्ञापी द्वारा प्रभारित या लौटाये गये FCA और आयोग द्वारा अनुमोदित FCA में किसी भी परिवर्तन को आगे की तिमाही की FCA संगणनाओं में समायोजित किया जायेगा।
- (6) यदि वितरण अनुज्ञापी, नियमित रूप से उपभोक्ताओं पर अनुचित FCA प्रभारित करने का दोषी पाया जाता है तो आयोग उन अनुचित प्रभारों पर ब्याज के साथ उनका समायोजन करेगा।
- (7) वितरण अनुज्ञापी, शुल्क डिजाईन में एक घटक के रूप में FCA प्रभार सम्मिलित करने के लिये बिलिंग और IT प्रणाली का उच्चीकरण करेगा।
- (8) FCA के परिकलन हेतु निम्नलिखित फॉर्मूला होगा:

$$FCA \text{ (करोड़ रुपये)} = C+B,$$

जहां,

$$FCA = \text{ईंधन लागत समायोजन}$$

C= ईंधन लागत में परिवर्तन के कारण स्वयं के उत्पादन और ऊर्जा क्रय की लागत में परिवर्तन,

B = पिछली तिमाही हेतु अधिक वसूली/कम वसूली के लिये समायोजन कारक

$$C \text{ (करोड़ रुपये)} = A_{FC, Gen} + A_{FC, PP},$$

जहां:

$A_{FC, Gen}$: स्वयं के उत्पादन की ईंधन लागत में परिवर्तन। इसका संगणन आयोग के मानकों और निर्देशों के आधार पर किया जायेगा जिनमें ताप दर, अनुषंगी उपभोग, उत्पादन और ऊर्जा क्रय मिश्रण, इत्यादि सम्मिलित है।

AFC, PP: अन्य स्रोतों से अधिप्राप्त बिजली के ऊर्जा प्रभारों में परिवर्तन। यह परिवर्तन प्रयोज्य मानकों के अधीन उस परिधि तक अनुज्ञात होगा जिस तक यह इन विनियमों में निर्धारित मानदंड और प्रचलित शुल्क आदेश को संतुष्ट करता हो।

- (9) किसी भी श्रेणी के लिये FCA प्रभार, संबंधित श्रेणी के लिये आधार बिजली प्रभार के 10% या ऐसी अन्य अधिकतम सीमा जो समय-समय पर आयोग द्वारा नियत की जाये, से अधिक नहीं होंगे;

परन्तु अधिकतम सीमा से अधिक कोई FCA प्रभार वितरण अनुज्ञापी द्वारा अग्रेतीत किये जायेंगे और ऐसी भविष्य अवधि में वसूल किये जायेंगे जो आयोग द्वारा निर्देशित की जाये।

- (10) FCA प्रभार का परिकलन निम्नलिखित फॉर्मूला के अनुसार किया जायेगा:

औसत FCA प्रभार (रू0/kWh) = (FCA/(शुल्क आदेश में आयोग द्वारा अनुमोदित अगली तिमाही के लिये राज्य के भीतर अनुमानित विक्रय) *10

- (11) श्रेणीवार FCA प्रभार (रू0/kWh) निम्नलिखित फॉर्मूला के अनुसार परिकलित किया जायेगा:

वर्ष के लिये शुल्क आदेश में अनुमोदित उपभोक्ता श्रेणी (रू0/kWh में)की औसत बिलिंग दर (ABC)/वर्ष शुल्क आदेश में अनुमोदित वितरण अनुज्ञापी की औसत बिलिंग दर (ABR) (रू0 /KWh में) x औसत FCA (रू0/kWh) में।

84 प्रचालन और अनुरक्षण व्यय

- (1) नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष हेतु O&M व्यय, कुशल जांच और कोई अन्य कारक जिन्हें आयोग उपयुक्त समझे, के अधीन, आधार वर्ष तक पिछले पांच वर्षों हेतु वास्तविक O&M व्ययों को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे।
- (2) nवें वर्ष के लिये और साथ ही नियंत्रण अवधि से ठीक पहले वर्ष अर्थात् 2015-16 के लिये O&M व्यय निम्नलिखित फॉर्मूला के आधार पर अनुमोदित किये जायेंगे:

$$O\&M_n = R\&M_n + EMP_n + A\&G_n$$

जहां-

- O&M_n = nवें वर्ष के लिये प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय;
- EMP_n = nवें वर्ष के लिये कर्मचारी लागतें;
- R&M_n = nवें वर्ष के लिये मरम्मत और रखरखाव लागतें;
- A&G_n = nवें वर्ष के लिये प्रशासकीय और सामान्य लागतें;

- (3) उपरोक्त घटकों को निम्नांकित विनिर्दिष्ट तरीके से संगणित किया जायेगा:

$$EMP_n = (EMP_{n-1}) \times (1+G_n) \times (1+CPI \text{ इन्फ्लेशन})$$

$$R\&M_n = K \times (GF_{n-1}) \times (1+WPI \text{ इन्फ्लेशन}) \text{ और}$$

$$A\&G_n = (A\&G_{n-1}) \times (1+WPI \text{ इन्फ्लेशन}) + \text{प्रावधान}$$

जहां—

- EMP_{n-1} = (n-1)वें वर्ष के लिये कर्मचारी लागतें;
- $A\&G_{n-1}$ = (n-1)वें वर्ष के लिये प्रशासकीय और सामान्य लागतें;

प्रावधान: वितरण अनुज्ञापी द्वारा प्रस्तावित और आयोग द्वारा प्रमाणीकृत पहलों या अन्य एकबारी व्ययों के लिये लागत।

- 'K' % में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट स्थिरांक है। नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु K का मूल्य, अनुज्ञापी की फाईलिंग, मरम्मत और रखरखाव व्ययों की बेंचमार्किंग, अनुमोदित मरम्मत और रखरखाव व्ययों के मुकाबले पूर्व में आयोग द्वारा अनुमोदित GFA और कोई अन्य कारक जो आयोग द्वारा उपयुक्त समझे जायें, पर आयोग के आदेश द्वारा अवधारित MYT शुल्क आदेश के आधार पर किया जायेगा;
- CPI इन्फ्लेशन— ठीक पिछले तीन वर्षों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में औसत वृद्धि है;
- WPI इन्फ्लेशन — ठीक पिछले तीन वर्षों के लिये थोक मूल्य सूचकांक (WPI) में औसत वृद्धि है;
- GF_{n-1} - nवें वर्ष के लिये वितरण अनुज्ञापी की सकल स्थिर आस्ति;
- G_n nवें वर्ष के लिये एक वृद्धि कारक है। G_n का मूल्य अनुज्ञापी की फाईलिंग, बेंचमार्किंग, और कोई अन्य कारक जिन्हें आयोग उपयुक्त समझे, पर आधारित अतिरिक्त जनशक्ति की आवश्यकता पूरी करने के लिये MYT शुल्क आदेश में आयोग द्वारा अवधारित किया जायेगा;

परन्तु यदि वितरण अनुज्ञापी सरकारी वेतन संरचना से शासित होता है तो आयोग VII वें वेतन आयोग के प्रभाव हेतु कर्मचारी व्यय में एक पृथक उपबंध अनुज्ञात करने पर विचार कर सकता है।

परन्तु अवधारित मरम्मत और रखरखाव व्ययों का उपयोग केवल मरम्मत और रखरखाव कार्यों के लिये किया जायेगा।

85 गैर शुल्क आय

आयोग द्वारा अनुमोदित वितरण कारोबार और/या खुदरा आपूर्ति कारोबार से संबंधित गैर शुल्क आय की राशि, वितरण अनुज्ञापी के विद्युत के खुदरा विक्रय से राजस्व आवश्यकता का परिकलन करते समय कुल राजस्व आवश्यकता में से घटायी जायेगी:

परन्तु वितरण अनुज्ञापी, शुल्क के अवधारण हेतु अपने आवेदन के साथ आयोग को गैर शुल्क आय के अपने पूर्वानुमान फोरकास्ट का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करेगा।

गैर शुल्क हेतु विचार किये जाने वाले विभिन्न शीर्षों की सांकेतिक सूची निम्नलिखित रूप से होगी:

- (a) भूमि या भवन के किराये से आय;
- (b) स्कैप के विक्रय से आय;
- (c) विलंबित भुगतान अधिभार ;
- (d) बिलों के समय पर भुगतान हेतु छूट;
- (e) सांविधिक निवेशों से आय;
- (f) बिलों पर बिलंबित या अस्थगित भुगतान पर ब्याज;
- (g) आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को अग्रिमों पर ब्याज;
- (h) स्टाफ क्वार्टर्स से किराया आय;
- (i) ठेकेदारों से किराया आय;
- (j) ठेकेदारों और अन्यो से किराया प्रभारों से आय;
- (k) विज्ञापनों इत्यादि से आय;
- (l) विविध प्राप्तियां;
- (m) आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिमों पर ब्याज;
- (n) भौतिक सत्यापन पर प्राप्त आधिक्य;
- (o) पूर्व अवधि आय;

86 व्हीलिंग प्रभारों से आय

व्हीलिंग प्रभारों से कोई आय, जो समय-समय पर संशोधित उविनिआ (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन की निबंधन एवं शर्तों) विनियम, 2015 के अनुसार आयोग द्वारा अनुमोदित की गई है, को वितरण अनुज्ञापी की विद्युत के खुदरा विक्रय से राजस्व आवश्यकता के परिकलन में कुल राजस्व आवश्यकता में से घटाया जायेगा।

87 अन्य व्यापारों से आय

जहां वितरण अनुज्ञापी किसी अन्य कारोबार में संलग्न है वहां ऐसे अन्य कारोबार की सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागतों को घटाने के पश्चात ऐसे अन्य कारोबार से प्राप्त राजस्व के एक तिहाई के बराबर राशि को, वितरण अनुज्ञापी की विद्युत के खुदरा विक्रय से राजस्व आवश्यकता के परिकलन में कुल राजस्व आवश्यकता में से घटाया जायेगा:

परन्तु वितरण अनुज्ञापी, वितरण कारोबार और अन्य कारोबार के मध्य सभी संयुक्त और सामान्य लागतों के आवंटन के लिये एक युक्तियुक्त आधार अपनायेगा और शुल्क के अवधारण हेतु अपने आवेदन के साथ आयोग को विधिक लेखा परीक्षाओं द्वारा विधिवत संपरीक्षित और प्रमाणित आवंटन पत्रक प्रस्तुत करेगा।

परन्तु आगे यह कि आयोग द्वारा विनियामक लेखों की प्रस्तुति हेतु विनियम अधिसूचित कर दिये जाने पर शुल्क अवधारण और सहीकरण हेतु आवेदन, विनियामक लेखों पर आधारित होंगे:

परन्तु आगे यह कि जहां ऐसे अन्य कारोबार की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागतों का कुल योग ऐसे अन्य कारोबार से प्राप्त राजस्व से या किसी अन्य कारण से अधिक हो जाता है तब ऐसे अन्य कारोबार के कारण वितरण अनुज्ञापी की कुल राजस्व आवश्यकता में किसी भी राशि को जोड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

88 प्रति-सहायकी अधिभार और अतिरिक्त अधिभार के कारण हुई प्राप्तियां

- (1) वितरण अनुज्ञापी द्वारा, समय-समय पर संशोधित उविनिआ (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन के निबन्धन एवं शर्तों) विनियम, 2015 के अनुसार आयोग द्वारा अनुमोदित प्रति-सहायकी अधिभार द्वारा प्राप्त राशि, ऐसे वितरण अनुज्ञापी के विद्युत के खुदरा विक्रय से राजस्व आवश्यकता का परिकलन करते समय कुल राजस्व आवश्यकता में से घटायी जायेंगी।
- (2) ऐसे वितरण अनुज्ञापी जिसने एक उत्पादक कंपनी से विद्युत की आपूर्ति प्राप्त करना चयनित किया है या ऐसे अनुज्ञापी से, अन्यथा कोई अनुज्ञापी, जो समय-समय पर संशोधित उविनिआ (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन के निबन्धन एवं शर्तों) विनियम, 2015 के अनुसार आयोग द्वारा अनुमोदित हो, के उपभोक्ताओं से अतिरिक्त अधिभार के रूप में वितरण अनुज्ञापी द्वारा प्राप्त की गई राशि, ऐसे वितरण अनुज्ञापी के विद्युत के खुदरा विक्रय से राजस्व आवश्यकता का परिकलन करते समय कुल राजस्व आवश्यकता में से घटायी जायेगी।

89 राजस्व सरकार की सहायकी

- (1) यदि राज्य सरकार अग्रिम में अथवा शुल्क फाईलिंग की कार्यवाही के दौरान उपभोक्ताओं की निश्चित श्रेणियों के लिये विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 के अधीन सहायकी घोषित करती है तो आयोग दो शुल्क अनुसूचियां जारी करेगा, एक सहायकी के साथ और दूसरी बिना सहायकी के।

- (2) यदि राज्य सरकार शुल्क आदेश की अधिसूचना के पश्चात उपभोक्ताओं की निश्चित श्रेणी के लिये सहायकी घोषित करती है तो अनुज्ञापी इसे शुल्क में सम्मिलित कर आयोग के अनुमोदन हेतु संशोधित शुल्क अनुसूची प्रस्तुत करेगा।

परन्तु सरकार की घोषित या उपबंधित सहायकी, भुगतान की समय अनुसूची, सहायकी के भुगतान के तरीके और सहायकी प्राप्त श्रेणियों में सहायकी राशि की श्रेणीबद्धता के दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्पित होगी।

- (3) सरकार द्वारा सहायकी के अनावंटन या आवंटन के मामले में अनुज्ञापी ऐसी शुल्क अनुसूची के अनुसार उपभोक्ताओं पर प्रभार लगायेगा जिसे आयोग द्वारा बिना सरकारी सहायकी के अनुमोदित किया गया हो।

90 वर्तमान शुल्क पर राजस्व

- (1) उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति से प्राप्त राजस्व का आंकलन उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों पर लागू वर्तमान शुल्क और उनको विक्रय किये जाने के लिये अनुमानित विद्युत की मात्रा के आधार पर किया जायेगा।
- (2) शुल्क वर्ष के लिये, शुद्ध ARR और प्रचलित शुल्क पर पूर्वानुमान किया गया राजस्व का अंतर राजस्व-अंतर कहलायेगा।
- (3) राजस्व अंतर को आयोग द्वारा अनुमोदित उपायों जैसे-दक्षता में सुधार, आरक्षितियों का उपयोग, शुल्क परिवर्तन इत्यादि द्वारा पूरा किया जायेगा।

91 आपूर्ति की लागत

विभिन्न श्रेणियों/वोल्टेज के लिये शुल्कों को बेंचमार्क किया जायेगा और ये वितरण अनुज्ञापी के प्रचालन में उसके द्वारा कुशलता पूर्वक उपगत हुई लागतों पर आधारित आपूर्ति की लागत को उत्तरोत्तर प्रक्षेपित करेंगे। आपूर्ति की श्रेणी-वार/वोल्टेज-वार लागत, भार कारक, वोल्टेज, तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों की परिधि इत्यादि जैसी विशेषताओं में प्रभाव डालेगी। उच्च वोल्टेज पर विद्युत प्राप्त करने वाले उपभोक्ता आयोग द्वारा नियत किये गये अनुसार छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे। तथापि, ऐसी जानकारी, जिससे आपूर्ति की श्रेणीवार/वोल्टेज-वार लागत युक्तियुक्त रूप से स्थापित होती हो, की उपलब्धता लंबित रहने पर आपूर्ति की औसत लागत का शुल्क अवधारण हेतु बेंच-मार्क के रूप में उपयोग किया जायेगा।

92 खुदरा आपूर्ति शुल्क का अवधारण

- (1) विद्युत की खुदरा आपूर्ति हेतु शुल्क का अवधारण करते समय आयोग, अधिनियम की धारा 61 और 62 के उपबंधों से दिशा निर्देश प्राप्त करेगा।

- (2) शुल्क का अवधारण करते समय आयोग विद्युत के किसी भी उपभोक्ता के प्रति अनुचित प्राथमिकता नहीं दर्शायेगा किन्तु उपभोक्ता के भार कारक, वोल्टेज, किसी विनिर्दिष्ट अवधि या समय जब विद्युत आवश्यक हो, पर विद्युत के कुल उपभोग या किसी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, आपूर्ति की प्रकृति और विद्युत की आवश्यकता के उद्देश्य के अनुसार भेद कर सकेगा।
- (3) शुल्क याचिका में वितरण अनुज्ञापी उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणी के लिये उपयुक्त शुल्क संरचना प्रस्तावित करेगा। विवरण अनुज्ञापी ऐसे क्रियान्वयन हेतु इसके द्वारा उपयुक्त विचारित श्रेणियों के लिये आगे kVAh/ToD आधारित शुल्क प्रस्तावित कर सकता है।
- (4) आयोग एक सरल, समझने में आसान और तर्क संगत शुल्क संरचना विकसित करने के लिये श्रेणियों और उप-श्रेणियों का मेल कर सकता है।

93 वितरण अनुज्ञापी का निष्पादन

- (1) अपने उपभोक्ताओं को वितरण अनुज्ञापी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं एक महत्वपूर्ण प्रतिफल होंगी और इसका निर्णय आयोग द्वारा नियत किये निष्पादन के मानकों का वितरण अनुज्ञापी द्वारा अनुपालन किये जाने की परिधि से होगा।
- (2) आयोग एक पृथक आदेश द्वारा आपूर्ति उपलब्धता, वायर्स की उपलब्धता, ट्रांसफॉर्मर की विफलता दर में कमी, वोल्टेज असंतुलन में कमी, अकार्यशील/त्रुटिपूर्ण मीटरों में कमी जैसे वितरण प्रणाली में तकनीकी सुधार हेतु दीर्घावधि लक्ष्य तय कर सकता है।

भाग - IX

SLDC प्रभार

94 प्रयोज्यता

इस भाग के विनियम राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली के उपयोग-कर्ताओं (अर्थात् उत्पादक कंपनी, अनुज्ञापियों (अर्थात् पारेषण, वितरण व ट्रेडिंग कंपनियों) और उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों) जो राज्य भार प्रेषण केन्द्र (SLDC) द्वारा अनुश्रवित/सेवित होते हैं और जिनका उपयोग SLDC द्वारा संग्रहित की जाने वाली फीस और प्रभारों के अवधारण हेतु किया जाता है।

95 SLDC के साथ पंजीकरण के लिये आवेदन

- (1) राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली का प्रत्येक उपयोगकर्ता, अर्थात् सभी उत्पादक स्टेशन्स, वितरण अनुज्ञापी राज्यान्तर्गत पारेषण अनुज्ञापी, ट्रेडर्स और ग्रिड पहुंच का उपयोग करने के आशयित क्रेता व विक्रेता, रू0 10,000 (रू0 दस हजार मात्र) या समय-समय पर आयोग द्वारा तय संशोधित फीस के साथ

SLDC को एक आवेदन दायर कर इन विनियमों के प्रवृत्त होने के एक माह के भीतर स्वयं को SLDC के साथ पंजीयन करवायेंगे।

परन्तु उत्पादक कंपनियां, अनुज्ञापी, क्रेता और विक्रेता जो उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (शुल्क के अवधारण हेतु निबंधन और शर्तें) विनियम, 2011 के अनुसार पंजीकृत हुए हैं, उन्हें इन विनियमों के अधीन SLDC के साथ पंजीकृत हुआ समझा जायेगा और उन्हें ऊपर उप-विनियम (1) के अधीन अपेक्षित पंजीकरण फीस का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

- (2) SLDC के सीमा क्षेत्र के अधीन आने वाले राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली के नये उपयोगकर्ता उक्त लिखित फीस के साथ संयोजन की प्रस्तावित तिथि से कम से कम एक माह पूर्व SLDC के पास आवेदन प्रस्तुत करेंगे।
- (3) आवेदन में प्रस्तुत जानकारी की पूर्णता और उसके सही होने की संतुष्टि हो जाने के पश्चात, SLDC अपने रिकार्ड्स में आवेदन को पंजीकरण करेगा और आवेदक को इस पंजीकरण के संबंध में विधिवत सूचित करेगा।
- (4) SLDC, राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली से जुड़े और इसके द्वारा अनुश्रवित सेवित सभी उपयोगकर्ताओं के संबंध में समेकित जानकारी अपनी वेबसाईट के एक पृथक वेब पेज पर रखेगा।

96 SLDC प्रभारों के अवधारण हेतु याचिका

- (1) SLDC, आयोग को आगामी वित्त वर्ष हेतु अपनी कुल राजस्व आवश्यकता के अपने परिकलनों का पूर्ण विवरण प्रदान करेगा जिसे उक्त आगामी वर्ष के आरम्भ होने से अधिकतम चार माह पूर्व प्रदान किया जायेगा।
- (2) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु SLDC के कुल वार्षिक व्यय और इक्विटी पर रिटर्न को इन विनियमों के निबंधनों के अनुसार अनुज्ञात व्ययों और रिटर्न के आधार पर ज्ञात किया जायेगा।
- (3) SLDC, इन विनियमों के अनुसार इसके द्वारा अनुश्रवित और सेवित हो रहे राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली के सभी उपयोगकर्ताओं को प्रस्तावित प्रभारों का आवंटन भी दायर करेगा। इसके साथ-साथ SLDC उसके द्वारा अनुश्रवित और सेवित हो रहे राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली के सभी उपयोगकर्ताओं को प्रभार के आवंटन हेतु प्रस्ताव के साथ कुल राजस्व आवश्यकता के अवधारण हेतु याचिका की एक प्रति भी अग्रसारित करेगा।
- (4) SLDC, समय-समय पर आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में व्ययों के परिकलन और अन्य संबंधित जानकारी का विवरण प्रदान करेगा।

- (5) SLDC, नियंत्रण अवधि के लिये पूंजी निवेश योजना का विवरण भी प्रस्तुत करेगा। आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट राशि से अधिक की पूंजी निवेश योजना के लिये, कार्य आरम्भ होने से पूर्व ऐसी प्रत्येक योजना के संबंध में आयोग का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
- (6) SLDC द्वारा दायर की गई कुल राजस्व आवश्यकता और अन्य विवरणों की संवीक्षा की जायेगी और ऐसी संवीक्षा के फलस्वरूप, आयोग ऐसी जानकारी और स्पष्टीकरण मांग सकता है जिसे वह आवश्यक समझे।
- (7) SLDC द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर और विधिवत जांच, संवीक्षा और परामर्श के पश्चात आयोग के SLDC व्ययों को कवर करते हुए कुल राजस्व आवश्यकता का अनुमोदन करेगा और SLDC प्रभारों का अवधारण करेगा।
- (8) किसी वर्ष में SLDC प्रभारों का पुनरीक्षण न होने की स्थिति में SLDC प्रभारों की वसूली में किसी परिवर्तन (कमी या आधिक्य) को अगले वित्त वर्ष के लिए अग्रेनीत किया जायेगा और आयोग द्वारा तय किये गये अनुसार समायोजित किया जायेगा।
- (9) SLDC आयोग द्वारा निर्धारित आवधिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा जिस में प्रचालन संबंधी और लागत डाटा का समावेश होगा।
- (10) SLDC प्रभारों के लिये सभी फाईलिंग्स और आवेदन इन विनियमों में नियत किये गये अनुसार किये जायेंगे।

97 SLDC प्रभारों का उद्ग्रहण

अधिनियम की धारा 31 के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित, SLDC द्वारा उपगत सभी व्ययों को पृथक रूप से लेखीकृत किया जायेगा।

परन्तु यदि इन विनियमों की प्रकाशन की तिथि पर राज्य पारेषण युटिलिटी (STU) राज्य भार प्रेषण केन्द्र को प्रचालित कर रही है और अधिनियम की धारा 31 के उप-खण्ड (2) के अधीन उपबंधित किये गये अनुसार, अधिनियम के अधीन कार्य निष्पादित कर रही है तो STU, राज्य भार प्रेषण केन्द्र के प्रचालन से संबंधित व्ययों के लिये पृथक लेखे रखेगी;

परन्तु आवंटन पत्रक के आधार पर, जो आयोग को प्रस्तुत किया जायेगा, यह कि जब तक लेखों को पृथक नहीं कर लिया जाता तब तक STU, सभी सुसंगत विवरणों के साथ लागतों का प्रमाजन करेगा।

98 LDC विकास निधि

- (1) SLDC भार प्रेषण केन्द्र विकास निधि (LDCD निधि) नाम से एक पृथक निधि का सृजन एवं इसका रखरखाव करेगा।

- (2) SLDC की सभी अन्य आय जैसे—लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रभार, पंजीकरण प्रभार, अनुसूचीकरण और प्रचालन प्रभार, इत्यादि LDCD निधि में जमा किये जायेंगे।
- (3) SLDC, LDCD निधि में उपलब्ध धन को नई आस्तियों के सृजन, आस्तित्व सृजन में नियत इक्विटी भाग को पूरा करने, वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये मार्जिन राशि और R&D परियोजनाओं के निधि पोषण हेतु उपयोग करने का पात्र होगा।
- (4) LDCD निधि का उपयोग आयोग द्वारा अनुज्ञात वार्षिक प्रभारों में किसी कमी, यदि है, को पूरा करने या उन आकस्मिक व्ययों, जो फीस और प्रभारों हेतु आवेदन करते समय पूर्व कल्पित नहीं किये गये थे किन्तु अब दक्ष ऊर्जा प्रणाली प्रचालन के लिये आवश्यक रूप से विचारित हैं, के सिवाय राजस्व व्यय हेतु नहीं किया जायेगा। तथापि उक्त निधि में से ऐसी निकासी, सहीकरण के समय संबंधित शीर्षों के अधीन आयोग द्वारा अनुज्ञात व्ययों से भरी जायेगी।
- (5) LDCD निधि में जमा की गई धनराशि से सृजित कोई आस्तित्व, इक्विटी पर रिटर्न, ऋण पर ब्याज और उन्हीं सिद्धान्तों, जो अनुदान से संबंधित है, पर अवक्षय के लिये पात्र नहीं होगी। SLDC ऐसी आस्तियों का विवरण CAPEX योजना में प्रस्तुत करेगा।
- (6) SLDC, उन स्रोतों जिन से निधि प्राप्त की गई, के ब्रेक-अप के साथ संचित धनराशि को LDC विकास निधि में जमा करेगा। आयोग प्रत्येक वर्ष LDC विकास निधि की समीक्षा करेगा और यदि आवश्यक हो तो निधियों के प्रभावी उपयोग हेतु SLDC को निर्देश जारी करेगा।

99 वार्षिक SLDC प्रभार

SLDC द्वारा वसूल किये जाने वाले वार्षिक प्रभारों में इक्विटी पर रिटर्न के घटक और निम्नलिखित व्यय भी सम्मिलित होंगे:

- (a) O&M व्यय;
- (b) इक्विटी पर रिटर्न;
- (c) अवक्षय;
- (d) पट्टा प्रभार;
- (e) ऋण पूंजी पर ब्याज और वित्त प्रभार;
- (f) आय कर, यदि है;
- (g) कार्यशील पूंजी पर ब्याज, यदि है;

- (h) कोई अन्य व्यय जो SLDC के कार्यों के निष्पादन में प्रासंगिक हो और आयोग द्वारा उपयुक्त समझे गये हों;

100 प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय.

- (1) नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष हेतु O&M व्यय, कुशल जांच और कोई अन्य कारक, जो आयोग उपयुक्त समझे, के अधीन आधार वर्ष तक पिछले पांच वर्षों के लिये वास्तविक O&M व्ययों को हिसाब में लेते हुए आयोग द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे।
- (2) nवें वर्ष के लिये और साथ ही नियंत्रण अवधि के ठीक पिछले वर्ष अर्थात् 2015-16 के लिये भी निम्नलिखित फॉर्मूला के आधार पर O&M व्यय अनुमोदित किये जायेंगे:-

$$O\&M_n = R\&M_n + EMP_n + A\&G_n$$

जहां,

- O&M_n - nवें वर्ष के लिये प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय;
 - EMP_n - nवें वर्ष के लिये कर्मचारी लागत;
 - R&M_n - nवें वर्ष के लिये मरम्मत और रखरखाव लागतें;
 - A&G_n - nवें वर्ष के लिये प्रशासकीय और सामान्य लागतें;
- (3) उपरोक्त घटकों का संगणन निम्नांकित विनिर्दिष्ट तरीके से किया जायेगा:

$$EMP_n = (EMP_{n-1}) \times (1+G_n) \times (1+CPI \text{ इन्फ्लेशन})$$

$$R\&M_n = K \times (GFAn-1) \times (1+WPI \text{ इन्फ्लेशन}) \text{ और}$$

$$A\&G_n = (A\&G_{n-1}) \times (1+WPI \text{ इन्फ्लेशन}) + \text{प्रावधान}$$

जहां-

- EMP_{n-1} (n-1) वें वर्ष के लिये कर्मचारी लागतें;
- A&G_{n-1} (n-1) वें वर्ष के लिये प्रशासकीय और सामान्य लागतें;
- प्रावधान : (SLDC द्वारा प्रस्तावित और आयोग द्वारा मान्य किये गये अनुसार) पहलो या अन्य एक-बारी व्ययों के लिये लागत।
- 'K'% में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट एक स्थिरांक है। नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु K का मूल्य SLDC की फाईलिंग, मरम्मत और रखरखाव व्ययों की बेंचमार्किंग, अनुमोदित मरम्मत और रखरखाव व्ययों के मुकाबले में पूर्व में आयोग द्वारा अनुमोदित GFA और कोई अन्य

कारक, जिसे आयोग द्वारा उपयुक्त समझा जाये, पर आधारित MYT शुल्क आदेश में आयोग द्वारा अवधारित किया जायेगा ;

- CPI इन्फ्लेशन – ठीक पिछले तीन वर्षों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में औसत वृद्धि है ;
- WPI इन्फ्लेशन – ठीक पिछले तीन वर्षों के लिये थोक मूल्य सूचकांक (WPI) में औसत वृद्धि है ;
- GFAn-1- n-1 वें वर्षों के लिये पारेषण अनुज्ञापी की सकल स्थिर आस्ति ;
- Gn- n वें वर्ष के लिये एक वृद्धि कारक है। Gn का मूल्य, SLDC की फाईलिंग, बेंचमार्किंग और कोई अन्य कारक, जिसे आयोग उपयुक्त समझे, पर आधारित अतिरिक्त जन शक्ति आवश्यकता को पूरा करने के लिये MYT शुल्क आदेश में आयोग द्वारा अवधारित किया जायेगा :

परन्तु यदि SLDC सरकारी वेतन संरचना द्वारा शासित होता है तो आयोग VII वें वेतन आयोग के प्रभाव हेतु कर्मचारी व्ययों में एक पृथक उपबंध अनुज्ञात करने पर विचार कर सकता है।

परन्तु अवधारित मरम्मत एवं रखरखाव व्ययों का उपयोग केवल मरम्मत और रखरखाव कार्यों पर ही किया जायेगा।

101 SLDC प्रभारों के संकलन हेतु आधार

- (1) आयोग द्वारा अवधारित वार्षिक SLDC प्रभार, राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली का उपयोग करने वाले लाभार्थियों के मध्य संविदाकृत पारेषण क्षमता के आधार पर आवंटित किये जायेंगे।

परन्तु SLDC, किन्हीं अन्य विनियमों में विनिर्दिष्ट की गयी कोई अन्य सेवाएं जो उपयोगकर्ता और ऊर्जा विनियमों को प्रदान की गई हों, के लिये फीस और प्रभार उद्ग्रहित करने और उनका संकलन करने का पात्र होगा।

- (2) तथापि, लघु-अवधि उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता जो राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं , SLDC को केवल उन्हीं अनुसूचीकरण प्रभारों का भुगतान करेगा जिन्हें आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो।

102 SLDC प्रभारों की बिलिंग

- (1) SLDC, पिछले माह के अंतिम दिन के पश्चात सात दिन के भीतर प्रत्येक बिलिंग माह हेतु उसके द्वारा अनुश्रवित और सेवित किये जा रहे राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली के उपयोगकर्ताओं को, आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक प्रभारों के बाहर की दर पर आवश्यक मासिक बिल्स प्रस्तुत करेगा।
परन्तु निर्धारित प्रभारों की बिलिंग एवं संकलन के उद्देश्य से MW का एक अंश भी एक पूर्ण MW माना जायेगा।
- (2) लाभार्थी, SLDC के देय राशि का भुगतान बिल प्राप्ति की तिथि से एक माह के भीतर करेंगे।
- (3) SLDC प्रभारों की बिलिंग को लेकर उठने वाले कोई विवाद यथासंभव परस्पर बातचीत से सुलझाये जायेंगे। यदि बिलों की प्राप्ति की तिथि से साठ (60) दिनों के भीतर परस्पर बातचीत द्वारा विवाद नहीं सुलझता है तो किसी भी पक्ष द्वारा याचिका के माध्यम से मामले को आयोग के समक्ष लाया जायेगा। आयोग का निर्णय दोनों पक्षों के लिये अंतिम और आबद्धकारी होगा।
- (4) विवाद का निपटारा लंबित रहने तक बिल की 90% राशि का भुगतान देय तिथि के भीतर प्रतिवाद के अधीन किया जायेगा।

भाग X

विविध

103 बचतें

- (1) न्याय का उद्देश्य पूरा करने की दृष्टि से आवश्यक ऐसे आदेश बनाने की आयोग की शक्ति को इन विनियमों में कहीं सीमित या अन्यथा प्रभावित करने वाला नहीं समझा जायेगा।
- (2) यदि आयोग किसी मामले अथवा मामलों की श्रेणी की विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत ऐसे मामले या मामलों की श्रेणी का विनिश्चय करने के लिये न्याय संगत और समीचीन समझे तो अधिनियम के किसी भी उपबंधों की संपुष्टि में ऐसी प्रक्रिया जो इन विनियमों के किसी उपबंध से भिन्न है, को अपनाने में, इन विनियमों में आयोग के लिये कुछ भी बाधक नहीं होगा।
- (3) जिसके लिए कोई विनियम नहीं बनाये गये हैं, ऐसे किसी मामले में या अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का निर्वाह करने में कार्यवाही करने पर इन विनियमों में कुछ भी अभिव्यक्त या अन्तर्निहित रूप से आयोग के लिए बाधक नहीं होगा तथा ऐसे मामलों में आयोग जैसा उचित व सही समझे, उस प्रकार से इन मामलों, शक्तियों व कर्तव्यों का निर्वाह करेगा।

104 कठिनाईयां दूर करने की शक्तियां

यदि इन विनियमों के किन्हीं उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आयोग सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा ऐसे निर्देश दे सकता है जो कठिनाईयां दूर करने के लिये आवश्यक व समीचीन प्रतीत हों और अधिनियम से असंगत न हों।

105 संशोधन की शक्ति

आयोग किसी भी समय इन विनियमों के किसी उपबंध में जोड़, परिवर्तन, बदलाव, आशोधन या संशोधन कर सकता है।

परिशिष्ट -I

परियोजनाओं को पूरा करने के लिये समय सीमा

(विनियम 26(2)(:) के प्रथम परन्तुक का संदर्भ लें)

- (1) पूर्णता समय अनुसूची, लागू होने वाली पारेषण परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि तक ब्लॉक या यूनिट्स या तत्त्व तकयथा स्थिति बोर्ड (उत्पादक कंपनी या पारेषण अनुज्ञापी का) के निवेश अनुमोदन या CEA की अनापत्ति द्वारा निवेश की तिथि से गिनी जायेगी।
- (2) निम्नलिखित पैराग्राफ्स और सारिणियों में समय अनुसूची माह में इंगित की गई है :

i) ताप ऊर्जा परियोजनाएं --कंबाईन्ड सायकल ऊर्जा संयंत्र

गैस टरबाईन आकार 100 मेगावॉट तक (ISO रेटिंग)

- a) ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के प्रथम ब्लॉक के लिये 26 माह। पश्चातवर्ती ब्लॉक प्रत्येक 02 माह के अंतराल पर।
- b) विस्तार परियोजनाओं के प्रथम ब्लॉक के लिये 24 माह। पश्चातवर्ती यूनिट्स प्रत्येक 02 माह के अंतराल पर।

गैस टरबाईन आकार 100 मेगावॉट से अधिक (ISO रेटिंग)

- a) ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के प्रथम ब्लॉक के लिये 30 माह। पश्चातवर्ती ब्लॉक के लिये प्रत्येक 4 माह के अंतराल पर।
- b) विस्तार परियोजनाओं के प्रथम ब्लॉक के लिये 28 माह। पश्चातवर्ती यूनिट्स प्रत्येक 4 माह के अंतराल पर।

ii) जल विद्युत परियोजनाएं

जल विद्युत परियोजनाओं के लिये अर्ह समय अनुसूची, अधिनियम की धारा 8 के अधीन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी मूल सहमति में उल्लिखित होगी।

iii) पारेषण योजनाएं

क्रम.सं.	पारेषण कार्य	मैदानी क्षेत्र (माह)	पहाड़ी मू-भाग (माह)	हिमाच्छादित क्षेत्र/अत्यंत दुर्गम मू-भाग (माह)
a.	400 kV D/C चतुष्क पारेषण लाईन	38	44	48
b.	400 kV D/C तिहरी पारेषण लाईन	36	42	46
c.	400 kV D/C दोहरी पारेषण लाईन	34	40	44
d.	400 kV S/C दोहरी पारेषण लाईन	30	36	40
e.	220 kV D/C दोहरी पारेषण लाईन	34	40	44
f.	220 kV D/C पारेषण लाईन	30	36	40
g.	220 kV S/C पारेषण लाईन	26	32	36
h.	132 kV पारेषण लाईन	22	28	32
i.	नया 400 kV AC उप-स्टेशन	30	33	36
j.	नया 220 kV AC उप-स्टेशन	24	27	30
k.	नया 132 kV AC उप-स्टेशन	16	19	22

नोट्स :

- (i) ऊपर लिखित परियोजनाओं के प्रकार वाले संयोजन के मामले में अधिकतम अवधि वाली गतिविधि की अर्ह समय अनुसूची, योजना के लिये एक संपूर्ण रूप से विचारित की जायेगी।
- (ii) यदि पारेषण लाईन एक मैदानी क्षेत्र के साथ-साथ पहाड़ी भू-भाग/हिमाच्छादित क्षेत्र/अत्यन्त दुर्गम क्षेत्र में पड़ती है तो सम्मिश्र अर्ह समय अनुसूची का परिकलन प्रत्येक क्षेत्र में पड़ने वाली लाईन की लंबाई को आनुपातिक भारित प्रदान करते हुए किया जायेगा।

परिशिष्ट -II : अवक्षय अनुसूची

(विनियम 28(4) का संदर्भ ले)

क्र.सं.	विवरण	अवक्षय दर (निस्तारण मूल्य = 10%)
		SLM
A	पूर्ण स्वामित्व के अधीन भूमि	0.00%
B	पट्टे के अधीन भूमि	
(a)	भूमि में निवेश के लिये	3.34%
(b)	स्थल की सफाई की लागत हेतु	3.34%
(c)	जल विद्युत उत्पादक स्टेशन के मामले में जलाशय हेतु भूमि	3.34%
C	नई क्रय की गई आस्तियां	
(a)	उत्पादन स्टेशनों में P1 और मशीनरी	
(i)	जल विद्युत	5.28%
(ii)	स्टीम इलेक्ट्रिक नॉन हीट रिकवरी ब्वायलर (NHRB) एवं वेस्ट हीट रिकवरी	5.28%
(iii)	डीजल इलेक्ट्रिक और गैस संयंत्र	5.28%
(b)	कूलिंग टावर्स व सर्कुलेटिंग वाटर सिस्टम्स	5.28%
(c)	हायड्रो का भाग संरचित करने वाले हाईड्रॉलिक कार्य	
(i)	बांध, स्पिलवेज, वीयर्स, नहरें, पुर्नगठित कंक्रीट फ्लूमस और साइफन्स	5.28%
(ii)	पुर्नगठित कंक्रीट पाईपलाइन्स और सर्ज टैंक्स, स्टील पाईप लाइन्स, स्लूस गेट्स, स्टील सर्ज टैंक्स, हाईड्रॉलिक कन्ट्रोल वॉल्वस और हाईड्रॉलिक कार्य	5.28%
(d)	भवन और सिविल इन्जीनियरिंग कार्य-	
(i)	कार्यालय और शोरूमस	3.34%
(ii)	ताप विद्युत उत्पादन संयंत्र समाहित	3.34%
(iii)	जल विद्युत उत्पादन संयंत्र समाहित	3.34%
(iv)	अस्थायी संरचनाएँ जैसे लकड़ी से निर्मित संरचनाएँ	100.00%
(v)	कच्चे मार्गों से अन्यथा मार्ग	3.34%
(vi)	अन्य	3.34%
(e)	ट्रांसफॉर्मर्स, किऑस्क, उप-स्टेशन उपकरण व अन्य स्थिर उपस्कर	
(i)	ट्रांसफॉर्मर्स के साथ 100kVA और अधिक की रेटिंग वाले फाउंडेशन	5.28%
(ii)	अन्य	5.28%
f	स्विच गियर के साथ केबल कनेक्शन	5.28%
g	लाईटिंग एरेस्टर	
(i)	स्टेशन प्रकार	5.28%
(ii)	पोल प्रकार	5.28%
(iii)	सिंक्रोनस कंडेसर्स	5.28%

क्र.सं.	विवरण	अवक्षय दर (निस्तारण मूल्य = 10%)
h	बैटरीज	5.28%
(i)	अंडरग्राउंड केबल सहित ज्वाइंट बॉक्सेस और असंयोजित बॉक्सेस	5.28%
(ii)	केबल डक्ट प्रणाली	5.28%
i	केबल सपोर्ट सहित ओवर हैड लाईन्स	
(i)	66kV से अधिक टर्मिनल वोल्टेज पर प्रचालित फैब्रिकेटेड स्टील सपोर्ट पर लाईनें	5.28%
(ii)	13.2 kV से अधिक किंतु अधिकतम 66kV तक की टर्मिनल वोल्टेज पर प्रचालित स्टील सपोर्ट पर लाईनें	5.28%
(iii)	पुनर्गठित कंक्रीट सपोर्ट पर स्टील पर लाईनें	5.28%
(iv)	उपचारित लकड़ी की सपोर्ट पर लाईनें	5.28%
j	मीटर्स	5.28%
k	सेल्फ प्रोपेल्ड वाहन	9.50%
l	एयर कंडीशनिंग संयंत्र	
(i)	स्थिर	5.28%
(ii)	पोर्टेबल	9.50%
m(i)	कार्यालय फर्नीचर और फर्निशिंग	6.33%
(ii)	कार्यालय उपकरण	6.33%
(iii)	आंतरिक वायरिंग सहित फिटिंग्स और स्क्र	6.33%
(iv)	स्ट्रीट लाइट फिटिंग	5.28%
n	किराये पर दिये गए	
(i)	मोटर से अन्यथा	9.50%
(ii)	मोटर्स	6.33%
o	संचार उपकरण	
(i)	रेडियो और उच्च फ्रीक्वेंसी कैरियर प्रणाली	6.33%
(ii)	टेलीफोन लाईन्स और टेलीफोन	6.33%
(iii)	फाइबर ऑप्टिक	6.33%
p	आई.टी. उपकरण सहित सॉफ्टवेयर	15.00%
q	कोई अन्य आस्ति जो ऊपर सम्मिलित नहीं है	5.28%

परिशिष्ट - III

विभिन्न जल उत्पादक स्टेशनों के मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (NAPAF) के अवधारण हेतु दिशा-निर्देश

(विनियम 47(1) के द्वितीय परंतुक का संदर्भ लें)

विभिन्न जल विद्युत उत्पादक स्टेशनों का मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (WAPAF) निम्नलिखित मानदंडों/दिशा-निर्देशों के आधार पर अवधारित किया जायेगा :

- (i) पूर्ण जलाशय स्तर (FRL) और 8% तक के न्यूनतम ड्रॉ डाउन स्तर (MDDL) के मध्य हैड वैरियेशन के साथ स्टोरेज और पॉडेज प्रकार के संयंत्रों में और जहां संयंत्र उपलब्धता तलछट से प्रभावित नहीं होती है : 90%
- (ii) पूर्ण जलाशय स्तर और 8% से अधिक के न्यूनतम ड्रॉ डाउन स्तर के मध्य हैड वैरियेशन के साथ स्टोरेज और पॉडेज प्रकार के संयंत्रों और जहां संयंत्र उपलब्धता तलछट से प्रभावित नहीं होती है, के मामले में DPR (CEA या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित) में परियोजना प्राधिकारियों द्वारा प्रदान माहवार पीकिंग क्षमता, NAPAF तय करने के लिये आधार संरचित करेगी।

इसे निम्नलिखित उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया गया है,

संस्थापित क्षमता : 4x250 MW

माह	दैनिक 3 घंटे पीकिंग क्षमता की अपेक्षित औसत
अप्रैल	701
मई	448
जून	133
जुलाई	497
अगस्त	544
सितंबर	990
अक्टूबर	1000
नवंबर	1000
दिसंबर	1000
जनवरी	1000
फरवरी	1000
मार्च	693

अपेक्षित दैनिक पीकिंग क्षमता का भारित औसत = 790 MW

पीकिंग क्षमता इस धारणा पर आधारित है कि एक यूनिट मई, जुलाई, फरवरी और मार्च के महीने में वार्षिक अनुरक्षण के अधीन रहेगी।

वर्ष के दौरान जबरन आउटेज के कारण संयंत्र क्षमता पर 2% छूट का विचार करते हुए, अपेक्षित औसत पीकिंग क्षमता = 770 MW

इस प्रकार, $NAPAF = 770/1000 = 77\%$

- (iii) पॉइंज प्रकार के संयंत्र जहां संयंत्र उपलब्धता तलछट द्वारा पर्याप्त रूप से प्रभावित होती है वहां 5% का मार्जिन अनुज्ञात किया गया है और NAPAF 85% होगा।
- (iv) शुद्ध रूप से रन-ऑफ-रिवर प्रकार के संयंत्रों के मामले में, NAPAF, का निर्धारण परियोजना की DPR में अनुमोदित उसके 90% आंशित 10-दैनिक इन्प्लोज पैटर्न के आधार पर संयंत्रवार किया जायेगा।
- (v) विशेष परिस्थितियों, अर्थात् असामान्य तलछट समस्या या अन्य परिचालक स्थितियां और ज्ञात संयंत्र सीमाओं के अधीन NAPAF का अवधारण करते समय आयोग द्वारा और छूट दी जा सकती है।
- (vi) जब FRL और MDDL के मध्य अंतर 5% से अधिक हो, निम्नलिखित गुणक कारकों को लागू किया जाएगा:

$$\text{हैड वैरिएशन हेतु गुणक कारक} = (\text{MDDL} / \text{रेटेड हैड पर हैड}) \times 0.51 + 0.52$$

परिशिष्ट- IV

पारेषण प्रणाली उपलब्धता के परिकलन हेतु प्रक्रिया

(विनियम 61(2) के नोट (b) का संदर्भ लें)

- (1) पारेषण प्रणालियों की उपलब्धता का परिकलन करने के उद्देश्य से पारेषण तत्व को निम्नलिखित श्रेणियों में समूहबद्ध किया जायेगा:
- AC पारेषण लाईनें : AC पारेषण लाईन का प्रत्येक सर्किट एक तत्व माना जायेगा।
 - अन्तः संयोजित ट्रांसफॉर्मर्स (ICTs) : प्रत्येक ICT बैंक (तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एक साथ) एक तत्व संरचित करेंगे।
 - स्टैटिक VAR कम्पन्सेटर (SVC) : SVC के साथ SVC ट्रांसफार्मर एक तत्व संरचित करेंगे। तथापि, इन्डक्टिव को 50% और कैपेसिटिव रेटिंग को 50% क्रेडिट दिया जायेगा।
 - स्विचड बस रिएक्टर : प्रत्येक स्विचड बस रिएक्टर को एक तत्व माना जायेगा।
- (2) पारेषण प्रणाली की उपलब्धता का परिकलन निम्नलिखित रूप से किया जायेगा:

$$\text{AC प्रणाली के लिये \% प्रणाली उपलब्धता} = \frac{o \times AV_o + q \times AV_q + r \times AV_r + s \times AV_s}{o + q + r + s} \times 100$$

जहां,

- o AC लाईनों की कुल संख्या है।
- AV_o AC लाईनों की o संख्या की उपलब्धता है।
- q ICTs की कुल संख्या है।
- AV_q ICTs की q संख्या की उपलब्धता है।
- r SVCs की कुल संख्या है।
- AV_r SVCs की r संख्या की उपलब्धता है।
- s स्विचड बस रिएक्टर्स की कुल संख्या है।
- AV_s संख्या स्विचड बस रिएक्टर्स की s संख्या की उपलब्धता है।

- (3) पारेषण तत्वों की प्रत्येक श्रेणी हेतु भारत का एक निम्नलिखित के अनुसार होगा :

(a) AC लाईन के प्रत्येक सर्किट के लिये

- (i) अन्कॉम्पेन्सेटेड लाईन के लिये सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग (SIL) का सर्किट किमी से गुणक
- (ii) विभिन्न वोल्टेज स्तरों और कंडक्टर कन्फिगरेशन के लिये SIL रेटिंग नीचे दी गई है। तथापि, वोल्टेज स्तर और/या कंडक्टर कन्फिगरेशन जो यहां सूचीबद्ध नहीं हैं, के लिये तकनीकी प्रतिफलों पर आधारित उपयुक्त SIL का उपयोग लाभार्थी को सूचना के अधीन उपलब्धता परिकलन के लिये किया जा सकेगा।

AC लाईन्स की सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग

क्र.सं.	लाईन वोल्टेज (kV)	कंडक्टर कन्फिगरेशन	SIL (MW)
1	765	चतुष्क बसिमिस	2250
2	400	चतुष्क बसिमिस	691
3	400	दोहरी मूज	515
4	400	दोहरी AAAC	425
5	400	चतुष्क जेब्रा	647
6	400	चतुष्क AAAC	646
7	400	तिहरी स्नोबर्ड	605
8	400	AAKC (500/26)	556
9	400	दोहरी ACAR	557
10	220	दोहरी जेब्रा	175
11	220	सिंगल जेब्रा	132
12	132	सिंगल पैथर	50
13	66	सिंगल डॉग	10

(b) प्रत्येक ICT बैंक के लिये – रेटेड MVA क्षमता।

(c) SVC के लिये– रेटेड MVAR क्षमता (इन्डक्टिव और कैपेसिटिव)।

(d) स्विच बस रिएक्टर के लिये – रेटेड MVAR क्षमता।

- (4) पारेषण तत्वों की प्रत्येक श्रेणी के लिये उपलब्धता का परिकलन भारत कारक, विचाराधीन कुल घंटे और उस श्रेणी के प्रत्येक तत्व हेतु अनुपलब्ध घंटों के आधार पर किया जायेगा। पारेषण तत्वों की प्रत्येक श्रेणी की उपलब्धता के परिकलन हेतु फार्मूला निम्नलिखित है :

$$AV_0 \text{ (AC लाईनों की } o \text{ संख्या की उपलब्धता)} = \frac{\sum_{i=1}^o \frac{W_i(T_i - T_{NA,i})}{T_i}}{\sum_{i=1}^o W_i}$$

$$AV_q \text{ (ICTs की } q \text{ संख्या की उपलब्धता)} = \frac{\sum_{k=1}^q \frac{W_k(T_k - T_{NA,k})}{T_k}}{\sum_{k=1}^q W_k}$$

$$AVr \text{ (SVCs की } r \text{ संख्या की उपलब्धता)} = \frac{\left[\sum_{l=1}^r \frac{0.5 \times W_l (T_{l1} - T_{NA1})}{T_{l1}} + \sum_{l=1}^r \frac{0.5 \times W_{cl} (T_{cl1} - T_{NAC1})}{T_{cl1}} \right]}{\left[\sum_{l=1}^r 0.5 \times W_l + \sum_{l=1}^r 0.5 \times W_{cl} \right]}$$

$$AVs \text{ (स्विचड बस रिएक्टर की } s \text{ संख्या की उपलब्धता)} = \frac{\sum_{m=1}^s \frac{W_m (T_m - T_{NA m})}{T_m}}{\sum_{m=1}^s W_m}$$

जहाँ

W_i = i वीं पारेषण लाईन के लिये भारित कारक

W_k = k वीं ICT के लिये भारित कारक

W_{I1} & W_{C1} = 1वें SVC के इंडक्टिव और कैपेसिटिव प्रचालन के लिये भारित कारक

W_m = m वें बस रिएक्टर के लिये भारित कारक

$T_i, T_k, T_{I1}, T_{C1}, T_m$ व T_n = विचाराधीन अवधि के दौरान (नीचे पैरा 6 में प्रक्रिया में दिये गये कारणों से पारेषण अनुज्ञापी पर आरोपित न होने वाली आउटटेजेज की समयावधि को छोड़कर) i वीं AC लाईन, k वीं ICT, 1वें SVC (इंडक्टिव प्रचालन), 1 वीं SVC (कैपिटिव प्रचालन) और m वें स्विचड बस रिएक्टर लिए कुल घंटे के, $T_{NAi}, T_{NAk}, T_{NAI1}, T_{NAC1}, T_{NA m}, T_{NAn}$ - i वीं AC लाईन, k वीं ICT, 1वीं SVC (इंडक्टिव प्रचालन), 1वीं SVC (कैपेसिटिव प्रचालन) व m वें स्विचड बस रिएक्टर के लिये अनुपलब्ध घंटे (पारेषण अनुज्ञापी पर आरोपित नहीं की गई आउटटेजेज के लिये समयावधि, जिसे नीचे पैरा 5 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार मानी गई, उपलब्धता के रूप में लिया गया है, को छोड़कर)।

- (5) पारेषण अनुज्ञापी पर आरोपित न किये जाने वाले निम्नलिखित कारणों से आउटटेज के अधीन पारेषण तत्वों को उपलब्ध है, माना जायेगा :
- (a) अपनी पारेषण प्रणाली के अनुरक्षण या निर्माण के लिये अन्य एजेन्सी/एजेन्सीज द्वारा उपयोग लाई गई पारेषण अनुज्ञापी के पारेषण तत्वों की बंदी।
- (b) SLDC/RLDC के निर्देशों के आदेशों के अनुसार ओवर वोल्टेज के कारण पारेषण अनुज्ञापी की मैनुअल ट्रिपिंग ओर स्विचड बस रिएक्टर की मैनुअल ट्रिपिंग।
- (6) निम्नलिखित आकस्मिकताओं के लिये पारेषण अनुज्ञापी के पारेषण तत्वों के आउटटेज समय को विचाराधीन अवधि के तत्व के कुल समय में सम्मिलित नहीं किया जायेगा :
- (a) पारेषण अनुज्ञापी के नियंत्रण से बाहर की अपरिहार्य घटनाओं और प्राकृतिक आपदा के कारण तत्वों की आउटटेज। तथापि SLDC को यह संतुष्टि प्रदान कराने की जिम्मेदारी पारेषण

अनुज्ञापी की होगी कि तत्व आउटेज उपरोक्त घटनाओं के कारण थी न कि डिजायन विफलता के कारण। तत्व की बहाली के लिये SLDC द्वारा युक्तियुक्त समय अनुज्ञात किया जायेगा और पारेषण अनुज्ञापी द्वारा इस युक्तियुक्त समय से अधिक का समय तत्व की बहाली हेतु उस अतिरिक्त समय को पारेषण अनुज्ञापी के कारण हुई आउटेज के समय के रूप में लिया जायेगा। SLDC, बहाली के समय का अनुमान लगाने के लिये पारेषण अनुज्ञापी या कियी विशेषज्ञ से परामर्श कर सकता है। ERS (आपातकालीन बहाली प्रणाली) के माध्यम से बहाल किये गये सर्किट्स को उपलब्ध हैं, समझा जायेगा।

- (b) जो पारेषण अनुज्ञापी पर आरोपित न हों ऐसी ग्रिड घटना/व्यवधान के कारण आउटेज, उदाहरण के लिये, अन्य एजेन्सियों के स्वामित्व वाले उप-स्टेशन या बेज में त्रुटि के कारण पारेषण अनुज्ञापी के तत्वों की आउटेज, ग्रिड में व्यवधान के कारण लाईनों, ICTs, HVDC बैक-टु-बैक स्टेशन्स इत्यादि की ट्रिपिंग। तथापि, यदि युक्तियुक्त समय के भीतर, ग्रिड घटना/व्यवधान के पश्चात प्रणाली को सामान्य स्थिति में लाते समय SLDC/RLDC से निर्देश प्राप्ति पर तत्व बहाल नहीं होता है तो तत्व को आउटेज की संपूर्ण अवधि हेतु उपलब्ध नहीं माना जायेगा और आउटेज समय पारेषण अनुज्ञापी पर आरोपित होगा।
- (7) यदि किसी तत्व की आउटेज के कारण केन्द्र/राज्य क्षेत्र के स्टेशन(स)में उत्पादन में हानि होती है, तो उस तत्व के लिये आउटेज अवधि, उस/दिन(दिनों), जिनमें यह हानि हुई है, के लिये वास्तविक आउटेज अवधि से दो गुनी समझी जायेगा।
- (8) यदि किसी तत्वों की आउटेज के कारण वितरण अनुज्ञापी के आपूर्ति क्षेत्र में पावर कट होता है तो उस एलीमेंट के लिये आउटेज अवधि उस/दिन(दिनों) जिनमें यह पावर कट हुआ है, के लिये वास्तविक आउटेज अवधि से दो गुनी समझी जायेगा।
- (9) आयोग से निवेश योजना का अनुमोदन कराते समय दी गई अनुसूचित तिथि से आगे किसी पारेषण तत्व की कमीशनिंग में देरी होने पर पारेषण तत्व को उस तिथि से कमीशन्ड हुआ समझा जायेगा और पारेषण प्रणाली की पूर्ण उपलब्धता का परिकलन करने के प्रयोजन हेतु जबरन आउटेज के कारण अनुपलब्ध समझा जायेगा।

परन्तु अपवादी अपरिहार्य मामलों में जहां अनुज्ञापी आयोग को उसकी संतुष्टिकारक ऐसे साक्ष्य/कारण प्रस्तुत करता है कि विलंब उसके नियंत्रण से बाहर के कारणों से हुआ है, वहां आयोग द्वारा विलंब को उस परिधि तक माफ किया जा सकेगा जिस परिधि तक आयोग उचित समझे।

परिशिष्ट-V

(गैस आधारित उत्पादक स्टेशनों के लिये)

[विनियम 3(20)(b)(v) का संदर्भ लें]

प्रमाणित किया जाता है कि (स्टेशन का नाम) ने उविनिआ (बहुवर्षीय शुल्क के अवधारण हेतु निबंधन और शर्तों) अधिनियम, 2015 के विनियम 3(20) के अनुसार नीचे निर्धारित मुख्य उपबंधों को पूरा कर लिया है।

- (1) विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाईनों के निर्माण हेतु CEA तकनीकी मानक, विनियम, 2010 के विनियम 3(8) में निर्धारित सभी दस्तावेज स्थल पर प्रतिधारित किये हुए हैं और स्थल पर उपलब्ध हैं।
- (2) विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाईनों के निर्माण हेतु CEA तकनीकी मानक विनियम, 2010 के विनियम 5 के अनुसार सभी आवश्यकताओं का अनुपालन कर लिया गया है।
- (3) यूनिट प्रचालन क्षमता विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाईनों के निर्माण हेतु CEA मानक विनियम, 2010 के विनियम 14(2), 14(3), 14(4), 14(5) और 14(7) की संपुष्टि में होगी।
- (4) विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाईनों के निर्माण हेतु CEA तकनीकी मानक विनियम, 2010 के विनियम 17 और विनियम 9(2), 9(4), 9(9), 9(15), 9(16), 9(18) के अनुसार स्टीम टर्बाईन हेतु सभी आवश्यकताओं का अनुपालन कर लिया गया है।

नाम :

(CMD/CEO/MD)

जल-विद्युत आधारित उत्पादक स्टेशनों के लिये**(विनियम 3(20) (b) (v) का संदर्भ लें)**

प्रमाणित किया जाता है कि (स्टेशन का नाम) ने उविनिआ (शुल्क के अवधारण हेतु निबंधक और शर्तों अधिनियम, 2015 के विनियम 3(20) के अनुसार नीचे निर्धारित सभी मुख्य उपबंधों को पूरा कर लिया है।

- (1) विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाईनों के निर्माण हेतु CEA तकनीकी मानक विनियम, 2010 के विनियम 3(8) में निर्धारित सभी दस्तावेज स्थल पर प्रतिधारित किये गए हैं और स्थल पर उपलब्ध हैं।
- (2) विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाईनों के निर्माण हेतु CEA तकनीकी मानक विनियम, 2010 के विनियम 30(1), 30(2) और 30(5) के अनुसार सभी आवश्यकताओं का अनुपालन कर लिया गया है।
- (3) यूनिट प्रचालन क्षमता, विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाईनों के निर्माण हेतु CEA तकनीकी मानक विनियम 2010 के विनियम 32(1), 32(3), 32(4), 32(6) और 32(8) की संतुष्टि में होगी।
- (4) हायड्रॉलिक टर्बाईन हेतु विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाईनों के निर्माण हेतु CEA तकनीकी मानक विनियम 2010 के विनियम 33(6), 33(7) एवं 33(8) के अनुसार सभी आवश्यकताओं का अनुपालन कर लिया गया है।

नाम :

(CMD/CEO/MD)

प्रारूपों की सूची

क्र.सं०	प्रपत्र संख्या	विवरण
1	प्रारूप एफ-1	वार्षिक राजस्व आवश्यकता का सार
2	प्रारूप एफ-2.1	ग्राहक विक्रय पूर्वानुमान
3	प्रारूप एफ-2.2	उपभोक्ता पूर्वानुमानों की संख्या
4	प्रारूप एफ-2.3	भार पूर्वानुमान
5	प्रारूप एफ-2.4	वितरण हानियाँ
6	प्रारूप एफ-2.5	ऊर्जा वितरण
7	प्रारूप एफ-2.6	ऊर्जा की उपलब्धता
8	प्रारूप एफ-2.7	केन्द्रीय उत्पादक स्टेशनों से ओवर ड्रॉउल/अंडर ड्रॉउल के लिए देय/प्राप्त यूआई प्रभार व अतिरिक्त यूआई प्रभार का विवरण
9	प्रारूप एफ-2.8	ऊर्जा शेष
10	प्रारूप एफ-2.9	ऊर्जा क्य व्यय
11	प्रारूप एफ-3	पारेषण व भार प्रेषण प्रभारों का विवरण
12	प्रारूप एफ-4	प्रचालन एवं अनुसंधान व्यय
13	प्रारूप एफ-4.1	कर्मचारी व्यय
14	प्रारूप एफ-4.2	मरम्मत एवं रख-रखाव व्यय
15	प्रारूप एफ-4.3	प्रशासकीय एवं सामान्य व्यय
16	प्रारूप एफ-5.1	कुल स्थिर आस्ति आधार तथा वित्त पोषण योजना का पत्रक
17	प्रारूप एफ-5.2	आस्तिकर अवकाश का पत्रक
18	प्रारूप एफ-5.3	अवकाश का पत्रक
19	प्रारूप एफ-5.4	पूँजीगत आस्तियों की लागत के लिए अंशदान, अनुदान एवं सहायिकी
20	प्रारूप एफ-6.1	पूँजीगत व्यय का पत्रक
21	प्रारूप एफ-6.2	प्रगतिरत पूँजीगत कार्यों का पत्रक
22	प्रारूप एफ-6.3	पूँजी लागत व वित्त पोषण संरचना का विवरण
23	प्रारूप एफ-6.4	प्रगतिरत पूँजी गत कार्य का पत्रक
24	प्रारूप एफ-6.5	निर्माण/आपूर्ति/सेवा पैकेजों का ब्यौर
25	प्रारूप एफ-6.6	वितरण के लिए परियोजना आस्ति/तत्व लागत/के तत्व घटक-वार ब्यौर
26	प्रारूप एफ-6.7	वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि के पश्चात अतिरिक्त पूँजीकरण का पत्रक
27	प्रारूप एफ-6.8	अतिरिक्त पूँजीकरण का वित्तपोषण
28	प्रारूप एफ-6.9	निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय
29	प्रारूप एफ-6.10	पूँजीकरण निरसन का पत्रक
30	प्रारूप एफ-7.1	वित्तीय पैकेजों का विवरण
31	प्रारूप एफ-7.2	आईडीसी व वित्त पोषण प्रभारों के परिकलन हेतु ज्ञाँ डाउन अनुसूची
32	प्रारूप एफ-7.3	बकाया ऋणों का पत्रक
33	प्रारूप एफ-7.4	वास्तविक ऋणों पर ब्याज की भारत औसत ब्याज दर का परिकलन
34	प्रारूप एफ-7.5	मानकीय ऋण पर ब्याज का परिकलन
35	प्रारूप एफ-8	कार्यशील पूँजी पर ब्याज का विवरण
36	प्रारूप एफ-9	अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान
37	प्रारूप एफ-10	इक्विटी पर रिटर्न
38	प्रारूप एफ-10.1	अतिरिक्त आर.ओ.ई का विवरण
39	प्रारूप एफ-11	गैर शुल्क आय का विवरण
40	प्रारूप एफ-12	क्वैलिंग प्रभारों से आय
41	प्रारूप एफ-13	वर्तमान शुल्कों पर ऊर्जा के विक्रय से राजस्व
42	प्रारूप एफ-14	आगामी वर्ष के लिए प्रस्तावित शुल्क से राजस्व
43	प्रारूप एफ-15	संग्रहण क्षमता
44	प्रारूप एफ-16	सहीकरण का सार
45	प्रारूप एफ-17.1	प्रणाली औसत ध्यवधान आवृत्ति सूचकांक (एसएआईएफआई)
46	प्रारूप एफ-17.2	प्रणाली औसत ध्यवधान अवधि सूचकांक (एसएआईडीआई)
47	प्रारूप एफ-17.3	क्षणिक औसत ध्यवधान आवृत्ति सूचकांक (एसएआईएफआई)
48	प्रारूप एफ-18.1	शंट कैपेसिटर परिद्वर्धन/मरम्मत कार्यक्रम
49	प्रारूप एफ-18.2	विद्युत दुर्घटनाएं
50	प्रारूप एफ-18.3	पोषक ट्रिपिंग के कारण आवटेंज का सार
51	प्रारूप एफ-18.4	वर्ष की अवधि में की गई श्रेणीवार लोड शैडिंग
52	प्रारूप एफ-18.5	अति भारित पोषक
53	प्रारूप एफ-18.6	परिद्वर्तकों की विफलता
54	प्रारूप एफ-18.7	अति भारित वितरण प्रवर्तक (डीटीआर)
55	प्रारूप एफ-18.8	प्राप्तों की आयुकारक अनुसूची
56	प्रारूप एफ-18.9	मीटरिंग की प्रास्थिति
57	प्रारूप एफ-18.10	ग्राहक बिलों का जारी करना
58	प्रारूप एफ-18.11	लंबित सेवा संयोजन आवेदनों की संख्या

वितरण अनुशासी का नाम
आपूर्ति का अनुभाषित क्षेत्र

प्रारूप एफ-1

वार्षिक राजस्व आवश्यकता का सार

क्र. सं.	विवरण	पूर्व वर्ष (एन-1) (सांस्तविक/संश्लिष्ट)	वर्तमान वर्ष (एन)		[सांकेतिक सं. करीब में]						
			अप्रैल-सितंबर (सांस्तविक)	अक्टूबर-मार्च (सांकेतिक)	कुल (अप्रैल-मार्च)	आगामी वर्ष (एन+1)	आगामी वर्ष (एन+2)	आगामी वर्ष (एन+3)			
	व्यय										
1	ऊर्जा व्यय										
2	पारिवहन प्रभार										
3	एनएलडीसी/आएलडीसी/एसएलडीसी प्रसार										
4	ओ एफडी एम व्यय										
4.1	कर्मचारी व्यय										
4.2	प्रशासनिक व सामान्य व्यय										
4.3	संरचना एवं रख-रखाव व्यय										
5	व्याज प्रभार										
6	पट्टा प्रभार										
7	अवकाश										
8	कार्यशील पूंजी पर व्याज										
	सकल व्यय										
	घटाकर : व्यव पूंजीकरण										
1	पूँजीगत व्यय										
	कुल व्यव पूंजीकरण										
	अन्य व्यय / प्रभाव										
1	अशोध्य व संदिग्ध ऋणों के लिए प्रभाव										
2	इविडेंटी पर रिटर्न										
	कुल व्यय										
1	घटाकर : गैर शुल्क आय										
2	घटाकर : ऋणित प्रभार से आय										
3	घटाकर : अन्य व्यवसायों से आय (विधुत अधिनियम 2003 की धारा 51)										
4	घटाकर : प्रति सहायिकी अधिनियम से प्राप्ति										
5	घटाकर : ऋणित प्रभार पर अतिरिक्त अधिनियम से प्राप्ति										
	घटाकर : विधुत अधिनियम, 2003 की धारा 65 के अधीन सहायिकी से अन्यथा राज्य सरकार से प्राप्त कोई राजस्व व सहायिकी अनुवाद										
	कुल वार्षिक राजस्व आवश्यकता										

नोट :

एन = वित्तीय वर्ष = 2018-19

याचिकाकर्ता

विवरण अनुष्ठापी का नाम
अनुष्ठी या अनुष्ठापित क्षेत्र

प्रकार पृष्ठ 2.1

शासक शिक्षण पूर्वाङ्गण

गण बर्ष (दिन-1)

उपरोक्त श्रेणी व वर्गीकरण	शरीर	सर्व	पुन	पुनार्थ	अपराध	विद्यार्थ	अच्छर	विद्यार्थ	विद्यार्थ	विद्यार्थ	शालके का बरत के		(एनए)
											अपराध	अपराध	
उपरोक्त श्रेणी व वर्गीकरण													
एकटी श्रेणी													
श्रेणी-1													
श्रेणी-2													
.....													
श्रेणी-एन													
एकटी श्रेणी													
श्रेणी-1													
श्रेणी-2													
.....													
श्रेणी-एन													
कुल													

अनुष्ठापितों से अपराध के लिए वे उसके आधार में मात्र शासक श्रेणियों का विवरण प्रकट करें।

वर्तमान बर्ष (एन)

उपरोक्त श्रेणी व वर्गीकरण	शरीर	सर्व	पुन	पुनार्थ	अपराध	विद्यार्थ	अच्छर	विद्यार्थ	विद्यार्थ	विद्यार्थ	शालके का बरत के		(एनए)
											अपराध	अपराध	
उपरोक्त श्रेणी व वर्गीकरण													
एकटी श्रेणी													
श्रेणी-1													
श्रेणी-2													
.....													
श्रेणी-एन													
एकटी श्रेणी													
श्रेणी-1													
श्रेणी-2													
.....													
श्रेणी-एन													
कुल													

पूर्व विद्यार्थी

उपरोक्त श्रेणी व वर्गीकरण	एन-4	एन-3	एन-2	एन-1	एन	5 वर्ष शैक्षणिक
उपरोक्त श्रेणी व वर्गीकरण						
एकटी श्रेणी						
श्रेणी-1						
श्रेणी-2						
.....						
श्रेणी-एन						
एकटी श्रेणी						
श्रेणी-1						
श्रेणी-2						
.....						
श्रेणी-एन						
कुल						

आवकरी पर्ष (पिन-1) (पन्ना)

उपरोक्त श्रेणी व उपश्रेणी संख्या	अधीन पर्ष	कुल	सुकाई	कागस	सिपकस	आकटुप	नवकर	दिककर	आवकरी	कुल
एवढी										
श्रेणी-1										
संकेत-1										
संकेत-2										
अधीन-एन										
एवढी										
श्रेणी-1										
संकेत-1										
संकेत-2										
...										
अधीन-एन										
कुल										

आवकरी पर्ष (पिन-2) (पन्ना)

एवढी										
श्रेणी-1										
संकेत-1										
संकेत-2										
...										
अधीन-एन										
एवढी										
श्रेणी-1										
संकेत-1										
संकेत-2										
...										
अधीन-एन										
कुल										

आवकरी पर्ष (पिन-3) (पन्ना)

एवढी										
श्रेणी-1										
संकेत-1										
संकेत-2										
अधीन-एन										
एवढी										
श्रेणी-1										
संकेत-1										
संकेत-2										
...										
अधीन-एन										
कुल										

अधिकारकर्ता

वितरण अनुशासी का नाम _____
 आपूर्ति का अनुशासित क्षेत्र _____

प्रपत्र एक 2.2

उपभोक्ता पूर्वानुमान की संख्या

गत वर्ष (एन-1)

(आकड़े का उल्लेख न)

उपभोक्ता श्रेणी व उपभोग स्तंभ	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
एलटी												
श्रेणी-1												
स्लैब-1												
स्लैब-2												
.....												
श्रेणी-एन												
एलटी												
श्रेणी-1												
स्लैब-1												
स्लैब-2												
.....												
श्रेणी-एन												
कुल												

(अनुशासितों से अपेक्षा है कि वे उनके व्यापार में लागू प्राकृत श्रेणियों का वितरण प्रदान करें।)

पूर्व बार बाटा

उपभोक्ता श्रेणी व उपभोग स्तंभ	एन-4	एन-3	एन-2	एन-1	एन	5. वर्ष सीपवीआर
एलटी						
श्रेणी-1						
स्लैब-1						
स्लैब-2						
.....						
श्रेणी-एन						
एलटी						
श्रेणी-1						
स्लैब-1						
स्लैब-2						
.....						
श्रेणी-एन						
कुल						

Format for Distribution

परिभाषा कर्म (एन)

सम्बोद्धता श्रेणी व उपयोग स्तर	अधीन	वर्ष	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	माघ
एकटी							
श्रेणी-1							
स्तर-1							
स्तर-2							
.....							
श्रेणी-एन							
एकटी							
श्रेणी-1							
स्तर-1							
स्तर-2							
.....							
श्रेणी-एन							
कुल							

एम्पाईटी नियन्त्रण अर्थात्

सम्बोद्धता श्रेणी व उपयोग स्तर	(एन+1) की समाप्ति	(एन+1) की समाप्ति	(एन+1) की समाप्ति
एकटी			
श्रेणी-1			
स्तर-1			
स्तर-2			
.....			
श्रेणी-एन			
एकटी			
श्रेणी-1			
स्तर-1			
स्तर-2			
.....			
श्रेणी-एन			
कुल			

विद्यार्थी अनुभवों का नाम
 कार्यो का अनुसंधान क्षेत्र
 प्रपत्र पृष्ठ 2.2
 चार पूर्वापान

पत्र नं (एन-1)

पत्र नं बदा

(आकृति सं. कपौड सं.)

कर्मचारी के नाम व पदोपलक्षण	श्रेणी	वर्ग	पद	पत्र	पुस्तक	अन्य	विद्यार्थी	अन्य	अन्य	अन्य	अन्य	अन्य	अन्य	अन्य	अन्य	अन्य	अन्य	अन्य		
एन-1																				
एन-2																				
एन-3																				
एन-4																				
एन-5																				
एन-6																				
एन-7																				
एन-8																				
एन-9																				
एन-10																				
एन-11																				
एन-12																				
एन-13																				
एन-14																				
एन-15																				
एन-16																				
एन-17																				
एन-18																				
एन-19																				
एन-20																				
एन-21																				
एन-22																				
एन-23																				
एन-24																				
एन-25																				
एन-26																				
एन-27																				
एन-28																				
एन-29																				
एन-30																				
एन-31																				
एन-32																				
एन-33																				
एन-34																				
एन-35																				
एन-36																				
एन-37																				
एन-38																				
एन-39																				
एन-40																				
एन-41																				
एन-42																				
एन-43																				
एन-44																				
एन-45																				
एन-46																				
एन-47																				
एन-48																				
एन-49																				
एन-50																				

एन-1 से एन-50 तक के पदों के लिए उक्त तालिका में उक्त नामों के अधीन का विवरण प्रदान करें।

परिधान बर्ष (र०)

उपरोक्त श्रेणी व उपश्रेणी शीर्षक	ईकाई	श्रीलंका	मॉ	रूपा	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	गार्स
एकरी								
श्रेणी-1								
उपश्रेणी-1								
उपश्रेणी-2								
...								
श्रेणी-एन								
एकरी	MW/MVA/ BHP							
श्रेणी-1								
उपश्रेणी-1								
उपश्रेणी-2								
...								
श्रेणी-एन								
कुल (सिमाबन्ध में दर्शाएँगे)								

बागवती बर्ष (र०+१)

उपरोक्त श्रेणी व उपश्रेणी शीर्षक	ईकाई	(र०+१) की शक्ति	(र०+१) की शक्ति	(र०+१) की शक्ति
एकरी				
श्रेणी-1				
उपश्रेणी-1				
उपश्रेणी-2				
...				
श्रेणी-एन				
एकरी	MW/MVA/ BHP			
श्रेणी-1				
उपश्रेणी-1				
उपश्रेणी-2				
...				
श्रेणी-एन				
कुल (सिमाबन्ध में दर्शाएँगे)				

यदि आवश्यक

आपसी धर्म (पन्ना-2)

(पन्ना)

सूचना	घोषित्व स्तर	उपार्थ आगत	मिशन सेटवर्क को केसी पत्नी उपार्थ	प्रत्यक्ष भिक्षु	सुलभ निर्दिष्ट	सुलभ इतिहास	सुलभ इतिहास (उपार्थ आगत का %)	सुलभ उपासीके इतिहास	सुलभ इतिहास (उपार्थ आगत का %)	सुलभ वार्षिकीक इतिहास	सुलभ इतिहास (उपार्थ आगत का %)

आपसी धर्म (पन्ना-3)

(पन्ना)

सूचना	घोषित्व स्तर	उपार्थ आगत	मिशन सेटवर्क को केसी पत्नी उपार्थ	प्रत्यक्ष भिक्षु	सुलभ निर्दिष्ट	सुलभ इतिहास	सुलभ इतिहास (उपार्थ आगत का %)	सुलभ उपासीके इतिहास	सुलभ इतिहास (उपार्थ आगत का %)	सुलभ वार्षिकीक इतिहास	सुलभ इतिहास (उपार्थ आगत का %)

वार्षिकीककर्ता

Format for Distribution

आवामी बर्ष (एन+1)

उत्तराखण्ड का क्षेत्र (स्टेशन नाम)	संस्थापित कक्षा	युटिलिटी अंक (%)	युटिलिटी अंक (किगवॉटि)	स्टेशन से उपलब्ध ऊर्जा (किगवॉटि)	स्टेशन से ग्रहण ऊर्जा (किगवॉटि)	उत्पादन क्षेत्र में प्राप्त युटिलिटी (एनएच)	दिनांक
स्टेशन/क्षेत्र 1							
स्टेशन/क्षेत्र 2							
कुल							

आवामी बर्ष (एन+2)

उत्तराखण्ड का क्षेत्र (स्टेशन नाम)	संस्थापित कक्षा	युटिलिटी अंक (%)	युटिलिटी अंक (किगवॉटि)	स्टेशन से उपलब्ध ऊर्जा (किगवॉटि)	स्टेशन से ग्रहण ऊर्जा (किगवॉटि)	उत्पादन क्षेत्र में प्राप्त युटिलिटी (एनएच)	दिनांक
स्टेशन/क्षेत्र 1							
स्टेशन/क्षेत्र 2							
कुल							

आवामी बर्ष (एन+3)

उत्तराखण्ड का क्षेत्र (स्टेशन नाम)	संस्थापित कक्षा	युटिलिटी अंक (%)	युटिलिटी अंक (किगवॉटि)	स्टेशन से उपलब्ध ऊर्जा (किगवॉटि)	स्टेशन से ग्रहण ऊर्जा (किगवॉटि)	उत्पादन क्षेत्र में प्राप्त युटिलिटी (एनएच)	दिनांक
स्टेशन/क्षेत्र 1							
स्टेशन/क्षेत्र 2							
कुल							

वर्षिकारक

आगामी वर्ष (एन-2)

(एनए में)*

स्रोत* माह	स्रोत 1	स्रोत 2	स्रोत 3	****	*****	*****	स्रोत एन	कुल उपलब्धता
अप्रैल								
मई								
जून								
जुलाई								
अगस्त								
सितम्बर								
अक्टूबर								
नवम्बर								
दिसम्बर								
जनवरी								
फरवरी								
मार्च								
कुल								

आगामी वर्ष (एन-3)

(एनए में)*

स्रोत* माह	स्रोत 1	स्रोत 2	स्रोत 3	****	*****	*****	स्रोत एन	कुल उपलब्धता
अप्रैल								
मई								
जून								
जुलाई								
अगस्त								
सितम्बर								
अक्टूबर								
नवम्बर								
दिसम्बर								
जनवरी								
फरवरी								
मार्च								
कुल								

युटिलिटी प्रत्येक स्रोत के संबंध में वर्तमान वर्ष व आगामी वर्ष की आकलित अवधि के प्रत्येक माह हेतु उपरोक्त प्रारूप में डाटा उपलब्ध करेगी।

* उपरोक्त प्रारूप में एक स्टेशन की संविदाकृत कोई भीकिंग समता, प्रारूप में व आधार नोट में फूटनोट्स के द्वारा विशिष्ट रूप से चिह्नित की जाये।

निम्नलिखित सक्षित प्रत्येक प्रविष्टि के लिए समर्थित दस्तावेज संलग्न करें।

प्रत्येक ऊर्जा क्वथ तथा/या पारेषण/खीसिंग प्रमार कचर/की एक कौपी

बिलिंग, विवाद, यदि कोई हो, के विचारण के साथ, ऊर्जा आपूर्ति करने की सभी कम्पनियों/ राज्य विद्युत बोर्डों के लिए पिछले बारह माह हेतु ऊर्जा तथा/या पारेषण/ खीसिंग प्रमारों के बिलों की प्रतियां।

अन्धारणाएं, यदि कोई हैं, याधिका याध में आधार नोट में स्पष्ट रूप से झंगित की जानी चाहिर।

याधिकाकर्ता

विवरण अनुसूची का नाम
आपूर्ति का अनुमानित क्षेत्र

प्रपत्र एक 2.7

केन्द्रीय उत्पादक स्टेशनों से ओवर ड्राउल/अंडर ड्राउल हेतु देय/प्राय यूआईए प्रभार व अतिरिक्त यूआईए प्रभार का विवरण

(आकड़े रु० करोड़ में)

गठ खं (ए-1)

माह	ओवर ड्राउल की अवधि						अंडर ड्राउल		कुल प्राय (रु० करोड़)	कुल यूआईए प्रभार देय (रु० करोड़)	कुल अतिरिक्त यूआईए प्रभार देय (रु० करोड़)	शुद्ध प्राय/देय (रु० करोड़)
	48.20 से नीचे			48.20 से नीचे एवं 49.20 तक			49.50-50.20					
	एम्पू	यूआईए प्रभार	अतिरिक्त यूआईए प्रभार	एम्पू	यूआईए प्रभार	अतिरिक्त यूआईए प्रभार	एम्पू	यूआईए प्रभार				
अप्रैल												
मई												
जून												
जुलाई												
अगस्त												
सितम्बर												
अक्टूबर												
नवम्बर												
दिसम्बर												
जनवरी												
फरवरी												
मार्च												
वर्ष के लिए योग												

प्रतिमान खं (एन)

माह	ओवर ड्राउल की अवधि						अंडर ड्राउल		कुल प्राय (रु० करोड़)	कुल यूआईए प्रभार देय (रु० करोड़)	कुल अतिरिक्त यूआईए प्रभार देय (रु० करोड़)	शुद्ध प्राय/देय (रु० करोड़)
	48.20 से नीचे			48.20 से नीचे एवं 49.20 तक			49.50-50.20					
	एम्पू	यूआईए प्रभार	अतिरिक्त यूआईए प्रभार	एम्पू	यूआईए प्रभार	अतिरिक्त यूआईए प्रभार	एम्पू	यूआईए प्रभार				
अप्रैल												
मई												
जून												
जुलाई												
अगस्त												
सितम्बर												

प्रत्येक प्रतिक्रिया हेतु समर्पित परामर्शक संलग्न करें।
अवधारणा, यदि कोई है, वास्तुतः स्थानों पर स्पष्ट रूप से प्रकृत की जाए।

सांघिकारकर्ता

विद्यमान अनुसूचियों का नाम
 आनुवंशिकता आयोग
 प्रस्ताव पृष्ठ 28
 कर्जा क्षेत्र
 पूर्व वर्ष (19-1)

क्रमांक	वर्ग	वर्ष	पूरा	पुनर्वर्णन	कारण	विद्यमान	अनुसूचक	नगरपालिका	विकास	जमाल	उत्पत्ति	कारण	वर्ग	वर्ष	वर्गीकृत	वर्गीकरण	वर्ष	
1	कर्जा क्षेत्र	2014-15																
2	कर्जा क्षेत्र	2015-16																
3	कर्जा क्षेत्र	2016-17																
4	कर्जा क्षेत्र	2017-18																
5	कर्जा क्षेत्र	2018-19																
6	कर्जा क्षेत्र	2019-20																
7	कर्जा क्षेत्र	2020-21																
8	कर्जा क्षेत्र	2021-22																
9	कर्जा क्षेत्र	2022-23																
10	कर्जा क्षेत्र	2023-24																
11	कर्जा क्षेत्र	2024-25																
12	कर्जा क्षेत्र	2025-26																
13	कर्जा क्षेत्र	2026-27																
14	कर्जा क्षेत्र	2027-28																
15	कर्जा क्षेत्र	2028-29																
16	कर्जा क्षेत्र	2029-30																
17	कर्जा क्षेत्र	2030-31																
18	कर्जा क्षेत्र	2031-32																
19	कर्जा क्षेत्र	2032-33																
20	कर्जा क्षेत्र	2033-34																
21	कर्जा क्षेत्र	2034-35																
22	कर्जा क्षेत्र	2035-36																
23	कर्जा क्षेत्र	2036-37																
24	कर्जा क्षेत्र	2037-38																
25	कर्जा क्षेत्र	2038-39																
26	कर्जा क्षेत्र	2039-40																
27	कर्जा क्षेत्र	2040-41																
28	कर्जा क्षेत्र	2041-42																
29	कर्जा क्षेत्र	2042-43																
30	कर्जा क्षेत्र	2043-44																
31	कर्जा क्षेत्र	2044-45																
32	कर्जा क्षेत्र	2045-46																
33	कर्जा क्षेत्र	2046-47																
34	कर्जा क्षेत्र	2047-48																
35	कर्जा क्षेत्र	2048-49																
36	कर्जा क्षेत्र	2049-50																
37	कर्जा क्षेत्र	2050-51																
38	कर्जा क्षेत्र	2051-52																
39	कर्जा क्षेत्र	2052-53																
40	कर्जा क्षेत्र	2053-54																
41	कर्जा क्षेत्र	2054-55																
42	कर्जा क्षेत्र	2055-56																
43	कर्जा क्षेत्र	2056-57																
44	कर्जा क्षेत्र	2057-58																
45	कर्जा क्षेत्र	2058-59																
46	कर्जा क्षेत्र	2059-60																
47	कर्जा क्षेत्र	2060-61																
48	कर्जा क्षेत्र	2061-62																
49	कर्जा क्षेत्र	2062-63																
50	कर्जा क्षेत्र	2063-64																
51	कर्जा क्षेत्र	2064-65																
52	कर्जा क्षेत्र	2065-66																
53	कर्जा क्षेत्र	2066-67																
54	कर्जा क्षेत्र	2067-68																
55	कर्जा क्षेत्र	2068-69																
56	कर्जा क्षेत्र	2069-70																
57	कर्जा क्षेत्र	2070-71																
58	कर्जा क्षेत्र	2071-72																
59	कर्जा क्षेत्र	2072-73																
60	कर्जा क्षेत्र	2073-74																
61	कर्जा क्षेत्र	2074-75																
62	कर्जा क्षेत्र	2075-76																
63	कर्जा क्षेत्र	2076-77																
64	कर्जा क्षेत्र	2077-78																
65	कर्जा क्षेत्र	2078-79																
66	कर्जा क्षेत्र	2079-80																
67	कर्जा क्षेत्र	2080-81																
68	कर्जा क्षेत्र	2081-82																
69	कर्जा क्षेत्र	2082-83																
70	कर्जा क्षेत्र	2083-84																
71	कर्जा क्षेत्र	2084-85																
72	कर्जा क्षेत्र	2085-86																
73	कर्जा क्षेत्र	2086-87																
74	कर्जा क्षेत्र	2087-88																
75	कर्जा क्षेत्र	2088-89																
76	कर्जा क्षेत्र	2089-90																
77	कर्जा क्षेत्र	2090-91																
78	कर्जा क्षेत्र	2091-92																
79	कर्जा क्षेत्र	2092-93																
80	कर्जा क्षेत्र	2093-94																
81	कर्जा क्षेत्र	2094-95																
82	कर्जा क्षेत्र	2095-96																
83	कर्जा क्षेत्र	2096-97																
84	कर्जा क्षेत्र	2097-98																
85	कर्जा क्षेत्र	2098-99																
86	कर्जा क्षेत्र	2099-00																
87	कर्जा क्षेत्र	2100-01																
88	कर्जा क्षेत्र	2101-02																
89	कर्जा क्षेत्र	2102-03																
90	कर्जा क्षेत्र	2103-04																
91	कर्जा क्षेत्र	2104-05																
92	कर्जा क्षेत्र	2105-06																
93	कर्जा क्षेत्र	2106-07																
94	कर्जा क्षेत्र	2107-08																
95	कर्जा क्षेत्र	2108-09																
96	कर्जा क्षेत्र	2109-10																
97	कर्जा क्षेत्र	2110-11																
98	कर्जा क्षेत्र	2111-12																
99	कर्जा क्षेत्र	2112-13																
100	कर्जा क्षेत्र	2113-14																

पृष्ठ 28 पर क्रमांक 28 के अनुसार जारी कराया जायेगा

(रकम में)*

विस्तारण आवधि	वर्ष	एन+1	एन+2	एन+3	औष
उत्पन्न का कोट	विवरण				
वृत्तव्यवहार					
सौजन्य					
आवृत्ती					
विक्रय वा कर्जा आगत हेतु उपलब्ध कुल कर्जा					
एक के नीचे कर्जा विक्रय					
एनटी					
एनटी					
एन के नीचे कुल विक्रय					
विक्रय प्रति (रकम)					
विक्रय प्रति (%)					
एनकेनटी वारेण्ड कर्जा (%)					
एनकेनटी वारेण्ड कर्जा (रकम)					
एनकेनटी क्षेत्र में कर्जा आवरण					

ट्रिप्लिट प्रत्येक प्रती के समक में वर्तमान वर्ष व आगामी वर्ष की अनुमानित अवधि के प्रत्येक माह हेतु उपरोक्त प्रारूप में डाटा उपलब्ध करावेंगी।
उपरोक्त प्रारूप में एक स्टेशन में प्रतिवर्ष कर्जा वितरण प्रारूप में व अक्षर गेट में कुलवैद्य के द्वारा विहित रूप से विहित की जावे।
वि-वितरित सहित प्रत्येक प्रविष्टि के लिए संपूर्ण वार्षिक प्रस्ताव बनाने करें।
प्रत्येक कर्जा क्षेत्र तथा/वा वारेण्ड/कठिना प्रसारण।
वितरण विक्रय यदि कोई है के विवरण में साथ ही सही कर्जा वारेण्ड/कठिना प्रस्ताव के लिए प्रत्येक माह हेतु कर्जा तथा/वा वारेण्ड/कठिना प्रस्ताव के हितों की प्रतियां।
अक्षरगट यदि कोई है तो व्यक्तिगत में अक्षर गेट में स्पष्ट रूप से प्रेषित की जावे।

यति कर्जाकर्ता

Format for Distribution

वितरण अनुष्ठी के नाम
आपूर्ति के अनुष्ठापित क्षेत्र

प्रपत्र एक 29

ऊर्जा कय व्यय

पूर्व वर्ष (सन-1)

ऊर्जा का स्रोत (स्टेशन कार्य)	कुल वार्षिक बिजली प्रसार (किलोवॉट-घंटे)	युटिलिटी द्वारा संचाय/देय क्षमता प्रसार (किलोवॉट-घंटे)	ईंधन मुख्य समायोजन साहित्य प्रति युनिट परिवर्तनी लागत (रु०/किलोवॉट-घंटे)	कुल परिवर्तनी प्रसार (रु० करोड़)	कोई अन्य प्रकार (प्रकार का प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	प्राप्त ऊर्जा की कुल लागत (रु० करोड़)	साम्यव्यय क्षेत्र में प्राप्त ऊर्जा की औसत लागत (रु०/किलोवॉट-घंटे)	वितरण उपाय क्षेत्र में प्राप्त ऊर्जा की औसत लागत (रु०/किलोवॉट-घंटे)
स्टेशन / स्रोत 1								
स्टेशन / स्रोत 2								
....								
....								
....								
स्टेशन / स्रोत एन								
कुल								

वर्तमान वर्ष (सन)*

ऊर्जा का स्रोत (स्टेशन कार्य)	कुल वार्षिक बिजली प्रसार (किलोवॉट-घंटे)	युटिलिटी द्वारा संचाय/देय क्षमता प्रसार (किलोवॉट-घंटे)	ईंधन मुख्य समायोजन साहित्य प्रति युनिट परिवर्तनी लागत (रु०/किलोवॉट-घंटे)	कुल परिवर्तनी प्रसार (रु० करोड़)	कोई अन्य प्रकार (प्रकार का प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	प्राप्त ऊर्जा की कुल लागत (रु० करोड़)	प्राप्त ऊर्जा की औसत लागत (रु०/किलोवॉट-घंटे)
स्टेशन / स्रोत 1							
स्टेशन / स्रोत 2							
कुल							

* वर्तमान वर्ष के प्रथम अर्ध-वर्ष के लिए वार्षिक व वर्तमान वर्ष के द्वितीय वर्ष के लिए अनुकूलित प्रत्येक रूप से प्रदान करें।

Format for Distribution

आगामी वर्ष (एन+1)

कर्मों का स्रोत (स्टेशन वार)

कर्मों का स्रोत (स्टेशन वार)	कुल वार्षिक विवर प्रसार (अपय करीक)	युटिलिटी द्वारा संवाय/सेय बनता प्रसार (अपय करीक)	ईंधन मुख्य समायोजन सहित प्रति यूनिट परिवर्ती लागत (रु०/के.क्यू.एच.)	कुल परिवर्ती प्रसार (रु० करीक)	कोई अन्य प्रसार (प्रसार का प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	प्राप्त कर्मों की कुल लागत (रु० करीक)	प्राप्त कर्मों की औसत लागत (रु०/के.क्यू.एच.)
स्टेशन / स्रोत 1							
स्टेशन / स्रोत 2							
कुल							

आगामी वर्ष (एन+2)

कर्मों का स्रोत (स्टेशन वार)

कर्मों का स्रोत (स्टेशन वार)	कुल वार्षिक विवर प्रसार (अपय करीक)	युटिलिटी द्वारा संवाय/सेय बनता प्रसार (अपय करीक)	ईंधन मुख्य समायोजन सहित प्रति यूनिट परिवर्ती लागत (रु०/के.क्यू.एच.)	कुल परिवर्ती प्रसार (रु० करीक)	कोई अन्य प्रसार (प्रसार का प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	प्राप्त कर्मों की कुल लागत (रु० करीक)	प्राप्त कर्मों की औसत लागत (रु०/के.क्यू.एच.)
स्टेशन / स्रोत 1							
स्टेशन / स्रोत 2							
कुल							

आगामी वर्ष (एन+3)

कर्मों का स्रोत (स्टेशन वार)

कर्मों का स्रोत (स्टेशन वार)	कुल वार्षिक विवर प्रसार (अपय करीक)	युटिलिटी द्वारा संवाय/सेय बनता प्रसार (अपय करीक)	ईंधन मुख्य समायोजन सहित प्रति यूनिट परिवर्ती लागत (रु०/के.क्यू.एच.)	कुल परिवर्ती प्रसार (रु० करीक)	कोई अन्य प्रसार (प्रसार का प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	प्राप्त कर्मों की कुल लागत (रु० करीक)	प्राप्त कर्मों की औसत लागत (रु०/के.क्यू.एच.)
स्टेशन / स्रोत 1							
स्टेशन / स्रोत 2							
कुल							

याचिकाकर्ता

वितरण अनुज्ञापनी का नाम
आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र

प्रपत्र एक 3

पारेषण व भार प्रेषण प्रसारों का विवरण

(आंकड़े ₹0 करोड़ में)

क्रम सं०	वर्ष	वर्ष (एन-1) (वस्तुविक/संवर्धित)	अप्रैल-सितंबर (साप्ताहिक)	वर्तमान वर्ष (एन)		आगामी वर्ष (एन+1) प्रक्षेपित	आगामी वर्ष (एन+2) प्रक्षेपित	आगामी वर्ष (एन+3) प्रक्षेपित	टिप्पणी
				अप्रैल-सितंबर (साप्ताहिक)	अक्टूबर-मार्च (साप्ताहिक)				
1	पीपीसीआईएल पारेषण प्रसार								
2	पिटकुल पारेषण प्रसार								
3	एएसएलसीसी प्रसार								
4	एनआएलसीसी प्रसार								
	राजस्व को बुद्ध प्रसारित								

याचिकाकर्ता

विद्यार्थी का नाम
 छात्रों का अनुमोदित क्षेत्र

प्रपत्र एक 4

प्रधान एवं अनुसूच्य व्यय

(आयुक्त कापड़े कोटक से)

क्र. सं.	व्यय	वर्ष	पूर्व वर्ष (एस-0)	पूर्व वर्ष (एस-1)	पूर्व वर्ष (एस-2)	पूर्व वर्ष (एस-3)	पूर्व वर्ष (एस-4)	पूर्व वर्ष (एस-5)	वर्षगत व्यय (एस)	वर्षगत व्यय (एस)	आगामी वर्ष (एस-1)	आगामी वर्ष (एस-2)	आगामी वर्ष (एस-3)
			(सांख्यिक/संश्लेषित)	(सांख्यिक/संश्लेषित)	(सांख्यिक/संश्लेषित)	(सांख्यिक/संश्लेषित)	(सांख्यिक/संश्लेषित)	(सांख्यिक/संश्लेषित)			(सांख्यिक/संश्लेषित)	(सांख्यिक/संश्लेषित)	(सांख्यिक/संश्लेषित)
1	कार्यालय व्यय	एस 2.1											
2	प्रशासनिक व सामान्य लागतें	एस 2.2											
3	गणना एवं एक-रकमा व्यय	एस 2.3											
	(एस-0/एस-1 से 3)												

याचिकाकर्ता

विभाग सहायकी का नाम
सहायकी का अनुसंधान क्षेत्र

प्रपत्र पृष्ठ 4.2

सर्वप्रथम पूर्ण सहायक व्यय

क्रमांक	विवरण	पूर्व क्र (स-1)	पूर्व क्र (स-2)	पूर्व क्र (स-3)	पूर्व क्र (स-4)	पूर्व क्र (स-5)	पूर्व क्र (स-6)	पूर्व क्र (स-7)	वर्तमान वर्ष (स-8)		अगामी वर्ष (स-9)	अगामी वर्ष (स-10)	अगामी वर्ष (स-11)	अगामी वर्ष (स-12)	अगामी वर्ष (स-13)	अगामी वर्ष (स-14)
		(समाधि/संबंधित)	(समाधि/संबंधित)	(समाधि/संबंधित)	(समाधि/संबंधित)	(समाधि/संबंधित)	(समाधि/संबंधित)	(समाधि/संबंधित)	(समाधि/संबंधित)	समाधि-आरंभ (समाधि)	समाधि-आरंभ (समाधि)	समाधि-आरंभ (समाधि)	समाधि-आरंभ (समाधि)			
1	सहायक सहायकी															
2	सहायक															
3	सहायक सहायकी															
4	सहायक सहायकी															
5	सहायक सहायकी															
6	सहायक सहायकी															
7	सहायक सहायकी															
8	सहायक सहायकी															
9	सहायक सहायकी															
10	अन्य सहायक सहायकी के अन्तर्गत सहायकी															
	सहायक सहायकी															

साधिकाकर्ता

विषय अनुष्ठी का नाम
आपूर्ति का अनुष्ठीत क्षेत्र

प्रपत्र एक 5.1
सकल स्थिर आरित आधार व वित्त पोषण योजना का पत्रक

सार्वजनिक प्रयोजन की तिथि पर अधिक अनुष्ठीत नाम (अधिके का अर्थ में)

परियोजना का विवरण	पूर्वगत व्यव	पूर्वकरण की तिथि
(ए) परियोजना -1		(दिन/माह/वर्ष)
(बी) परियोजना -2		(दिन/माह/वर्ष)
(सी) परियोजना -3		(दिन/माह/वर्ष)
(टी) परियोजना -4		(दिन/माह/वर्ष)
(डि) परियोजना -5 इत्यादि		(दिन/माह/वर्ष)

मूल वित्त पोषण योजना (परियोजना वर्ष)

वर्ष	वर्ष की शुरुआत का तिथि	वर्ष के अंत का तिथि
वर्ष 1		
वर्ष 2		
वर्ष 3		
वर्ष 4		
वर्ष 5		
वर्ष 6		
वर्ष 7		
वर्ष 8		
वर्ष 9		
वर्ष 10		

(अधिके फॉरेट कार्य में)

वर्ष	वर्ष के अंत का तिथि	वर्ष के शुरुआत का तिथि	वर्ष के अंत का तिथि
वर्ष 1			
वर्ष 2			
वर्ष 3			
वर्ष 4			
वर्ष 5			
वर्ष 6			
वर्ष 7			
वर्ष 8			
वर्ष 9			
वर्ष 10			

वर्तमान वर्ष (वर्ष-1)

व्यक्तियों का विवरण (ए) पूर्ण (बी) अर्ध (सी) इसी तरह आगे (व्यक्तियों में दिने वर्गीकरण के अनुसार)	व्यक्तियों का विवरण	वर्ष के शुरुआत का तिथि		वर्ष के अंत का तिथि	
		अप्रैल-सितंबर (वित्तीय)	अक्टूबर-मार्च (वित्तीय)	अप्रैल-सितंबर (वित्तीय)	अक्टूबर-मार्च (वित्तीय)

(अधिके फॉरेट कार्य में)

आपूर्ति का अनुमति क्षेत्र

प्रपत्र एक 5.1
सकल स्थिर आस्ति आधार व वित्त पोषण योजना का पत्रक

आगामी वर्ष (एन+1) (आंकड़े करोड़ रुपये में)

आस्तियों का विवरण	प्रारंभिक बहिर्गण	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान आस्तियों की निष्पत्ति	अन्त बहिर्गण
ए) भूमि				
बी) भवन				
सी) इसी तरह आगे विवरणों में दिये वर्गीकरण के अनुसार)				
कुल				

आगामी वर्ष (एन+2) (आंकड़े करोड़ रुपये में)

आस्तियों का विवरण	प्रारंभिक बहिर्गण	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान आस्तियों की निष्पत्ति	अन्त बहिर्गण
ए) भूमि				
बी) भवन				
सी) इसी तरह आगे विवरणों में दिये वर्गीकरण के अनुसार)				
कुल				

आगामी वर्ष (एन+3) (आंकड़े करोड़ रुपये में)

आस्तियों का विवरण	प्रारंभिक बहिर्गण	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान आस्तियों की निष्पत्ति	अन्त बहिर्गण
ए) भूमि				
बी) भवन				
सी) इसी तरह आगे विवरणों में दिये वर्गीकरण के अनुसार)				
कुल				

कृपया वर्ष के दौरान स्थिर आस्तियों के परिवर्धन व निष्पत्ति की वार्षिक/प्रस्तावित तिथि उपासक करें।
याचिकाकर्ता

वितरण अनुक्रमी का नाम
आपूर्ति का अनुभाषित क्षेत्र

प्रपत्र एफ 5.2
आर्तिवार अवकाय का पत्रक

(आकड़े रुपये करोड़ में)

आर्तिवारों का विवरण	अवकाय की दर % में	वर्ष के प्रारम्भ में सकल अवकाय	वर्ष हेतु उपयुक्त अवकाय	वर्ष के दौरान निकाली	वर्ष के अन्त में एकत्र अवकाय का अक्षिरेष
ए) पूर्ण					
बी) प्रक					
सी) आगे इसी तरह (विनिर्माणों में दिये वर्गिकरण के अनुसार)					
कुल					

(आकड़े रुपये करोड़ में)

वर्तमान वर्ष (एन)	अवकाय की दर % में	वर्ष के प्रारम्भ में सकल अवकाय	वर्ष हेतु उपयुक्त अवकाय		वर्ष के दौरान निकाली		वर्ष के अन्त में एकत्र अवकाय का अक्षिरेष
			अप्रैल-सितम्बर (वार्षिक)	अक्टूबर-मार्च (आर्तिवार)	अप्रैल-सितम्बर (वार्षिक)	अक्टूबर-मार्च (आर्तिवार)	
ए) पूर्ण							
बी) प्रक							
सी) आगे इसी तरह (विनिर्माणों में दिये वर्गिकरण के अनुसार)							
कुल							

आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र

प्रपत्र एक 5.2
आस्तिवार अवसथ का पत्रक

आगामी वर्ष (सन-1)

(आकड़े रुपये करोड़ में)

आस्तिवारों का विवरण	अवसथ की दर % में	वर्ष के प्राप्त्य में सकल अवसथ	वर्ष हेतु उपभक्षित अवसथ	वर्ष के दीर्घन विकासी	वर्ष के अन्त में सकल अवसथ का अधिशेष
ए) भूमि					
बी) फवन					
सी) आगे इसी तरह (विनियमों में दिये वर्गीकरण के अनुसार)					
कुल					

आगामी वर्ष (सन-2)

(आकड़े रुपये करोड़ में)

आस्तिवारों का विवरण	अवसथ की दर % में	वर्ष के प्राप्त्य में सकल अवसथ	वर्ष हेतु उपभक्षित अवसथ	वर्ष के दीर्घन विकासी	वर्ष के अन्त में सकल अवसथ का अधिशेष
ए) भूमि					
बी) फवन					
सी) आगे इसी तरह (विनियमों में दिये वर्गीकरण के अनुसार)					
कुल					

आगामी वर्ष (सन-3)

(आकड़े रुपये करोड़ में)

आस्तिवारों का विवरण	अवसथ की दर % में	वर्ष के प्राप्त्य में सकल अवसथ	वर्ष हेतु उपभक्षित अवसथ	वर्ष के दीर्घन विकासी	वर्ष के अन्त में सकल अवसथ का अधिशेष
ए) भूमि					
बी) फवन					
सी) आगे इसी तरह (विनियमों में दिये वर्गीकरण के अनुसार)					
कुल					

साचिकाकर्ता

वितरण अनुक्रमी का नाम
आपूर्ति का अनुशासित क्षेत्र

प्रपत्र एक 5.3
अवकाश का वितरण

वित्तीय वर्ष	(खान्डे काये कायेड से)															
	2000-01 तक	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
पूर्वोक्त जगहा पर अवकाश																
अतिरिक्त प्रोजेक्शन पर अवकाश																
अतिरिक्त प्रोजेक्शन की शक्ति																
अवकाश शक्ति																
एफडीआर की का वितरण																
एफडीआर की शक्ति विषय पर अवकाश प्रभावित है																
अवकाश शक्ति																
वर्ष के दौरान वरदान गद्य अवकाश																
वर्ष के दौरान वरदान गये अवकाश के सम्मुख अधिम																
वर्ष के दौरान वरदान गये अवकाश के सम्मुख अधिम व अवकाश																
वर्ष तक वरदान गये अवकाश के सम्मुख अधिम व सकल अवकाश																

याचिकाकर्ता

वितरण अनुशापी का नाम
आपूर्ति का अनुशापित क्षेत्र

प्रपत्र एक 5.4

पूजीगत आस्तियों की लागत के लिए अंशवान, अनुवान एवं सहायिकी

क्र.सं.	क्षेत्र	गत वर्ष (एन-1)		सदमान वर्ष (एन)		योग (एन+एन-1)	आगामी वर्ष (एन+1)	आगामी वर्ष (एन+2)	आगामी वर्ष (एन+3)	टिप्पणी
		वास्तविक/संपरीक्षित	अपील/सितावर (साप्ताहिक)	अकटुपूर-मार्च (सांक्रान्तिक)	योग (एन+एन-1)					
1	पूजीगत आस्तियों की लागत के लिए उपयोगिता अंशवान एन-योग									
1	पूजीगत आस्तियों की लागत के लिए सहायिकियां									
2	पूजीगत आस्तियों की लागत के लिए अनुदान									
	सप-योग									
	योग									

याचिकाकर्ता

विवरण अनुसूची का नाम
आपूर्ति का अनुशासिका क्षेत्र

प्रपत्र एफ 8.1
पूँजीगत व्यय का पत्रक

(आंकड़े रुपये करोड़ में)

विवरण	वित्तिय वर्ष का संज्ञोक्ति	वर्ष (एन-1) वार्षिक/संगठित	वर्तमान वर्ष (एन)		योग (एन-1-एन)	आगामी वर्ष (एन+1) प्रक्षेपित	आगामी वर्ष (एन+2) प्रक्षेपित	आगामी वर्ष (एन+3) प्रक्षेपित	टिप्पणी+	सकल प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कुल व्यय	वर्षवार कुल व्यय	टिप्पणी +
			अनुदान-मार्ग (आंकड़ित)	अन्य/विद्यमान (वार्षिक)								
ए) अन्य विवरण												
ए) मुद्रि												
बी) भवन												
सी) मुख्य सिविल कार्य												
डी) संयंत्र व मशीनरी												
ई) वाहन												
एफ) कर्मचार व फिक्स्चर्स												
जी) उपयोगी व्यय उपकरण व अन्य												
योग (ए)												
बी) वित्त पोषण के स्रोतों का विवरण												
संपत्ति भावितिक ऋण												
ऋण 1												
ऋण 2												
विदेशी मुद्रा ऋण												
ऋण 1												
ऋण 2												
द्विपटी												
रूपरे में												
विदेशी मुद्रा में												
सी) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)												
पूँजीगत अनुदान / सहायिकियां												
उपरोक्ता अनुदान												
योग (बी)												

टिप्पणी:

- 1) जहां कहीं विवरण की आवश्यक है प्रवृत्तित दस्तावेजों के साथ ऋणों व द्विपटी वित्त पोषण के साब्य में दी जाए।
- 2) सक्षम प्राधिकारियों से अनुमोदन की प्रतियां परिचयना की जाए, इसके घटकों व वित्त पोषण योजना के साब्य में प्रस्ताव की जाए।
- 3) टिप्पणियां + : यदि वर्तमान वर्ष की अंतिम के दौरान वार्षिक व्यय पूर्णवारी तक व्यय प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा अनुमोदित से निम्न होनी की अपेक्षा है तो विवरण के कारणों को स्पष्ट करें।
टिप्पणियां. + + : यदि कुल वार्षिक व्यय प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा अनुमोदित से निम्न है, तो विवरण के कारणों को स्पष्ट करें।

युक्तिकाकर्ता

विवरण अनुशाही का नाम
आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र

प्रपत्र एफ 6.2
पंजीगत प्रगतिस्त कार्यों का पत्रक

(आंकड़े रुपये करोड़ में)

क्र.सं०	विवरण	वर्ष 1	गत वर्ष (एन-1) वास्तविक/संपरोक्षित	वर्तमान वर्ष (एन)		योग(अप्रैल-मार्च)	आगामी वर्ष (एन+1) प्रक्षेपित	आगामी वर्ष (एन+2) प्रक्षेपित	आगामी वर्ष (एन+3) प्रक्षेपित	टिप्पणी
				अप्रैल/सितम्बर (वास्तविक)	अक्टूबर-मार्च (आंकड़ित)					
1	सीडब्ल्यूआईपी का प्रारम्भिक अभियोग									
2	जॉइन्ट : नये निवेश पंजीगत व्यय पंजीकृत व्यय निर्माण के दौरान व्यय									
3	घटाकर : पूंजीकृत निवेश									
4	सीडब्ल्यूआईपी का अंत अभियोग									

याचिकाकर्ता

विषय: अनुसूची का नाम
आगुती का अनुसूचित क्षेत्र

प्रपत्र एफ 6.3
पूँजी लागत व वित्त पोषण संरचना का विवरण

वर्षांत मार्च	वित्तीय वर्ष का संज्ञांकी	संत वर्ष (एन-1) (एकविक/सं परीक्षित)	सर्वमान वर्ष (एन)		आगामी वर्ष (एन+1) (एन+1)	आगामी वर्ष (एन+2) (एन+2)	आगामी वर्ष (एन+3) (एन+3)	टिप्पणी
			वर्षांत-वर्ष (आवधिक)	वर्षांत-वर्ष (आवधिक)				
मूल परियोजना वित्तीय मानदंड								
पूँजी लागत	वर्ष की अवधि में परिवर्धन							
	वर्ष की अवधि में विलोपन							
सकल पूँजी लागत (-ए)								
मूल परियोजना लागत के बकाया इक्विटी	वर्ष की अवधि में परिवर्धन							
	इक्विटी उप-योग- (बी)							
मूल परियोजना लागत के बकाया ऋण	वर्ष की अवधि में जुड़े नये ऋण							
	ऋण उप-योग- (सी)							
मूल परियोजना लागत के बकाया अनुदान	वर्ष की अवधि में परिवर्धन							
	अनुदान उप-योग- (डी)							
	कुल वित्त पोषण (बी+सी+डी)							

(आंकड़े रुपये करोड़ में)

याचिकाकर्ता

नोट:
1. * अनुसूचित या आवधिक पूँजी लागत जो भी कम हो।
2. इक्विटी व ऋण, यदि लागू हों, तो विदेशी व शरूत बटक में विभाजित की जायेगी।

वितरण अनुज्ञापी का नाम

**प्रपत्र एफ 6.4
प्रगतिसत पूंजीगत कार्य का पत्रक**

(आंकड़े ₹० करोड़ में)

विवरण	गत वर्ष (एन-1) (वास्तविक/संप संश्लिष्ट)		वर्तमान वर्ष (एन) अक्टूबर-मार्च (आंकलित)		योग (एन-1+एन)		आगामी वर्ष (एन+1)	आगामी वर्ष (एन+2)	आगामी वर्ष (एन+3)	टिप्पणी
	अप्रैल-सितम्बर (वास्तविक)	अप्रैल-सितम्बर (आंकलित)	अप्रैल-सितम्बर (वास्तविक)	अप्रैल-सितम्बर (आंकलित)	अप्रैल-सितम्बर (वास्तविक)	अप्रैल-सितम्बर (आंकलित)	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	
सीडब्ल्यू आईपी की प्रारंभिक अधिशेष										
क) बहियों के अनुरूप प्रारंभिक सीडब्ल्यू आईपी का प्रारंभिक अधिशेष										
ख) उपरोक्त (क) में पूंजी देयताओं की राशि										
ग) उपरोक्त (क) में (i) आईडीसी, (ii) एफसी, (iii) एफईआरवी) और (iv) डेजिंग लागत की राशि										
घ) परिशुद्धन/समायोजन										
क) अवधि के दौरान सीडब्ल्यू आईपी राशि में परिवर्धन/समायोजन										
ख) उपरोक्त (क) में पूंजी देयताओं की राशि										
ग) उपरोक्त (क) में (i) आईडीसी, (ii) एफसी, (iii) एफईआरवी) और (iv) डेजिंग लागत की राशि										
पूंजीकृत व्यय										
क) अवधि के दौरान सीडब्ल्यू आईपी की राशि नियत आस्तियों का पूंजीकरण/स्थानांतरण										
ख) उपरोक्त (क) में पूंजी देयताओं की राशि										
ग) उपरोक्त (क) में (i) आईडीसी, (ii) एफसी, (iii) एफईआरवी) और (iv) डेजिंग लागत की राशि										
सीडब्ल्यू आईपी का अन्तिम अधिशेष										
क) बहियों के अनुसार अन्तिम सीडब्ल्यू आईपी राशि										
ख) उपरोक्त (क) में पूंजी देयताओं की राशि										
ग) उपरोक्त (क) में (i) आईडीसी, (ii) एफसी, (iii) एफईआरवी) और (iv) डेजिंग लागत की राशि										

याधिकाकर्ता

वितरण अनुज्ञापनी का नाम

प्रपत्र एक 6.6

वितरण प्रणाली के लिए परियोजना/ याचिका / पत्र लागत के घटक-वार और

क्र.सं. (1)	मूल अनुमान के अनुसार (5)		लागत (जैसे लागत में)		अंतर (6-3-4-5)	अंतर के लिए कारण (7)	संबंधित लागत (8)
	शुद्ध	पर	अनुमानित प्रति	वस्तु			
A	परिप्रेषण लाईन						
1.0	प्रारंभिक कार्य						
1.1	डिजाइन एवं इंजीनियरिंग						
1.2	प्रारंभिक निरीक्षण, प्रांगणिकार, भूत अनायति फीटिंगरी, सामान्य सिविल कार्य आदि।						
1.3	मूल प्रारंभिक कार्य						
2.0	परिप्रेषण लाईन सामग्री						
2.1	इस्पात						
2.2	कंकट						
2.3	अर्थ तार						
2.4	इंसुलेटर्स						
2.5	कंडक्टर सिटिंगस						
2.6	कंडक्टर और अर्थ तार सामग्री						
2.7	पुर्वा						
2.8	निर्माण, तार डी और सिविल कार्य किफाते नीय भी सम्मिलित है						
	कुल परिप्रेषण लाईन सामग्री						
3.0	कर और शुल्क						
3.1	सीमा शुल्क						
3.2	जान्य कर और शुल्क						
	कुल कर और शुल्क						
	कुल कर और शुल्क						
	कुल - परिप्रेषण लाईन						
	उप-स्टेशन						
4.0	प्रारंभिक कार्य और पुनि						
4.1	डिजाइन एवं इंजीनियरिंग						
4.2	पुनि						
4.3	पत्राल की पैगारी						
	कुल प्रारंभिक कार्य और पुनि						

क्र.सं. (1)	मूल अनुदान के अनुसार (2)			सौम्योद्दी वार्षिक पूंजी के खाते में (4)			देवता/उपबंध (6)	अंतर (5=3-4-5)	अंतर के लिए आवक (7)	स्वीकृत तागत (8)
	व्यय	दर	अनुमानित राशि	प्राप्त	दर	अनुमानित राशि				
10.1	स्वतः पर्यवेक्षण और स्वतः प्रशासन आवे									
10.2	उपकरण एवं संपदा									
10.3	निर्माण बीमा									
	कुल निर्माण और रखरखाव के कुल खर्चे									
11.0	उपरिर्णीत									
11.1	स्थापना									
11.2	संपर्कता और लेखा									
11.3	आकस्मिक व्यय									
	कुल उपरिर्णीत									
12.0	संयंत्र तथा उपकरण की लागत									
13.0	पूंजी लागत संबंध तथा उपकरण									
13.1	निर्माण के दौरान व्यय (आवृत्तीय)									
13.2	विद्युत्प्रेषण प्रसार (एकरी)									
13.3	सिरेसी मुल दर परिवर्तन (एकरी/वर्ष)									
13.4	प्रतिस्था लागत									
	कुल आवृत्तीय, एकरी, एकरी/वर्ष एवं प्रतिस्था लागत									
	पूंजी लागत जिसमें आवृत्तीय, एकरी, एकरी/वर्ष तथा प्रतिस्था लागत भी शामिल है									

टिप्पणी:

1. तागत अंतर के संबंध में इन अंतर के कारणों का उल्लेख करते हुए एक विस्तृत टिप्पणी प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें स्पष्ट संकेत हो कि क्या यह आविष्य परंपरा अनुसूचितकारी के नियंत्रण से बाहर था।
2. फील्ड/पेटेंट पर सुविधा का अंतर-बलाग विवरण दें।

याचिकाकर्ता

वितरण अनुज्ञापी का नाम

प्रपत्र एफ 6.7
वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि के पश्चात अतिरिक्त पूंजीकरण का पत्रक

(लाकड़े ₹0 करोड़ में)

क्र० सं०	वर्ष	अंतिम तिथितक/अंतिम तिथि के बाद वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि के पश्चात जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित कार्य/उपकरण	पूंजीकृत/पूंजीकृत किए जाने के लिए प्रस्तावित राशि	अधिकृत	किस विनियम के अधीन आवकादित है	स्वीकृत लागत 1
1						
2						
3						
4						
5						

1. यदि परियोजना पूरी कर ली गई है और कोई टेरिफ अधिसूचना पूर्व में ही जारी की गई है, तो (प्राधिकारी का नाम) द्वारा पहले से जारी की गई टेरिफ अधिसूचना के प्रयोजन के लिए यथा स्वीकृत लागत देते हुए स्तंभ 7 को भरें (टेरिफ आदेश की प्रति संलग्न करें)।

टिप्पणी:

- प्रारूप को क्रमानुसार वर्ष-वार भरें जिसमें लाभाधिक्यों की आवश्यकता और प्रकृत लाभ का ब्यौरा औचित्यपूर्ण तथा स्पष्ट रूप से दर्शित करें।
- यदि आर्थिक पुर्जों किसी भी उपकरण के साथ क्रय किये जाते हैं तो ऐसे पुर्जों की लागत पृथक रूप से इंगित की जानी चाहिए।
- आस्तियों के पूंजीकरण विहीनता के बारे में पृथक विवरण प्रस्तुत किये जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त इन आस्तियों का बहियों में दर्ज मूल मूल्य एवं ऐसी आस्ति के पूंजीकरण का वर्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जहाँ डिस्कैस अनुमानित आधार पर है, उन्हें अलग से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता

वितरण अनुज्ञापी का नाम
आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र

प्रपत्र एफ 6.8

अतिरिक्त पूंजीकरण के वित्तपोषण

(आंकड़े रु0 करोड़ में)

वित्तीय वर्ष (वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से आरंभ)	(वार्षिक/ अनुमानित)					स्वीकृत				
	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5 और उससे आगे	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5 और उससे आगे
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कार्य/उपकरण में पूंजीकृत राशि										
वित्तीय विवरण										
ऋण-1										
ऋण-2										
ऋण-3 और उससे आगे										
कुल ऋण										
इविकटी										
आंतरिक संसाधन										
अन्य										
योग										

टिप्पणी:

1 नये घटकों के संबंध सम्बन्ध में वर्ष 1 वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि के वित्तीय वर्ष को निर्दिष्ट करता है। प्रचलित घटकों के लिए यह 20.04.15 से और वर्ष 2 तथा वर्ष 3 आदि क्रमशः पश्चातवर्ती वर्ष है।
2 अतिरिक्त पूंजीकरण आवश्यकता के लिए ऋण का ब्यौरा प्रारूप 9 या 9 (a), जो भी सुसंगत हो, के अनुसार दिए जाने चाहिए।

याचिकाकर्ता

वितरण अनुज्ञापी का नाम

प्रपत्र एफ 6.9
निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय

(आंकड़े ₹0 करोड़ में)

क्र०सं०	मानदण्ड	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5
A	व्यय:					
1	कर्मचारी के पारिश्रमिक एवं लाभ					
2	वित्त लागत					
3	जल प्रभार					
4	संचार खर्च					
5	विद्युत प्रभार					
6	अन्य कार्यालय एवं प्रशासनिक व्यय					
7	अन्य (कृपया विवरण दें)					
8	अन्य पूर्व प्रचालन व्यय					
B	कुल व्यय					
	घटाएं: निविदाओं की विक्री से आय					
	घटाएं: अतिथि गृह से आय					
	घटाएं: ठेकेदार से वसूली गई आय					
	घटाएं: जमा पर ब्याज					

टिप्पणी: आईडीसी का लेखा परीक्षक के प्रमाण पत्र के समतुल्यी आंकड़ों के साथ विधिवत मिलान किया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता

वितरण अनुज्ञापी का नाम

प्रपत्र एफ 6.10

पूजीकरण निरसन का पत्रक

(आकड़े रु० करोड़ में)

क्र०सं०	पूजीकरण निरसन का वर्ष	पूजीकरण निरसन के लिए प्रस्तावित कार्य/उपकरण	पूजीकरण निरसित की जा रही आस्ति/उपकरण के पूजीकरण का वर्ष	पूजीकरण निरसित की जा रही आस्ति का मूल बही मूल्य	पूजीकरण के समय ऋण इक्विटीअनुपात	पूजीकरण निरसन के समनुरूपी संवधी अवसथा	पूजीकरण निरसन के समनुरूप ऋण का संवधी अदायगी	औचित्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2								
3								
4								
5								

याचिकाकर्ता

वितरण अनुज्ञापी का नाम
आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र

प्रपत्र एक 7.1

वितीय पैकेज का विवरण

निधियों का स्रोत	एक सी में राशि	दलियम दर	भारतीय मुद्रा में राशि	बायसी के निकलन	ग्रेस अवधि	ब्याज दर/इक्विटी पर प्रतिफल	गारंटी कमीशन	अपफंट फीस/प्रचर्जन प्रीवियम	कुल ऋण का %	कुल इक्विटी का %	कुल पी सी का %
	(मुद्रा का नाम)	(₹/एक सी)	(करोड़ ₹0 में)	(वर्ष)	(वर्ष)	(%)	(करोड़ ₹0 में)	(करोड़ ₹0 में)	(%)	(%)	(%)
(रु) ऋण											
विदेक:											
ऋण I											
ऋण II											
ऋण III											
ऋण IV इत्यादि											
भारतीय											
ऋण I											
ऋण II इत्यादि											
कुल ऋण (रु)											
(सी) इक्विटी											
विदेशी:											
भारतीय:											
कुल (सी) इक्विटी											
(सी) अनुदान											
विदेशी											
भारतीय											
कुल अनुदान (सी)											
कुल निच पोषण (ए + बी + सी)											
कुल परियोजना लागत											

नोट

1. सी ओ डी साहित कर कुकी परियोजनाओं के मामले में- परियोजना के सी ओ डी पर सूक्ष्म प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत वितीय पैकेज विवरण, समर्थक दस्तावेजों के साथ प्रारूप में प्रस्तुत किये जायेंगे।
2. परियोजनाओं जिन्हें पूर्णकृत किया जाना है, के मामले में सूक्ष्म प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित वितीय पैकेज विवरण समर्थित दस्तावेजों के साथ प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा।
3. एक सी = विदेशी मुद्रा
4. पी सी = परियोजना लागत

साधिकाकर्ता

क्रम सं०	क्रा. अंकन विवरण	निकासी-1			निकासी-2			निकासी - पुन (सी जो की)
		विदेशी मुद्रा में मात्रा	भारतीय रुपये में	विदेशी मुद्रा में मात्रा	भारतीय रुपये में	विदेशी मुद्रा में मात्रा	भारतीय रुपये में	
1.2	पूरा भारतीय अंकन की अंकन सीमा आरंभ की थी विद्यमान प्रसार							
1	निकासी विद्ये नये आरंभ का योग आरंभ की थी विद्यमान प्रसार एक ई. आर. सी प्रतिष्ठा संभार							
2	इसिल्टी							
2.1	निकासी की नई विदेशी इसिल्टी							
2.2	निकासी की नई भारतीय इसिल्टी							
2	पूरा अतिनिवेशित इसिल्टी							

नोट 1. अंकन व इसिल्टी की निकासी, कर्तव्यपूर्ण अनुसूची को पूरा करने के लिए निकासी कर एकत्री मात्र के आकार पर होगी। प्रारम्भ में उच्च इसिल्टी की निकासी अनुसूच्य है।
 2. संश्लेषण हेतु उपयोग की नई पुन-निष्ठा विधि सहित लागू व्याज दरें एकत्र कर से प्रस्तुत की जायें।
 3. यह सुनिश्चित परिवर्तन के मामले में, उपयोग किया गया पूर्वोक्त अनुपात प्रस्तुत किया जाये।

याचिकाकर्ता

आवामी वर्ग (एन+2)

आवामी वर्ग (एन+2)	व्यक्त की दर (%)	वापसी की अवधि (वर्ष)	वर्ष के आय का प्रतिशत	वर्ष के जीवन मूल्य का प्रतिशत	वर्ष के जीवन मूल्य का प्रतिशत	वर्ष के जीवन मूल्य का प्रतिशत	वर्ष के जीवन मूल्य का प्रतिशत	वर्ष के जीवन मूल्य का प्रतिशत	वर्ष के जीवन मूल्य का प्रतिशत	वर्ष के जीवन मूल्य का प्रतिशत
(1) राज्य सरकार से अल्पव्यायी	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
आय I (स्वायत्तता का नाम)										
आय II (स्वायत्तता का नाम)										
आय III (स्वायत्तता का नाम) इत्यादि										
उप-श्रेणी (ए)										
(बी) सरकारी आग										
प्रकार I										
प्रकार II										
प्रकार III इत्यादि										
उप-श्रेणी (बी)										
उप-श्रेणी (ए + बी)										
(सी) अल्पव्यायी आग										
श्रेणी (ए + बी + सी)										

आवामी वर्ग (एन+3)

आवामी वर्ग (एन+3)	व्यक्त की दर (%)	वापसी की अवधि (वर्ष)	वर्ष के आय का प्रतिशत	वर्ष के जीवन मूल्य का प्रतिशत	वर्ष के जीवन मूल्य का प्रतिशत	वर्ष के जीवन मूल्य का प्रतिशत	वर्ष के जीवन मूल्य का प्रतिशत	वर्ष के जीवन मूल्य का प्रतिशत	वर्ष के जीवन मूल्य का प्रतिशत	वर्ष के जीवन मूल्य का प्रतिशत
(1) राज्य सरकार से अल्पव्यायी	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
आय I (स्वायत्तता का नाम)										
आय II (स्वायत्तता का नाम)										
आय III (स्वायत्तता का नाम) इत्यादि										
श्रेणी (ए)										
(बी) सरकारी आग										
प्रकार I										
प्रकार II										
प्रकार III इत्यादि										
उप-श्रेणी (बी)										
उप-श्रेणी (ए + बी)										
(सी) अल्पव्यायी आग										
श्रेणी (ए + बी + सी)										

नोट: 1. यदि किसी आग का मूल अनुपूर्वीकरण किया गया है तो मूल अनुपूर्वीकरण के निम्नलिखित कालों में कर कायम रखा जायेगा जो कि निम्नलिखित कालों में निर्धारित किया जायेगा।
 2. मूल शिफ्ट प्रोपर्टी के अनुपार प्रत्येक आग में मूल शिफ्ट प्रोपर्टी का प्रतिशत 100 तक बढ़ाया जा सकता है।
 3. अनुपार अर्ध के लिए निम्नलिखित शिफ्ट प्रोपर्टी का प्रतिशत 100 तक बढ़ाया जा सकता है।
 4. अनुपार का मूल अनुपूर्वीकरण से अधिक नहीं होना चाहिए।
 5. शिफ्टी मुद्रा का मूल अनुपूर्वीकरण की मूल्य के अन्तर्गत रखा जायेगा।

यादिककर्ता

वितरण अनुज्ञापी का नाम
आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र

प्रपत्र एक 7.5
मानकीय ऋण पर ब्याज का परिकलन

विवरण	(आकड़े ₹0 करोड़ में)				
	वर्तमान 2011-12 (2)	2012-13 (3)	2013-14 (4)	2014-15 (5)	
(1)					
सकल ऋण आरम्भिक					
गत वर्ष तक मानकीय ऋण का सकल भुगतान					
शुद्ध मानकीय ऋण आरम्भिक					
वर्ष के दौरान वृद्धि या कमी					
घटाकर : वर्ष के दौरान मानकीय ऋण की वापसियां					
शुद्ध मानकीय ऋण अंत में					
औसत मानकीय ऋण					
वार्षिक आधार पर वास्तविक ऋण पर ब्याज की भारित दर					
मानकीय ऋण पर ब्याज					

यधिकारकर्ता

वितरण अनुज्ञाप्री का नाम
आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र

प्रपत्र एक 8

कार्यशील पूंजी पर ब्याज का विवरण

(संकेत 80 को देखें)

क्रम सं०	विवरण	पूर्व वर्ष (एन-1)		वर्तमान वर्ष (एन)		वैयक्तिक-विकास (एन+1)	वैयक्तिक-विकास (एन+2)	वैयक्तिक-विकास (एन+3)	टिप्पणी
		वैयक्तिक-विकास (एन+1)	वैयक्तिक-विकास (एन+2)	वैयक्तिक-विकास (एन+3)	वैयक्तिक-विकास (एन+4)				
1	और पूर्व एन व्यय (1 माह के बराबर)								
2	अनुसूचित क्षेत्रों (प्रधान एवं अनुसूचित क्षेत्रों का 15%)								
3	प्राय (उपरोक्त विधियों के दो माह)								
	घटाकर :								
4	प्रतिभूति जमा के रूप में रखे गये समायोजन								
5	जब की गईं कर्जा की लागत का एक माह समतुल्य								
6	कार्यशील पूंजी आवक								
7	ब्याज दर (स्टेट बैंक अखिल दर एस (सी ए आर)								
8	कार्यशील पूंजी पर ब्याज								

संशोधक

वितरण अनुज्ञापी का नाम
आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र

प्रपत्र एफ 9

अशोध्य ऋणों के लिए प्राक्धान

क्रम सं०	मद	पूर्व वर्ष (एन-1) (आवधिक/ संपरीक्षित)	वर्तमान वर्ष (एन)		आगामी वर्ष (एन+1) प्रक्षेपित	आगामी वर्ष एन+2) प्रक्षेपित	आगामी वर्ष एन+3) प्रक्षेपित
			अप्रैल - सितम्बर (आवधिक)	अक्टूबर-मार्च (आवधिक)			
1	प्रायों का आरम्भिक अधिशेष						
2	वर्ष के आरम्भ में उपलब्ध कुल प्राक्धान						
3	उपलब्ध प्राक्धानों का कुल (2/1 x 100)						
4	बिल किया गया राजस्व						
5	अशोध्य ऋणों के लिये प्राक्धान (4 का 1 %)						

(लाकड़े रु0 करोड़ में)

अशोध्य ऋणों के लिये प्राक्धान पर केवल तब तक विचार किया जायेगा जब तक कम संख्या 3, 5.00% से अधिक नहीं हो।

याचिकाकर्ता

वितरण अनुसूची का नाम
आपूर्ति का अनुशासित क्षेत्र

पृष्ठ संख्या 10

इकित्ती पर प्रतिकूल

(अंशके का फॉर्म की)

क्रम सं०	व्यक्ति का नाम	वर्ष के आरम्भ में इकित्ती	वर्ष के अंत में इकित्ती	वर्ष के आरम्भ में (एन-1)		वर्ष के अंत में (एन-2)	वर्ष के अंत में (एन-3)	
				वर्ष के आरम्भ में (एन-1)	वर्ष के अंत में (एन-1)		वर्ष के अंत में (एन-3)	वर्ष के अंत में (एन-3)
1	वर्ष के आरम्भ में इकित्ती							
2	पूरीमत व्यय							
3	पूरीमत व्यय का इकित्ती भाग							
4	वर्ष के अंत में इकित्ती							
	प्रतिकूल संगणन							
5	इकित्ती के आरम्भिक अधिशेष पर इकित्ती पर प्रतिफल							

व्यक्तिगत

वितरण अनुज्ञापी का नाम

प्रपत्र एफ 10.1
अतिरिक्त आर.ओ.ई का विवरण

(आंकड़े रू0 करोड में)

परियोजना/त्त व	समापन समय निवेश अनुमोदन के अनुसार		वास्तविक समापन समय			अर्हक समय अनुसूची (विनियम के अनुसार) (माह में)
	प्रारंभ की तिथि	अनुसूचित सीओडी (तिथि)	माह	प्रारंभ की तिथि	वास्तविक सीओडी (तिथि)	
1						
2						
3						
4						
.....						
.....						

याधिकाकर्ता

वितरण अनुज्ञापी का नाम
आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र

प्रपत्र एक 11

नगर शुल्क आय का वितरण

(आंकड़े रु० करोड़ में)

क्रम सं०	विवरण	वर्तमान वर्ष (एन)		आगामी वर्ष (एन+1) प्रक्षेपित	आगामी वर्ष (एन+2) प्रक्षेपित	आगामी वर्ष (एन+3) प्रक्षेपित	टिप्पणी
		अप्रैल-मार्च (आंकड़ित)	अप्रैल-मार्च (प्रक्षेपित)				
ए)	उपभोक्ताओं से विविध आय	कौशल - वित्त (आंकड़ित)	अप्रैल-मार्च (आंकड़ित)	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	
1.	मीटर/सेवा लाइन किराया						
2.	उपभोक्ताओं से विविध प्रकार						
3.	डी पी एस						
	एन-अन/ए						
बी)	अन्य विविध प्रकार						
4.	नियंत्रण से आय						
5.	उपकरणों व रद्दी का विक्रय						
6.	वैलिंग प्रकार						
7.	विविध प्राप्तियों से आय						
	एन-अन/ए						
सी)	ट्रेडिंग/यू आई						
8.	अंतरराज्यी विक्रय/घिड़ विक्रय हैंडलिंग प्रकार						
	योग						

यापिकाकर्ता

आगामी वर्ष (पृष्ठ+1)

क्रम सं०	उत्प्रेषण अधिनियम संख्या	संशोधन संख्या (ले संख्या)	विधायक संख्या (कम/से.संख्या/एच.)	श्रीमती श्री श्री संख्या	सर्वांगी संख्या (कम/से.संख्या/एच.)	आयोजन द्वारा संशोधित कोई अन्य संख्या (सिद्धिपत्र सं०)	विधायक संख्या से संख्या	सर्वांगी संख्या से संख्या	संख्या संख्या से संख्या	संख्या संख्या से संख्या
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7+8+9
2										
3										
4										
5										
	कुल									

आगामी वर्ष (पृष्ठ+2)

क्रम सं०	उत्प्रेषण अधिनियम संख्या	संशोधन संख्या (ले संख्या)	विधायक संख्या (कम/से.संख्या/एच.)	श्रीमती श्री श्री संख्या	सर्वांगी संख्या (कम/से.संख्या/एच.)	आयोजन द्वारा संशोधित कोई अन्य संख्या (सिद्धिपत्र सं०)	विधायक संख्या से संख्या	सर्वांगी संख्या से संख्या	संख्या संख्या से संख्या	संख्या संख्या से संख्या
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7+8+9
2										
3										
4										
5										
	कुल									

आगामी वर्ष (पृष्ठ+3)

क्रम सं०	उत्प्रेषण अधिनियम संख्या	संशोधन संख्या (ले संख्या)	विधायक संख्या (कम/से.संख्या/एच.)	श्रीमती श्री श्री संख्या	सर्वांगी संख्या (कम/से.संख्या/एच.)	आयोजन द्वारा संशोधित कोई अन्य संख्या (सिद्धिपत्र सं०)	विधायक संख्या से संख्या	सर्वांगी संख्या से संख्या	संख्या संख्या से संख्या	संख्या संख्या से संख्या
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7+8+9
2										
3										
4										
5										
	कुल									

संशोधन

सर्वेक्षण प्रमाणिका

क्र.सं.	विकास क्षेत्र का नाम	विकास क्षेत्र का कोड	विकास क्षेत्र का प्रकार	विकास क्षेत्र का स्थिति	विकास क्षेत्र का क्षेत्रफल		विकास क्षेत्र का जनसंख्या	विकास क्षेत्र का लिंगानुपात	विकास क्षेत्र का साक्षरता दर	विकास क्षेत्र का औद्योगिक उत्पादन	विकास क्षेत्र का कृषि उत्पादन	विकास क्षेत्र का वन्य जीव संरक्षण	विकास क्षेत्र का पर्यटन संसाधन	विकास क्षेत्र का अन्य विशेषता
					कुल क्षेत्रफल	कृषि क्षेत्रफल								
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														
34														
35														
36														
37														
38														
39														
40														
41														
42														
43														
44														
45														
46														
47														
48														
49														
50														
51														
52														
53														
54														
55														
56														
57														
58														
59														
60														
61														
62														
63														
64														
65														
66														
67														
68														
69														
70														
71														
72														
73														
74														
75														
76														
77														
78														
79														
80														
81														
82														
83														
84														
85														
86														
87														
88														
89														
90														
91														
92														
93														
94														
95														
96														
97														
98														
99														
100														

[अन्य जानकारी]

वितरण अनुज्ञापी का नाम
आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र

प्रपत्र एक 15

संग्रहण दसता

(आंकड़े ला करोड में)

क्रम सं०	वितरण	पूर्व वर्ष (एन-1) (साप्ताहिक / सप्ताहिक)	वर्तमान वर्ष (एन)			आगामी वर्ष (एन+1) वर्ष (एन+2)	आगामी वर्ष (एन+3) वर्ष (एन+3)	टिप्पणी
			अधीन- सिखा (साप्ताहिक)	अकटु- वर्ष (आकलित)	योग (अधीन- सिखा)			
	एच टी श्रेणी							
	श्रेणी-1							
	...							
	श्रेणी -ग							
	एल टी श्रेणी							
	श्रेणी-1							
							
	श्रेणी -एन							
	योग							

याचिकाकर्ता

वितरण अनुज्ञापी का नाम
आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र

प्रपत्र एक 16

सहीकरण का सार

अंतिम सहीकरण के लिये पूर्व वर्ष (सन +1)

क्रम सं०	विवरण	अनुमोदित	सामयिक	विकल्प	विकल्प हेतु आपन	निरंकणीय	अनिर्दिष्टणीय
1	छुर्जा काय व्यय						
2	प्रचालन एवं अनुपालन व्यय						
2.1	कर्मचारी व्यय						
2.2	प्रशासन एवं सामान्य व्यय						
2.3	भरभरा एवं रखरखाव व्यय						
3	अकलाय के सभस अधिन संहित अकलाय						
4	दीर्घवर्षि ऋण पूँजी पर व्याज						
5	कार्यशील पूँजी व उपभोगिता प्रतिभूति जमा पर व्याज						
6	पट्टा प्रसार						
7	अन्य व्यय (कृपया विवरण तैयार करें)						
8	आय कर						
9	पारिषद अनुज्ञापी का सदाय परिषद प्रसार						
10	पन पल डी सी/आर पल डी सी/एसएलडीसी प्रसार						
11	अशोध्य व संविष ऋणों के लिए प्राक्कान						
	कुल व्यय						
डी	इन्विस्टी पर प्रतिफल						
सी	शालस						
1	विद्युत के विक्रय से राजस						
2	अन्य आय						

नोट: कृपया अनियन्त्रीय अयोग्य कारकों के कारण आपरिचालन हेतु पृथक रूप से विस्तृत स्पष्टीकरण दें।

अस्थायी सहीकरण के लिये वर्तमान वर्ष (एन)

(आंकड़े तालु करके भी)

क्रम सं०	विवरण	अनुमोदित	वार्षिक	विचलन	विचलन हेतु कारण	निवर्णनीय	अनिवर्णनीय
1	कर्जा व्यय						
2	प्रचालन एवं अनुसूचना व्यय						
2.1	कर्मचारी व्यय						
2.2	प्रशासन एवं सामान्य व्यय						
2.3	संरचना एवं रखरखाव व्यय						
3	अवकाश के सम्बन्ध में अग्रिम सहित अवकाश						
4	दीर्घवधि ऋण पूंजी पर व्याज						
5	कार्यशील पूंजी व उपभोग्य प्रतिभूति जमा पर व्याज						
6	पट्टा प्रभार						
7	अन्य व्यय (कृपया विवरण तैयार करें)						
8	आय कर						
9	पारिश्रम अनुज्ञापी का संदाय पारिश्रम प्रभार						
10	एन एल डी सी/आर एल डी सी/एसएलडीसी प्रभार						
11	असाध्य व संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान						
	कुल व्यय						
सी	इकित्ती पर प्रतिफल						
सी	धनस्र						
1	विद्युत के विक्रय से राजस्व						
2	अन्य आय						

नोट: कृपया अनियन्त्रणीय अयोग्य कारकों के कारण आए विचलन हेतु पृथक रूप से विस्तृत स्पष्टीकरण दें।

याचिकाकर्ता

वितरण अनुज्ञापी का नाम
आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र

प्रपत्र एक 17.1

प्रणाली औसत वयवधान आवृत्ति सूचकांक (एस ए आई एक आई ई)

माह	A_i = पत्रमाह हेतु ईई पोषक पर वारिक व्यवधान (प्रत्येक 5 मिनट से अधिक) की कुल संख्या	N_i = प्रत्येक व्यवधान के कारण ईका प्रभावित पोषक का संयोजित माह	N_i = वितरण अनुज्ञापी के आपूर्ति क्षेत्र में 11 के भी में कुल संयोजित माह	n = आपूर्ति के अनुभावित क्षेत्र में 11 केभी पोषकों की संख्या (पृथक रूप से सूचि माह सेवा करने वाले पोषकों को छोड़कर)	SAIFIE $\sum_{i=1}^n \frac{(A_i \times N_i)}{N_i}$
अप्रैल					
मई					
जून					
जुलाई					
अगस्त					
सितम्बर					
अक्टूबर					
नवम्बर					
दिसम्बर					
जनवरी					
फरवरी					
मार्च					
कुल					

नोट: 1. पोषकों का शहरी व ग्रामीण के रूप में पृथकरण किया जाये तथा सूचकांकों का मूल्य प्रत्येक माह हेतु पृथक रूप से रिपोर्ट किया जाये।

2. सूचकांकों का परिकलन उविनिष्ठा (कार्य निष्पादन के मानक) विनियम, 2007 में विनिर्दिष्ट कार्यावधि के अनुसार किया जाये।

याचिकाकर्ता

वितरण अनुज्ञापी का नाम _____
 आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र _____

प्रपत्र एक 172

प्रणाली औसत व्यवसाय अवधि सूचकांक (एस ए आई डी आई)

माह	B_i = माह हेतु t वें पोषक पर सभी घातित व्यवधानों की कुल अवधि	N_i = प्रत्येक व्यवधान के कारण प्रभावित पोषक का संयोजित माह	N_i = वितरण अनुज्ञापी के आपूर्ति क्षेत्र में 11 के० वी० पर कुल संयोजित माह	n = आपूर्ति के अनुज्ञापित क्षेत्र में 11 के० वी० पोषकों की संख्या (मुख्य रूप से कृषि माह सेवा करने वाले पोषकों को छोड़कर)	SAIDI $\frac{\sum_{i=1}^n (B_i \times N_i)}{N_i}$
अप्रैल					
मई					
जून					
जुलाई					
अगस्त					
सितम्बर					
अक्टूबर					
नवम्बर					
दिसम्बर					
जनवरी					
फरवरी					
मार्च					
Total					

नोट: 1. पोषकों का शहरी व ग्रामीण के रूप में पृथक्करण किया जाये तथा सूचकांकों का मूल्य प्रत्येक माह हेतु पृथक रूप से रिपोर्ट किया जाये।

2. सूचकांकों का परिकलन उविनिआ (कार्य निष्पादन के मानक) विनियम, 2007 में विनिर्दिष्ट कार्यावधि के अनुसार किया जाये।

याचिकाकर्ता

वितरण अनुज्ञापी का नाम _____
 आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र _____

प्रपत्र एफ 17.3

क्षणिक औसत व्यवधान आवृत्ति सूचकांक (एम ए आई एफ आई)

माह	C_1 = माह हेतु वे पोषक पर सभी धारित व्यवधानों की कुल संख्या (प्रत्येक 5 मिनट के बराबर या उससे कम)	N_1 = प्रत्येक व्यवधान के कारण प्रभाषित ई वे पोषक का संयोजित माह	N_2 = वितरण अनुज्ञापी के आपूर्ति क्षेत्र में 11 के बी पर कुल संयोजित माह	n = आपूर्ति के अनुज्ञापित क्षेत्र में 11 केबी पोषकों की संख्या (मुख्य रूप से कुछि माह सेवा करने वाले पोषकों को छोड़कर)	$\frac{MAIFI}{En Ai \times Ni}$ Ne i=1
अप्रैल					
मई					
जून					
जुलाई					
अगस्त					
सितम्बर					
अक्टूबर					
नवम्बर					
दिसम्बर					
जनवरी					
फरवरी					
मार्च					
योग					

नोट:

1. पोषकों का शहरी व ग्रामीण के रूप में पृथक्करण किया जाये तथा सूचकांकों का मूल्य प्रत्येक माह हेतु पृथक रूप से रिपोर्ट किया जाये।
2. सूचकांकों का परिकलन उविनिष्ठा (कार्य निष्पादन के मानक) विनियम, 2007 में विनिर्दिष्ट कार्यावधि के अनुसार किया जाये।

याचिकाकर्ता

वितरण अनुज्ञापी का नाम _____
आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र _____

प्रपत्र एफ 18.1

शंट कैपेसिटर परिवर्धन / मरम्मत कार्यक्रम

क्रम सं०	विवरण	क्षमता (एम वी ए आर)
कैपेसिटर परिवर्धन		
1	पूर्व वर्ष के अंत में कुल कैपेसिटर्स आवश्यक	
2	पूर्व वर्ष के अंत में वास्तविक रूप से संस्थापित कैपेसिटर्स	
3	पूर्व वर्ष के अंत में बैक लॉग/कमी (1-2)	
4	वर्तमान वर्ष के लिए अतिरिक्त आवश्यकता	
5	वर्तमान वर्ष के दौरान जोड़े जाने के लिए आवश्यक कुल क्षमता (3+4)	
6	वर्तमान वर्ष के प्रथमार्ध के दौरान वास्तव में संस्थापित	
7	वर्तमान वर्ष के द्वितीयार्ध हेतु लक्ष्य	
8	वर्तमान वर्ष की अवधिके दौरान जोड़े जाने के लिये संभावित कुल कैपेसिटर्स (6+7)	
9	वर्तमान वर्ष के अंत तक उपलब्ध होने वाली संभावित कुल क्षमता (2-11)	
10	कमी यदि कोई है (5-9)	
त्रुटिपूर्ण शंट कैपेसिटर्स की मरम्मत		
11	पूर्व वर्ष के अंत में	
12	पूर्व वर्ष के अंत तक उपलब्ध शुद्ध क्षमता (2-8)	
13	वर्तमान वर्ष के प्रथमार्ध में क्षतिग्रस्त कैपेसिटर्स	
14	वर्तमान वर्ष के प्रथमार्ध में मरम्मत किये गये कैपेसिटर्स	
15	वर्तमान वर्ष के प्रथमार्ध के अंत तक उपलब्ध शुद्ध क्षमता (12-13+14)	
16	वर्तमान वर्ष के अंत क्षतिग्रस्त कैपेसिटर्स का लक्ष्य स्तर	
17	वर्तमान वर्ष के अंत तक उपलब्ध होने वाली संभावित शुद्ध क्षमता (9-16)	
18	वर्तमान वर्ष के अंत तक शुद्ध कमी (5-17)	

उपरोक्त पत्रक के साथ, उसके कारणों एवं सुधार हेतु किये गये उपायों/नियोजित उपायों का विस्तृत नोट संलग्न किया जाये।

याचिकाकर्ता

वितरण अनुज्ञापी का नाम

 आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र

प्रपत्र एफ 18.2

विद्युत दुर्घटनाएँ

दुर्घटना का प्रकार	दुर्घटनाओं की संख्या					
	पूर्व वर्ष			वर्तमान वर्ष		
	घातक	अघातक	योग	घातक	अघातक	योग
मानवीय						
पशु						
योग						

उपरोक्त विवरण के साथ उसके कारणों, प्रकार हेतु किये गये उपायों/निरीक्षित उपायों का विस्तृत नोट संलग्न होना चाहिये।

याचिकाकर्ता

वितरण अनुज्ञापी का नाम _____
 आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र _____

प्रपत्र एफ 18.3

पोषक ट्रिपिंग के कारण आउटैजेंज का सार

क्रम सं०	वर्ष	पूर्व वर्ष			वर्तमान वर्ष (वास्तविक)		
		पोषकों की संख्या	ट्रिपिंग की संख्या	ट्रिपिंग की (घंटे) कुल अवधि	पोषकों की संख्या	ट्रिपिंग की संख्या	ट्रिपिंग (घंटे) कुल अवधि
1	पोषक वोल्टेज स्तर - 1						
2	पोषक वोल्टेज स्तर - 2						
3	पोषक वोल्टेज स्तर - 3						
4	वोल्टेज स्तर-1 के लिए प्रति पोषक व्यवधान की औसत अवधि						
5	वोल्टेज स्तर-2 के लिए प्रति पोषक व्यवधान की औसत अवधि						
6	वोल्टेज स्तर-3 के लिए प्रति पोषक व्यवधान की औसत अवधि						

वितरण अनुज्ञापी के लिए वोल्टेज स्तर 600 केवी, 33 केवी और 11 केवी हैं प्रति पोषक औसत व्यवधान = व्यवधानों की कुल अवधि / (पोषकों की संख्या x ट्रिपिंग की संख्या) उपरोक्त चित्रण के साथ उसके कारणों, सुधार हेतु किये गये उपायों, नियोजित उपायों का विस्तृत नोट संलग्न होना चाहिये।

राष्ट्रिय

वितरण अनुज्ञापी का नाम
आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र

प्रपत्र एक 18.4

वर्ष के दौरान की गई श्रेणीवार लोड शीडिंग

क्रम सं०	विवरण	श्रेणी-1	श्रेणी-2	श्रेणी-3	अन्य विषय	योग
पूर्ववर्ती वर्ष						
1	एस. एल डी सी के अनुदेशों पर (झारन के नियंत्रण हेतु)					
2	एस एल डी सी के अनुदेशों पर (पारेषण अनुज्ञापी के नेटवर्क में अतिभार टालने के लिये)					
3	एस एल डी सी के अनुदेशों पर (डी पी सी एल नेटवर्क में कम वोल्टेज के कारण)					
4	पारेषण अनुज्ञापी के नेटवर्क में आउटोज के कारण					
5	स्वयं के नेटवर्क में आउटोज के कारण					
6	किसी अन्य वितरण अनुज्ञापी के नेटवर्क में आउटोज के कारण					
7	पारेषण अनुज्ञापी के नेटवर्क में पारेषण बाधकता के कारण					
8	स्वयं के नेटवर्क में अतिभार टालने के लिए					
9	किसी अन्य वितरण अनुज्ञापी के नेटवर्क में अतिभार टालने के लिये					
10	कोई अन्य कारण					
वर्तमान वर्ष (सिद्ध अवधि के लिये विशिष्ट के लिये पारवर्तित बाध्य उपलब्ध है)						
1	एस एल डी सी के अनुदेशों पर (झारन के नियंत्रण हेतु)					
2	एस एल डी सी के अनुदेशों पर (पारेषण अनुज्ञापी के नेटवर्क में अतिभार टालने के लिये)					
3	एस एल डी सी के अनुदेशों पर (डी पी सी एल नेटवर्क में कम वोल्टेज के कारण)					
4	पारेषण अनुज्ञापी के नेटवर्क में आउटोज के कारण					
5	स्वयं के नेटवर्क में आउटोज के कारण					
6	किसी अन्य वितरण अनुज्ञापी के नेटवर्क में आउटोज के कारण					
7	पारेषण अनुज्ञापी के नेटवर्क में पारेषण बाधकता के कारण					
8	स्वयं के नेटवर्क में अतिभार टालने के लिए किसी अन्य वितरण अनुज्ञापी के नेटवर्क में					
9	किसी अन्य वितरण अनुज्ञापी के नेटवर्क में अतिभार टालने के लिये					
10	कोई अन्य कारण					
वर्तमान वर्ष के लिये योग						

पूर्ववर्ती वर्ष/ का पत्रक तथा वर्तमान वर्ष हेतु वास्तविक उपलब्ध डाटा की अवधि प्रस्तुत की जाये।
सीम वोल्टेज उत्पन्न चढ़ाव व चढ़कीय सांसातिक अवकाश को लोड शीडिंग न माना जाये।
उपरोक्त पत्रक के साथ उसके कारणों, सुधार हेतु किये गयेसुधार/नियोजित उपायों का विस्तृत नोट संलग्न होना चाहिये।

याहिकावर्त

वितरण अनुज्ञाप्री का नाम _____
 आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र _____

प्रपत्र एक 1A.5

अतिगारित पोषक

व्यवस्थापक	केंद्र	पूर्व वर्ष				वर्तमान वर्ष			
		पोषकों की संख्या	लाभन की संख्या (सी के टी डि. पी.)	अतिगारित पोषकों की संख्या	लाभन संख्या अतिगारित पोषक (सी के टी डि. पी.)	पोषकों की संख्या	लाभन की संख्या (सी के टी डि. पी.)	अतिगारित पोषकों की संख्या	लाभन संख्या अतिगारित पोषक (सी के टी डि. पी.)
I	सकिल 1								
ए	88 के बी								
	जनपद-1								
	जनपद-2								
	जनपद-3								
	उप-योग सकिल 68 केबी								
बी	33 के बी								
	जनपद-1								
	जनपद-2								
	जनपद-3								
	उप-योग सकिल 23 केबी								
सी	11 के बी								
	जनपद-1								
	जनपद-2								
	जनपद-3								
	उप-योग सकिल 11 केबी								
II	सकिल 2								
ए	66 के बी								
	जनपद-1								
	जनपद-2								
	जनपद-3								
	उपयोग सकिल 66 केबी								
बी	33 के बी								
	जनपद-1								
	जनपद-2								
	जनपद-3								
	उप-योग सकिल 33 केबी								
सी	11 के बी								
	जनपद-1								
	जनपद-2								
	जनपद-3								
	उप-योग सकिल 11 केबी								

68 के बी पर सभी सकिल का योग
 33 के बी पर सभी सकिल का योग
 11 के बी पर सभी सकिल का योग

संशोधक

एक उपकरण को अतिगारित पोषक नहीं माना जाये यदि यह अतिगारित पोषक एक बट्टे के लिये टैटल बाजार के 100% से अधिक न हो सके, जानकारी पूर्व वर्ष के लिये तथा वर्तमान वर्ष की आधिकारिक अंतिम प्रति प्रदान की जाये।
 उपरोक्त पोषक के साथ उपरोक्त प्रपत्र, प्रपत्र हेतु लिये जाने उपरोक्त/अतिगारित पोषकों का विस्तृत उपरोक्त का विस्तृत बट्टे संलग्न होना चाहिये।

वितरण अनुज्ञापी का नाम
आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र

प्रपत्र एक 18.6

परिवर्तकों की विफलता

क्रम सं०	विवरण	पूर्ववर्ती वर्ष			वर्तमान वर्ष (वार्षतिक)		
		परिवर्तकों की संख्या	विफलताओं की संख्या	विफलताओं की कुल अवधि (घंटे)	परिवर्तकों की संख्या	विफलताओं की संख्या	विफलताओं की कुल अवधि (घंटे)
	परिवर्तन अनुपात						
1	रूपांतरण अनुपात - 1						
2	रूपांतरण अनुपात - 2						
3	रूपांतरण अनुपात - 3						
4	रूपांतरण अनुपात - 4						
	व्यवधान की औसत अवधि						
5	रूपांतरण अनुपात-1 के लिए प्रति परिवर्तक व्यवधान की औसत अवधि						
6	रूपांतरण अनुपात-2 के लिए प्रति परिवर्तक व्यवधान की औसत अवधि						
7	रूपांतरण अनुपात-3 के लिए प्रति परिवर्तक व्यवधान की औसत अवधि						
8	रूपांतरण अनुपात-4 के लिए प्रति परिवर्तक व्यवधान की औसत अवधि						

विवरण अनुज्ञापी के लिए रूपांतरण अनुपात 66/33 कंभी, 66/11 कंभी, 33/11 कंभी, और 11 कंभी/400 हैं। के.वी. और 11 कंभी/400 हैं।
उपरोक्त पत्रक के साथ उसके कारणों व सुधार हेतु किये गये उपायों/नियोजित उपायों का विस्तृत नोट संलग्न होना चाहिये।

याचिकाकर्ता

वितरण अनुज्ञापी का नाम
आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र

प्रपत्र एक 18.7

अतिमासित वितरण परिवर्तक (डी टी आर)

खण सं०	क्षेत्र	पूर्व वर्ष			वर्तमान वर्ष		
		क्षेत्र में डी टी आर की संख्या	क्षेत्र में अतिमासित डी टी आर की संख्या	अतिमासित डी टी आर की संख्या % में	क्षेत्र में डी टी आर की संख्या	क्षेत्र में अतिमासित डी टी आर की संख्या	अतिमासित डी टी आर की संख्या % में
I	सर्किल 1						
ए	33 के वी						
	जनपद-1						
	जनपद-2						
	जनपद-3						
	उप-योग सर्किल 33 के वी						
बी	11 के वी						
	जनपद-1						
	जनपद-2						
	जनपद-3						
	उप-योग सर्किल 11 के वी						
II	सर्किल 2						
A	33 के वी						
	जनपद-1						
	जनपद-2						
	जनपद-3						
	उपयोग सर्किल 68 के वी						
B	11 के वी						
	जनपद-1						
	जनपद-2						
	जनपद-3						
	उप-योग सर्किल 11 के वी						
	33 के वी पर सभी सर्किल के लिये योग						
	11 के वी पर सभी सर्किल के लिये योग						

एक उपकरण को अतिमासित केवल तभी माना जाये यदि यह प्रतिदिन औसत एक घंटे के लिये रेडिओ थार के 100% के अधिक ले रहा हो।

जागरूकी पूर्व वर्ष के लिये तथा वर्तमान वर्ष की वास्तविक अंशधि हेतु प्रदान की जाये।

उपरोक्त पत्रक के साथ उसके कार्यों, प्रकार हेतु किये गये उपकरणों/निर्दिष्ट उपकरणों का विस्तृत नोट संलग्न होना चाहिये।

याचिकाकर्ता

वितरण अनुज्ञापी का नाम _____
 आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र _____

प्रपत्र एक 1B.8

प्राप्यों की आयुकारक अनुसूची

क्रम सं०	प्राप्य	(वर्तमान वर्ष के 30 सितम्बर पर)						(आंकड़े ₹0 करोड़ में)
		< 6 माह	6 माह से 1 वर्ष	1 माह से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 से 4 वर्ष	> 4 वर्ष	
1	सर्किल 1							
	श्रेणी -1							
	श्रेणी -2							
	श्रेणी -3							
	श्रेणी -4							
	श्रेणी -5 इत्यादि							
	सर्किल के लिये उप योग							
2	सर्किल 2							
	श्रेणी -1							
	श्रेणी -2							
	श्रेणी -3							
	श्रेणी -4							
	श्रेणी -5 इत्यादि							
	सर्किल के लिये उप योग							
	योग							

उपरोक्त पत्रक के साथ उसके कारणों, सुधार हेतु किये गये उपायों/निर्गोजित उपायों का विस्तृत नोट संलग्न होना चाहिये।

याचिकाकर्ता

वितरण अनुज्ञापी का नाम
आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र

प्रपत्र एफ 18.9

मीटरिंग की प्रास्थिति

क्रम सं०	मद	श्रेणी-1	श्रेणी-2	श्रेणी-3 इत्यादि	अन्य विषय	योग
प	पूर्व वर्ष					
1	पूर्व वर्ष के आरम्भ पर मीटरिकृत उपभोक्ताओं की संख्या					
2	पूर्व वर्ष के आरम्भ पर गैर मीटरिकृत उपभोक्ताओं की संख्या					
3	पूर्व वर्ष के आरम्भ पर उपभोक्ताओं की कुल संख्या					
4	पूर्व वर्ष के आरम्भ पर त्रुटिपूर्ण मीटरों वाले उपभोक्ताओं का संख्या					
5	पूर्व वर्ष के आरम्भ पर मीटरिकृत उपभोक्ताओं के % के रूप में त्रुटिपूर्ण मीटर वाले उपभोक्ता (4/1)					
6	पूर्व वर्ष के आरम्भ में कुल उपभोक्ताओं के % के रूप में गैर मीटरिकृत उपभोक्ता (2/3)					
बी	वर्तमान वर्ष					
1	वर्तमान वर्ष के आरम्भ पर मीटरिकृत उपभोक्ताओं की संख्या					
2	वर्तमान वर्ष के आरम्भ पर गैर मीटरिकृत उपभोक्ता					
3	वर्तमान वर्ष के आरम्भ पर उपभोक्ताओं की कुल संख्या (1+2)					
4	वर्तमान वर्ष के आरम्भ पर त्रुटिपूर्ण मीटर वाले उपभोक्ताओं की संख्या					
5	वर्तमान वर्ष के आरम्भ पर मीटरिकृत उपभोक्ताओं के % के रूप में त्रुटिपूर्ण मीटर वाले उपभोक्ता (4/1)					
6	वर्तमान वर्ष के आरम्भ में कुल उपभोक्ताओं के % के रूप में गैर मीटरिकृत उपभोक्ता (2/3)					

याचिकाकर्ता

वितरण अनुज्ञापी का नाम
आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र

प्रपत्र एफ 18.10

ग्राहक बिलों का जारी करना

क्रम सं०	श्रेणी	पूर्व वर्ष			वर्तमान वर्ष (सांख्यिक)	
		बिलिंग अवधि के 30 दिनों के भीतर जारी किये गये ग्राहक बिलों की संख्या	बिलिंग अवधि के 30 दिनों के पश्चात् जारी किये गये ग्राहक बिलों की संख्या	बिलिंग अवधि के 30 दिनों के भीतर जारी किये गये ग्राहक बिलों की संख्या	बिलिंग अवधि के 30 दिनों के पश्चात् जारी किये गये ग्राहक बिलों की संख्या	
1	श्रेणी - 1					
2	श्रेणी - 2					
3	श्रेणी - 3					
4	श्रेणी - 4					
5	श्रेणी - 5					
6	श्रेणी - 6					
7	श्रेणी - 7 इत्यादि					
	योग					

राधिकारकर्ता

वितरण अनुज्ञापी का नाम
अपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र

प्रपत्र एक 18.11

लंबित सेवा संयोजन आवेदनों की संख्या

पूर्व वर्ष (सन्-1)

क्र. सं.	श्रेणी	अवधि के दौरान आवेदनों का संख्या	संबन्धित मार (एन. डब्ल्यू)	अवधि के दौरान जारी संख्या की संख्या	संबन्धित मार (एन. डब्ल्यू)	संबन्धित मार (एन. डब्ल्यू)	संबन्धित मार (एन. डब्ल्यू)
1	श्रेणी - 1						
2	श्रेणी - 2						
3	श्रेणी - 3						
4	श्रेणी - 4						
5	श्रेणी - 5						
6	श्रेणी - 6						
7	श्रेणी - 7 इत्यादि						
	योग						

पूर्व वर्ष (सन्)

क्र. सं.	श्रेणी	अवधि के दौरान लंबित	संबन्धित मार (एन. डब्ल्यू)	अवधि के दौरान आवेदनों का संख्या	संबन्धित मार (एन. डब्ल्यू)	अवधि के दौरान जारी संख्या की संख्या	संबन्धित मार (एन. डब्ल्यू)
1	श्रेणी - 1						
2	श्रेणी - 2						
3	श्रेणी - 3						
4	श्रेणी - 4						
5	श्रेणी - 5						
6	श्रेणी - 6						
7	श्रेणी - 7 इत्यादि						
	योग						

याचिकाकर्ता

हायड्रो के लिये प्रारूप

क्रम सं०	प्रारूप संख्या	विवरण
1.	प्रपत्र: एफ 1.1	प्रति यूनिट दर का संगणन
2.	प्रपत्र: एफ 1.2	राजस्व एवं राजस्व आवश्यकता का सारांश
3.	प्रपत्र: एफ 2.1	विक्रय योग्य ऊर्जा व पी ए एफ
4.	प्रपत्र: एफ 2.2	विद्युत उत्पादन (एम यू) पर जानकारी
5.	प्रपत्र: एफ 2.3	जल विद्युत परियोजना की मुख्य विशेषताएं
6.	प्रपत्र: एफ 2.4	आरओआर प्रकार स्टेशन्स-डिजाइन ऊर्जा एवं एमडब्ल्यू निरंतर (माहवार)
7.	प्रपत्र: एफ 3	शुद्ध वार्षिक स्थिर प्रभारों का संगणन
8.	प्रपत्र: एफ 4	सकल स्थिर आस्ति आधार व वित्त पोषण योजना का पत्रक
9.	प्रपत्र: एफ 5.1	आस्तिवार अवक्षय का पत्रक
10.	प्रपत्र: एफ 5.2	अवक्षय का पत्रक
11.	प्रपत्र: एफ 6.1	पूँजीगत व्यय का पत्रक
12.	प्रपत्र: एफ 6.2	पूँजीगत प्रगति अधीन कार्यों का पत्रक
13.	प्रपत्र: एफ 6.3	पूँजीगत व्यय व नयी योजनाओं व सी ओ डी की अनुसूची का पत्रक
14.	प्रपत्र: एफ 6.4	नयी योजनाओं के लिए पूँजीगत व्यय का ब्यौरा
15.	प्रपत्र: एफ 6.5	सी ओ डी पर जल विद्युत उत्पादक स्टेशन के लिए पूँजी लागत का ब्यौरा (नये स्टेशनों के लिये)
16.	प्रपत्र: एफ 6.6	सी ओ डी पर निर्माण/आपूर्ति/सेवा पैकेजों का ब्यौरा (नये स्टेशनों के लिए)
17.	प्रपत्र: एफ 6.7	आई डी सी एवं वित्त पोषण प्रभारों के परिकलन हेतु ड्रॉ डाऊन अनुसूची
18.	प्रपत्र: एफ 6.8	परियोजना के अंतान्त के दौरान अतिरिक्त पूँजीकरण का पत्रक
19.	प्रपत्र: एफ 6.9	अवधि के दौरान गैर-पूँजीकृत आस्ति का विवरण
20.	प्रपत्र: एफ 6.10	बहियों के अनुरूप पूँजी संवर्धन सहित दावाकृत एसीई का मिलान दर्शाने वाला पत्रक
21.	प्रपत्र: एफ 6.11	निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय
22.	प्रपत्र: एफ 7	पूँजी लागत व वित्त पोषण संरचना का विवरण
23.	प्रपत्र: एफ 8	वित्तीय पैकेजों का विवरण
24.	प्रपत्र: एफ 9.1	बकाया ऋणों का पत्रक
25.	प्रपत्र: एफ 9.2	वास्तविक ऋणों पर ब्याज की भारित औसत ब्याज दर का परिकलन
26.	प्रपत्र: एफ 9.3	मानकीय ऋण पर ब्याज परिकलन
27.	प्रपत्र: एफ 10.	कार्यशील पूँजी पर ब्याज का विवरण
28.	प्रपत्र: एफ 11	प्रचालन एवं अनुरक्षण व्ययों का विवरण
29.	प्रपत्र: एफ 11.1	मरम्मत एवं रखरखाव व्ययों का विवरण
30.	प्रपत्र: एफ 11.2	कर्मचारी व्ययों का विवरण
31.	प्रपत्र: एफ 11.3	प्रशासनिक व सामान्य व्ययों का विवरण
32.	प्रपत्र: एफ 12	गैर शुल्क आय
33.	प्रपत्र: एफ 13	सहीकरण का सारांश
34.	प्रपत्र: एफ 14	इक्विटी पद प्रतिफल दर्शाने वाला पत्रक
35.	प्रपत्र: एफ 14A	इक्विटी पर प्रतिफल

उत्पादक कम्पनी का नाम
 उत्पादन स्टेशन का नाम

प्रपत्र एफ:1.1

प्रति यूनिट दर का संगणन

(आकड़े करोड़ों में)

क्रम सं०	मद	यूनिट	पूर्व वर्ष (एन-1) (वास्तविक/संपरीक्षित)	वर्तमान वर्ष (एन)			आगामी वर्ष (एन+1) प्रक्षेपित	आगामी वर्ष (एन+2) प्रक्षेपित	आगामी वर्ष (एन+3) प्रक्षेपित
				अप्रैल-सित्त0 (वास्तविक)	अक्टू-मार्च (आकलित)	योग (अप्रैल-मार्च)			
1	वार्षिक स्थिर लागत	करोड़ ₹0							
2	विक्रय योग्य ऊर्जा (अनुषंगी उपभोग एवं गृह राज्यांश का डिजाइन ऊर्जा शुद्ध)	एम यू							
3	विक्रय योग्य ऊर्जा की प्रति यूनिट दर	₹0 / यूनिट							

नोट :

एन=वित्तीय वर्ष 2012-13

याचिकाकर्ता

उत्पादक कम्पनी का नाम

उत्पादन स्थान का नाम

प्रपत्र एफ:1.2

राजस्व एवं राजस्व आवश्यकता का सारांश

क्रम सं०	विवरण	पूर्व वर्ष (एन-1) (वास्तविक/ संपरीक्षित)	वर्तमान वर्ष (एन)		योग (अप्रैल-मार्च)	आगामी वर्ष (एन+1) प्रक्षेपित	आगामी वर्ष (एन+2) प्रक्षेपित	आगामी वर्ष (एन+3) प्रक्षेपित
			अप्रैल-सित्त (वास्तविक)	अक्टू-मार्च (आकलित)				
ए	उत्पादन							
1	सकल उत्पादन (एम यू)							
2	अनुषंगी उपभोग (%)							
3	अनुषंगी उपभोग (एम यू)							
4	शुद्ध उत्पादन (एम यू) (1-3)							
बी	राजस्व							
1	ऊर्जा के विक्रय से राजस्व							
2	गैर शुल्क आय							
	कुल राजस्व (1+2)							
सी	व्यय							
1	ओ एंड एम व्यय							
ए	आर एंड एम व्यय							
बी.	कर्मचारी व्यय							
सी.	ए एंड जी व्यय							
2	अवक्षय							
3	पट्टा प्रभार							
4	ऋणों पर ब्याज							
5	कार्यशील पूँजी पर ब्याज							
	कुल व्यय (1+2+3+4+5)							
डी	इंकिटी पर प्रतिफल							
ई	राजस्व आवश्यकता (सी+डी)							
	आधिक्य (+) कमी (-) (बी-ई)							

नोट :

एन = वित्तीय वर्ष 2012-13

याचिकाकर्ता

उत्पादक कम्पनी का नाम

उत्पादन स्टेशन का नाम

प्रपत्र एफ: 2.1

विक्रय योग्य ऊर्जा व पी ए एफ

क्रम सं०	विवरण	यूनिट	पूर्व वर्ष (एन-1) (वास्तविक/ संपरीक्षित)	वर्तमान वर्ष (एन)			आगामी वर्ष (एन+1) प्रक्षेपित	आगामी वर्ष (एन+2) प्रक्षेपित	आगामी वर्ष (एन+3) प्रक्षेपित
				अप्रैल-सित्त0 (वास्तविक)	अक्टू-मार्च (आकलित)	योग (अप्रैल-मार्च)			
1	डिजाइन ऊर्जा	(एम यू)							
2	अनुबंधी उपभोग								
	(ए) उत्पादित ऊर्जा के (%) में	(%)							
	(बी) एम यू में	(एम यू)							
3	बाह्य प्रेषित ऊर्जा (ए-2बी)	(एम यू)							
4	गृह राज्यांश	(%)							
5	विक्रय योग्य ऊर्जा $[(3) \times [1-(4)]]$	(एम यू)							
6	संयंत्र उपलब्धता कारक	(%)							

याचिकाकर्ता

उत्पादक कम्पनी का नाम
 उत्पादन स्टेशन का नाम

प्रपत्र एफ: 2.2

ऊर्जा उत्पादन (एम यू) पर जानकारी

क्रम सं०	माह	डिजाइन ऊर्जा	पूर्व वर्ष (एन+1) (वास्तविक / संपरीक्षित)	वर्तमान वर्ष (एन)		आगामी वर्ष (एन+1) प्रक्षेपित	आगामी वर्ष (एन+2) प्रक्षेपित	आगामी वर्ष (एन+3) प्रक्षेपित
				अप्रैल-सित्त० (वास्तविक)	अक्टू-मार्च (आकलित)			
1.	अप्रैल							
2.	मई							
3.	जून							
4.	जुलाई							
5.	अगस्त							
6.	सितम्बर							
7.	अक्टूबर							
8.	नवम्बर							
9.	दिसम्बर							
10.	जनवरी							
11.	फरवरी							
12.	मार्च							

याचिकाकर्ता

उत्पादक कम्पनी का नाम

उत्पादन स्टेशन का नाम

प्रपत्र 2.3

जल विद्युत परियोजना की मुख्य विशेषताएँ

(आकड़े करोड़ों में)

क्रम सं०	विवरण	पूर्व वर्ष (एन+1)	वर्तमान वर्ष (एन)	आगामी वर्ष (एन+1)	आगामी वर्ष (एन+2)	आगामी वर्ष (एन+3)
1	संस्थापित क्षमता (एम डब्ल्यू)					
(ए)	यूनिट-1					
(बी)	यूनिट-2					
(सी)	यूनिट-3					
(डी)	यूनिट-4 इत्यादि					
2	वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (दिन/माह/वर्ष)					
(ए)	यूनिट-1					
(बी)	यूनिट-2					
(सी)	यूनिट-3					
(डी)	यूनिट-4 इत्यादि					
3	बंधे हुए लाभार्थियों का विवरण/लाभित लाभार्थियों/प्रत्येक लाभार्थी श्रेणी के लिए संस्थापित क्षमता के संदर्भ में प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ व्यापारिक क्षमता					
(i)	लाभार्थी -1 (%)					
(ii)	लाभार्थी -1 (%)					
(iii)					
(iv)					
4	डिजाइन ऊर्जा (एम यू)					
5	अपेक्षित वार्षिक ऊर्जा उत्पादन (एम यू)					
6	संबंधित पारिषण प्रणाली विवरण या प्रस्तावित निकासी व्यवस्था					
	ए) वोल्टेज स्तर					
	बी) कंडक्टर का नाम और सर्किट की संख्या					
	सी) तार की लम्बाई किमी में					
	डी) अतः सम्बद्ध सब-स्टेशन का नाम					
7	निर्माणकर्ता का नाम					
	ए) टर्बाइन (फ्रांसिस/कापलान/पेल्टन)					
	बी) उत्पादक					
8	कार्य-क्षमता					
ए)	टरबाइन की कार्य-क्षमता का गारंटीड डिजायन					
बी)	उत्पादक की कार्य-क्षमता का गारंटीड डिजायन					
9	संचालन प्रणाली के प्रकार					
10	स्टेशन के प्रकार					
	ए) धरातल/भूमिगत					
	बी) शुद्ध रूप से आरओआर/पौण्डेज/स्टोरेज					
	सी) पीकिंग/गैर पीकिंग					
	डी) पीकिंग के घंटों की संख्या					
11	उत्तेजन के प्रकार					
	ए) जनरेटर पर रोटेटिंग उत्तेजना	(हाँ/नहीं)	(हाँ/नहीं)			
	बी) स्थिर उत्तेजना	(हाँ/नहीं)	(हाँ/नहीं)			
12	अवस्थिति					
	राज्य/जनपद					
	नदी					
13	विपथन सुरंग					
	माप, आकार					
	लंबाई					
14	बांध					
	प्रकार					
	अधिकतम बांध ऊंचाई					

15	स्पिल वे						
	प्रकार						
	स्पिल वे का क्रेस्ट स्तर						
16	जलाशय						
	पूर्ण जलाशय स्तर (एफ आर एल)						
	न्यूनतम ड्रॉ डाउन स्तर (एम डी डी एल)						
	लाईव स्टोरेज (एम सी एम)						
17	डिस्टिलिंग व्यवस्था						
	प्रकार						
	संख्या व माप						
	हटाये जाने वाले कर्णों की संख्या (एम एम)						
18	गाद निकाले जाने वाले कक्ष का सिल्ट स्तर का डिजाइन						
	प्रवेश पर अधिकतम (पीपीएम)						
	निकास पर अधिकतम (पीपीएम)						
19	हैंड रेस सुरंग						
	माप व प्रकार						
	डिजाइन डिस्चार्ज (क्यूमेक्स)						
20	सर्ज शैफ्ट						
	प्रकार						
	ब्याज						
	व्यास व ऊंचाई						
21	पैनस्टॉक/प्रेषर शैफ्ट्स						
	प्रकार						
	ब्याज व लंबाई						
22	पावर हाउस						
	प्रकार						
	संस्थापित क्षमता (यूनिटों की संख्या x एम डब्ल्यू)						
	मंद अवधि के दौरान पीकिंग क्षमता (एम डब्ल्यू)						
	टर्बाइन का प्रकार						
	रेटेड हैंड (एम)						
	औसत हैंड (एम)						
	रेटेड डिस्चार्ज (क्यूमेक्स)						
	पूर्ण जलाशय स्तर पर हैंड (एम)						
	न्यूनतम ड्रॉ डाउन स्तर पर हैंड (एम)						
	एफ आर एल पर एम डब्ल्यू क्षमता (एम डब्ल्यू)						
	पूर्ण जलाशय स्तर एवं न्यूनतम ड्रॉ डाउन स्तर (एम डब्ल्यू) के मध्य विभिन्न स्तरों पर मशीन आउटपुट में परिवर्तन						
23	टेल रेस चैनल						
	व्यास, आकार						
	लंबाई						
24	स्विच यार्ड						
	स्विच गियर का प्रकार						
	जेनरेटर बेज़ की संख्या						
	बस कपलर बेज़ की संख्या						
	लाईन बेज़ की संख्या						
25	जेनरेटर ट्रांसफार्मर का विवरण						
	1. निर्माण						
	2. ट्रांसफार्मर की संख्या						
	3. रेटिंग						
	4. वोल्टेज अनुपात						

नोट-सिंचाई, पेयजल, औद्योगिक, पर्यावरणीय, सरोकारों इत्यादि के कारण जल के उपयोग पर प्रतिबंधों के कारण विशिष्ट समय अवधि के दौरान उत्पादन पर परिसीमन को विनिर्दिष्ट करें।

याचिकाकर्ता

उत्पादक कम्पनी का नाम

उत्पादन स्टेशन का नाम

प्रपत्र एफ: 2.4

आरओआर प्रकार स्टेशन्स – डिजाईन ऊर्जा एवं एम डब्ल्यू निरंतर (माहवार)

(आकड़ें करोड़ों में)

माह		डिजाईन ऊर्जा *(एम यूएच)	एमडब्ल्यू निरंतर*
अप्रैल	1		
	2		
	3		
मई	1		
	2		
	3		
जून	1		
	2		
	3		
जुलाई	1		
	2		
	3		
अगस्त	1		
	2		
	3		
सितम्बर	1		
	2		
	3		
अक्टूबर	1		
	2		
	3		
नवम्बर	1		
	2		
	3		
दिसम्बर	1		
	2		
	3		
जनवरी	1		
	2		
	3		
फरवरी	1		
	2		
	3		
मार्च	1		
	2		
	3		
कुल			

*सीईए तिथि की डीपीआर/टीईसी के अनुसार

याचिकाकर्ता

उत्पादक कम्पनी का नाम
उत्पादन स्टेशन का नाम

प्रपत्र एफ-3

शुद्ध वार्षिक स्थिर प्रभारों का संगणन

(आंकड़ें करोड़ों में)

क्रम सं०	वर्षान्त मार्च	पूर्व वर्ष (एन+1) (वास्तविक/संपरीक्षित)	वर्तमान वर्ष (एन)			आगामी वर्ष (एन+1) प्रक्षेपित	आगामी वर्ष (एन+2) प्रक्षेपित	आगामी वर्ष (एन+3) प्रक्षेपित
			अप्रैल-सित० (वास्तविक)	अक्टू-मार्च (आंकलित)	योग (अप्रैल-मार्च)			
1	ऋण पर ब्याज (मानकीय ऋणों पर ब्याज सहित)							
2	अवक्षय							
3	पट्टा प्रभार							
4	इक्विटी पर प्रतिफल							
	(ए) इक्विटी पर प्रतिफल की दर							
	(बी) इक्विटी							
5	(सी) इक्विटी पर प्रतिफल (4ए)*(4बी) ओ एंड एम व्यय							
	5.1 कर्मचारी लागतें							
	5.2 मरम्मत एवं रखरखाव व्यय							
	5.3 प्रशासकीय एवं सामान्य लागतें							
6	कार्यशील पूँजी पर ब्याज							
7	सकल वार्षिक स्थिर प्रभार (1+2+3+4(सी)+5+6)							
8	घटा कर : अन्य आय (विवरण प्रदान करें)							
9	शुद्ध वार्षिक स्थिर प्रभार (7-8)							

याचिकाकर्ता

उत्पादक कम्पनी का नाम
 उत्पादन स्टेशन का नाम
 प्रपत्र एफ: 4
 सकल स्थिर आस्ति आधार व वित्त पोषण योजना का पत्रक
 वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि पर अंतिम अनुमोदित लागत

(आंकड़े करोड़ों में)	
पूँजीगत व्यय	वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि
(ए) यूनिट -1	(दिन/माह/वर्ष)
(बी) यूनिट -2	(दिन/माह/वर्ष)
(सी) यूनिट -3	(दिन/माह/वर्ष)
(डी) यूनिट -4	(दिन/माह/वर्ष)
(ई) यूनिट -5 इत्यादि*	(दिन/माह/वर्ष)

मूल वित्त पोषण योजना (यूनिट वार)

रूपया आवधिक ऋण
ऋण 1
ऋण 2 *
विदेशी मुद्रा ऋण
ऋण 1
ऋण 2 *
इक्विटी
रूपये में
विदेशी मुद्रा में

पूर्व वर्ष (एन-1)

आस्तियों का विवरण	आरम्भिक अवधि	वर्ष के दौरान परिवर्धन *	वर्ष के दौरान आस्तियों का सेवांत	(आंकड़े करोड़ों में)
ए) भूमि				अंत अवधि
बी) भवन				
सी) और आगे इसी प्रकार (विनियमों में दिये गये वर्गीकरण अनुसार)				
योग-				

सकल स्थिर आस्तियों का विवरण
 वर्तमान वर्ष (एन)

आस्तियों का विवरण	आरम्भिक अवधि	वर्ष के दौरान आस्तियों का परिवर्धन *		वर्ष के दौरान आस्तियों का सेवांत *	
		अप्रैल-सित0 (वार्षिक)	अक्टू-मार्च (आकलित)	अप्रैल-सित0 (वार्षिक)	अक्टू-मार्च (आकलित)
ए- भूमि					
बी- भवन					
सी- और आगे इसी प्रकार (विनियमों में दिये गये वर्गीकरण अनुसार)					
योग					

आगामी वर्ष (एन-1)

आस्तियों का विवरण	आरम्भिक अधिशेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन *	वर्ष के दौरान आस्तियों का सेवांत *	आकड़ें करोड़ों में
ए) भूमि				अंत अधिशेष
बी) भवन				
सी) आगे इसी प्रकार (विनियमों में दिये गये वर्गीकरण अनुसार)				
योग				

आगामी वर्ष (एन+2)

आस्तियों का विवरण	आरम्भिक अधिशेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन *	वर्ष के दौरान आस्तियों का सेवांत *	(आकड़ें करोड़ों में)
ए) भूमि				अंत अधिशेष
बी) भवन				
सी) आगे इसी प्रकार (विनियमों में दिये गये वर्गीकरण अनुसार)				
योग-				

आगामी वर्ष (एन+3)

आस्तियों का विवरण	आरम्भिक अधिशेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन *	वर्ष के दौरान आस्तियों का सेवांत *	(आकड़ें करोड़ों में)
ए) भूमि				अंत अधिशेष
बी) भवन				
सी) आगे इसी प्रकार (विनियमों में दिये गये वर्गीकरण अनुसार)				
योग				

* कृपया वर्ष के दौरान आस्तियों में परिवर्धन एवं सेवान्त की वास्तविक/प्रस्तावित तिथियां उपलब्ध करें।

उत्पादक कंपनी का नाम
उत्पादन स्टेशन का नाम

प्रपत्र एफ: 5.1

आस्तिवार अवक्षय का पत्रक

पूर्व वर्ष (एन-1)

आस्तियों का विवरण	अवक्षय की दर % में	वर्ष के आरम्भ पर संचित अवक्षय	वर्ष हेतु उपबंधित अवक्षय	वर्ष के दौरान निकासियां	वर्ष के अंत पर संचित अवक्षय का अधिषेध
ए) भूमि					
बी) मकान					
सी) और आगे इसी प्रकार (विनियमों में दिये गये वर्गीकरण अनुसार)					
योग-					

वर्तमान वर्ष (एन)

आस्तियों का विवरण	अवक्षय की दर % में	वर्ष के आरम्भ पर संचित अवक्षय	वर्ष हेतु उपबंधित अवक्षय		वर्ष के अंत पर संचित अवक्षय का अधिषेध
			अप्रैल-सित्त (वास्तविक)	अक्टू-मार्च (आंकलित)	
(आंकड़ें करोड़ों में)					
ए) भूमि					
बी) मकान					
सी) और आगे इसी प्रकार (विनियमों में दिये गये वर्गीकरण अनुसार)					
योग-					

आगामी वर्ष (एन+1)

आस्तियों का विवरण	अवक्षय की दर % में	वर्ष के आरम्भ पर संचित अवक्षय	वर्ष हेतु उपबंधित अवक्षय	वर्ष के दौरान निकासियां	वर्ष के अंत पर संचित अवक्षय का अधिषेध
ए) भूमि					
बी) मकान					
सी) और इसी प्रकार (विनियमों में दिये गये वर्गीकरण अनुसार)					
योग					

आगामी वर्ष (एन+2)

(आंकड़ें करोड़ों में)

आस्तियों का विवरण	अवकाय की दर % में	वर्ष के आरम्भ पर संचित अवकाय	वर्ष हेतु उपबंधित अवकाय	वर्ष के दौरान निकासियां	वर्ष के अंत पर संचित अवकाय का अधिषेध
ए) भूमि					
बी) भवन					
सी) और आगे इसी प्रकार (विनियमों में दिये गये वर्गीकरण अनुसार)					
योग					

आगामी वर्ष (एन+3)

(आंकड़ें करोड़ों में)

आस्तियों का विवरण	अवकाय की दर : में	वर्ष के आरम्भ पर संचित अवकाय	वर्ष हेतु उपबंधित अवकाय	वर्ष के दौरान निकासियां	वर्ष के अंत पर संचित अवकाय का अधिषेध
ए) भूमि					
बी) भवन					
सी) और आगे इसी प्रकार (विनियमों में दिये गये वर्गीकरण अनुसार)					
योग					

याचिकाकर्ता

उत्पादक कम्पनी का नाम
उत्पादन स्टेशन का नाम
प्रपत्र: 5.2

अवक्षय का पत्रक

(आंकड़े करोड़ों में)

वित्तीय वर्ष	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
पूँजी लागत पर अवक्षय																
अतिरिक्त पूँजीकरण पर अवक्षय																
अतिरिक्त पूँजीकरण की राशि																
अवक्षय राशि																
एफ ई आर वी का विवरण																
एफ ई आर वी की राशि जिस पर अवक्षय प्रभावित है।																
वर्ष के दौरान वसूली किया गया अवक्षय																
वर्ष के दौरान वसूल किये गये अवक्षय के विरुद्ध अग्रिम																
वर्ष के दौरान वसूल किये गये अवक्षय के विरुद्ध अवक्षय राशि अवक्षय व अग्रिम																
वर्ष तक वसूल किये गये अवक्षय के विरुद्ध संवधी अवक्षय एवं अग्रिम																

शाचिकाकर्ता

उत्पादक कम्पनी का नाम
उत्पादन स्टेशन का नाम
प्रपत्र एफ: 6.1
पूँजीगत व्यय का पत्रक

(आंकड़े करोड़ों में)

विवरण	सी ओ डी का वित्तीय वर्ष	पूर्व वर्ष (एन-1) (वास्तविक/संपरीक्षित)	वर्तमान वर्ष (एन)			टिप्पणी+	आगामी वर्ष (एन+1) प्रक्षेपित	आगामी वर्ष (एन+2) प्रक्षेपित	आगामी वर्ष (एन+3) प्रक्षेपित	सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कुल व्यय	वास्तव में उपगत कुल व्यय	टिप्पणी++
			अप्रैल-सित्त0 (वास्तविक)	अक्टू0-मार्च (आंकलित)	योग (अप्रैल-मार्च)							
(ए) व्यय विवरण												
ए) भूमि												
बी) भवन												
सी) मुख्य सिविल कार्य												
डी) संयंत्र एवं मशीनरी												
ई) वाहन												
एफ) फर्नीचर्स व फिक्सचर्स												
जी) कार्यालय उपकरण व अन्य												
योग-(ए)												
बी) वित्त पोषण के स्रोतों का ब्यौरा												
रूपया आवधिक ऋण												
ऋण-1												
ऋण-2												
विदेशी मुद्रा ऋण												
ऋण-1												
ऋण-2												
इक्विटी												
रूपये में												
विदेशी मुद्रा में												
सी) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)												
योग-(बी)												

- नोट-1. जहां आवश्यक व अपेक्षित हो वहां समर्पित दस्तावेजों के साथ ऋणों व इक्विटी के वित्त पोषण के संबंध में ब्यौरा दिया जाय।
2. परियोजना की लागत, इसके घटकों व वित्त की योजना के संबंध में, सक्षम प्राधिकारियों के अनुमोदन की प्रतियां प्रस्तुत की जायें।
3. टिप्पणी-: यदि वर्ष के दौरान वास्तविक व्यय, यूईआरसी या अन्य प्राधिकृत अभिकरणों द्वारा अनुमोदित से भिन्न होना अपेक्षित हो तो विचलन के कारणों को स्पष्ट करें।
4. टिप्पणी-+: यदि कुल वास्तविक व्यय, यूईआरसी या अन्य प्राधिकृत अभिकरणों द्वारा अनुमोदित से भिन्न हो तो विचलन के कारणों को स्पष्ट करें।

याचिकाकर्ता

उत्पादक कम्पनी का नाम
 उत्पादन स्टेशन का नाम
 प्रपत्र: 6.2

पूँजीगत प्रगति अधीन कार्यों का पत्रक

क्रम सं०	विवरण	पूर्व वर्ष (एन-1) (वास्तविक/संपरीक्षित)	वर्तमान वर्ष (एन)			आगामी वर्ष (एन+1) प्रक्षेपित	आगामी वर्ष (एन+2) प्रक्षेपित	आगामी वर्ष (एन+3) प्रक्षेपित	टिप्पणी
			अप्रैल-सित्त (वास्तविक)	अक्टू-मार्च (आंकलित)	योग (अप्रैल-मार्च)				
1	सी डब्ल्यू आई पी का आरम्भिक अधिवेश								
2	जोड़कर : नये निवेश पूँजीगत व्यय निर्माण पूँजीकृत खर्च के दौरान में ब्याज घटाकर: पूँजीकृत निवेश								
3									
4	सी डब्ल्यू आई पी का अंत अधिवेश								

याचिकाकर्ता

उत्पादक कम्पनी का नाम
उत्पादन स्टेशन का नाम

प्रपत्र: 6.3

पूँजीगत व्यय व नयी परियोजनाओं के सी ओ डी की अनुसूची का पत्रक

पूँजी लागत	वर्तमान दिवस पर लागत (..... तिथि पर)	सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित रूप में
पूँजी लागत आकलनों हेतु विचारित विदेशी विनियम दर		

(आकड़ें करोड़ों में)

ए) प्राथमिक लागत		
विदेशी घटक (विदेशी मुद्रा में)		
घरेलू घटक		
प्राथमिक लागत योग	ए	
बी) आई डी सी व एक सी		
विदेशी घटक (विदेशी मुद्रा में)		
भारतीय घटक		
कुल आई डी सी व एक सी	बी	
सी) कुल लागत (आई डी सी व एक सी सहित)	सी=(ए+बी)	

कमीशनिंग की अनुसूची

कमीशनिंग की अनुसूची		
यूनिट -1 का सी ओ डी		
यूनिट -2 का सी ओ डी		
अंतिम यूनिट का सी ओ डी		

नोट: 1) अनुमोदन की प्रति सलग्न की जाये

उत्पादक कंपनी का नाम
उत्पादन स्टेशन का नाम

प्रपत्र एक: 6.4

नयी परियोजनाओं के लिये पूंजीगत व्यय का ब्यौरा

(आंकड़े करोड़ों में)

1	2	3	वर्तमान वर्ष (एन)		6	7	8	9	10	11	12
			अप्रैल-सित्त (वार्षिक)	अक्टू-माच (आकलित)							
ए) व्यय विवरण											
ए) भूमि											
बी) भवन											
सी) मुख्य सिविल कार्य											
डी) संयंत्र एवं मशीनरी											
ई) वाहन											
एफ) फर्नीचर व फिक्सचर्स											
जी) कार्यालय उपकरण व अन्य											
योग (ए)											
बी) वित्त पोषण के स्रोतों का ब्यौरा											
ए) ऋण/उधार											
बी) इक्विटी											
सी) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)											
योग-बी											

नोट - 6 व 7 के मध्य अंतर के कारणों को स्पष्ट करें।

याचिकाकर्ता

उत्पादक कम्पनी का नाम
उत्पादन स्टेशन का नाम

प्रपत्र एफ: 6.5

सी ओ डी पर जल विद्युत उत्पादक स्टेशन के लिए पूंजी लागत का ब्यौरा (नये स्टेशनों के लिये)

(आंकड़ें करोड़ों में)

क्रम सं०	कार्यो का शीर्ष	प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित रूप में मूल लागत	सी ओ डी पर वास्तविक लागत	कट ऑफ तिथि तक अतिरिक्त पूंजीकरण	कुल पूर्ण की गई पूंजी लागत	परिवर्तन	परिवर्तन के कारण
1	2	3	4	5	6=4+ 5	7=3-6	8
1.0	अवस्थापना कार्य						
1.1	विकास सहित प्राथमिक कार्य						
1.2	भूमि						
1.3	भवन						
1.4	नगरीय						
1.5	अनुरक्षण						
1.6	औजार एवं संयंत्र						
1.7	संप्रेषण						
1.8	पर्यावरण व पारिस्थिकी						
1.9	स्टॉक्स पर हानियां						
1.10	प्राप्तियां व वसूलीयां						
1.11	योग (अवस्थापना कार्य)						
2.0	मुख्य सिविल कार्य						
2.1	बांध, इन्टेक व डिस्ट्रिब्यूटिंग चैम्बर्स						
2.2	एचआरटी, टीआरटी, सर्ज रैफ्लेक्स व प्रेशर रैफ्लेक्स						
2.3	ऊर्जा संयंत्र सिविल कार्य						
2.4	अन्य सिविल कार्य (विनिर्दिष्ट किये जायें)						
2.5	योग (मुख्य सिविल कार्य)						
3.0	हाथड़ी मेकैनिकल उपकरण						
4.0	संयंत्र एवं उपकरण						
4.1	संयंत्र व उपकरण के प्रारंभिक स्पेयर्स						
4.2	योग (संयंत्र व उपकरण)						
5.0	कर व शुल्क						
5.1	सीमा शुल्क						
5.2	अन्य कर व शुल्क						
5.3	कुल कर व शुल्क						
6.0	निर्माण व पूर्व कमीशनिंग व्यय						
6.1	इंश्योरेंस, परीक्षण व कमीशनिंग						
6.2	निर्माण बीमा						
6.3	स्थल पर्यवेक्षण						
6.4	योग (निर्माण व पूर्व कमीशनिंग)						
7.0	उपरिशीर्ष						
7.1	स्थापना						
7.2	डिजायन व अभियांत्रिकी						
7.3	लेखा परीक्षण व लेखा						
7.4	आकस्मिकता						
7.5	पुनर्वास व पुनःस्थापन						
7.6	योग (उपरिशीर्ष)						
8.0	आई डी सी व एफ सी के बिना पूंजी लागत						
9.0	वित्त पोषण प्रसार (एफ सी)						
10.0	निर्माण के दौरान ब्याज (आई डी सी)						
11.0	आई डी सी व एफ सी के साथ पूंजी लागत						

नोट- परियोजना का समय व लागत बढ़ जाने पर ऐसी बढ़त का औचित्य बताते हुए एक विस्तृत नोट प्रस्तुत किया जाना चाहिये जिसमें स्पष्ट रूप से उत्तरदायी अभिकरण का उल्लेख हो व यह भी कि क्या ऐसी समय व लागत की बढ़त उत्पादक कंपनी के नियन्त्रण से बाहर थी।

याचिकाकर्ता

उत्पादक कम्पनी का नाम
उत्पादन स्टेशन का नाम

प्रपत्र: एफ 6.6

सी ओ डी पर निर्माण/आपूर्ति/सेवा पैकेजर्जें का ब्यौरा (नये स्टेशनों के लिये)

क्रम सं०	नाम/निर्माण की संख्या/आपूर्ति/सेवा पैकेज	कार्यों की परिसिधि (लागू अनुसार लागत ब्योरे के शीर्ष के अनुरूप)	क्या आई सी बी/डी सी बी/विभागीय जमा कार्य द्वारा प्रदान किया गया है।	प्राप्त बोलियों की संख्या	प्रदान किये जाने की तिथि	कार्य आरम्भ होने की तिथि	कार्य पूर्ण होने की तिथि	प्रदान कार्य का मूल्य (करोड़ रु. में)	स्थिर या वृद्धि के साथ मूल्य	(आंकड़ें करोड़ों में)	
										(6)	(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	

यदि कोई ऐसा पैकेज है, जिसे भारतीय रूपये या विदेशी मुद्राओं में दर्शाया जाना है तो उसे मुद्रा, विनिमय, दर व तिथि के साथ पृथक रूप से दर्शाया जाये।

याचिकाकर्ता

उत्पादक कम्पनी का नाम
उत्पादन स्टेशन का नाम

प्रपत्र: एफ 6.7

आई डी सी एवं वित्त पोषण प्रमारों के परिकलन हेतु ड्रॉ डाऊन अनुसूची

क्रम सं०	ड्रा डाऊन विवरण	तिमाही-1		तिमाही-2		तिमाही-एन (सी ओ डी)				
		विदेशी मुद्रा में मात्रा	ड्रॉ डाऊन तिथि पर विनिमय दर	भारतीय रूपये में राशि	विदेशी मुद्रा में मात्रा	ड्रा डाऊन तिथि पर विनिमय दर	भारतीय रूपये में राशि	विदेशी मुद्रा में मात्रा	ड्रॉ डाऊन तिथि पर विनिमय दर	भारतीय रूपये में राशि
1	ऋण									
1.1	विदेशी ऋण									
1.1.1	विदेशी ऋण-1									
	ड्रा डाऊन राशि									
	आई डी सी									
	वित्त पोषण प्रमार									
	एफ ई आर वी									
	प्रतिष्ठा लागत									
1.1.2	विदेशी ऋण-1									
	ड्रा डाऊन राशि									
	आई डी सी									
	वित्त पोषण प्रमार									
	एफ ई आर वी									
	प्रतिष्ठा लागत									
1.1.एन	विदेशी ऋण-एन									
	ड्रा डाऊन राशि									
	आई डी सी									
	वित्त पोषण प्रमार									
	एफ ई आर वी									
	प्रतिष्ठा लागत									
1.1	कुल विदेशी ऋण									
	ड्रॉ डाऊन राशि									
	आई डी सी									
	वित्त पोषण प्रमार									
	एफ ई आर वी									
	प्रतिष्ठा लागत									
1.2	भारतीय ऋण									

(आंकड़ें करोड़ों में)

उत्पादक कम्पनी का नाम
.....
उत्पादन स्टेशन का नाम
.....

प्रपत्र: एफ 6.8

परियोजना के अंतान्त के दौरान अतिरिक्त पूंजीकरण का पत्रक

(आंकड़ें करोड़ों में)

क्रम सं०	वर्ष	प्रत्येक यूनिट/स्टेशन के पिछले पांच वर्ष के उपयोगी जीवनकाल के दौरान जोड़ा गया कार्य/उपकरण	पूंजीकृत/पूंजीकृत के लिए प्रस्तावित राशि (लाख रुपये)	प्रस्तावित पूंजीकरण के लिए औचित्य	जीवनकाल विस्तार पर प्रभाव
1	2	3	4	5	6
2					
3					
4					
5					
6					

नोट :

- 1- पूंजी संवृद्धि के लिए किए गए लागत लाभ विश्लेषण ऐसी योजनाओं के अनुमोदन के लिए याचिका के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- 2- प्रत्येक आस्ति के लिए अतिरिक्त पूंजीगत व्यय दावा हेतु औचित्य उस विनियम के संगत होना चाहिए जिसके अन्तर्गत दावा किया गया है और साथ में आस्ति के पूंजीकरण की आवश्यकता का भी उल्लेख हो।

याचिकाकर्ता

उत्पादक कम्पनी का नाम
 उत्पादन स्टेशन का नाम
 प्रपत्र: एफ 6.9

अवधि के दौरान गैर-पूँजीकृत आस्ति का विवरण

(आंकड़ें करोड़ों में)

क्र.सं.	आस्ति का नाम	गैर पूँजीकरण की प्रकृति (व्या अपवर्जन के अन्तर्गत या अतिरिक्त पूँजीगत व्यय के रूप में दावा किया गया)	पूँजीकृत आस्ति का मूल मूल्य	वह वर्ष जब उसका प्रारंभ हुआ	गैर-पूँजीकरण की तिथि तक वसूल किया गया अवकाश
1					
2					
3					
4					
5					
6					

नोट: वर्षवार विवरण प्रस्तुत दिया जाए।

आवेदक

उत्पादक कंपनी का नाम
 उत्पादन स्टेशन का नाम
 प्रपत्र: एफ 6.10

बहियों के अनुरूप पूंजी संवर्धन सहित दावाकृत एसीई का मिलान दर्शाने वाला पत्रक

क्र०सं०	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	अन्तिम सकल ब्लॉक					
	घटाएं: प्रारंभिक सकल ब्लॉक					
	बहियों के अनुसार कुल संवर्धन					
	घटाएं: अन्य चरणों से सम्बंधित संवर्धन (कृपया चरण-वार ब्यौरा दें।					
	तत्कालिक परियोजना / यूनिट / स्ट्रेज से सम्बंधित शुद्ध संवर्धन					
	घटाएं : अपवर्जन (मंद् जो अनुमत्य नहीं है / जिनका दावा नहीं किया गया।					
	शुद्ध अतिरिक्त पूंजीगत व्यय दावाकृत					

नोट : किसी भी व्यय का अपवर्जन करने का कारण स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए।

याचिकाकर्ता

उत्पादक कम्पनी का नाम

उत्पादन स्टेशन का नाम

प्रपत्र: एफ 6.11

निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय

क्र०सं०	मापदण्ड	अनुसूचित सीओडी तक	वास्तविक/पूर्वानुमानित सीओडी तक
ए	व्यय:		(आंकड़ें करोड़ों में)
1	कर्मचारी लाभ व्यय		
2	वित्त लागत		
3	जल प्रभार		
4	संचार व्यय		
5	विद्युत प्रभार		
6	अन्य कार्यालय एवं प्रशासनिक व्यय		
7	अन्य (कृपया विवरण दें)		
8	अन्य पूर्व प्रचालन व्यय		
बी	कुल व्यय		
	घटाएं: निविदा की विक्री से आय		
	घटाएं: अतिथि गृह से आय		
	घटाएं: ठेकेदार से वसूली गई आय		
	घटाएं: जमा पर ब्याज		
		

याचिकाकर्ता

उत्पादक कम्पनी का नाम
उत्पादन स्टेशन का नाम

प्रपत्र: एफ 7

पूँजी लागत व वित्त पोषण संरचना का विवरण

वर्षान्त मार्च	सी ओ डी का वित्तीय वर्ष	पूर्व वर्ष (एन-1) (वास्तविक/संशोधित)	वर्तमान वर्ष (एन)			आगामी वर्ष (एन-2) प्रक्षेपित	आगामी वर्ष (एन-3) प्रक्षेपित	टिप्पणी
			अप्रैल-सित0 (वास्तविक)	अक्टू-मार्च (आंकलित)	योग (अप्रैल-मार्च)			
आधाररूपत परियोजना वित्तीय मानदंड								
पूँजी लागत *								
वर्ष के दौरान परिवर्धन								
वर्ष के दौरान विलोपन								
सकल पूँजी लागत (ए)								
मूल परियोजना लागत के विरुद्ध इक्विटी								
वर्ष के दौरान परिवर्धन								
इक्विटी उप-योग (बी)								
मूल पूँजी लागत के विरुद्ध बकाया ऋण								
वर्ष के दौरान जुड़े नये ऋण								
ऋण उप-योग (सी)								
मूल परियोजना लागत के विरुद्ध अनुदान								
वर्ष के दौरान परिवर्धन								
अनुदान उप-योग (डी)								
कुल वित्त पोषण (बी+सी+डी)								

नोट :

1. *अनुमोदित या वास्तविक पूँजी लागत, जो भी कम हो।
2. इक्विटी व ऋण, यदि लागू हो, तो घरेलू विदेशी व घटक में विभाजित किया जायेगा।

याचिकाकर्ता

उत्पादक कम्पनी का नाम
उत्पादन स्टेशन का नाम
प्रपत्र: एफ 8

वित्तीय पैकेज का विवरण

(आंकड़ें करोड़ों में)

निधियों का स्रोत	एस सी में राशि (मुद्रा का नाम)	विनिमय दर (₹/एफ सी)	भारतीय मुद्रा में राशि (करोड़ ₹0 में)	वापसी के निबंधन (वर्ष)	ग्रेस अवधि (वर्ष)	ध्याज दर/वापसी पर प्रतिफल (%)	गारंटी कमीशन (करोड़ ₹0 में)	अपफंट फीस/प्रदर्शन प्रीमियम (करोड़ ₹0 में)	कुल कर्ज का % (%)	कुल इक्विटी का % (%)	कुल पी सी का % (%)
(ए) कर्ज											
विदेशी :											
ऋण I											
ऋण II											
ऋण III											
ऋण IV इत्यादि											
भारतीय :											
ऋण I											
ऋण II इत्यादि											
कुल ऋण (ए)											
(बी) इक्विटी											
विदेशी :											
भारतीय :											
कुल इक्विटी (बी)											
(सी) अनुदान											
विदेशी :											
भारतीय :											
कुल अनुदान (सी)											
कुल वित्त पोषण (ए+बी+सी)											
कुल परियोजना लागत											

नोट :

1. सी ओ डी प्राप्त कर चुकी परियोजनाओं के मामले में- परियोजना के सी ओ डी पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत वित्तीय पैकेज विवरण, समर्पित दस्तावेजों के साथ प्रारूप में प्रस्तुत किये जायेंगे।
2. सी ओ डी प्राप्त न की हुई परियोजनाओं के मामले में : सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित वित्तीय पैकेज विवरण समर्पित दस्तावेजों के साथ प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा।
3. एफ सी - विदेशी मुद्रा।
4. पी सी - परियोजना लागत

याचिकाकर्ता

वर्तमान वर्ष (एन+3)

ऋण अभिकरण ऋण चोटा	ब्याज की दर (%)	वापसी की अवधि	वर्ष के आरम्भ पर आवधिक	वर्ष की अवधि में प्राप्त होने वाली राशि	वर्ष के दौरान देय मूल	वर्ष की अवधि में होने वाली मूल वापसी	वर्ष के अंत पर आतिरेय मूल	वर्ष के अंत पर देय मूल	टिप्पणी
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)-(7)	(9)=(4)+(5)-(6)	(आंकलित)
(1)									(10)
(ए) राज्य सरकार से अन्यथा									
ऋण I (ऋण दाता का नाम)									
ऋण II (ऋण दाता का नाम)									
ऋण III (ऋण दाता का नाम) इत्यादि									
उप-योग (ए)									
(बी) सरकारी ऋण									
प्रकार I									
प्रकार II									
प्रकार III इत्यादि									
उप-योग (बी)									
उप-योग (ए + बी)									
(सी) मानवीय ऋण									
योग (ए+बी+सी)									

नोट-

1. यदि ऋण का पुनः अनुसूचीकरण किया गया है तो पुनः अनुसूचीकरण के निबन्धन रेखांकित करते हुए उधार दाता से पत्र की प्रति के साथ संलग्नक के निबन्धनों को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया जाये।
2. कोई ऋण, जो किसी उत्पादक स्टेशन को आबंटित न किया गया हो तथा अनुसूचित विस्तीय पैकेज का भाग न हो, कारणों सहित पृथक रूप से दर्शाये जाये।
3. मूल विस्तीय योजना के अनुसार मूल विस्तीय योजना तथा इसके अनुसार संशुद्धी वापसी, प्रत्येक ऋण हेतु दर्शायी जाये।
4. वर्तमान वर्ष के लिए निकासी किये गये ऋण व वर्षान्त तक निकासी हेतु प्रस्तावित ऋण पृथक रूप से दर्शाये जाये।
5. वर्तमान या नये उधारदाता से कोई नवीन ऋण, ऋण के रूप में पृथक रूप से दर्शाये जाये।
6. विदेशी मुद्रा ऋणों के मामले में, मुद्रा के नाम के साथ उधार की मुद्रा के अटा प्रदान किया जाये।
- 7.

वाधिकारता

उत्पादक कंपनी का नाम
 उत्पादन स्टेशन का नाम
 प्रपत्र नं० ४२
 वास्तविक ऋणों पर ब्याज की भारत औसत ब्याज दर का परिकलन

(आंकड़ें करोड़ों में)

क्रम सं०	विवरण	पूर्व वर्ष (एन-1)	वर्तमान (एन)	आगामी वर्ष (ए+1)	आगामी वर्ष (एन+2)	आगामी वर्ष (एन+3)
				प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित
	ऋण-1					
	सकल ऋण - आरम्भिक					
	पूर्व वर्ष तक ऋण का संघयी भुगतान					
	शुद्ध ऋण - आरम्भिक					
	जोड़कर - वर्ष के दौरान निकालियां					
	घटाकर - वर्ष के दौरान ऋण की वापसियां					
	शुद्ध ऋण - अंत में					
	औसत शुद्ध ऋण					
	वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर					
	ऋण पर ब्याज					
	ऋण-2					
	सकल ऋण - आरम्भिक					
	पूर्व वर्ष तक ऋण का संघयी भुगतान					
	शुद्ध ऋण - आरम्भिक					
	जोड़कर - वर्ष के दौरान निकालियां					
	घटाकर - वर्ष के दौरान ऋण की वापसियां					
	शुद्ध ऋण - अंत में					
	औसत शुद्ध ऋण					
	वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर					
	ऋण पर ब्याज					
	ऋण- एन					
	सकल ऋण - आरम्भिक					
	पूर्व वर्ष तक ऋण का संघयी भुगतान					
	शुद्ध ऋण - आरम्भिक					
	जोड़कर - वर्ष के दौरान निकालियां					
	घटाकर - वर्ष के दौरान ऋण की वापसियां					
	शुद्ध ऋण - अंत में					
	औसत शुद्ध ऋण					
	वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर					
	ऋण पर ब्याज					
	कुल ऋण					
	सकल ऋण - आरम्भिक					
	पूर्व वर्ष तक ऋण का संघयी भुगतान					
	शुद्ध ऋण - आरम्भिक					
	जोड़कर - वर्ष के दौरान निकालियां					
	घटाकर - वर्ष के दौरान ऋण की वापसियां					
	शुद्ध ऋण - अंत में					
	औसत शुद्ध ऋण					
	वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर					
	ऋण पर ब्याज					
	ऋणों पर ब्याज की भारत औसत दर					

विदेशी ऋणों के मामले में परिकलन भारतीय रूपये में प्रस्तुत किया जाये, तथापि मूल मुद्रा में परिकलन भी उसी प्रारूप में पृथक रूप से प्रस्तुत किया जाये।

याचिकाकर्ता

उत्पादक कम्पनी का नाम
उत्पादन स्टेशन का नाम

प्रपत्र : एफ 9.3

मानकीय ऋण पर ब्याज का परिकलन

विवरण	पूर्व वर्ष (एन-1)	वर्तमान वर्ष (एन)	(आकड़े करोड़ों में)		
			आगामी वर्ष (एन +1) प्रक्षेपित	आगामी वर्ष (एन +2) प्रक्षेपित	आगामी वर्ष (एन +3) प्रक्षेपित
सकल मानकीय ऋण - आरम्भिक					
पूर्व वर्ष तक मानकीय ऋण के संचयी भुगतान					
शुद्ध मानकीय ऋण - आरम्भिक					
वर्ष के दौरान वृद्धि या कमी					
घटाकर - वर्ष के दौरान मानकीय ऋण की वापसी					
शुद्ध मानकीय ऋण - अंत में					
औसत मानकीय ऋण					
वार्षिक आधार पर वास्तविक ऋण पर ब्याज की भारित औसत दर					
मानकीय ऋण पर ब्याज					

याचिकाकर्ता

उत्पादक कम्पनी का नाम
.....
उत्पादन स्टेशन का नाम

प्रपत्र: एफ 10

कार्यशील पूंजी पर ब्याज का विवरण

क्रम सं०	विवरण	पूर्व वर्ष (n-1) (वास्तविक/संपरीक्षित)	वर्तमान वर्ष (n)		आगामी वर्ष (n+1)	आगामी वर्ष (n+2)	आगामी वर्ष (n+3)	टिप्पणी
			अप्रैल-सित० (वास्तविक)	अक्टू-मार्च (आंकलित)				
1.	ओ एंड एम व्यय - 1 माह							
2.	स्पेयर्स (ओ एंड एम व्ययों का 15 %)							
3.	प्राप्य- 2 माह							
4.	कुल कार्यशील पूंजी (1+2+3)							
5.	मानकीय ब्याज दर (%)							
6.	कार्यशील पूंजी पर मानकीय ब्याज (4x5)							

याचिकाकर्ता

उत्पादक कम्पनी का नाम
उत्पादन स्टेशन का नाम
प्रपत्र: एफ 11.1

मरम्मत एवं रखरखाव का विवरण

(आंकड़े करोड़ों में)

क्रम सं०	क्रम सं०	आयुष्म अतिकरण ऋण स्रोत	पूर्व वर्ष (एन+6) (वास्तविक/ संपरीक्षित)	पूर्व वर्ष (एन+5) (वास्तविक/ संपरीक्षित)	पूर्व वर्ष (एन+4) (वास्तविक/ संपरीक्षित)	पूर्व वर्ष (एन+3) (वास्तविक/ संपरीक्षित)	पूर्व वर्ष (एन+2) (वास्तविक/ संपरीक्षित)	पूर्व वर्ष (एन+1) (वास्तविक/ संपरीक्षित)	वर्तमान वर्ष (एन)		आगामी वर्ष (एन+1) प्रक्षेपित	आगामी वर्ष (एन+2) प्रक्षेपित	आगामी वर्ष (एन+3) प्रक्षेपित	टिप्पणी
									अकटू-मार्च (अनुमानित)	अप्रै-मार्च (वास्तविक)				
1		संयंत्र एवं मशीनरी												
2		भवन												
3		निविल कार्य												
4		हायड्रोलिक कार्य												
5		लाईन्स, केबल नेट वर्क्स इत्यादि												
6		वाहन												
7		फर्नीचर्स व फिक्सचर्स												
8		कार्यालय उपकरण												
9		स्टेशन आपूर्ति, स्टोर्स व उपसाधनों से संबंधित												
		- जनरेटर्स, टर्बाईन्स व उपसाधनों से संबंधित												
		- उपकरण												
		- अनुशुची उपकरण व उर्जा स्टेशन के लिए												
		सेवाओं से संबंधित												
11		अन्य कोई मद												
12		घटाकर : पूर्णिकरण												
		योग												

याचिकाकर्ता

उत्पादक कम्पनी का नाम
उत्पादन स्टेशन का नाम
प्रपत्र: एफ 11.2
कर्मचारी व्ययों का विवरण

क्रम सं०	विवरण	पूर्व वर्ष (एन-6) (वार्षिक/संपरीक्षित)	पूर्व वर्ष (एन-5) (वार्षिक/संपरीक्षित)	पूर्व वर्ष (एन-4) (वार्षिक/संपरीक्षित)	पूर्व वर्ष (एन-3) (वार्षिक/संपरीक्षित)	पूर्व वर्ष (एन-2) (वार्षिक/संपरीक्षित)	पूर्व वर्ष (एन-1) (वार्षिक/संपरीक्षित)	वर्तमान वर्ष (एन)		आगामी वर्ष (एन+2) प्रक्षेपित	आगामी वर्ष (एन+3) प्रक्षेपित	टिप्पणी
								अक्टू-मार्च (अनुमानित)	अप्रै-मार्च (कुल)			
(ए)	कर्मचारी लागत ("सी" व "डी" में उल्लिखित से अन्यथा)											
1	वेतन											
2	अतिरिक्त वेतन/महंगई भत्ता (डीए)											
3	अन्य भत्ते व राहत											
4	अंतरिम/राहत/मजदूरी संशोधन											
5	मानदेय/ओवर टाइम											
6	संवैधिक बोनस/एक्स प्रेशिया											
	रुप-योग											
	अन्य लागते											
(बी)	यिकिस्सा व्यय प्रतिपूर्ति											
1	यात्रा भत्ता (यातायात भत्ता)											
2	अवकाश यात्रा सहायता											
3	अज्ञित अवकाश नकदीकरण											
4	कर्मकार प्रतिकार अधिनियम के अधीन भुगतान व ग्रेच्युटी											
5	कर्मचारियों को सहायता रूप में विद्युत											
6	अन्य कोई मद											
7	रूपाफ कल्याण व्यय											
8	उप-योग											
(सी)	प्रशिक्षण व अन्य प्रशिक्षण व्यय											
(डी)	सेवात लाभों के लिये अंशदान											
	भविष्य निधि अंशदान											
1	भविष्य निधि हेतु प्राविधान											
2	कोई अन्य मद											
3	कुल सी											
(ई)	कुल योग											
(एफ)	कर्मचारी व्यय पूंजीकृत											
(जी)	शुद्ध कर्मचारी व्यय (ई) (एफ)											

याचिकाकर्ता

बी. कर्मचारियों की संख्या का विवरण

क्रम सं०	वर्ग	पूर्व वर्ष (एन-6) (वास्तविक/संपरीक्षित)	पूर्व वर्ष (एन-5) (वास्तविक/संपरीक्षित)	पूर्व वर्ष (एन-4) (वास्तविक/संपरीक्षित)	पूर्व वर्ष (एन-3) (वास्तविक/संपरीक्षित)	पूर्व वर्ष (एन-2) (वास्तविक/संपरीक्षित)	पूर्व वर्ष (एन-1) (वास्तविक/संपरीक्षित)	वर्तमान वर्ष (एन)		आगामी वर्ष (एन+1) प्रक्षेपित	आगामी वर्ष (एन+2) प्रक्षेपित	आगामी वर्ष (एन+3) प्रक्षेपित	टिप्पणी
								अप्रै-सित (वास्तविक)	अप्रै-मार्च (अनुमानित)				
ए	अधिकारी / प्रबंधक संवर्ग												
1	तकनीकी												
2	प्रशासकीय												
3	लेखा एवं वित्त												
4	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)												
बी	स्टाफ संवर्ग												
5	तकनीकी												
5.1	श्रेणी I												
5.2	श्रेणी II												
5.3	श्रेणी III												
5.4	श्रेणी IV												
6	प्रशासकीय												
6.1	श्रेणी I												
6.2	श्रेणी II												
6.3	श्रेणी III												
6.4	श्रेणी IV												
7	लेखा एवं वित्त												
7.1	श्रेणी I												
7.2	श्रेणी II												
7.3	श्रेणी III												
7.4	श्रेणी IV												
8	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)												
8.1	श्रेणी I												
8.2	श्रेणी II												
8.3	श्रेणी III												
8.4	श्रेणी IV												
	कुल कर्मचारी												

याचिकाकर्ता

उत्पादक कम्पनी का नाम
उत्पादन स्टेशन का नाम

प्रपत्र: एफ 12
गैर शुल्क आय

क्रम सं०	विवरण	पूर्व वर्ष (एन-1) (वास्तविक/संपरीक्षित)	वर्तमान वर्ष (एन)			आगामी वर्ष (एन+1)	आगामी वर्ष (एन+2)	आगामी वर्ष (एन+3)	टिप्पणी
			अप्रैल-सित्त (वास्तविक)	अक्टू-मार्च (आकलित)	योग (अप्रैल-मार्च)				
ए	निवेश, स्थिर व मांग जमाओं से आय								
1	निवेश से ब्याज आय								
2	सविधि जमाओं से ब्याज								
3	सविधि जमाओं से अन्यथा बैंकों से ब्याज								
4	(किन्ही अन्य मदों) पर ब्याज								
	उप-योग								
बी	अन्य गैर शुल्क आय								
1	स्टाफ को ऋणों व अग्रिमों पर ब्याज								
2	अनुज्ञापी को ऋणों व अग्रिमों पर ब्याज								
3	पट्टा दाताओं को ऋणों व अग्रिमों पर ब्याज								
4	आपूर्तिकर्ताओं सविदाकारों को अग्रिमों पर ब्याज								
5	ट्रेडिंग से आय (विद्युत से अन्यथा)								
6	स्थिर आस्तियों के विक्रय से प्राप्ति								
7	स्टाफ कल्याण क्रियाकलापों के द्वारा फीस/आय/संग्रह								
8	विविध प्राप्तिगों								
9	लाभार्थी से विलंबित भुगतान प्रभार								
10	यू आई प्रभारों से शुद्ध लाभ								
11	विलंब इत्यादि के लिये सविदाकार/आपूर्तिकर्ता हेतु दंड								
12	लाभार्थी से विविध प्रभार								
	उप-योग								
	योग-								

याचिकाकर्ता

उत्पादक कम्पनी का नाम
उत्पादन स्टेशन का नाम
प्रपत्र: एक 13
सहीकरण का सारंश
अंतिम सहीकरण हेतु पूर्व वर्ष (एन +1)

(आंकड़ें करोड़ों में)

क्रम सं.	विवरण	अनुमोदित	वास्तविक	विचलन	विचलन हेतु कारण	नियंत्रणीय	अनियंत्रणीय
ए	शुद्ध वार्षिक स्थिर प्रभार						
1	ऋण पर ब्याज (मानकीय ऋणों पर ब्याज सहित)						
2	अवकाय						
3	पट्टा प्रभार						
4	इंक्विटी पर प्रतिफल						
5	ओ एंड एम व्यय						
6	कार्यशील पूंजी पर ब्याज						
7	आय कर						
8	सकल वार्षिक स्थिर प्रभार (1+2+3+4+5+6+7)						
9	घटाकर अन्य आय (कृपया विनिर्दिष्ट करें)						
10	शुद्ध वार्षिक स्थिर प्रभार (8-9)						
बी	ऊर्जा के विक्रय से राजस्व						
सी	अधिशेष / (अंतर)						

नोट: कृपया अनियंत्रणीय कारकों के कारण हुए विचलन हेतु पृथक रूप से विस्तृत स्पष्टीकरण दें।

वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा हेतु वर्तमान वर्तमान वर्ष (एन)

(आंकड़ें करोड़ों में)

क्रम सं0	विवरण	अनुमोदित	अर्धवार्षिक वास्तविक कार्य निष्पादन पर आधारित संशोधित आंकलन	विचलन	विचलन हेतु कारण	नियंत्रणीय	अनियंत्रणीय
ए	शुद्ध वार्षिक स्थिर प्रभार						
1	ऋण पर ब्याज (मानकीय ऋणों पर ब्याज सहित)						
2	अवकाय						
3	पट्टा प्रभार						
4	इंक्विटी पर प्रतिफल						
5	ओ एंड एम व्यय						
6	कार्यशील पूंजी पर ब्याज						
7	आय कर						
8	सकल वार्षिक स्थिर प्रभार						
9	घटाकर : अन्य आय						
10	शुद्ध वार्षिक स्थिर प्रभार						
बी	ऊर्जा के विक्रय से राजस्व						
सी	अधिशेष / (अंतराल)						

नोट : कृपया अनियंत्रणीय कारकों के कारण हुए विचलन हेतु पृथक रूप से विस्तृत स्पष्टीकरण दें।

याचिकाकर्ता

उत्पादक कम्पनी का नाम

उत्पादन स्टेशन का नाम

प्रपत्र: एफ 14
इक्विटी पर प्रतिफल दर्शाने वाला पत्रक

क्र०सं० (1)	विवरण (2)	(आंकड़ें करोड़ों में)			
		2014-15 (3)	2015-16 (4)	2016-17 (5)	2017-18 (6)
	प्रारंभिक इक्विटी				
	जोड़ें: वर्ष/अवधि के दौरान संवृद्धि के कारण हुई वृद्धि				
	घटाएँ: वर्ष/अवधि के दौरान हुए पूंजीकरण के कारण घटोत्तरी				
	घटाएँ: वर्ष/अवधि के दौरान तकदीली के कारण हुई कमी				
	जोड़ें: वर्ष/अवधि के दौरान निर्वहन के कारण हुई वृद्धि				
	अन्तिम इक्विटी				
	औसत इक्विटी				
	आरओई की दर				
	इक्विटी पर प्रतिफल				

याचिकाकर्ता

.....
 उत्पादक कम्पनी का नाम
 उत्पादन स्टेशन का नाम
 प्रपत्र: एफ 14ए

इक्विटी पर प्रतिफल

(आंकड़ें करोड़ों में)

क्रम सं०	मद	पूर्व वर्ष (एन-1) (वास्तविक/ सपरीक्षित)	वर्तमान वर्ष (एन)		आगामी वर्ष (एन+1)	आगामी वर्ष (एन+2)	आगामी वर्ष (एन+3)	टिप्पणी
			अप्रैल-सित० (वास्तविक)	अक्टू-मार्च (आकलित)				
1	वर्ष के प्रारंभ में इक्विटी				प्रक्षेपित	प्रक्षेपित		
2	पूजीगत व्यय							
3	पूजीगत व्यय का इक्विटी भाग							
4	वर्ष के अंत में इक्विटी							
5	प्रतिफल संगणना							
6	इक्विटी के प्रारम्भिक अधिशेष पर इक्विटी पर प्रतिफल							

याचिकाकर्ता

प्रारूपों की सूची

धर्मल/गैस हेतु प्रारूप

क्र०सं	प्रपत्र संख्या	विवरण
1.	प्रपत्र: एफ 1.1	प्रति यूनिट दर का संगणन
2.	प्रपत्र: एफ 1.2	राजस्व एवं राजस्व आवश्यकता का सारांश
3.	प्रपत्र: एफ 2.1	विक्रय योग्य ऊर्जा व पी ए एफ
4.	प्रपत्र: एफ 2.2	ऊर्जा उत्पादन (एम यू) पर जानकारी
5.	प्रपत्र: एफ 2.3	तापीय परियोजना की मुख्य विशेषताएं
6.	प्रपत्र: एफ 3	शुद्ध वार्षिक स्थिर प्रभारों का परिकलन
7.	प्रपत्र: एफ 4.1	ऊर्जा प्रभारों व ईंधन भंडारों का संगणन
8	प्रपत्र: एफ-4.2 ए	ऊर्जा प्रभार दर की संगणना के लिए ईंधन के संदर्भ में प्रस्तुत किए जाने वाला विवरण/जानकारी
9	प्रपत्र: एफ 5.1	सकल स्थिर आस्ति आधार व वित्त पोषण योजना का पत्रक
10	फार्म : एफ-5.1ए	नई परियोजनाओं के लिए प्राक्कलित पूंजी लागत तथा कमीशनिंग की अनुसूची का सारांश
11.	प्रपत्र: एफ 5.2	आस्तिवार अवक्षय का पत्रक
12.	प्रपत्र: एफ 5.3	अवक्षय का विवरण
13.	प्रपत्र: एफ 6.1	पूंजीगत व्यय का पत्रक
14.	प्रपत्र: एफ 6.2	पूंजीगत प्रगति-अधीन कार्य का पत्रक
15.	प्रपत्र: एफ 6.3	पूंजीगत व्यय का पत्रक व नयी योजनाओं व सी ओ डी की अनुसूची
16.	प्रपत्र: एफ 6.4	नयी योजनाओं के लिए पूंजीगत व्यय का ब्यौरा
17.	प्रपत्र: एफ 6.5ए	सी ओ डी पर गैस आधारित परियोजनाओं के लिए पूंजीलागत का ब्यौरा
19.	प्रपत्र: एफ 6.6	सी ओ डी पर निर्माण/आपूर्ति/सेवा पैकेजों का ब्यौरा (नये स्टेशनों के लिए)
20.	प्रपत्र: एफ 6.7	आई डी सी एवं वित्त पोषण प्रभारों इत्यादि परिकलन हेतु ड्रॉ डाउन अनुसूची
21	प्रपत्र : एफ-6.8	लागत की अधिकता होने की स्थिति में
22	प्रपत्र: एफ 6.9	वास्तविक नगद व्यय
23	प्रपत्र: एफ 6.10	समय की अधिकता होने की स्थिति में
24	प्रपत्र: एफ 6.11	साओडी के पश्चात अतिरिक्त पूंजीकरण का वर्षवार पत्रक
25	प्रपत्र: एफ 6.12	परियोजना के उपयोगी जीवनकाल के अन्तान्त के दौरान अतिरिक्त पूंजीकरण का पत्रक
26	प्रपत्र: एफ 6.13	बहियों के अनुरूप पूंजी संवर्धन सहित दावाकृत एसीई का मिलान दर्शाने वाला पत्रक
27	प्रपत्र: एफ 6.14	पूंजीकरण निरसन पत्रक
28	प्रपत्र: एफ 6.14A	अपवर्जन के अन्तर्गत दावाकृत मर्दों/आस्तियों/कार्यों को दर्शाने वाला पत्रक
29	प्रपत्र: एफ-6.15	इक्विटी पर लामांश
30	प्रपत्र : एफ-6.15ए	अतिरिक्त आरओई का दावा किए जाने की स्थिति में
31	प्रपत्र: एफ 7	पूंजी लागत व वित्त पोषण संरचना का विवरण
32	प्रपत्र: एफ 8	वित्तीय पैकेजों का विवरण
33	प्रपत्र: एफ 9.1	बकाया ऋणों का पत्रक
34	प्रपत्र: एफ 9.2	वास्तविक ऋणों पर ब्याज की भारित औसत ब्याज दर का परिकलन
35	प्रपत्र: एफ 9.3	मानकीय ऋण पर ब्याज का परिकलन
36	प्रपत्र: एफ 10.ए	गैस आधारित स्टेशनों के लिये कार्यशील पूंजी पर ब्याज का विवरण
37	प्रपत्र: एफ 11	प्रचालन एवं अनुरक्षण व्ययों का विवरण
38	प्रपत्र: एफ 11.1	मरम्मत एवं रखरखाव के खर्चों का विवरण
39	प्रपत्र: एफ 11.2	कर्मचारी खर्चों का विवरण
40	प्रपत्र: एफ 11.3	प्रशासन एवं सामान्य खर्चों का विवरण
41	प्रपत्र: एफ 12	गैर शुल्क आय
42	प्रपत्र: एफ 13	सहीकरण का सारांश

उत्पादन कंपनी का नाम
उत्पादक स्टेशन का नाम

प्रपत्र एक-1.1

प्रति यूनिट दर का संगणन

(आंकड़े को करोड़ में)

क्रम	यूनिट	पूर्व वर्ष (एन-1) (वास्तविक/संपरीक्षित)	वर्तमान वर्ष (एन)		आगामी वर्ष (एन+1)	आगामी वर्ष (एन+2)	आगामी वर्ष (एन+3)
			अप्रैल-सित्त0 (वास्तविक)	अक्टू-मार्च (आंकलित)			
सं0	मद						
1	वार्षिक स्थिर लागत						
2	प्राथमिक ईंधन लागत						
3	विक्रय योग्य ऊर्जा (अनुषंगी उत्पादन शुद्ध)	करोड़ रु0					
4	विक्रय योग्य ऊर्जा की प्रति यूनिट दर	करोड़ रु0					
		एमयू					
		रु0/यूनिट					

याचिकाकर्ता

उत्पादन कंपनी का नाम
उत्पादक स्टेशन का नाम

प्रपत्र एफ-1.2

राजस्व एवं राजस्व आवश्यकता का सारांश

क्रमांक	विवरण	पूर्व वर्ष (एन-1) (वास्तविक/संपरीक्षित)	वर्तमान वर्ष (एन) अनुमानित-वर्ष (आकलित)	योग (अनुमानित-वर्ष)	आगामी वर्ष (एन+1)		आगामी वर्ष (एन+2)	
					आगत	प्रक्षेपित	आगत	प्रक्षेपित
ए	उत्पादन							
1	सकल उत्पादन (एम यू)							
2	अनुबंधी उपभोग (%)							
3	अनुबंधी उपभोग (एम यू)							
4	शुद्ध उत्पादन (एम यू) (1 से 3)							
बी	व्यय							
1	ऊर्जा के विक्रय से राजस्व							
2	गैर शुल्क आय							
	कुल राजस्व (1+2)							
सी	राजस्व							
1	प्राथमिक ईंधन प्रसार							
2	ओ एंड एम व्यय							
ए	आर एंड एम व्यय							
बी	कर्मचारी व्यय							
सी	ए एंड जी व्यय							
3	द्वितीयक ईंधन तेल लागत							
4	अक्षय							
5	पट्टा प्रसार							
6	रू.गों पर व्याज							
7	कार्यालयीय पूंजी पर व्याज							
	कुल व्यय (1+2+3+4+5+6+7)							
डी	इसके अलावा पर प्रतिकूल							
ई	राजस्व आवश्यकता (सी + डी)							
	अतिशेष (+) / कमी (-) (बी-ई)							

नोट:

एन= वित्तीय वर्ष 2012-13

राजिष्कारता

उत्पादन कंपनी का नाम
 उत्पादक स्टेशन का नाम
 प्रपत्र एक-2.1
 विद्युत योग्य ऊर्जा व पी ए एफ

(आंकड़ें का कोड नं०)

Sl. No.	मद	युनिट	पूर्व (एन-1) (वास्तविक / सपरीक्षित)	वर्तमान वर्ष (एन)		आगामी वर्ष (एन+1) प्रक्षेपित	आगामी वर्ष (एन+2) प्रक्षेपित	आगामी वर्ष (एन+3) प्रक्षेपित
				अप्रैल-सित्त (मासविक)	अक्टू-मार्च (आंकलित)			
1	चकल उत्पादन विकरण	(एन यू)						
2	अनुवर्ती उपकरण (ए) उत्पादित ऊर्जा ७५ मे (बी) एन यू मे	(%) (एन यू)						
3	विद्युत योग्य ऊर्जा 1-2बी)	(एन यू)						
4	संवंत्र उपलब्धता कारक	%						

आधिकार्य

Format for Thermal/Gas

उत्पादन कंपनी का नाम
उत्पादक स्टेशन का नाम

प्रपत्र एफ-2.2

ऊर्जा जानकारी पर जानकारी (एम यू)

(आंकड़ें रु0 करोड़ में)

क्रम सं०	माह	पूर्व वर्ष (एन-1)		वर्तमान वर्ष (एन)		आगामी वर्ष (एन+1)		आगामी वर्ष (एन+2)		आगामी वर्ष (एन+3)	
		सकल उत्पादन	अनुषंगी उपयोग	युद्ध उत्पादन	सकल उत्पादन	अनुषंगी उपयोग	युद्ध उत्पादन	सकल उत्पादन	अनुषंगी उपयोग	युद्ध उत्पादन	सकल उत्पादन
1	अप्रैल										
2	मई										
3	जून										
4	जुलाई										
5	अगस्त										
6	सितम्बर										
7	अक्टूबर										
8	नवम्बर										
9	दिसम्बर										
10	जनवरी										
11	फरवरी										
12	मार्च										
	कुल										

आवेदक

उत्पादन कंपनी का नाम _____
उत्पादक स्टेशन का नाम _____

प्रपत्र एफ-2.3

तापीय परियोजना की मुख्य विशेषताएं

(आंकड़े १० करोड़ में)

क्रम सं०	विवरण	यूनिट I	यूनिट II	यूनिट III
	यूनिट (हो) ब्लाक (को) मानदंड			
1	दाब	(Kg/Cm ²)		
2	तापमान	(^o C)		
	" - सुपर हीटर आउटलेट पर			
	" - रीहीटर आउटलेट पर			
3	गारट्रीड डीसियन हीट रेट	(kCal/Kwh)		
	शर्तें जिन पर गारट्रीड है			
४	एम सी आर %			
बी	मेक अप %			
सी	डिजायन ईंधन			
डी	डिजायन कूलिंग जल तापमान			
ई	बैक प्रेशर			
	नोट: यदि गारट्रीड हीट रेट उपलब्ध नहीं है तो गारट्रीड टर्बाइन सायकल हीट रेट तथा गारट्रीड बॉयलर बुबलता, गारट्री की शर्तों के साथ पृथक रूप से प्रस्तुत करें।			
4	कूलिंग टावर का प्रकार			
5	वाणिज्यिक क्षमता (आई सी)	मेगावॉट		
6	वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि			
	प्रत्येक लानार्थी/श्रेणी के लिए संस्थापित क्षमता के संदर्भ में प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ-साथ बंधे लानार्थियों/लक्षित लानार्थियों/व्यापारी क्षमता का विवरण			
7	कूलिंग प्रणाली का प्रकार ¹			
8	बॉयलर फीड पम्प का प्रकार ²			
	संबंधित परियोजना प्रणाली या प्रस्तावित निकासी व्यवस्था			
	1) बोल्डर स्तर			
	2) कंडक्टर का नाम एवं सर्किटों की संख्या			
	3) लाईन की लंबाई कि०मी० में			
	4) सम्बद्ध सबस्टेशन का नाम			
9	ईंधन विवरण			
	मुख्य ईंधन का विवरण और उसके स्रोत (स्वदेशी/आयातित)			
	परिचहन के तरीके			
	उपयोग/उपयोग में लाने जाने वाले ईंधन का सकल कैलोफिटीक मूल्य (जी सी वी)			
४	- प्राथमिक ईंधन			
बी	- द्वितीयक ईंधन			
	उपयोग/उपयोग हेतु प्रस्तावित द्वितीयक ईंधन			
सी	- वैकल्पिक ईंधन			
10	विशेष विशेषताएं/स्थल विशिष्ट विशेषताएं			
11	विशेष प्रौद्योगिक विशेषताएं			
12	पर्यावरणीय विनियम संबंधी विशेषताएं			
13	अन्य कोई विदित विशेषताएं			
14	बॉयलर फीड पंप की संख्या और प्रकार			
15	शाली प्रणाली के प्रकार			
16	उत्तेजन न प्रणाली के प्रकार			
17	जनरेटर ट्रांसफार्मर का विवरण:			
	a) मेक			
	b) ट्रांसफार्मर की संख्या			
	c) मूल्य/कन			
	d) बोल्डिंग अनुपात			

1. लोड सर्किट टंडा, एक बार टंडा करने पाध्यम से, प्राकृतिक मशीन टंडा, प्रेरित मशीन टंडा आदि
2. मोटर खलित, नाप खलित आद
3. कोयला या प्राकृतिक गैस निट्टी का जेल या लिग्नाइट आदि बनान
4. ऐसे प्रमुदित जाना दौर, सागर को आसफस के क्षेत्र, सेवन/मेकअप पानी की व्यवस्था विनियम...आदि के रूप में किसी भी साइट विशिष्ट सुविधा इस तरह के सभी सुविधाओं को निर्दिष्ट करें।
5. गैस टर्बाई, आदि के क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकी वर्ग एकए की तरह कोई विशेष तकनीकी सुविधा।
6. एक जी डी तरह पर्यावरण विनियमन से संबंधित सुविधाओं, ईएसपी आदि।

याचिकाकर्ता

उत्पादन कंपनी का नाम
उत्पादक स्टेशन का नाम

प्रपत्र-एफ 3

शुद्ध वार्षिक स्थिर प्रसार का परिकलन

(आंकड़े रकम करोड़ में)

क्रम सं०	वर्षान्त मार्ग	पूर्व वर्ष (एन-1) (वास्तविक/ संपरीक्षित)	वर्तमान वर्ष (एन)			आगामी वर्ष (एन+1) प्रक्षेपित	आगामी वर्ष (एन+2) प्रक्षेपित	आगामी वर्ष (एन+3) प्रक्षेपित
			अप्रैल-सित्तौ (वास्तविक)	अक्टू-मार्च (आकलित)	योग (अप्रैल-सित्तौ)			
1	ऋण पर ब्याज (मानकीय ऋणों पर ब्याज सहित)							
2	अवशय							
3	पट्टा प्रसार							
4	इन्विटी पर प्रतिफल							
	(ए) इन्विटी पर प्रतिफल की दर							
	(बी) इन्विटी							
	(सी) इन्विटी पर प्रतिफल (ए)×(बी)							
5	ओ एंड एम व्यय							
	5.1- कर्मचारी लागतें							
	5.2- मरम्मत एवं रखरखाव व्यय							
	5.3- प्रशासकीय एवं सामान्य लागतें							
6	कार्यशील पूँजी पर ब्याज							
7	द्वितीयक ईंधन लागत							
8	सकल वार्षिक स्थिर प्रसार (1+2+3+4(सी)+5+6+7							
9	घटा कर : अन्य आय (विवरण प्रदान करें)							
10	शुद्ध वार्षिक स्थिर प्रसार (8-9)							

याचिकाकर्ता

उत्पादन कंपनी का नाम
उत्पादक स्टेशन का नाम

प्रपत्र: एफ-4.1

ऊर्जा प्रमारों व ईंधन भंडारों का संगणन

क्र. सं.	विवरण	युनिट	पूर्व वर्ष (एन-1)		वर्तमान वर्ष (एन)		आगामी वर्ष (एन+1)	आगामी वर्ष (एन+2)	आगामी वर्ष (एन+3)
			(वास्तविक/संपरीक्षित)	(अंशिक/संपरीक्षित)	अप्रैल-सित्त(वास्तविक)	अक्टू-मार्च(अंशिक)			
1	स्टेड क्षमता	एम डब्ल्यू							
2	लक्ष्य उपलब्धता (पी एल एक)	%							
3	मानकीय पी एल एक पर उत्पादन की युनिट	एम यू							
4	सकल स्टेशन हीट दर (जी.एच.आर)	कैल्सी/किलोवाट							
5	विशिष्ट ईंधन तेल उपभोग (एस एक सी)	क्युबिक							
6	द्वितीयक ईंधन का कैलोरीफिक मूल्य (सी.वी.पी.एफ)	अवशय का पत्रक							
7	प्रथमिक ईंधन का वास्तविक औसत व मूल्य (एल.पी.जी.एफ)	Rs./MT or Rs./KL							
8	द्वितीयक ईंधन का भारित औसत व मूल्य	Rs./KL							
9	धरेडू गैस का जी.सी.वी. गैस कम्पनी के बिल के अनुसार (सी.वी.पी.एफ.)	कैल्सीएल/लीटर							
10	धरेडू गैस का जी.सी.वी. कम्पनी के बिल के अनुसार (सी.वी.पी.एफ.)	कैल्सीएल/लीटर							
11	आयातित गैस का जी.सी.वी. गैस कम्पनी के बिल के अनुसार (सी.वी.पी.एफ.)	कैल्सीएल/लीटर							
12	मानकीय अनुसूची उपभोग (%)	%							
13	एक्स-बस प्राथमिक ईंधन प्रभार	Ps./kwh							
14	एक माह में ऊर्जा उत्पादन	MU							
15	एक माह में वाह्य प्रेषित ऊर्जा	MU							
16	प्रति माह प्राथमिक ईंधन की औसत लागत	करोंड रु0							
17	प्रति माह द्वितीयक ईंधन की औसत लागत	करोंड रु0							
18	प्रति माह मुख्य द्वितीयक ईंधन की औसत लागत (डब्ल्यू.सी.के.लिए)	करोंड रु0							

याचिकाकर्ता

उत्पादन कंपनी का नाम
उत्पादक स्टेशन का नाम

प्रपत्र: एफ-4.2 ए
ऊर्जा प्रसार/गैस की संगणना के लिए ईंधन के संदर्भ में प्रस्तुत किए जाने वाला विवरण/जानकारी

क्रम सं०	विवरण	यूनिट	पूर्व वर्ष (एन-1)		पूर्व वर्ष (एन)		आगामी वर्ष (एन+1)	आगामी वर्ष (एन+2)	आगामी वर्ष (एन+3)
			(वास्तविक/संपरीक्षित)	(वास्तविक)	अक्टूबर-मार्च (आंकलित)	योग (अप्रैल-मार्च)			
1	किए गए ईंधन की मात्रा	(एमएमएससी एम/केएल)					प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	
2	ईंधन आपूर्तिकर्ता को देय राशि	(करोड़ ₹०)							
3	कुल परिवहन प्रभार	(करोड़ ₹०)							
	कुल ईंधन लागत	(करोड़ ₹०)							
4	ईंधन की भारित औसत जीवीसी	(kCal/Kg) / (kCal/KL)							

याचिकाकर्ता

उत्पादक स्टेशन का नाम

प्रपत्र: एफ-5.1

सकल बिधर आरिष्ठ आभार व वित्त पोषण योजना का पत्रक

उत्पादन कंपनी का नाम

उत्पादक स्टेशन का नाम

प्रपत्र: एफ-5.1

सकल बिधर आरिष्ठ आभार व वित्त पोषण योजना का पत्रक

पूर्व वर्ष (एम+1)

आरिष्ठों का विवरण	आरिष्ठिक आरिष्ठ	वर्ष के दौरान परिवर्तन *	वर्ष के दौरान आरिष्ठों का सेवारत*	(आरिष्ठिक व/अथवा अन्य आरिष्ठिक)
ए- भूमि				
बी- खन				
सी- अन्य इसी प्रकार (विशेषता में दिखे गये वर्गीकरण अनुसार)				
योग				

पूर्व वर्ष (एम+2)

आरिष्ठों का विवरण	आरिष्ठिक आरिष्ठ	वर्ष के दौरान परिवर्तन *	वर्ष के दौरान आरिष्ठों का सेवारत*	(आरिष्ठिक व/अथवा अन्य आरिष्ठिक)
ए- भूमि				
बी- खन				
सी- अन्य इसी प्रकार (विशेषता में दिखे गये वर्गीकरण अनुसार)				
योग				

पूर्व वर्ष (एम+3)

आरिष्ठों का विवरण	आरिष्ठिक आरिष्ठ	वर्ष के दौरान परिवर्तन *	वर्ष के दौरान आरिष्ठों का सेवारत*	(आरिष्ठिक व/अथवा अन्य आरिष्ठिक)
ए- भूमि				
बी- खन				
सी- अन्य इसी प्रकार (विशेषता में दिखे गये वर्गीकरण अनुसार)				
योग				

* कृपया वर्ष के दौरान बिधर आरिष्ठों के परिवर्तन व उनमें सेवारत की वास्तविक/पर्याप्त विधियां उल्लेख करें।

वारिकावर्ष

उत्पादन कंपनी का नाम
 उत्पादक स्टेशन का नाम
 फर्म : एफ-51ए
 नई परियोजनाओं के लिए प्राकल्पित पूंजी लागत तथा कमीशनिंग की अनुसूची का सारांश
 नई परियोजनाएं
 प्राकल्पित पूंजी लागत

(लाकरे खा क्रमों के)	
प्राकल्पित पूंजी लागत को अनुमोदित करने वाला निदेशक बोर्ड/अधिकरण	प्राकल्पित पूंजी लागत के अनुमोदन की तिथि
अनुमोदित प्राकल्पन का कीमत स्तर	वर्तमान दिवस की लागत साल के तिमाही पर
पूंजी लागत प्राकल्पन के लिए विचारित विदेशी विनिमय दर	पूरी लागत आईटीसी, एफसी एवं एफसी को छोड़कर
विदेशी घटक, यदि कोई हो, (मिलियन यू.एस. \$ या सुसंगत मुद्रा में)	
घरेलू घटक (लाख रुपये)	
पूंजी लागत, जिसमें आईटीसी, आईईटीसी, एफसी, एफईआरसी एवं प्रतिस्था लागत शामिल नहीं है। (लाख रुपये में)	आईटीसी, आईईटीसी, एफसी, एफईआरसी तथा प्रतिस्था लागत
विदेशी घटक, यदि कोई हो, (मिलियन यू.एस. \$ या सुसंगत मुद्रा में)	
घरेलू घटक (लाख रुपये)	
कुल आईटीसी, आईईटीसी, एफसी, एफईआरसी तथा प्रतिस्था लागत (लाख रुपये में)	
विचार किये गए करों और शुल्कों की दर	
	पूरी लागत जिसमें आईटीसी, एफसी, एफईआरसी एवं विधिगत लागत भी है
विदेशी घटक, यदि कोई हो, (मिलियन यू.एस. \$ या सुसंगत मुद्रा में)	
घरेलू घटक (लाख रुपये में)	
पूंजी नामत जिसमें आईटीसी, आईईटीसी, एफसी भी है (लाख रुपये में)	
कमीशनिंग फार्म की अनुसूची	
यूनिट-1/ब्लाक-1 की वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि निवेश अनुमोदक के अनुसार	
यूनिट-1/ब्लाक-1 की वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि निवेश अनुमोदक के अनुसार	
अंतिम यूनिट/ब्लाक की वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि	
नोट-	

1. निवेश अनुमोदन पत्र की प्रति संलग्न की जानी चाहिए।
2. पूंजी लागत के ब्यौरे क्यावागू प्रारूप में या इसी के अनुसार दिए जाएं।
3. आईटीसी और वित्त प्रसारों के ब्यौरे प्रारूप 14 के अनुसार दिए जाएं।

याचिकाकर्ता

उत्पादन कंपनी का नाम
उत्पादक स्टेशन का नाम

प्रपत्र: एक 5.2
आस्तिवार अवकाय का पत्रक

पूर्व वर्ष (एन-1)

(आंकड़े करोड़ में)

आस्तियों का विवरण	अवकाय की दर % में	वर्ष के आरम्भ पर संचित अवकाय	वर्ष हेतु उपबंधित अवकाय	वर्ष के दौरान निकालियां	वर्ष के अंत पर संचित अवकाय का अधिशेष
ए) भूमि					
बी) भवन					
सी) आगे इसी प्रकार (विनियमों में दिये गये वर्गीकरण अनुसार)					
योग					

सर्वजन वर्ष (एन)

(एक करोड़ में)

आस्तियों का विवरण	अवकाय की दर % में	वर्ष हेतु उपबंधित अवकाय		वर्ष के दौरान निकालियां		वर्ष के अंत पर संचित अवकाय का अधिशेष
		अप्रैल-सित्तो (वास्तविक)	अक्टू-मार्च (आंकलित)	अप्रैल-सित्तो (वास्तविक)	अक्टू-मार्च (आंकलित)	
ए) भूमि						
बी) भवन						
सी) आगे इसी प्रकार (विनियमों में दिये गये वर्गीकरण अनुसार)						
योग						

उत्पादक स्टेशन का नाम

प्रपत्र: एक 6.2

आस्तिवार अवकाश का प्रपत्रक

पूर्व वर्ष (एन-1)

(आकड़े 90 कक्षक में)						
आस्तियों का विवरण	अवकाश की दर % में	वर्ष के आरम्भ पर संचित अवकाश	वर्ष हेतु उपबंधित अवकाश	वर्ष के दौरान निकासियां	वर्ष के अंत पर संचित अवकाश का अधिशेष	
ए) भूमि						
बी) भवन						
सी) आगे इसी प्रकार (विनियमों में दिये गये वर्गीकरण अनुसार)						
योग						

पूर्व वर्ष (एन-2)

(आकड़े 90 कक्षक में)						
आस्तियों का विवरण	अवकाश की दर % में	वर्ष के आरम्भ पर संचित अवकाश	वर्ष हेतु उपबंधित अवकाश	वर्ष के दौरान निकासियां	वर्ष के अंत पर संचित अवकाश का अधिशेष	
ए) भूमि						
बी) भवन						
सी) आगे इसी प्रकार (विनियमों में दिये गये वर्गीकरण अनुसार)						
योग						

पूर्व वर्ष (एन-3)

(आकड़े 90 कक्षक में)						
आस्तियों का विवरण	अवकाश की दर % में	वर्ष के आरम्भ पर संचित अवकाश	वर्ष हेतु उपबंधित अवकाश	वर्ष के दौरान निकासियां	वर्ष के अंत पर संचित अवकाश का अधिशेष	
ए) भूमि						
बी) भवन						
सी) आगे इसी प्रकार (विनियमों में दिये गये वर्गीकरण अनुसार)						
योग						

उत्पादन कंपनी का नाम
उत्पादक स्टेशन का नाम

प्रपत्र एक 5.3
अवकाश का पत्रक

(संकेत का कथित में)

वित्तीय वर्ष	2000-01 तक	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
पूँजी लागत पर अवकाश																
अतिरिक्त पूँजीकरण पर अवकाश																
अतिरिक्त पूँजीकरण की राशि																
अवकाश राशि																
एफ ई आर वी का विवरण																
एफ ई आर वी की राशि जिस पर अवकाश प्रसारित है।																
अवकाश राशि																
वर्ष के दौरान वसूल किया गया अवकाश																
वर्ष के दौरान वसूले गए अवकाश के विरुद्ध अग्रिम																
वर्ष के दौरान वसूले गए अवकाश के विरुद्ध अवकाश एवं अग्रिम																
अवकाश के विरुद्ध संघी अवकाश एवं अग्रिम																
अवकाश के विरुद्ध संघी अवकाश एवं अग्रिम																

परिष्कारकर्ता

Format for Thermal/Gas

उत्पादन कंपनी का नाम
उत्पादक स्थान का नाम

प्रकार एक B.1
पूरीगत व्यय का प्रकार

माद	सी ओ डी का वित्तीय वर्ष	पूर्व वर्ष (एन-1) (वार्षिक/संपरीक्षित)	वर्तमान वर्ष (एन)		टिप्पणियां+	आगामी वर्ष (एन+1) प्रक्षेपित	आगामी वर्ष (एन+1) प्रक्षेपित	आगामी वर्ष (एन+1) प्रक्षेपित	सबम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कुल व्यय	वास्तव में उपगत कुल व्यय	टिप्पणियां+ +
			अप्रैल-सित्त (वार्षिक)	अक्टू-मार्च (आकलित)							
(र) व्यय विवरण											
ए) सूचि											
बी) भवन											
सी) मुख्य सिविल कार्य											
डी) संघन एवं मशीनरी											
ई) जालन											
एफ) फर्नीचर्स व फिक्स्चर्स		अवशय का प्रकार									
जी) कार्यालय उपकरण व अन्य											
योग (र)											
बी) वित्त पोषण के स्रोतों का ब्यौरा											
रुग्णा वार्षिक ऋण											
ऋण-1											
ऋण-2											
....											
विदेशी मुद्रा ऋण											
ऋण-1											
ऋण-2											
....											
इविटी											
नकद रूपये में											
विदेशी मुद्रा में											
सी) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)											
कुल (बी)											

(शिकायें का कारोबारी)

नोट:

1. यदि कहीं कोई अशुद्धि या अचूकता की बात पता चले तो तुरंत लिखित सूचनाएं देकर सुधार करने में प्रयास किया जाए।
2. संपूर्णतया ही सत्य, शुद्ध व सही होना ही शर्त है, जहां प्रतिकूलियों के अनुमान की प्रतियां ही प्रस्तुत की जायें।
3. टिप्पणियां + यदि वर्तमान वर्ष की अवधि में वार्षिक व्यय, पूर्णकालीन अथवा अतिरिक्त व्यय अनुमानित हो तो सिकरन के कार्यों को स्पष्ट करें।
4. टिप्पणियां ++ यदि वार्षिक व्यय, पूर्णकालीन अथवा अतिरिक्त व्यय अनुमानित हो तो सिकरन के कार्यों को स्पष्ट करें।

सचिव/कार्यालय

उत्पादन कंपनी का नाम
उत्पादक स्टेशन का नाम

प्रपत्र: एफ 6.2
पूँजीगत-प्रगति-अधीन-कार्यों का पत्रक

(आंकड़ें लख करोड़ में)

क्रम सं०	विवरण	पूर्व वर्ष (एन-1)	पूर्व वर्ष (एन)	अक्टू-मार्च (आकालित)		योग (अप्रैल-मार्च)	आगामी वर्ष (एन+1)	आगामी वर्ष (एन+2)	आगामी वर्ष (एन+3)	टिप्पणियाँ
		(वास्तविक/ संपरीक्षित)	अप्रैल-सित्त (वास्तविक)	अप्रैल-मार्च (आकालित)	अप्रैल-मार्च (आकालित)	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित		
1	सी डब्ल्यू आई पी का आरम्भिक अधिशेष									
2	जोड़कर : नये निवेश पूँजीगत व्यय व्यय पूँजीकृत निर्माण के दौरान ब्याज									
3	घटाकर: निवेश पूँजीकृत									
4	सी डब्ल्यू आई पी का अंत अधिशेष									

याचिकाकर्ता

उत्पादन कंपनी का नाम
उत्पादक स्टेशन का नाम

प्रपत्र: एफ 6.3

पूँजीगत-व्यय का पत्रक व नयी योजनाओं के सी ओ डी की अनुसूची का विवरण

(आकड़ों का करोड़ में)

ऊर्जा स्टेशन का नाम	
परियोजना लागत आंकलनों का अनुमोदन करने वाले अधिकरण का नाम	
पूँजी लागत आंकलन के अनुमोदन की तिथि	

वर्तमान दिवस पर लागत (.....तिथि पर)	सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित
पूँजी लागत	
पूँजी लागत आंकलनों हेतु विचारित विदेशी विनियम दर	

लागत विवरण	राशि	विनियम दर	राशि (करोड़ रुपये)
ए) प्राथमिक लागत			
विदेशी घटक (विदेशी मुद्रा में)			
घरेलू घटक			
कुल प्राथमिक लागत	ए		
बी) आई डी सी व एफ सी			
विदेशी घटक (विदेशी मुद्रा में)			
भारतीय घटक			
कुल आई डी सी व एफ सी	बी		
सी) कुल लागत (आई डी सी व एफ सी सहित)	सी=(ए+बी)		

कंपीयनिंग की अनुसूची

यूनिट/ब्लॉक-1 का सी ओ डी	
यूनिट/ब्लॉक-2 का सी ओ डी	
अंतिम यूनिट/ब्लॉक का सी ओ डी	

नोट

1) अनुमोदन की प्रति सलग्न की जाये

याचिकाकर्ता

उत्पादन कंपनी का नाम _____
 उत्पादक स्टेशन का नाम _____

प्रपत्र: एफ 6A
 नवी परियोजनाओं के लिये पूंजीगत व्यय का ब्यौरा

कार्य स्टेशन का नाम	
परियोजना नाम या आकलनों का अनुमोदन करने वाले अधिकरण का नाम	
नवी लागत आकलन के अनुमोदन की तिथि	

विवरण	सकल प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कुल व्यय	पूर्व वर्ष (एन-1) कासत में उपगत	वर्षिक व्यय (एन)		पंजीगत व्यय कुल व्यय	अनुमोदित योजना के अनुसार वर्तमान वर्ष तक उपगत धीमा भाग राया कुल व्यय	संश्लेष 6 व 7 के मध्य अंतर	दियोगिष+ (एन+4)	आगामी वर्ष (एन+2)	आगामी वर्ष (एन+3)	
			(मासविक)	(सांकेतिक)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(ए) व्यय विवरण											
ए) मूल्य											
बी) भवन											
सी) मुख्य सिविल कार्य											
डी) संयंत्र एवं मशीनरी											
ई) वाहन											
एफ) फर्नीचर्स व फिक्सचर्स											
जी) कार्यालय उपकरण व अन्य											
योग (ए)											
बी) किल्ले पोषण के खर्चों का ब्यौरा											
ए) अन्न/उद्यार											
बी) इन्किटी											
सी) अन्य (क्षयप घटित/बिन्दु करें)											
योग (बी)											

(लाकड़ें ₹०० करोड़ में)

नोट-
 दियोगिषा + 6 व 7 के मध्य अंतर के कारणों को स्पष्ट करें।

परिष्कारकर्ता

उत्पादन कंपनी का नाम
उत्पादक स्टेशन का नाम

प्रपत्र एफ 8.5-ए
सी ओ डी पर गैस/बायारिक्त परियोजनाओं के लिए भूगर्भी लागत का ब्यौरा

(आकृति 700 संशोधन 3)

क्रम सं०	कार्य का शीर्ष	विशेष अनुसंधान के अनुसार भूगर्भी आंकड़ों के अनुसंधान	वास्तविक भूगर्भी खर्च (4)	संशोधन/प्रतिष्ठापन (5)	परिष्कार (3-4-5)	परिष्कार के विशेष कारण (7)	वास्तविक/आंकड़ित भूगर्भी खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0	भूमि व स्वतंत्र विकास की लागत						
1.1	भूमि						
1.2	पुनर्वास एवं पुनः स्थापन (आर एवं आर)						
1.3	प्राथमिक अन्वेषण व स्वतंत्र विकास						
	कुल भूमि व स्वतंत्र विकास						
2.0	संशोधन एवं उपकरण						
2.1	स्टील टर्बाइन जनरेटर आर्किव	अवकाश की रकम					
2.2	गैस टर्बाइन जनरेटर आर्किव						
2.3	अन्य एवं अन्य की आर्किव						
2.4	सी ओ डी सेकोण्डर						
2.4.1	संयंत्र सेकेंडरिंग व स्टोरेज प्रणाली						
2.4.2	वाह्य जल आयुक्ति प्रणाली						
2.4.3	सी डब्ल्यू प्रणाली						
2.4.4	ड्रिलिंग टावर						
2.4.5	डी एस जल संयंत्र						
2.4.6	सफाई संयंत्र						
2.4.7	क्लोरीनेशन संयंत्र						
2.4.8	एयर सेडीमेशन व सेटिलेशन प्रणाली						
2.4.9	ग्रामि ग्राम प्रणाली						
2.4.10	एच पी/एल पी पाइपिंग						
2.5	कुल सी ओ डी सेकोण्डर						
2.5.1	विद्युत याई फेज						
2.5.2	ड्रिपकॉन्वर्स फेज						
2.5.3	विद्युत गियर रोक						
2.5.4	केबल, केबल सुविचार व ट्रांसमिशन						
2.5.5	लाइटिंग						
2.5.6	आपतकालीन डी जे सेट						
2.6	कुल सी ओ डी इलेक्ट्रिकल						
	कन्ट्रोल व इन्स्ट्रुमेंटेशन (सी एवं वाई फेज)						
	पुलक व करों को जोड़कर कुल संयंत्र एवं उपकरण						
2.7	पुलक एवं कर						
2.7.1	सीमा पुलक/पूरी पुलक/बिडी कर						
2.7.2	अन्य कर व शुल्क-कुर्गी						
	कुल पुलक व कर						
	कुल संयंत्र एवं उपकरण						
3.0	प्राथमिक परिसर						
4.0	विविध कार्य						
4.1	कुल संयंत्र/प्राथमिक परिसर						
4.2	वाह्य जल आयुक्ति प्रणाली						

उत्पादन कंपनी का नाम
उत्पादक स्टेशन का नाम

प्रपत्र: एफ 6.6
सी वी वी पर निर्माण/आपूर्ति/सेवा पैकेज का ब्यौरा (नये स्टेशनों के लिये)

क्रम सं०	नाम/निर्माण की संख्या/आपूर्ति/सेवा पैकेज	आवृत्ति की परीक्षा (भाग अनुसार आगम बहरे के शीत के अनुक्रम)	नया कार्य सी वी/वी सी वी/सिंचाई/जल कार्य द्वारा प्रदान किया गया है	प्राप्त बोलियों की संख्या	प्रदान किये जाने की तिथि	कार्य आरम्भ होने की तिथि	कार्य पूर्ण होने की तिथि	प्रत्यक्ष कार्य 1 का मुख्य (करोड़ रु. में)	बिधर या पूर्ण के सामान्य	पूर्ण होने या सी वी वी को एक एक वास्तविक व्यय (करोड़ रु. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

1 यदि कोई ऐसा पैकेज है, जिसे भारतीय रुपये या विदेशी मुद्राओं में दर्शाया जाना है तो उसे मुना, सिटिमन, दर व तिथि के साथ प्रत्येक रूप से दर्शाया जाये।

परिभाषिका

उत्पादन कंपनी का नाम
उत्पादक स्टेशन का नाम

प्रपत्र: एक 8.7
आई डी सी एवं वित्त पोषण प्रमारों इत्यादि के परिकलन हेतु ड्रा डाउन अनुसूची

क्रम सं०	ड्रा डाउन विवरण	विभागी-1		विभागी-2		विभागी-3 (सी जो सी)		
		विदेशी मुद्रा में मात्रा	डॉ. डाउन तिथि पर वित्तियम दर भारतीय रुपये में राशि	विदेशी मुद्रा में मात्रा	डॉ. डाउन तिथि पर वित्तियम दर भारतीय रुपये में राशि	विदेशी मुद्रा में मात्रा	डॉ. डाउन तिथि पर वित्तियम दर भारतीय रुपये में राशि	विदेशी मुद्रा में मात्रा
1	ऋण							
1.1	विदेशी ऋण							
1.1.1	विदेशी ऋण-1							
	ड्रा डाउन राशि							
	आई डी सी							
	वित्त पोषण प्रमार							
	एक ई आर वी							
	प्रतिष्ठा लागत							
	अवकाय का पत्रक							
1.1.2	विदेशी ऋण-1							
	ड्रा डाउन राशि							
	आई डी सी							
	वित्त पोषण प्रमार							
	एक ई आर वी							
	प्रतिष्ठा लागत							
1.1.n	विदेशी ऋण- एन							
	ड्रा डाउन राशि							
	आई डी सी							
	वित्त पोषण प्रमार							
	एक ई आर वी							
	प्रतिष्ठा लागत							
1.1	कुल विदेशी ऋण							
	ड्रा डाउन राशि							
	आई डी सी							
	वित्त पोषण प्रमार							
	एक ई आर वी							
	प्रतिष्ठा लागत							

क्रम सं०	श्रा डाउन विवरण	विभागी-1		विभागी-2		विभागी-3 (सी ओ सी)	
		विदेशी मुद्रा में मात्रा	भारतीय रुपये में राशि	विदेशी मुद्रा में मात्रा	भारतीय रुपये में राशि	विदेशी मुद्रा में मात्रा	भारतीय रुपये में राशि
1.2	भारतीय ऋण						
1.2.1	भारतीय ऋण-1						
	श्रा डाउन राशि						
	आई डी सी						
	वित्त पोषण प्रभार						
1.2.2	भारतीय ऋण-2						
	श्रा डाउन राशि						
	आई डी सी						
	वित्त पोषण प्रभार						
1.2.n	भारतीय ऋण-एस						
	श्रा डाउन राशि						
	आई डी सी						
	वित्त पोषण प्रभार						
1.2	कुल भारतीय ऋण						
	श्रा डाउन राशि						
	आई डी सी						
	वित्त पोषण प्रभार						
1	निकासी किये गये ऋणों का योग						
	आई डी सी						
	वित्त पोषण प्रभार						
	एफ ई आर की प्रतिस्था लागत						
2	इक्विटी						
2.1	निकासी की गई विदेशी इक्विटी						
2.2	निकासी की गई भारतीय इक्विटी						
2	कुल अभिव्योजित इक्विटी						

नोट: 1. ऋण व इक्विटी की निकासी, कर्तव्यनिष्ठ अनुसूची को पूरा करने के लिए विभागी मंत्र सचिवालय के अन्तर्गत पर होगी। प्रत्येक में उक्त इक्विटी की निकासी अनुमत्त है।

2. संपादन हेतु उपरोक्त की गई कुल निस्त विधियों सहित लागू बाजार दरें प्रकट रूप से प्रस्तुत की जायें।

3. यह यूनिट परिचालना के मामले में, उपयोग किये गये यूनिट/कल्प अनुपात का विवरण प्रस्तुत किया जाये।

उत्पादन कंपनी का नाम
 उत्पादक स्टेशन का नाम
 प्रपत्र : एए-8.6
 लागत की अधिकता जाने की स्थिति में

क्र.सं.	विवरण	(लागतें एवं कटौतें में)			
		भौतिक संयोजन एवं मूल लागत (लागत घटायी में)	व्यय लागत	व्यय लागत	अंत में व्यय एवं कटौतें (अंतिम लागत में घटायी)
1	मूल एवं स्वतंत्र विकास की लागत	कुल व्यय	कुल व्यय	कुल व्यय	अंत में व्यय एवं कटौतें (अंतिम लागत में घटायी)
1.1	भूमि *				
1.2	सुप्लायर एवं प्रत्यक्ष व्यय (आर एवं आर)				
1.3	प्रारंभिक निर्माण और स्वतंत्र विकास				
2	संचयन एवं व्यय				
2.1	वर्षा जमावट आदि				
2.2	वर्षा जमावट आदि				
2.3	वैशेषी व्यय				
2.3.1	वैशेषी व्यय और बंधन प्रणाली				
2.3.2	वैशेषी व्यय प्रणाली				
2.3.3	वैशेषी व्यय				
2.3.4	वैशेषी व्यय				
2.3.5	वैशेषी व्यय				
2.3.6	वैशेषी व्यय				
2.3.7	वैशेषी व्यय				
2.3.8	वैशेषी व्यय				
2.3.9	वैशेषी व्यय				
2.3.10	वैशेषी व्यय				
2.3.11	वैशेषी व्यय				
2.3.12	वैशेषी व्यय				
2.3.13	वैशेषी व्यय				
2.3.14	वैशेषी व्यय				
2.4	कुल वैशेषी व्यय				
2.4.1	वैशेषी व्यय				
2.4.2	वैशेषी व्यय				
2.4.3	वैशेषी व्यय				
2.4.4	वैशेषी व्यय				
2.4.5	वैशेषी व्यय				
2.4.6	वैशेषी व्यय				
2.5	वैशेषी व्यय				
3	वैशेषी व्यय				
4	वैशेषी व्यय				
4.1	वैशेषी व्यय				
4.2	वैशेषी व्यय				
4.3	वैशेषी व्यय				

क्रमांक	श्रेष्ठ बतन	बोर्ड के सचिवों द्वारा समायोजित हुए कार्य (लाभकारी हैं)	व्यवस्थापक/संयोजित संगठन का उपनाम/उपनाम होने हेतु नाम (लाभकारी हैं)	वर्ष	विवर के कारण विषय सम्बन्धीकारी संगठन और दस्तावेज, जहाँ लागू हो प्रस्तुत करें	ग्राहक नाम में पुष्टि के कारण सोपट नाम में सुदि
		कुल सतत	कुल सतत	कुल सतत	विवरणी मुद्र में मात्र	श्री बतन विधि पर विनियम पर
4.4	टीएम चत संघ					
4.5	विद्युदीकरण संघ					
4.6	सतोरीकरण संघ					
4.7	ईवन स्वरक्षण और संरक्षण प्रणाली					
4.8	कोयला स्वरक्षण संघ					
4.9	एनवीआर और मासिनि गार्ड					
4.10	राख स्वरक्षण प्रणाली					
4.11	राख निस्पाण द्वि विकास					
4.12	अग्निमान प्रणाली					
4.13	नगरीय और कोलोनी					
4.14	कम्पायी निर्माण और सम्बन्धीकारी कार्य					
4.15	सफक और जल विकास					
	कुल विधिक कार्य					
5	निर्माण और पूर्व कमीशनिय बत					
5.1	निर्माण परीक्षण और कमीशनिय					
5.2	स्वात परीक्षण					
5.3	प्रवातको का प्रविक्षण					
5.4	निर्माण बीमा					
5.5	औजार एवं संघ					
5.6	आरंभ करने वाला ईवन					
	कुल निर्माण और पूर्व कमीशनिय बत					
6	कम्पिटीव					
6.1	स्वापन					
6.2	विचारक एवं कमीशनिय					
6.3	संपरीक्षा एवं लेखा					
6.4	आकस्मिकता					
	कुल कम्पिटीव					
7	आईडीसी और एनपी को डेवेलपमेंट					
8	आईडीसी, एनपी एनडीआरबी और प्रविष्ठा लागत					
8.1	निर्माण के दौरान बचत (आईडीसी)					
8.2	विद्युत संयोजन प्रार (एनपी)					
8.3	विद्युत मुद्र विनियम दर अंतर (एनडीआरबी)					
8.4	प्रविष्ठा लागत					
	आईडीसी, एनपी, एनडीआरबी और प्रविष्ठा लागत शामिल है					
9	पुनी लागत विनियम आईडीसी, एनपी एनडीआरबी और प्रविष्ठा लागत की हो					

*अंतिम पुष्टि और पट्टे पर की गई पुष्टि का विवरण अलग-अलग प्रदान करें।

विषय: सायात सविष्ठा के लिए प्रवेक कारण के प्रमाण का संप्रतिष्ठा किया जाना चाहिए और इसके साथ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

सचिव/अधीक्षक

उत्पादन कंपनी का नाम
उत्पादक स्टेशन का नाम

प्रपत्र: एफ 6.9
वास्तविक नगद व्यय

(आंकड़े ₹0 करोड़ में)

विवरण	श्रेणी -I	श्रेणी -II	श्रेणी -III	श्रेणी-एन (सीओडी)
सकल ब्लाक पर व्यय				
जोड़ : सीखव्यआईपी पर व्यय				
जोड़ : पूंजीगत अप्रिम यदि कोई हो				
घटारें : असम्पादित देवतार (व्यपयुक्त शामिल)				
जोड़/घटारें : अन्य				
पूँजीगत आस्तियों हेतु सविदाकर्तव्य/आपूर्तिकर्तव्यों को मुगतान				
संचयी मुगतान				

नोट: यदि मुगतान एव नियोजित निधि के बीच कोई अंतर है तो अचित्य प्रस्तुत करें।

याचिकाकर्ता

उत्पादन कंपनी का नाम
उत्पादक स्टेशन का नाम

प्रपत्र: एफ 6.10

समय की अधिकता होने की स्थिति में

(आंकड़े ₹0 करोड़ में)

क्र.सं०	क्रियाकलाप/कार्य/सेवा का विवरण	मूल अनुसूची (योजना के अनुरूप)		वास्तविक अनुसूची (वास्तविक अनुसार)		लिया गया अधिक समय दिन	विलंब के कारण	अन्य प्रभावित क्रियाकलाप (प्रभावित क्रियाकलापों को क्रम संख्या का उल्लेख करें)
		प्रारम्भिक तिथि	पूरा करने की तिथि	प्रारम्भिक तिथि	पूरा करने की वास्तविक तिथि			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
...							

1. समय की अधिकता होने के मामले में प्रत्येक कारण से हुए विलम्ब को संगणित करना चाहिए और उसके प्रमाण स्वरूप आवश्यक दस्तावेजों एवं समर्थनकारी कामकाज का उल्लेख होना चाहिए।

2. विशेष क्रियाकलापों का उल्लेख करें।

याचिकाकर्ता

उत्पादन कंपनी का नाम
उत्पादक स्टेशन का नाम

प्रपत्र: एक 6.11

सीओडी के पश्चात अतिरिक्त पूंजीकरण का वर्ष वार पत्रक

सीओडी
वर्ष के

क्रम	कार्य/उपकरण का शीर्ष	दावा किया गया एसीई (वार्षिक/प्रक्षेपित)				विनियम जिसके अंतर्गत दावा किया गया	औचित्य	आयोग द्वारा स्वीकृत लागत, यदि कोई हो
		प्रोद्धान आधार	स्तंभ 3 में शामिल असम्पादित देयता	नकद आधार	स्तंभ 3 में शामिल की गई आईडीसी			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5-3-4)	(6)	(7)	(8)	(9)

(आंकड़े ₹0 रुपये में)

1. यदि परियोजना पूरी का ली गई है और लागत को विगत को किसी टेरिफ अधिसूचना के अंतर्गत स्वीकार किया गया है तो (प्राधिकारी का नाम) द्वारा पहले ही जारी टेरिफ अधिसूचना के प्रयोजनार्थ यथास्वीकृत लागत का विवरण देते हुए स्तंभ 10 भरें। (टेरिफ आदेश की प्रति संलग्न करें)
2. उपर्युक्त सूचना टेरिफ अवधि 2014-19 के प्रत्येक वर्ष/अवधि के लिए अलग से प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता है।
3. आस्तियों के पूंजीकरण निरसन के मामले में स्तंभ 1,2,3 और 4 में अलग से विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, इन आस्तियों की मूल बही मूल्य और ऐसी आस्ति के पूंजीकरण का वर्ष को स्तंभ 8 में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जहां पूंजीकरण निरसन अनुमानित आधार पर है, उन्हें अलग से दर्शाया जाना चाहिए।
4. यदि किसी आस्ति को गैर-सेवा योग्य ठहराया गया है उसे उस वर्ष के दौरान गैर पूंजीकृत माना जायेगा और ऐसी आस्ति की मूल मूल्य स्तंभ 3 में दर्शाया जाना चाहिए। और यदि कोई इम्पेयर्ड कीमत है तो इसके पूंजीकरण के वर्ष का उल्लेख स्तंभ 8 में किया जाना चाहिए।
5. प्रत्येक आस्ति के पूंजीकरण का औचित्य उस विनियम के अनुरूप होना चाहिए जिसके अंतर्गत दावा किया गया है और उस आस्ति के पूंजीकरण की आवश्यकता का उल्लेख किया जाना चाहिए।

टिप्पणी:

1. प्रारूप को क्रमानुसार वर्षवार भरें जिसमें लाभार्थियों की आवश्यकता और प्रोद्भूत लाभों का विस्तृत ब्यौरा विस्तृत स्पष्टीकरण सहित स्पष्ट रूप से दर्शित हो।
2. यदि आर्थिक पुर्जे किसी भी उपकरण के साथ क्रम किये जाते हैं तो ऐसे पुर्जों की लागत पृथक रूप से इंगित की जानी चाहिए अर्थात् रोटर 50 करोड़ आरंभिक पुर्जे-5 करोड़ रुपये।

साक्षिककर्ता

उत्पादन कंपनी का नाम
उत्पादक स्टेशन का नाम

प्रपत्र: एफ 6.12

परियोजना के उपयोगी जीवनकाल के अन्तान्त के दौरान अतिरिक्त पूंजीकरण का पत्रक

सीओडी

(आंकड़े का करोड़ में)

क्रमांक	वर्ष	प्रत्येक बर्खा/कुन्द्र के उपयोगी जीवन काल के अन्तिम पांच वर्षों के दौरान जोड़ा गया कार्य संकर्म/सफरकण	दावाकृत एसीई (वास्तविक/प्रक्षेपित)			विनियम जिसके अंतर्गत दावा किया गया	औचित्य	जीवन विस्तार पर प्रभाव	
			प्रोद्धान आधार	संम 4 में सम्मिलित असम्पादित देयता	नकर आधार				संम 4 में शामिल आईसीसी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=4-5)	(7)	(8)	(9)	(10)

टिप्पणी:

- 1- पूंजी संवर्धनों के लिए किए गये लागत लाभ विश्लेषण को इन योजनाओं के अनुमोदन हेतु याचिका के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
2. प्रत्येक आवृत्ति के लिए अतिरिक्त पूंजीगत व्यय दावा हेतु औचित्य उस विनियम के साथ सुसंगत होना चाहिए जिसके अंतर्गत दावा किया गया है और आवृत्ति के पूंजीकरण की आवश्यकता का उल्लेख किया जाये।

योचिकाकर्ता

उत्पादन कंपनी का नाम
उत्पादक स्टेशन का नाम

प्रपत्र: एफ 6.13

बहियों के अनुरूप पूंजी संवर्धन सहित दावाकृत एसीई का मिलान दर्शाने वाला पत्रक

सीओडी

क्र.सं0	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	अन्तिम सकल ब्लॉक					
	घटाएँ: प्रारंभिक सकल ब्लॉक					
	बाहियों के अनुसार कुल संवर्धन					
	घटाएँ: अन्य चरणों से सम्बंधित संवर्धन (कृपया चरण वार ब्यौरा दें।)					
	सकल परियोजना/यूनिट/चरण से संबंधित शुद्ध संवर्धन					
	घटाएँ: अपवर्जन (मदें जो अनुमेय नहीं है/जिनका दावा नहीं किया गया)					
	शुद्ध अतिरिक्त पूंजीगत व्यय दावाकृत					

(आंकड़े ₹0 करोड़ में)

टिप्पणी: किसी भी व्यय का अपवर्जन का कारण स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए।

याचिकाकर्ता

उत्पादन कंपनी का नाम
उत्पादक स्टेशन का नाम

प्रपत्र: एफ - 6.14 ए

अपवर्जन के अन्तर्गत दावाकृत मदों/आस्तियों/कार्यों को दर्शाने वाला पत्रक

(आंकड़े रु० करोड़ में)

क्रमांक	पिछले पाँच साल के दौरान प्रत्येक यूनिट/स्टेशन के उपयोगी जीवन से जोड़ा गया कार्य/उपकरण	अपवर्जन के अंतर्गत दावाकृत एसीई			ऑक्टिव
		प्रोद्धान आधार (3)	स्तंभ 3 में शामिल असम्पादित देयता (4)	स्तंभ 3 में शामिल आईडीसी (5-3-4)	
(1)	(2)				(7)

टिप्पणी:

1. टैरिफ में अनुमति न दी गई आस्ति पर दावाकृत अपवर्जन को विशेष संदर्भ में आयोग के टैरिफ आदेश की तिथि, याचिका सं., राशि जिसकी अनुमति नहीं दी गई आदि के साथ उल्लेखित होना चाहिए।
2. अंतर इकाई अंतरण, अंतरण की प्रकृति अर्थात् अस्थायी या स्थायी, का उल्लेख होना चाहिए। यह प्रमाणित किया जाए कि अपवर्जन की मांग केवल प्राप्तकर्ता केन्द्र के लिए की गई है न प्रेषण केन्द्र या दोनों केन्द्रों के लिए।

याचिकाकर्ता

उत्पादन कंपनी का नाम
उत्पादक स्टेशन का नाम

प्रपत्र: एफ-6.15

इक्विटी पर लाभांश

(आंकड़े '00 करोड़ में)

क्रम	मद	पूर्व वर्ष (एन-1)		वर्तमान वर्ष (एन)			आगामी वर्ष (एन+1)	आगामी वर्ष (एन+2)	आगामी वर्ष (एन+3)	टिप्पणी
		(वास्तविक/संपरीक्षित)	(वास्तविक/संपरीक्षित)	अप्रैल-सित्त0 (वास्तविक)	अक्टू-मार्च (आंकलित)	योग (अप्रैल-मार्च)	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	
1	वर्ष के आरम्भ पर इक्विटी									
2	पूजीगत व्यय									
3	पूजीगत व्यय का इक्विटी भाग									
4	वर्ष के अन्त में इक्विटी									
	प्रतिफल का संगणन									
5	इक्विटी के प्रारम्भिक अधिशेष पर इक्विटी पर प्रतिफल									

सचिकाकर्ता

Format for Thermal/Gas

उत्पादन कंपनी का नाम
उत्पादक स्टेशन का नाम
प्रपत्र : एफ-6.15ए

अतिरिक्त आस्वोई का दावा किए जाने की स्थिति में

(राशि रु0 करोड़ में)

परियोजना	निवेश अनुमोदन के अनुरूप पूरा किए जाने का समय (माह)				वास्तविक पूर्णतः समय				अईक समय अनुपूर्वी (विनियम के अनुसार)
	प्रारम्भिक तिथि	अनुसूचित सीओडी (तिथि)	पूरा करने का समय महीनों में	संस्थापित क्षमता	प्रारम्भिक तिथि	अनुसूचित सीओडी (तिथि)	पूरा करने का समय महीनों में	जांची गई क्षमता	
ईकाई 1									माह
ईकाई 2									
ईकाई 3									
ईकाई 4									

याचिकाकर्ता

उत्पादन कंपनी का नाम
उत्पादक स्टेशन का नाम

प्रपत्र: एफ 7

पूँजी लागत व वित्त पोषण संरचना का विवरण

वर्ष	सी ओ डी का वित्तीय वर्ष	पूर्व वर्ष (एन-1) वास्तविक/ संपरीक्षित	वर्तमान वर्ष (एन)		आगामी वर्ष (एन+1) प्रक्षेपित	आगामी वर्ष (एन+2) प्रक्षेपित	आगामी वर्ष (एन+3) प्रक्षेपित	टिप्पणी
			अप्रैल-सित्त (वास्तविक)	अक्टू-मार्च (आंकलित)				
वर्ष								
प्राथमिक परियोजना वित्तीय मानदंड								
पूँजी लागत*								
वर्ष के दौरान परिकल्पना								
वर्ष के दौरान वित्तपोषण								
सकल पूँजी लागत (ए)								
मूल परियोजना लागत के विरुद्ध इक्विटी								
वर्ष के दौरान परिकल्पना इक्विटी उप-योग (बी)								
मूल पूँजी लागत के विरुद्ध बकाया ऋण								
वर्ष के दौरान जुड़े नये ऋण ऋण उप-योग (सी)								
मूल परियोजना लागत के विरुद्ध अनुदान								
वर्ष के दौरान परिकल्पना अनुदान उप-योग (डी)								
कुल वित्त पोषण (बी+सी+डी)								

नोट :

- * अनुमानित या वास्तविक पूँजी लागत, जो भी कम हो
- इक्विटी व ऋण, यदि लागू हो, तो विदेशी व घरेलू घटक में विभाजित किये जायेंगे,

याचिकाकर्ता

उत्पादन कंपनी का नाम
उत्पादक स्टेशन का नाम

प्रपत्र: एक 8
वित्तीय पैकेजों का विवरण

(आंकड़े रू0 करोड़ में)

नियंत्रण का स्रोत	एक सी में राशि	वित्तीय दर	भारतीय मुद्रा में राशि	बापसी के निबन्धन	ग्रेस अवधि	व्याज दर/इक्विटी पर प्रतिफल	गारंटी कमीशन	अपफंट फीस/प्रदर्शन प्रीमियम	कुल ऋण का %	कुल इक्विटी का %	कुल पी सी का %
(ए) ऋण	(मुद्रा का नाम)	(रू0/एक सी)	(करोड़ रू0 में)	(वर्ष)	(वर्ष)	(%)	(करोड़ रू0 में)	(करोड़ रू0 में)	(%)	(%)	(%)
विवेकी %											
ऋण I											
ऋण II											
ऋण III											
ऋण IV इत्यादि											
भारतीय :											
ऋण I											
ऋण II इत्यादि											
कुल ऋण (ए)											
(बी) इक्विटी											
विदेशी											
भारतीय											
कुल इक्विटी (बी)											
(सी) अनुदान											
विदेशी :											
भारतीय :											
कुल अनुदान (सी)											
कुल वित्त पोषण (ए+बी+सी)											
कुल परियोजना लागत											

नोट

1. सी ओ डी ग्रुप कर चुकी परियोजनाओं के मामले में परियोजना की सी ओ डी पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत वित्तीय पैकेज विवरण, समर्पित दरत्तावेजों के साथ प्रारूप में प्रस्तुत किये जायेंगे।
2. सी ओ डी ग्रुप न हुई परियोजनाओं के मामले में : सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित वित्तीय पैकेज विवरण समर्पित दरत्तावेजों के साथ प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा।
3. एक सी - विदेशी मुद्रा।
4. पी सी - परियोजना लागत

याचिकाकर्ता

आगामी वर्ष (रक 4-3)

ऋण अभिकरण (ऋण का स्रोत)	ब्याज की दर (%)		गारंटी की व्यवधि (वर्ष)		वर्ष के व्यय पर अधिव्यय		वर्ष के दीयान प्राप्त होने वाली राशि		वर्ष के दीयान देय मूल		वर्ष के अंत पर आबिंदय मूल		वर्ष के अंत पर देय मूल		टिप्पणी	
	अनुमानित	(2)	अनुमानित	(3)	अनुमानित	(4)	अनुमानित	(5)	अनुमानित	(6)	अनुमानित	(7)	अनुमानित	(8)=(6)-(7)		अनुमानित
(1) राज्य से अलावा अन्य ऋण I (उधारदाता का नाम)																
ऋण II (उधारदाता का नाम)																
ऋण III (उधारदाता का नाम)																
उप-योग (2)																
(बी) सरकारी ऋण प्रकार I																
प्रकार II																
प्रकार III उत्पादि																
उप-योग (बी)																
उप-योग (र + बी)																
(सी) मानकीय ऋण योग (र+बी+सी)																

नोट- 1. यदि किसी ऋण का पूरा अनुसूचीकरण किया गया है तो पूरा अनुसूचीकरण के निम्नानों को स्पष्ट रूप से प्रमाणित करते हुए उभर दाता से पर की प्रती से ताल्य संलग्नक के माध्यम से अनुसूचीकरण के विवरणों को स्पष्ट रूप से सिद्धिदिष्ट किया जाये।
 2. कोई ऋण जिसे किसी संरक्षक संस्थान को अर्पित न किया गया हो तथा जो अनुसूचित विभागीय क्षेत्रों का कार्य न हो, उसे काल्पनिक सहित प्रत्येक रूप से दर्शाये जाये।
 3. मूल वित्तीय योजना तथा इसके अनुसार संचयी गारंटी, प्रत्येक ऋण हेतु मूल वित्त विवरण योजना के अनुसार दर्शाये जाये।
 4. वर्तमान वर्ष के लिए विचारणीय किये गये ऋण व वर्तमान तक विकसित ऋण प्रत्येक रूप से दर्शाये जाये।
 5. वर्तमान का नये उधारदाता से कोई नवीन ऋण, ऋण के काम में प्रत्येक रूप से दर्शाये जाये।
 6. विदेशी मुद्रा ऋणों के मामले में मुद्रा के नाम के ताल्य उभर की मुद्रा का उदा प्रदान किया जाये।

राधिकारकर्ता

उत्पादन कंपनी का नाम _____

उत्पादक स्टेशन का नाम _____

प्रपत्र 8.2

वास्तविक ऋणों पर ब्याज की भारित औसत ब्याज दर का परिकलन *

(आंकड़े रु0 करोड़ में)

क्रम सं०	विवरण	पूर्व वर्ष (एन-1)	वर्तमान वर्ष (एन)	आगामी वर्ष (एन+1)	आगामी वर्ष (एन+2)	आगामी वर्ष (एन+3)
				प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित
	ऋण-1					
	सकल ऋण - आरम्भिक					
	पूर्व वर्ष तक ऋण का संचयी भुगतान					
	शुद्ध ऋण -- आरम्भिक					
	जोड़कर : वर्ष के दौरान में निकालियां	अवकाश का पत्रक				
	घटाकर : वर्ष के दौरान ऋण की वापसियां					
	शुद्ध ऋण - अंत में					
	औसत शुद्ध ऋण					
	वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर					
	ऋण पर ब्याज					
	ऋण-2					
	सकल ऋण - आरम्भिक					
	पूर्व वर्ष तक ऋण का संचयी भुगतान					
	शुद्ध ऋण - आरम्भिक					
	जोड़कर : वर्ष के दौरान में निकालियां					
	घटाकर : वर्ष के दौरान ऋण की वापसियां					
	शुद्ध ऋण - अंत में					
	औसत शुद्ध ऋण					
	वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर					
	ऋण पर ब्याज					
	ऋण-एन					
	सकल ऋण - आरम्भिक					
	पूर्व वर्ष तक ऋण का संचयी भुगतान					
	शुद्ध ऋण - आरम्भिक					
	जोड़कर : वर्ष के दौरान में निकालियां					
	घटाकर : वर्ष के दौरान ऋण की वापसियां					
	शुद्ध ऋण - अंत में					
	औसत शुद्ध ऋण					
	वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर					
	ऋण पर ब्याज					
	कुल ऋण					
	सकल ऋण - आरम्भिक					
	पूर्व वर्ष तक ऋण का संचयी भुगतान					
	शुद्ध ऋण - आरम्भिक					
	जोड़कर : वर्ष के दौरान में निकालियां					
	घटाकर : वर्ष के दौरान ऋण की वापसियां					
	शुद्ध ऋण - अंत में					
	औसत शुद्ध ऋण					
	वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर					
	ऋण पर ब्याज					
	ऋणों पर ब्याज की भारित औसत दर					

* विदेशी ऋणों के मामले में भारतीय रुपये में परिकलन प्रस्तुत किया जाये तथापि, मूल मुद्रा में परिकलन भी उसी प्रकार में पृथक रूप से प्रस्तुत किया जाये।

उत्पादन कंपनी का नाम
उत्पादक स्टेशन का नाम

प्रपत्र: एफ 9.3
मानकीय ऋण पर ब्याज का परिकलन

(आंकड़े रु0 करोड़ में)

विवरण	पूर्व वर्ष (एन-1)	वर्तमान वर्ष (एन)	आगामी वर्ष		
			(एन+1) प्रक्षेपित	(एन+2) प्रक्षेपित	(एन+3) प्रक्षेपित
सकल मानकीय ऋण - आरम्भिक					
पूर्व वर्ष तक ऋण के संचयी भुगतान					
शुद्ध मानकीय ऋण - आरम्भिक					
वर्ष के दौरान ए सी ई के कारण वृद्धि या कमी					
घटाकर : वर्ष के दौरान मानकीय ऋण की वापसियां					
शुद्ध मानकीय ऋण - अंत में					
औसत मानकीय ऋण					
वार्षिक आधार पर वास्तविक ऋण पर ब्याज की भरित औसत दर					
मानकीय ऋण पर ब्याज					

याचिकाकर्ता

उत्पादन कंपनी का नाम
उत्पादक स्टेशन का नाम

प्रपत्र एक 10 ए

गैस आधारित स्टेशनों के लिये कार्यशील पूंजी पर ब्याज का विवरण

क्रम सं०	विवरण	पूर्व वर्ष (एन-1)		बागामी वर्ष (एन)			बागामी वर्ष (एन+1)		बागामी वर्ष (एन+2)		बागामी वर्ष (एन+3)		टिप्पणी
		(वार्षिक/संवैधिक)	(वार्षिक/संवैधिक)	अप्रैल-सित्त (वार्षिक)	अक्टू-मार्च (वार्षिक)	योग (अप्रैल-मार्च)	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित		
1	एन ए पी ए एफ के अनुरूप एक (1) माह के लिए पूंईधन लागत												
2	एन ए पी ए एफ के अनुरूप आधे (1/2) माह के लिए तरल ईंधन लागत												
3	ओ एंड एम खय - 1 माह												
4	अनुसंधान स्पेयर्स (ओ एंड एम खयों का 20 %)												
5	प्राप्य-समता व परिवर्तनीय प्रमारों के 2 माह												
6	कुल कार्यशील पूंजी (1+2+3+4+5)												
7	मानकीय ब्याज दर (%)												
8	कार्यशील पूंजी पर मानकीय ब्याज (6 X 7)												

याचिकाकर्ता

उत्पादन कंपनी का नाम
उत्पादक स्टेशन का नाम

प्रपत्र पृष्ठ 11.1

मस्यदा और रखरखाप के कार्यों का विवरण

क्र.सं.	विवरण	(आंकड़ों को करोड़ में)												
		पूर्व वर्ष (एन-6) (वित्तीय/संगठनिक)	पूर्व वर्ष (एन-5) (वित्तीय/संगठनिक)	पूर्व वर्ष (एन-4) (वित्तीय/संगठनिक)	पूर्व वर्ष (एन-3) (वित्तीय/संगठनिक)	पूर्व वर्ष (एन-2) (वित्तीय/संगठनिक)	पूर्व वर्ष (एन-2) (वित्तीय/संगठनिक)	पूर्व वर्ष (एन-1) (वित्तीय/संगठनिक)	वर्तमान वर्ष (एन) बजट-वर्ष (वित्तीय)	वर्तमान वर्ष (एन) वास्तविक-वर्ष (वित्तीय)	वर्तमान वर्ष (एन+1) प्रक्षेपित	वर्तमान वर्ष (एन+2) प्रक्षेपित	वर्तमान वर्ष (एन+3) प्रक्षेपित	टिप्पणी
1	संयंत्र एवं मशीनरी													
2	भवन													
3	वित्तित्त कार्य													
4	आपदाप्रतिक कार्य													
5	लाईन्स, केबल और कनेक्टिंग इत्यादि													
6	वाहन													
7	कर्मियों के भ्रमणव्यय													
8	कार्यालय व्यय													
9	स्टेशन आयुर्वि, स्वयं च उपयोग - जनरेशन, ट्रांसमिशन व उपसाधनों के इन्वेंटरी उपकरण - उत्पादक स्टेशन व उद्योग स्टेशन के लिए संसाधनों के वित्तित्त उप-योग अन्य कोई भी मद मदतकर : पूर्णवर्ष													
11														
12														

संशोधक

उत्पादन कंपनी का नाम
उत्पादक स्टेशन का नाम
प्रपत्र एक 12
गैर शुल्क आय

(आंकड़े ₹00 करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	पूर्व वर्ष (एन-1)		वर्तमान वर्ष (एन)		आगामी वर्ष (एन+1)	आगामी वर्ष (एन+2)	आगामी वर्ष (एन+3)
		(वास्तविक/संपरीक्षित)	(वास्तविक/संपरीक्षित)	अप्रैल-सित्तो (वास्तविक)	अक्टू-मार्च (आंकलित)			
ए	निवेश, स्थिर व मांग जमाओं से आय							
	1 निवेशों से ब्याज आय							
	2 सावधि जमाओं से ब्याज							
	3 साविधि जमाओं से अन्यथा बैंकों से ब्याज							
	4 (किन्हीं अन्य मदी) पर ब्याज							
	उप-योग							
बी	अन्य गैर शुल्क आय							
	1 स्टाफ को ऋणों व अग्रिमों पर ब्याज							
	2 अनुज्ञापी को ऋणों व अग्रिमों पर ब्याज							
	3 पट्टाकारों को ऋणों व अग्रिमों पर ब्याज							
	4 आपूर्तिकर्ताओं/संविदाकारों को अग्रिमों पर ब्याज							
	5 लेनदेन (विद्युत से अन्यथा) से आय							
	6 स्थिर आस्तियों के विक्रय से प्राप्ति							
	7 स्टाफ कल्याण क्रियाकलापों से संग्रहित आय/फीस							
	8 विविध प्राप्तियां							
	9 लाभार्थी से विलंबित भुगतान प्रभार							
	10 पू. आई प्रभारों से शुद्ध लाभ							
	12 विलंब इत्यादि के कारण संविदाकार/आपूर्तिकर्ता हेतु पैनल्टी							
	13 लाभार्थी से विविध प्रभार							
	उप-योग							
	योग							

याचिकाकर्ता

उत्पादन कंपनी का नाम
उत्पादक स्टेशन का नाम

प्रकार एक 13

सहीकरण का सारांश
अंतिम सहीकरण हेतु पूर्व वर्ष (एन-1)

क्र.सं.	विवरण	अनुमोदित	वार्षिक	विचलन	विचलन हेतु कारण	निचलांग यौग	(सकल का अंश में)
1	कुल वार्षिक विवर प्रसार						अभियंत्रणीय अयोग्य
2	उत्पादन पर आय (पारंपरिक ऋणों पर आय सहित)						
3	अक्षय						
4	पट्टा प्रसार						
5	विविध पर प्रतिफल						
6	ओ ३३ एन व्यय						
7	कार्यवील सूची पर आय						
8	द्वितीयक भंडन लागत						
9	आय कर						
10	सकल वार्षिक विवर प्रसार (1+2+3+4+5+6+7+8)						
11	घटाकर : अन्य आय (विवरण प्रस्तुत करें)						
12	शुद्ध वार्षिक विवर प्रसार (9-10)						
बी	कर्जा प्रसार (वित्तीयिक भंडन लागत)						
सी	उत्पत्तों के विक्रय से राजस्व						
डी	आविक्य / (अंतर) (सी-बी-ए)						

नोट: अभियंत्रणीय कारकों के कारण विचलन हेतु पुनः रूप से विस्तृत स्पष्टीकरण दें।

वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा हेतु वर्तमान वर्तमान वर्ष (एन)

क्र.सं.	विवरण	अनुमोदित	वार्षिक	विचलन	विचलन हेतु कारण	निचलांग यौग	(सकल का अंश में)
1	कुल वार्षिक विवर प्रसार						अभियंत्रणीय अयोग्य
2	उत्पादन पर आय (पारंपरिक ऋणों पर आय सहित)						
3	अक्षय						
4	पट्टा प्रसार						
5	विविध पर प्रतिफल						
6	ओ ३३ एन व्यय						
7	कार्यवील सूची पर आय						
8	द्वितीयक भंडन लागत						
9	आय कर						
10	सकल वार्षिक विवर प्रसार (1+2+3+4+5+6+7+8)						
11	घटाकर : अन्य आय (विवरण प्रस्तुत करें)						
12	शुद्ध वार्षिक विवर प्रसार (9-10)						
बी	कर्जा प्रसार (वित्तीयिक भंडन लागत)						
सी	उत्पत्तों के विक्रय से राजस्व						
डी	आविक्य / (अंतर) (सी-बी-ए)						
डी	अभियंत्रणीय / (अंतर) (सी बी ए)						

नोट: अभियंत्रणीय कारकों के कारण विचलन हेतु पुनः रूप से विस्तृत स्पष्टीकरण दें।

आविक्य

एस एल डी सी हेतु प्रारूप की सूची

क्रम सं०	प्रपत्र सं०	विवरण
1	2	3
1	प्रपत्र : एफ 1	कुल राजस्व आवश्यकता का सारांश
2	प्रपत्र : एफ 2	पूँजी अंशदान, अनुदान, सहायिकियां
3	प्रपत्र : एफ 3	प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय
4	प्रपत्र : एफ 3.1	ए-कर्मचारी व्यय
5	प्रपत्र : एफ 3.2	प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय
6	प्रपत्र : एफ 3.3	मरम्मत एवं रखरखाव व्यय
7	प्रपत्र : एफ 4.1	सकल स्थिर आस्ति
8	प्रपत्र : एफ 4.2	आस्तिवार अवक्षय
9	प्रपत्र : एफ 5	इक्विटी पर प्रतिफल
10	प्रपत्र : एफ 6.1	पूँजीगत व्यय का पत्रक
11	प्रपत्र : एफ 6.1ए	पूँजीगत प्रगति अधीन कार्यों का पत्रक
12	प्रपत्र : एफ 6.1बी	संनिर्माण/प्रदाय/सेवा पैकेजों का ब्यौरा
13	प्रपत्र : एफ 6.2	पूँजीगत प्रगति-अधीन कार्यों का पत्रक
14	प्रपत्र : एफ 6.3	पारेषण प्रणाली या संचार प्रणाली के लिए परियोजना/आस्ति/घटक लागत के घटक-वार ब्यौरे
15	प्रपत्र : एफ 6.4	वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि के पश्चात अतिरिक्त पूँजीकरण का पत्रक
16	प्रपत्र : एफ 6.5	अतिरिक्त पूँजीकरण के वित्त पोषण
17	प्रपत्र : एफ 6.6	निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय
18	प्रपत्र : एफ 6.7	पूँजीकरण निरसन का पत्रक
19	प्रपत्र : एफ 7	आई.डी.सी. एवं वित्त पोषण के परिकलन हेतु ड्रॉ डाऊन अनुसूची
20	प्रपत्र : एफ 8	पूँजी लागत व वित्तपोषण संरचना का विवरण
21	प्रपत्र : एफ 9	वित्तीय पैकेजेज का विवरण
22	प्रपत्र : एफ 10.1	बकाया ऋणों का पत्रक
23	प्रपत्र : एफ 10.2	वास्तविक ऋणों पर ब्याज की भास्ति औसत ब्याज दर का परिकलन
24	प्रपत्र : एफ 10.3	मानकीय ऋण पर ब्याज का परिकलन
25	प्रपत्र : एफ 11	कार्यशील पूँजी आवश्यकता
26	प्रपत्र : एफ 12	एल डी सी डी निधि
27	प्रपत्र : एफ 13	आगामी 3 वर्षों के लिए निवेश योजना

एस एल डी सी
प्रपत्र: एक 1
कुल राजस्व आवश्यकता का सारांश

क्रम सं०	विवरण	पूर्व वर्ष (एन-1)			वर्तमान वर्ष (एन)			आगामी वर्ष (एन+1)	आगामी वर्ष (एन+2)	आगामी वर्ष (एन+3)	टिप्पणी
		(वास्तविक / संपरीक्षित)	अप्रैल-सित. (वास्तविक)	अक्टू-मार्च (आकलित)	अप्रैल-मार्च (आकलित)	योग (अप्रैल-मार्च)					
1	2	3	4	5	6 = 5+4	7	8	9	10		
ए	ओ एण्ड एम व्यय										
बी	अवकाश										
सी	ब्याज व वित्त प्रभार										
डी	कार्यशील पूंजी पर ब्याज										
ई	पट्टा प्रभार										
एफ	आर ओ ई										
	कुल योग										

याचिकाकर्ता

एस एल डी सी

प्रपत्र एफ 2

पूँजी अंशदान, अनुदान, सहायिकियां

आंकड़े रु० करोड़ में

क्रम सं०	विवरण	पूर्व वर्ष (एन-1) (वास्तविक/ संपरीक्षित)	वर्तमान वर्ष (एन)			आगामी वर्ष (एन+1)	आगामी वर्ष (एन+2)	आगामी वर्ष (एन+3)	टिप्पणी
			अप्रै.-सित. (वास्तविक)	अक्टू.-मार्च (आंकलित)	योग (अप्रैल-मार्च)				
1	2	3	4	5	6 = 4+5	7	8	9	10
1	पूँजी आस्ति की लागत हेतु सहायिकी								
2	पूँजीगत आस्ति की लागत हेतु अनुदान								
3	अनुदान/सहायिकी के रूप में किसी योजना के अधीन राज्य सरकार से प्राप्तियां								
	योग (1+2+3)								

याचिकाकर्ता

एस एल डी सी

प्रपत्र: एफ 3

प्रचालन एवं अनुक्षण व्यय

आंकड़े ₹० करोड़ में

क्रम सं०	विवरण	पूर्व वर्ष (एन-1) (वास्तविक/ संपरीक्षित)	वर्तमान वर्ष (एन)			आगामी वर्ष (एन+1)	आगामी वर्ष (एन+2)	आगामी वर्ष (एन+3)	टिप्पणी
			अप्रैल-सित. (वास्तविक)	अक्टू-मार्च (आंकलित)	योग (अप्रैल-मार्च)				
1	2	3	4	5	6 = 4+5	7	8	9	10
1	कर्मचारी व्यय								
2	प्रशासकीय व सामान्य व्यय								
3	मरम्मत व रखरखाव व्यय								
	योग								

याचिकाकर्ता

एच एच बी बी
प्रपत्र पृष्ठ 3.1

क्रम सं.	विवरण	पूर्व वर्ष (एन-6)	पूर्व वर्ष (एन-5)	पूर्व वर्ष (एन-4)	पूर्व वर्ष (एन-3)	पूर्व वर्ष (एन-2)	पूर्व वर्ष (एन-1)	वर्तमान वर्ष (एन)			अगामी वर्ष (एन+1)	अगामी वर्ष (एन+2)	अगामी वर्ष (एन+3)	
		(वार्षिक/संगणकित)	(वार्षिक/संगणकित)	(वार्षिक/संगणकित)	(वार्षिक/संगणकित)	(वार्षिक/संगणकित)	(वार्षिक/संगणकित)	करी-सिद्ध (वार्षिक)	अनुसू-वार्ष (संगणकित)	योग (संगणकित-वार्ष)	प्रक्षिप्त	प्रक्षिप्त	प्रक्षिप्त	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9+10	12	13	14	15
	बी-कर्मचारियों की संख्या का विवरण.													
A	अधिकारी/प्रमुख चरित्र													
1	तकनीकी													
2	प्रशासकीय													
3	लेखा एवं वित्त													
4	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)													
B	स्टाफ संवर्ग													
5	तकनीकी													
5.1	श्रेणी I													
5.2	श्रेणी II													
5.3	श्रेणी III													
5.4	श्रेणी IV													
6	प्रशासकीय													
6.1	श्रेणी I													
6.2	श्रेणी II													
6.3	श्रेणी III													
6.4	श्रेणी IV													
7	लेखा एवं वित्त													
7.1	श्रेणी I													
7.2	श्रेणी II													
7.3	श्रेणी III													
7.4	श्रेणी IV													
8	अन्य (विषय विनिर्दिष्ट करें)													
8.1	श्रेणी I													
8.2	श्रेणी II													
8.3	श्रेणी III													
8.4	श्रेणी IV													
	कुल कर्मचारी													

वार्षिक/संगणकित

ऑफिस के बाह्य कारोब में

क्रम सं०	विवरण	पूर्व वर्ष (एन-6)	पूर्व वर्ष (एन-5)	पूर्व वर्ष (एन-4)	पूर्व वर्ष (एन-3)	पूर्व वर्ष (एन-2)	पूर्व वर्ष (एन-1)	वर्तमान वर्ष (एन)		आगामी वर्ष (एन+1)	आगामी वर्ष (एन+2)	आगामी वर्ष (एन+3)	टिप्पणी	
		(वार्षिक/संवैधानिक)	(वार्षिक/संवैधानिक)	(वार्षिक/संवैधानिक)	(वार्षिक/संवैधानिक)	(वार्षिक/संवैधानिक)	(वार्षिक/संवैधानिक)	(वार्षिक/संवैधानिक)	अक्टू-मार्च (वैधानिक)	अप्रैल-दिस (वार्षिक)	प्रवर्धित	प्रवर्धित		प्रवर्धित
		3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9+10	12	13	14	15
1	प्रशासकीय व्यय													
1	किराया दरों व कर													
	पाठ्य/किराया													
	दरों व कर													
2	बीमा													
3	पाठ्य स्वरूप व्यय सेवा													
4	टेलीफोन, पोस्टल, टेलीग्राम व टेलीक्स प्रसार													
5	कर्मचारियों का व्यय व्यक्तियों को प्रोत्साहन व ईनाम													
6	परामर्श प्रसार													
7	तकनीकी फीस													
8	अन्य व्यावसायिक प्रसार													
9	यातायात व यात्रा													
10	लाइसेंस व पंजीकरण फीस													
	संयंत्र व मशीनरी													
11	साहन व्यय (ट्रक व लिफ्टिंग) वैन के अन्वेषण													
	साहन वाणिज्य व्यय पैट्रोल व ईंधन													
12	साहन वाणिज्य को संबन्धित सुखा/सेवा प्रसार													
	उप-योग 'A' (1 से 12)													
बी	अन्य प्रसार													
1	पुरतक व पत्रिकाओं का मुद्रक व चंदा													
2	उपाय व लेखन सामग्री													
3	विकास व्यय (नियंत्रण संवर्धन को छोड़कर) प्रदर्शनी व डेमो													
4	वाद्य संस्कारों/पत्रों को अक्षतान/दान													
5	कार्यालयों को विद्युत प्रसार													
6	जल प्रसार													
7	मनोरंजन प्रसार													
8	वैदिक व्यय													
	उप-योग 'B' (1 से 8)													
जी	वैदिक प्रसार													
बी	सेवा परीक्षक की फीस													
ई	सामग्री संवर्धन व्यय													
1	पुस्तक, उपकरणों पर बाधा													
2	अन्य संवर्धन विकल्पों का व्यय													
3	साहन वाणिज्य व किराया व्यय (ट्रक/लिफ्टिंग) वैन													
4	अन्य बाधा													
5	परामर्श बीमा													
6	पुत्री													
7	आकस्मिक स्टोर्स व्यय													
8	वैदिक प्रसार													
	उप-योग 'E' (1 से 8)													
एच	कुल योग (ए से डी)													
डी	ए एच की अंतर पूर्वांक													
एच	कुल ए एच की अंतर (एच-डी)													

याचिकाकर्ता

एच एच की डी
एच एच एच 2.2
प्रशासकीय एवं सामान्य व्यय

एव एव की की
 प्रकृ. एवं 2.3
 मरकम एवं परवरलाय मय

क्रम सं०	विवरण	वर्षान्ते का करीब मे												
		पूर्व वर्ष (एन-6) (वार्षिक/ संवर्षीकित)	पूर्व वर्ष (एन-5) (वार्षिक/ संवर्षीकित)	पूर्व वर्ष (एन-4) (द्वि वार्षिक/ संवर्षीकित)	पूर्व वर्ष (एन-3) (वार्षिक/ संवर्षीकित)	पूर्व वर्ष (एन-2) (वार्षिक/ संवर्षीकित)	पूर्व वर्ष (एन-1) (वार्षिक/ संवर्षीकित)	वर्षान्त वर्ष (एन0)		आगामी वर्ष (एन+1)	आगामी वर्ष (एन+2)	आगामी वर्ष (एन+3)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9+10	12	13	14	15
1														
2														
1	भूदान एवं संरचना/ सिविल कार्य													
2	संचयन एवं मशीनरी													
3	केबल्लस व नेटवर्क													
4	संरक्षण उपकरण													
5	एयर कंडिजनिंग संयंत्र													
6	फर्नीचर्स व फिक्सचर्स													
7	कार्यालय उपकरण													
8	वाहन													
9	अभियुक्ति आशियाएं एवं लंबित अतिम मूल्यांकन													
10	सिपिय उपकरण/मटे													
	मरकम एवं परवरलाय कार्यो पर कुल प्रभावित													

माधिककर्ता

एस एन डी सी हेतु प्रारूप
प्रपत्र: एफ 4.1
सकल स्थिर आस्ति
पूर्व वर्ष (एन-1)

वास्तविक / संपरीक्षित

आंकड़े ₹0 करोड़ में

क्रम सं०	विवरण	अवश्य की दर	सकल स्थिर आस्तियां			
			वर्ष के आरम्भ में	वर्ष की अवधि में परिवर्धन	समायोजन व कटौती	वर्ष के अंत पर
1	2	3	4	5	6	7
1	भूमि व अधिकार					
2	भवन एवं संरचना / सिविल कार्य					
3	संयंत्र एवं मशीनरी					
4	केबल्स व नेटवर्क					
5	संप्रेषण उपकरण					
6	एयर कंडिशनिंग संयंत्र					
7	फर्नीचर व फिक्सचर्स					
8	कार्यालय उपकरण					
9	वाहन					
10	एस सी ए डी ए व आई टी प्रणाली					
11	अन्य उपकरण					
	योग					

वर्तमान वर्ष (एन)

वास्तविक / संपरीक्षित

क्रम सं०	विवरण	अवश्य की दर	सकल स्थिर आस्तियां			
			वर्ष के आरम्भ में	वर्ष की अवधि में परिवर्धन	समायोजन व कटौती	वर्ष के अंत पर
1	2	3	4	5	6	7
1	भूमि व अधिकार					
2	भवन एवं संरचना / सिविल कार्य					
3	संयंत्र एवं मशीनरी					
4	केबल्स व नेटवर्क					
5	संप्रेषण उपकरण					
6	एयर कंडिशनिंग संयंत्र					
7	फर्नीचर व फिक्सचर्स					
8	कार्यालय उपकरण					
9	वाहन					
10	एस सी ए डी ए व आई टी प्रणाली					
11	अन्य उपकरण					
	योग					

आगामी वर्ष (n+1)

वास्तविक / संपरीक्षित

क्रम सं०	विवरण	अवश्य की दर	सकल स्थिर आस्तियां			
			वर्ष के आरम्भ में	वर्ष की अवधि में परिवर्धन	समायोजन व कटौती	वर्ष के अंत पर
1	2	3	4	5	6	7
1	भूमि व अधिकार					
2	भवन एवं संरचना / सिविल कार्य					
3	संयंत्र एवं मशीनरी					
4	केबल्स व नेटवर्क					
5	संप्रेषण उपकरण					
6	एयर कंडिशनिंग संयंत्र					
7	फर्नीचर व फिक्सचर्स					
8	कार्यालय उपकरण					
9	वाहन					
10	एस सी ए डी ए व आई टी प्रणाली					
11	अन्य उपकरण					
	योग					

आगामी वर्ष (एन+2)

वास्तविक/संपरीक्षित

क्रम सं०	विवरण	अवकाश की दर	सकल स्थिर आस्तियां			
			वर्ष के आरम्भ में	वर्ष की अवधि में परिवर्धन	समायोजन व कटौती	वर्ष के अंत पर
1	2	3	4	5	6	7
1	भूमि व अधिकार					
2	भवन एवं संरचना/सिविल कार्य					
3	संयंत्र एवं मशीनरी					
4	केबल्स व नेटवर्क					
5	संप्रेषण उपकरण					
6	एयर कंडिशनिंग संयंत्र					
7	फर्नीचर व फिक्सचर्स					
8	कार्यालय उपकरण					
9	वाहन					
10	एस सी ए डी ए व आई टी प्रणाली					
11	अन्य उपकरण					
	योग					

आगामी वर्ष (एन+3)

वास्तविक/संपरीक्षित

क्रम सं०	विवरण	अवकाश की दर	सकल स्थिर आस्तियां			
			वर्ष के आरम्भ में	वर्ष की अवधि में परिवर्धन	समायोजन व कटौती	वर्ष के अंत पर
1	2	3	4	5	6	7
1	भूमि व अधिकार					
2	भवन एवं संरचना/सिविल कार्य					
3	संयंत्र एवं मशीनरी					
4	केबल्स व नेटवर्क					
5	संप्रेषण उपकरण					
6	एयर कंडिशनिंग संयंत्र					
7	फर्नीचर व फिक्सचर्स					
6	कार्यालय उपकरण					
9	वाहन					
10	एस सी ए डी ए व आई टी प्रणाली					
11	अन्य उपकरण					
	योग					

याधिकाकर्ता

एन एच सी 3,
एचएफ एच 4.2,
सांख्यिक अकादमी,
पुर्वी बर् (एन-1)

शासक/संयोजक

क्रम सं०	विषय	अकादमी की दर	आंकड़े/संयोजक			
			वर्ष के आरम्भ पर संयोजक अकादमी	वर्ष में प्रवेशित अकादमी	वर्ष की समाप्ति में संयोजक अकादमी	वर्ष के अंत पर संयोजक अकादमी का अतिरिक्त
1	2	3	4	5	6	7
1	शुद्धि व अधिकार					
2	मूल्य एवं सारण/सिद्धि का कार्य					
3	संसाधन एवं सजीवता					
4	अनुसंधान व प्रयोग					
5	संशोधन उपकरण					
6	एवर कॅम्पेन/सिद्धि एवं संसाधन					
7	कर्मचारी व शिक्षण					
8	आवृत्ति उपकरण					
9	वाहन					
10	एवर सी ए सी ए व आई टी प्रणाली					
11	अन्य उपकरण					
	योग					

संयोजक वर्ग (एन)

शासक/संयोजक

क्रम सं०	विषय	अकादमी की दर	आंकड़े/संयोजक			
			वर्ष के आरम्भ पर संयोजक अकादमी	वर्ष में प्रवेशित अकादमी	वर्ष की समाप्ति में संयोजक अकादमी	वर्ष के अंत पर संयोजक अकादमी का अतिरिक्त
1	2	3	4	5	6	7
1	शुद्धि व अधिकार					
2	मूल्य एवं सारण/सिद्धि का कार्य					
3	संसाधन एवं सजीवता					
4	अनुसंधान व प्रयोग					
5	संशोधन उपकरण					
6	एवर कॅम्पेन/सिद्धि एवं संसाधन					
7	कर्मचारी व शिक्षण					
8	आवृत्ति उपकरण					
9	वाहन					
10	एवर सी ए सी ए व आई टी प्रणाली					
11	अन्य उपकरण					
	योग					

संयोजक वर्ग (एन-1)

शासक/संयोजक

क्रम सं०	विषय	अकादमी की दर	आंकड़े/संयोजक			
			वर्ष के आरम्भ पर संयोजक अकादमी	वर्ष में प्रवेशित अकादमी	वर्ष की समाप्ति में संयोजक अकादमी	वर्ष के अंत पर संयोजक अकादमी का अतिरिक्त
1	2	3	4	5	6	7
1	शुद्धि व अधिकार					
2	मूल्य एवं सारण/सिद्धि का कार्य					
3	संसाधन एवं सजीवता					
4	अनुसंधान व प्रयोग					
5	संशोधन उपकरण					
6	एवर कॅम्पेन/सिद्धि एवं संसाधन					
7	कर्मचारी व शिक्षण					
8	आवृत्ति उपकरण					
9	वाहन					
10	एवर सी ए सी ए व आई टी प्रणाली					
11	अन्य उपकरण					
	योग					

आवासीय सर्व (एन+2)

शासनाधिक/संपरीक्षित

क्रम क्रि.	विवरण	अवकाश की दर	वर्ष के अवकाश पर संश्लेष्य अवकाश	वर्ष हेतु उपलब्ध अवकाश	वर्ष की अवधि में निकाली	आंकड़े पञ्चकोट में वर्ष के अंत पर संश्लेष्य अवकाश का अतिशेष
1	2	3	4	5	6	7
1	पुर्ति व आविष्कार					
2	सफाई एवं संरचना/सिखित कार्य					
3	संयंत्र एवं मशीनरी					
4	लेबरर्स व नेटवर्क					
5	संशोधन उपकरण					
6	एयर कंडिशनिंग संयंत्र					
7	फर्नीचर व विद्युतकर्ष					
8	कार्यालय उपकरण					
9	वाहन					
10	एस सी ए की ए व आई टी प्रणाली					
11	अन्य उपकरण					
	योग					

आवासीय सर्व (एन+3)

शासनाधिक/संपरीक्षित

क्रम क्रि.	विवरण	अवकाश की दर	वर्ष के अवकाश पर संश्लेष्य अवकाश	वर्ष हेतु उपलब्ध अवकाश	वर्ष की अवधि में निकाली	आंकड़े पञ्चकोट में वर्ष के अंत पर संश्लेष्य अवकाश का अतिशेष
1	2	3	4	5	6	7
1	पुर्ति व आविष्कार					
2	सफाई एवं संरचना/सिखित कार्य					
3	संयंत्र एवं मशीनरी					
4	लेबरर्स व नेटवर्क					
5	संशोधन उपकरण					
6	एयर कंडिशनिंग संयंत्र					
7	फर्नीचर व विद्युतकर्ष					
8	कार्यालय उपकरण					
9	वाहन					
10	एस सी ए की ए व आई टी प्रणाली					
11	अन्य उपकरण					
	योग					

शासनाधिक

एस एल डी सी हेतु प्रारूप

एस एल डी सी

प्रपत्र एक 5

इविक्टरी पर प्रतिफल

आंकड़े रू० करोड़ में

क्रम सं०	वर्ष	पूर्व वर्ष (एन-1) (सांख्यिक/संपर्कित)	वर्तमान वर्ष (एन)		वर्ष (एन+1)	वर्ष (एन+2)	वर्ष (एन+3)	टिप्पणी
			अभिव्यक्ति- मात्र (सांख्यिक) (-)	योग (अभिव्यक्ति- मात्र)				
1	वर्ष के आरम्भ में इविक्टरी				प्रक्षेपित	प्रक्षेपित		
2	पूर्वोक्त व्यय							
3	पूर्वोक्त व्यय का इविक्टरी भाग							
4	वर्ष के अंत में इविक्टरी							
	प्रतिफल संगणन							
5	इविक्टरी के आर्थिक अतिरिक्त पर इविक्टरी पर प्रतिफल							

वाचिकाकर्ता

आंकड़े तालिका क्रमांक में

विवरण	पूरीकरण का वर्ष	पूर्व वर्ष (एन-1) (वास्तविक/ संप्रोक्षित)	वर्तमान वर्ष (एन)		आगामी वर्ष (एन+1)	आगामी वर्ष (एन+2)	आगामी वर्ष (एन+3)	टिप्पणी+	सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित	वास्तव में उपगत कुल व्यय	टिप्पणी++	
			अप्रैल-सित. (वास्तविक)	अक्टू-मार्च (आकालिक)								योग (अप्रैल-मार्च)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ए) व्ययों का विवरण												
भूमि व अधिकार												
सकन एवं सरचना/सिविल कार्य												
संवर्धन एवं मशीनरी												
केबलस व नेटवर्क												
संप्रेषण उपकरण												
एयर कंडिशनिंग संयंत्र												
फर्नीचर व फिक्सचर्स												
कार्यालय उपकरण												
वाहन												
एस सी ए डी ए व आई टी प्रणाली												
अन्य उपकरण												
योग (ए)												
बी) वित्त पोषण के स्रोतों का ब्योरा												
रुपया आवधिक ऋण												
ऋण 1												
ऋण 2												
विदेशी मुद्रा ऋण												
ऋण 1												
ऋण 2												
...												
इक्विटी												
रुपयों में												
विदेशी मुद्रा में												
सी) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)												
योग (बी)												

एन एन सी सी
प्रपत्र: एफ 8.1
पूरीकरण व्यय का प्रपत्र

नोट

- 1) जहां कहीं ब्योरा अपेक्षित आवश्यक हो वहां यह संबंधित दस्तावेजों के साथ ऋणों व इक्विटी के संवर्धनों में दिये जायें।
- 2) प्रत्येक योजना की लागत इनके घटकों तथा वित्त पोषण योजना के संबंध में, यदि अपेक्षित हो तो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की प्रतियां दी जायें।
- 3) टिप्पणी +: यदि वर्तमान वर्ष की अवधि में वास्तविक व्यय, पूरे वर्ष का अन्य प्राधिकृत अभिकरणों द्वारा अनुमोदित से भिन्न होना अपेक्षित हो तो विवरण के कारणों को स्पष्ट करें।
- 4) टिप्पणी ++: यदि कुल वास्तविक व्यय, पूरे वर्ष का अन्य प्राधिकृत अभिकरणों द्वारा अनुमोदित से भिन्न हो तो विवरण के कारणों को स्पष्ट करें।

याचिकाकर्ता

एस एल डी सी

प्रपत्र एक 6.1A
पूँजीगत प्रगति अधीन कार्यों का पत्रक

विवरण	पूर्व वर्ष (सन-1) (एकवर्षिक/संव्यवहृत)		वर्तमान वर्ष (सन)		योग (सहील-मार्च)	अगामी वर्ष (सन-1) प्रक्षेपित	अगामी वर्ष (सन-2) प्रक्षेपित	अगामी वर्ष (सन-3) प्रक्षेपित	टिप्पणी
	वर्धित-वितरकर (सांख्यिक)	सकटकर-मार्च (सांख्यिक)	वर्धित-वितरकर (सांख्यिक)	सकटकर-मार्च (सांख्यिक)					
विषय									
(र) सीढक्यू आईपी का प्राथमिक बहिर्बोध									
(क) बहियों के अनुरूप सीढक्यू आईपी क अधिबोध									
(ख) उपरोक्त (र) में पूर्ण देयताओं की राशि									
(ग) उपरोक्त (र) में (i) आईपीसी, (ii) एकपी, (iii) एकईआरपी और (iv) प्रतिष्ठा लागत की राशि									
(घ) सीढक्यू आईपी संशुद्धि/समायोजन									
(च) जाइ अर्बि के दौरान सीढक्यू आईपी राशि में संशुद्धि/समायोजन									
(ज) उपरोक्त (र) में पूर्ण देयताओं की राशि									
(झ) उपरोक्त (र) में (i) आईपीसी, (ii) एकपी, (iii) एकईआरपी और (iv) प्रतिष्ठा लागत की राशि									
(ञ) पूँजीगत व्यय									
(क) अर्बि के दौरान सीढक्यू आईपी राशि को फिर जास्तियों का पूँजीकरण/स्वातंत्र्य									
(ख) उपरोक्त (र) में पूर्ण देयताओं की राशि									
(ग) उपरोक्त (र) में (i) आईपीसी, (ii) एकपी, (iii) एकईआरपी और (iv) प्रतिष्ठा लागत की राशि									
(घ) सीढक्यू आईपी की अर्बिण बहिर्बोध									
(च) बहियों के अनुरूप अंतिम सीढक्यू आईपी राशि									
(ज) उपरोक्त (र) में पूर्ण देयताओं की राशि									
(झ) उपरोक्त में (i) आईपीसी, (ii) एकपी, (iii) एकईआरपी और (iv) प्रतिष्ठा लागत की राशि									

(संकेतके पत्र कथेइ के)

यदिआकाका

एस एल डी सी
प्रपत्र: एफ 6.2
पूँजीगत प्रगति-अधीन कार्यों का पत्रक

आंकड़े रु० करोड़ में

क्रम सं०	विवरण	वर्ष 1	पूर्व वर्ष (एन-1)		वर्तमान वर्ष (एन)			आगामी वर्ष (एन+1)	आगामी वर्ष (एन+2)	आगामी वर्ष (एन+3)	टिप्पणी
			(वास्तविक/संपरीक्षित)	(वास्तविक)	अप्रैल-सित. (वास्तविक)	अक्टू-मार्च (आंकलित)	योग (अप्रैल-मार्च)				
1	2	3	4	5	6	7 = 5+6	8	9	10	11	
1	सी डब्ल्यू आई पी का आरम्भिक अतिशेष										
2	जोड़ कर: नये शिक्शे										
	पूँजीगत व्यय										
	व्यय पूँजीकृत										
	निर्माण के दौरान ब्याज										
3	घटा कर : निवेश पूँजीकृत										
4	सी डब्ल्यू आई पी का अंत अतिशेष										

नोट:

i) वर्ष 1 योजना के पूर्ण होने के पश्चात् वित्तीय वर्ष का अंत है।

याचिकाकर्ता

एस एल डी सी

प्रपत्र एक 6.3

पारंपरिक प्रणाली या संचार प्रणाली के लिए परियोजना /आस्ति / घटक लागत के घटक-वार ब्यौरे

लागत का ब्यौरे

क्र.सं. (1)	मूल अनुमान के अनुसार (2)		सी.ओ.डी. (4) पर वास्तविक मूलीगत व्यय		अंतर (6-3-4-5)	अंतर के लिए कारण (7)	स्वीकृत लागत (8)
	मात्रा	दर	अनुमानित राशि	दर			
A							
1.0	प्रारंभिक कार्य						
1.1	डिजाईन एवं इंजीनियरिंग						
1.2	प्रारंभिक निरीक्षण, भण्डिकार, वन निबंधन, पीटीसीसी, साधारण सिविल कार्य आदि।						
1.3	कुल प्रारंभिक कार्य						
2.0	सामग्री						
2.1	पुर्ज						
2.2	निर्माण और सिविल कार्य जिसमें नींव भी सम्मिलित है						
2.3	कुल सामग्री						
3.0	कर और शुल्क						
3.1	सीमा शुल्क						
3.2	अन्य कर और शुल्क						
	कुल कर और शुल्क						

टिप्पणी

1. लागत अंतर के संबंध में इस अंतर के कारणों का उल्लेख करते हुए एक विस्तृत टिप्पणी प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें इसका संकेत हो कि क्या यह लागत आधिक्य एम्बरपण्डरी के नियंत्रण से बाहर था।
2. फील्ड/पेटे पर भुति का अलग-अलग विवरण दे।

वाधिककर्ता

एस एल डी सी

प्रपत्र एक 8.4

वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि के पर्याप्त अतिरिक्त पूंजीकरण का पत्रक

आंकड़े रु0 करोड़ में

क्र0 सं0	वर्ष	अतिरिक्त राशि एक/अतिरिक्त तिथि के बाद वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि के पर्याप्त जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित कार्य/उपकरण	पूँजीकृत/पूँजीकृत किए जाने के लिए प्रस्तावित राशि (लाख रुपये में)	व्ययित्व	किस विनियम के अधीन लागूकृत है	स्वीकृत लागत
1						
3						
4						
5						

1. यदि परियोजना पूरी कर ली गई है और दैनिक अचिसूचना (अचिसूचनाएं)पूर्व में ही जारी कर दी गई है, तो (अधिकारी का नाम) द्वारा पहले ही से जारी की गई दैनिक अचिसूचना के प्रयोजन के लिए यथा स्वीकृत लागत देते हुए स्तंभ 7 को भरे (दैनिक आदेश की प्रति संलग्न करें)।

टिप्पणी:

- प्रत्येक को क्रमनुसार वर्ष कायम करें जिसमें लागतियों की आवश्यकता और प्रोद्घत लागत का ध्यान स्पष्ट रूप से दर्शाया करें।
- यदि आर्थिक पूर्ण किसी भी उपकरण के साथ अन्य किये जाते हैं तो ऐसे पूर्णों की लागत पृथक रूप से इंगित की जानी चाहिए।
- आस्तियों के पूंजीकरण निरसन के बारे में पृथक विवरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त इन आस्तियों का बाहियों में दर्ज मूल यही मूल्य तथा पूंजीकरण का वर्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जहाँ किसी अनुमानित आधार पर है, उन्हें अलग से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता

एस एल डी सी

प्रपत्र एफ 6.5

अतिरिक्त पूंजीकरण का वित्त पोषण

वित्तीय वर्ष (सांभितिक प्रचालन की तिथि से आरम्भ)	(वास्तविक / अनुमानित)					स्वीकृत				
	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5 और उससे आगे	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5 और उससे आगे
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कार्य/समकल्प में पूंजीकृत राशि										
वित्तीय व्यौर										
ऋण-1										
ऋण-2										
ऋण-3 और उससे आगे										
कुल ऋण										
इस्किटी										
आंतरिक संग्रहण										
अन्य										
कुल										

वार्षिककर्षण

एस एल डी सी

प्रपत्र एक 6.6

निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय

आंकड़े रू0 करोड़ में

क्र0सं0	भाषदंड	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5
क	व्यय					
1	कर्मचारी कार्मिकों को परिश्रमिक एवं लाभ					
2	वितीय लागत					
3	जल प्रसार					
4	संचार व्यय					
5	विद्युत प्रसार					
6	अन्य कार्यालय एवं प्रशासनिक व्यय					
7	अन्य (कृपया विवरण दें)					
8	अन्य पूर्व प्रचालन व्यय					
					
ख	कुल खर्च					
	घटाएं: निविदाओं की विक्री से आय					
	घटाएं: पोस्ट हाउस से आय					
	घटाएं: लेकेबार्से सेवसूली गई आय					
	घटाएं: जमा पर ब्याज					
					

टिप्पणी: आईडीसीसी का लेखा परीक्षक के प्रमाण पत्र के समन्वय में आंकड़ों के साथ विधिवत मिलान किया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता

एस एल डी सी

प्रपत्र: 8.7
पूँजीकरण निरसन का पत्रक

(खालके का करीब में)

क्र.सं.	पूँजीकरण निरसन का वर्ष	पूँजीकरण निरसन के लिए प्रस्तावित कार्य/उपकरण	पूँजीकरण विधि की जा रही आवृत्ति/उपकरण के पूँजीकरण विधिगतता का वर्ष	पूँजीकरण निरसित की जा रही आवृत्ति का मूल बची मूल्य	पूँजीकरण के समय लागू इतिहास अनुपात	पूँजीकरण निरसनके अनुपात संबंधी अक्षय	पूँजीकरण निरसन के अनुपात ऋण का संबंधी प्रतिबंध	कीर्तित्व
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2								
3								
4								
5								

याचिकाकर्ता

एन एन की सी
प्रपत्र एफ 7

आई.सी.सी. एन वित्त पोषण के परिकल्पन हेतु जूँ आरुन अनुसूची

(आकड़े धाकवेर नों)

क्रम सं०	आरुन	वैगसिक 1			वैगसिक 1			वैगसिक एक (सी.सी.सी.)		
		विदेसी मुद्रा में आरुन	जूँ आरुन की तिथि पर विनियम कर	भारतीय मुद्रा में राशि	विदेसी मुद्रा में आरुन	जूँ आरुन की तिथि पर विनियम कर	भारतीय मुद्रा में राशि	विदेसी मुद्रा में आरुन	जूँ आरुन की तिथि पर विनियम कर	भारतीय मुद्रा में राशि
1	आरुन									
1.1	विदेसी आरुन									
1.1.1	विदेसी आरुन-1									
	जूँ आरुन राशि									
	आई की सी									
	वित्त पोषण प्रभार									
	एफ ई आर की									
	प्रतिस्था लागत									
1.1.2	विदेसी आरुन-1									
	जूँ आरुन राशि									
	आई की सी									
	वित्त पोषण प्रभार									
	एफ ई आर की									
	प्रतिस्था लागत									
1.1.n	विदेसी आरुन-1									
	जूँ आरुन राशि									
	आई की सी									
	वित्त पोषण प्रभार									
	एफ ई आर की									
	प्रतिस्था लागत									
1.1	पूरा विदेसी आरुन									
	जूँ आरुन राशि									
	आई की सी									
	वित्त पोषण प्रभार									
	एफ ई आर की									
	प्रतिस्था लागत									
1.2	भारतीय आरुन									
1.2.1	भारतीय आरुन 1									
	जूँ आरुन राशि									
	आई की सी									
	वित्त पोषण प्रभार									
1.2.2	भारतीय आरुन 2									
	जूँ आरुन राशि									
	आई की सी									
	वित्त पोषण प्रभार									
1.2.n	भारतीय आरुन एन									
	जूँ आरुन राशि									
	आई की सी									
	वित्त पोषण प्रभार									
1.2	पूरा भारतीय आरुन									
	जूँ आरुन राशि									
	आई की सी									
	वित्त पोषण प्रभार									
1	निकासी विदे नये आरुन									
	आई की सी									
	वित्त पोषण प्रभार									
	एफ ई आर की									
	प्रतिस्था लागत									
2	इविक्टि									
2.1	निकासी की गई विदेसी इविक्टि									
2.2	निकासी की गई भारतीय इविक्टि									
2	आरुन अविनिरोधित इविक्टि									

नोट:

1. आरुन व इविक्टि की निकासी, पूर्णतया अनुसूची प्रापित हेतु समक आकार पर सिगली कर होगी।
2. संगणन हेतु उपरोक्त विदे नये पुन: निमत अट्टा सहित लागू व्याज दरों की पृथक रूप से प्रस्तुत करें।

याचिककर्ता

एस एल डी सी
प्रपत्र: एफ 8
पूँजीलागत व वित्तपोषण संरचना का विवरण

क्रम सं०	वर्षान्त मार्च	पूँजीकरण वर्ष	पूर्व वर्ष (एन-1) (वास्तविक/ संपरीक्षित)	वर्तमान वर्ष (एन)			आगामी वर्ष (एन+1) प्रक्षेपित	आगामी वर्ष (एन+2) प्रक्षेपित	आगामी वर्ष (एन+3) प्रक्षेपित	टिप्पणी
				अप्रैल-सित. (वास्तविक)	अक्टू-मार्च (आंकलित)	योग (अप्रैल-मार्च) 7 = 5+6				
1	2	3	4	5	6	7 = 5+6	8	9	10	11
	आधारभूत परियोजना वित्तीय मापदण्ड पूँजी लागत*									
	वर्ष के दौरान परिवर्धन									
	वर्ष के दौरान विलोपन									
	सकल पूँजीलागत (ए)									
	मूल परियोजना लागत के विरुद्ध इकिटी									
	वर्ष के दौरान परिवर्धन									
	इकिटी उप-योग (बी)									
	मूल परियोजना लागत के विरुद्ध बकाया ऋण									
	वर्ष के दौरान जुड़े नये ऋण									
	ऋण उप-योग (सी)									
	मूल परियोजना के विरुद्ध अनुदान									
	वर्ष के दौरान परिवर्धन									
	अनुदान उप-योग (डी)									
	कुल वित्त पोषण (बी+सी+डी)									

नोट:

- 1) *अनुमोदित या वास्तविक पूँजी लागत, जो भी कम हो।
- 2) इकिटी व ऋण, यदि लागू हो, तो विदेशी व घरेलू घटक में विभाजित किये जाएंगे।

याचिकाकर्ता

एस एल डी सी
प्रपत्र एक 9
बितीय पैकेज का विवरण

(लाकड़ें ₹0 करोड़ में)

निधियों का स्रोत	एक सी में राशि	वित्तिय दर	भारतीय मुद्रा में राशि	वामसी के निबन्धन	ग्रेस अवधि	ब्याज दर/इंकिटी पर प्रतिफल	गारंटी कमीशन	अफंटे फीस एक्सचेंजर प्रीमियम	कुल ऋण का प्रतिशत	कुल इंकिटी का प्रतिशत	कुल पी सी का प्रतिशत
	(मुद्रा का नाम)	(₹0/एक सी)	(₹0 करोड़ में)	(वर्ष)	वर्ष	(%)	(₹0 करोड़ में)	(₹0 करोड़ में)	(%)	(%)	(%)
(ए) ऋण											
विदेशी											
ऋण I											
ऋण II											
ऋण III											
ऋण IV इत्यादि											
भारतीय:											
ऋण I											
ऋण II इत्यादि											
कुल ऋण (ए)											
(बी) इंकिटी											
विदेशी:											
भारतीय:											
कुल इंकिटी (बी)											
(सी) अनुदान											
विदेशी:											
भारतीय:											
कुल अनुदान (सी)											
कुल वित्त पोषण (ए+बी+सी)											
कुल परियोजना लागत											

- नोट:
1. सीओडी प्राप्त कर चुकी परियोजनाओं के मामले में परियोजना की सीओडी पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित वित्तीय पैकेज विवरण समर्पित दस्तावेजों के साथ प्रारूप में प्रस्तुत किये जायेंगे।
 2. सीओडी प्राप्त न की हुई परियोजनाओं के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित वित्तीय पैकेज विवरण समर्पित दस्तावेजों के साथ प्रारूप में प्रस्तुत किये जायेंगे।
 3. एक सी - विदेशी मुद्रा
 4. पी.सी. - परियोजना लागत

याचिकाकर्ता

आगामी वर्ष (एन+3)

(आकड़े पत्र क्रम में)

आय अतिक्रम (क्रम का क्रम)	आज की दर (%)	बापसी की अवधि (वर्ष)	वर्ष के आरंभ पर अतिरिक्त	वर्ष के वीजान देय मूल	वर्ष के वीजान किये जाने वाले वस्तु मूल	वर्ष के अंत पर अति देय मूल	वर्ष के अंत में देय मूल	टिप्पणी
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
ए) राज्य सरकार से अन्वया								
आय 1 (क्रम दाता का नाम)							(9)=(4)+(5)+(6)	10
आय 2 (क्रम दाता का नाम)								
आय 3 (क्रम दाता का नाम) इत्यादि								
सम-योग (ए)								
बी) सरकारी आय								
प्रकार 1								
प्रकार 2								
प्रकार 3 इत्यादि								
सम-योग (बी)								
सम-योग (ए+बी)								
सी) गानकीय आय								
कुल (ए+बी+सी)								

नोट

- यदि किसी आय का पुनः अनुसूचीकरण किया गया है तो पुनः अनुसूचीकरण के निबन्धन को रेखांकित करते हुए आय दाता से पत्र की प्रति के साथ एक संलग्नक के माध्यम से इसके पुनः अनुसूचीकरण के निबन्धन स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किये जायें।
- ऐसा आय जो किसी विनिर्दिष्ट योजना को आवंटित नहीं किया गया है तथा अनुमोदित वित्तीय धकेल का भाग संरक्षित नहीं करता, इसके कारणों सहित प्रत्येक रूप से दर्शाया जाये।
- मूल वित्त पोषण योजना तथा मूल वित्त पोषण योजना के अनुसार संघीय बापसी प्रत्येक आय हेतु रेखांकित किये जायें।
- वर्तमान वर्ष हेतु पहले से निकाली किये गये आय तथा शक्ति तक निकाली हेतु प्रस्तावित आय प्रत्येक रूप से दर्शाए जायें।
- वर्तमान या नये आयदाता से नये आयों को आय के रूप में प्रत्येक रूप से विनिर्दिष्ट किया जाये।
- निर्देशी मुद्रा आयों के अन्तर्गत में मुद्रा के साथ, आय की मुद्रा में उदाहरण प्रदान किया जाये।

राष्ट्रियकर्ता

एस एल डी सी

प्रपत्र: एफ 10.2

वास्तविक ऋणों पर ब्याज की भारित औसत ब्याज दर का परिकलन

(आंकड़े रु0 करोड़ में)

क्रम सं०	विवरण	पूर्व वर्ष (एन-1)	वर्तमान वर्ष (एन)	आगामी वर्ष (एन+1)	आगामी वर्ष (एन+2)	आगामी वर्ष (एन+3)	टिप्पणी
				प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	
	ऋण 1						
	सकल ऋण - आरम्भिक						
	पूर्व वर्ष तक ऋणों का संचयी भुगतान						
	शुद्ध ऋण - आरम्भिक						
	जोड़कर: वर्ष के दौरान निकासी						
	घटाकर: वर्ष के दौरान ऋण की वापसी						
	शुद्ध ऋण - अंत में						
	औसत शुद्ध ऋण						
	वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर						
	ऋण पर ब्याज						
	ऋण 2						
	सकल ऋण - आरम्भिक						
	पूर्व वर्ष तक ऋणों का संचयी भुगतान						
	शुद्ध ऋण आरम्भिक						
	जोड़कर: वर्ष के दौरान निकासी						
	घटाकर: वर्ष के दौरान ऋण की वापसी						
	शुद्ध ऋण - अंत में						
	औसत शुद्ध ऋण						
	वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर						
	ऋण पर ब्याज						
	ऋण 3						
	सकल ऋण - आरम्भिक						
	पूर्व वर्ष तक ऋणों का संचयी भुगतान						
	शुद्ध ऋण आरम्भिक						
	जोड़कर: वर्ष के दौरान निकासी						
	घटाकर: वर्ष के दौरान ऋण की वापसी						
	शुद्ध ऋण - अंत में						
	औसत शुद्ध ऋण						
	वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर						
	ऋण पर ब्याज						
	कुल ऋण						
	सकल ऋण - आरम्भिक						
	पूर्व वर्ष तक ऋणों का संचयी भुगतान						
	शुद्ध ऋण - आरम्भिक						
	जोड़कर: वर्ष के दौरान निकासी						
	घटाकर: वर्ष के दौरान ऋण की वापसी						
	शुद्ध ऋण - अंत में						
	औसत शुद्ध ऋण						
	वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर						
	ऋण पर ब्याज						
	ऋणों पर ब्याज की भारित औसत दर						

*विदेशी ऋणों के मामले में, परिकलन भारतीय रुपये में किया जाये तथापि मूल मुद्रा में भी परिकलन उसी प्रारूप में पृथक रूप से प्रस्तुत किया जाये।

याचिकाकर्ता

एस एल डी सी
प्रपत्र: एक 10.3
मानकीय ऋण पर ब्याज का परिकलन

(आंकड़े ₹0 करोड़ में)

विवरण	पूर्व वर्ष (एन-1)	वर्तमान वर्ष (एन)	आगामी वर्ष			टिप्पणी
			(एन+1) प्रक्षेपित	(एन+2) प्रक्षेपित	(एन+3) प्रक्षेपित	
2	3	4	7	8	9	10
सकल मानकीय ऋण-आरंभिक						
पूर्व वर्ष तक मानकीय ऋण का संचयी भुगतान						
शुद्ध मानकीय ऋण-आरंभिक						
ए.सी.ई. के कारण वृद्धि या कमी						
घटाकर: वर्ष के दौरान माननीय ऋण की वापसी						
शुद्ध मानकीय ऋण-अंत में						
औसत मानकीय ऋण						
वार्षिक आधार पर वास्तविक ऋण पर ब्याज की भारित औसत दर						
मानकीय ऋण पर ब्याज						

याचिकाकर्ता

एस एल डी सी
प्रपत्र एफ 11
कार्यशील पूंजी आवश्यकता

क्रम सं०	विवरण	पूर्व वर्ष (एन-1)		वर्तमान वर्ष (एन)			आगामी वर्ष (एन+1)	आगामी वर्ष (एन+2)	आगामी वर्ष (एन+3)	टिप्पणी
		(वास्तविक/संपरीक्षित)	(वास्तविक/संपरीक्षित)	अप्रैल-सित्त. (वास्तविक)	अक्टू-मार्च (आंकलित)	योग (अप्रैल-मार्च)	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	
1	ओ एंड एम व्यय (1 माह के बराबर)									
2	अनुक्षण स्पेयर्स (प्रचालन एवं अनुक्षण व्ययों का 15 प्रतिशत)									
3	प्राप्य (एस एल डी सी प्रमारों के दो माह)									
4	कुल कार्यशील पूंजी									
5	ब्याजदर- (स्टेट बैंक अग्रिम दर (एस बी ए आर))									
6	कार्यशील पूंजी पर ब्याज									

याचिकाकर्ता

एस एल डी सी
प्रपत्र: एफ 12
एल डी सी डी निधि

क्रम सं०	विवरण	आगामी वर्ष (एन+1)	आगामी वर्ष (एन+2)	आगामी वर्ष (एन+3)	टिप्पणी
ए	प्रारंभिक एल डी सी डी निधि				
	जोड़कर:				
बी	वर्ष के दौरान एल डी सी डी निधि में परिवर्धन के कारण				
1	अल्प अवधि उन्मुक्त अभिगमन				
2	पंजीकरण फीस				
3					
4					
सी	कुल एल डी सी डी निधि				
डी	घटाकर:				
डी(1)	पूजी व्ययों के लिए उपयोगिता				
डी(2)	राजस्व व्ययों के लिए उपयोगिता				
ई	वर्ष की 31 मार्च तक शुद्ध एल.डी.सी.डी निधि				
एफ	वर्ष के दौरान औसत निधिसंचय				
	कुल योग				

याचिकाकर्ता

एस एल डी सी
प्रपत्र: एफ 13
आगामी 3 वर्षों के लिए निवेश योजना

(आंकड़े रू0 करोड़ में)

क्रम सं०	योजना का नाम/निवेश का विवरण	कुल परियोजना लागत	आगामी वर्ष (एन+1)	आगामी वर्ष (एन+2)	आगामी वर्ष (एन+3)
1	2	3	4	5	6
1	वास्तविक समय डाटा अधिग्रहण क्षमता-की वृद्धि				
2	एल डी केन्द्र पर प्रशिक्षण व प्रणाली अध्ययन सुविधाओं की स्थापना				
3	प्रबालक सहायता हेतु एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर का विकास				
4	प्रभावी संप्रेषण प्रणाली				
5	ऊर्जा लेखा संतुलन व व्यवस्थापन तंत्र				
6	संरचनात्मक विकास				
7	कोई अन्य निवेश (कृपया विनिर्दिष्ट करें)				
	योग				

याचिकाकर्ता

पारेषण अनुज्ञापी का नाम		
क्रम सं०	प्रपत्र संख्या	विवरण
1	प्रपत्र 1	कुल राजस्व आवश्यकता
2	प्रपत्र 2	इक्विटी पर प्रतिफल
3	प्रपत्र 2.2	अतिरिक्त आर.ओ.ई का विवरण
4	प्रपत्र 3	पारेषण लाइनों उप-स्टेशनों का विवरण
5	प्रपत्र 4	पारेषण हानियाँ
6	प्रपत्र 5	पारेषण उपलब्धता कारक
7	प्रपत्र 6	निवेशों, गैर शुल्क आय व अन्य व्यापारों से आय
8	प्रपत्र 7	उन्मुक्त अभिगमन संबंधी प्रमार
9	प्रपत्र 6	प्रचालन एवं अनुक्षण व्यय
10	प्रपत्र 8.1	कर्मचारी व्यय
11	प्रपत्र 8.2	मरम्मत एवं रखरखाव व्यय
12	प्रपत्र 8.3	प्रशासन एवं सामान्य व्यय
13	प्रपत्र 9.1	कुल सकल स्थिर आस्तियों का पत्रक
14	प्रपत्र 9.2	पूँजीगत आस्तियों की लागत के लिये जमा कार्य व अनुदान/सहायिकियाँ
15	प्रपत्र 9.3	जमा कार्यों/पूँजी सहायकी/अनुदान के माध्यम से निधि पोषित जीएफए का पत्रक
16	प्रपत्र 9.4	जमा कार्यों/पूँजी सहायकी/अनुदान के द्वारा निधि पोषित आस्तियों को छोड़कर जीएफए का पत्रक
17	प्रपत्र 9.5	पारेषण प्रणाली या संचार प्रणाली के लिए परियोजना/आस्ति/घटक लागत के घटक-वार ब्यौरे
18	प्रपत्र 9.6	निर्माण/आपूर्ति/सेवा पैकेजों का ब्यौरा
19	प्रपत्र 9.7	परियोजना के घटक-वार लागत के ब्यौरे
20	प्रपत्र 9.8	वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि के पश्चात् अतिरिक्त पूँजीकरण का पत्रक
21	प्रपत्र 9.9	अतिरिक्त पूँजीकरण का वित्त पोषण
22	प्रपत्र 9.ए	निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय
23	प्रपत्र 9.बी	पूँजीकरण निरसन का विवरण
24	प्रपत्र 10.1	आस्तिवार अवक्षय का पत्रक
25	प्रपत्र 10.2	अवक्षय का पत्रक
26	प्रपत्र 11.1	पूँजीगत व्यय का पत्रक
27	प्रपत्र 11.2	पूँजीगत प्रगति अधीन कार्यों का पत्रक
28	प्रपत्र 11.3	पूँजीगत व्यय का पत्रक एवं नई योजनाओं की पूर्णता अनुसूची
29	प्रपत्र 11.4	नयी योजनाओं में लिये योजना-वार पूँजीगत व्यय का ब्यौरा
30	प्रपत्र 12	आईडीसी के परिकलन हेतु ड्राई डाउन अनुसूची एवं वित्त पोषण प्रमार
31	प्रपत्र 13	पूँजी लागत व वित्त पोषण संरचना का विवरण
32	प्रपत्र 14	वित्तीय पैकेज का विवरण
33	प्रपत्र 14.1	सीओडी तक वित्तीय पैकेज
34	प्रपत्र 15.1	वकाया ऋणों का पत्रक
35	प्रपत्र 15.2	वास्तविक ऋणों पर ब्याज की भारित औसत ब्याज दर का परिकलन
36	प्रपत्र 15.3	मानकीय ऋण पर ब्याज का परिकलन
37	प्रपत्र 18	ब्याज व वित्त प्रमार
38	प्रपत्र 17	कार्यशील पूँजी पर ब्याज का विवरण
39	प्रपत्र 18	निवेश योजना
40	प्रपत्र 19	निवेश योजना
41	प्रपत्र 20	सहीकरण का सार
42	प्रपत्र 21.1	शंट कैपेसिटर परिवर्धन/ मरम्मत कार्यक्रम
43	प्रपत्र 21.2	विद्युत संबंधी दुर्घटनाएँ
44	प्रपत्र 21.3	परिवर्तकों की विफलता

पारेषण अनुज्ञापी का नाम _____

**प्रपत्र एक 2.2
अतिरिक्त आर.ओ.ई का विवरण**

अंकड़े रु० करोड़ में

परियोजना/ घटक	निवेश अनुमोदन के अनुसार पूरा करने का समय		वार्षिक स्थापन समय		वर्षिक समय अनुसूची (विभिन्न के अनुसार) (माह में)	
	प्रारंभ की तिथि	अनुसूचित सीखोकी (तिथि)	माह	प्रारंभ की तिथि		वार्षिक स्थापन समय (तिथि)
1						
2						
3						
4						
....						
.....						

याचिकाकर्ता

पारेषण अनुज्ञापी का नाम	पूर्व वर्ष (एन-1) (वार्षिक संशोधित)	वर्तमान वर्ष (एन)		अगामीवर्ष (एन+1)	अगामीवर्ष (एन+2)	अगामी वर्ष (एन+3)
		अप्रैल-सित. (वार्षिक)	अक्टू-मार्च (आकलित)			
प्रपत्र 4						
पारेषण हानियां						
क्रम सं०	हानि परिकलन					
1	अनुज्ञापी की पारेषण प्रणाली को उत्पादक स्टेशनों द्वारा राज्यान्तर्गत टाई लाईनों एवं राज्य में प्रेषित कुल ऊर्जा (एम यू)					
2	वितरण अनुज्ञापियों/ई एच टी उपभोक्ताओं को ग्रिड उपस्थानों द्वारा प्रेषित ऊर्जा (एम यू)					
3	प्रणाली में पारेषण हानि (1-2)					
4	प्रणाली में पारेषण हानि (%) $\{(1-2)/1\}$					
	अवधारणा, यदि कोई है, तो उपयुक्त स्थानों पर स्पष्ट रूप से इंगित की जाये।					
					याचिकाकर्ता	

क्रम सं०	पारेषण अनुज्ञापी का नाम	पूर्व वर्ष (एन-1) (मास्तविक / संपरीक्षित)	वर्तमान वर्ष (एन)		आगामीवर्ष (एन+1)	आगामीवर्ष (एन+2)	आगामी वर्ष (एन +3)
			अप्रैल-सित. (वास्तविक)	अक्टू-मार्च (आकलित)			
प्रपत्र 5							
	पारेषण उपलब्धता कारक						(आकडे ₹० करोड में)
1	पारेषण उपलब्धता कारक						याचिकाकर्ता

क्रम सं०	विवरण	पूर्व वर्ष (एन-1) (वास्तविक/ संयोजित)	वर्तमान वर्ष (एन)		आगामीवर्ष (एन+1) प्रक्षेपित	आगामीवर्ष (एन+2) प्रक्षेपित	आगामी वर्ष (एन+3) प्रक्षेपित
			अप्रैल - सित. (वास्तविक)	अक्टू -मार्च (आकलित)			
	पारिषण अनुज्ञापी का नाम						(आकड़े ७0 कपड़े में)
	प्रपत्र 6						
	निवेशों, गैर शुल्क आय व अन्य व्यापारों से आय						
ए	निवेशों से आय						
1	निवेशों से ब्याज की आय						
2	सावधि जमा पर ब्याज						
3	सावधि जमा से अन्यथा बैंको से ब्याज						
4	किन्हीं अन्य मर्चा पर ब्याज						
	उप-योग (ए)						
बी	अन्य गैर शुल्क आय						
1	स्टाफ को अग्रिमों व ऋणों पर ब्याज						
2	पट्टादाता को ऋणों व अग्रिमों पर ब्याज						
3	आपूर्तिकर्ताओं/संविदाकारों को अग्रिम पर ब्याज						
4	स्थिर आस्तियों के विक्रय से प्राप्ति						
5	स्टाफ कल्याण किया -कलापों से आय/फीस/संग्रह						
6	बिलंबित भुगतान हेतु अधिभारों से राजस्व						
7	निम्न ऊर्जा कारक व अन्य दडनीय प्रभारों के लिये अधिभार से राजस्व						
8	विभिन्न प्राप्तियाँ						
9	उपभोक्ताओं से विविध प्रभार						
	उप-योग (बी)						
सी	अन्य व्यापारों से आय						
	ई ए. 2003 की धारा 41 के अधीन अन्य व्यापारों से आय						
	योग (ए+बी+सी)						वास्तविकता

पदोपस्थापन अनुसूची का भाग																							
प्रधन 9.1	कुल सकल स्थिर आशियाँ का पत्रक																						
आगामी वर्ष (पं +2)	आर्थिक अभिवेक	सर्व के वीएन परिकल्प	सर्व के वीएन आशियाँ का सेवाए	(सकले 50 करोड़ रु)	संत अभिवेक																		
योग																							
आगामी वर्ष (पं +3)	आर्थिक अभिवेक	सर्व के वीएन परिकल्प	सर्व के वीएन आशियाँ का सेवाए	राशि करोड़ रु ३	संत अभिवेक																		
योग																							
आगामी वर्ष (पं +3)	आर्थिक अभिवेक	सर्व के वीएन परिकल्प	सर्व के वीएन आशियाँ का सेवाए	राशि करोड़ रु ३	संत अभिवेक																		
योग																							
योग																							

पारंपर्य अनुष्ठापी का नाम	आरंभिक अवधि	वर्ष के दौरान परीक्षा	वर्ष के दौरान आविष्टियों का संख्या	वर्ष के दौरान आविष्टियों का अंत
प्रश्न १.३				
जमा कार्या/पुत्री सहायकी/ अनुदान के माध्यम से निधि पोषित जीएफए का प्रकार				
आगामी वर्ष (एक+1)				
आविष्टियों का विवरण	आरंभिक अवधि	वर्ष के दौरान परीक्षा	वर्ष के दौरान आविष्टियों का संख्या	वर्ष के दौरान आविष्टियों का अंत
ए) भूमि				
बी) भवन				
सी) मुख्य सिविल कार्य				
डी) संयंत्र एवं मशीनरी				
ई) लाईन्स व केबल नेटवर्क				
एफ) वाहन				
जी) फर्नीचर्स व फिक्सचर्स				
एच) कार्यालय उपकरण व अन्य मदें				
योग				
आगामी वर्ष (एक+2)				
आविष्टियों का विवरण	आरंभिक अवधि	वर्ष के दौरान परीक्षा	वर्ष के दौरान आविष्टियों का संख्या	वर्ष के दौरान आविष्टियों का अंत
ए) भूमि				
बी) भवन				
सी) मुख्य सिविल कार्य				
डी) संयंत्र एवं मशीनरी				
ई) लाईन्स व केबल नेटवर्क				
एफ) वाहन				
जी) फर्नीचर्स व फिक्सचर्स				
एच) कार्यालय उपकरण व अन्य मदें				
योग				
आगामी वर्ष (1+3)				
आविष्टियों का विवरण	आरंभिक अवधि	वर्ष के दौरान परीक्षा	वर्ष के दौरान आविष्टियों का संख्या	वर्ष के दौरान आविष्टियों का अंत
ए) भूमि				
बी) भवन				
सी) मुख्य सिविल कार्य				
डी) संयंत्र एवं मशीनरी				
ई) लाईन्स व केबल नेटवर्क				
एफ) वाहन				
जी) फर्नीचर्स व फिक्सचर्स				
एच) कार्यालय उपकरण व अन्य मदें				
योग				

वारिकर्ष

Format for Transmission

पारंपर्य अनुज्ञापी का नाम	जमा कार्य/पूजी सहायिका/अनुदान के द्वारा निधि पोषित आस्तियों को छोड़कर जीएफए का पत्रक			वर्ष के दौरान आस्तियों का सेवांत	वर्ष के दौरान परिवर्तन	आरंभिक अविशेष	वर्ष के दौरान परिवर्तन	वर्ष के दौरान आस्तियों का सेवांत	(लांकड़े लघु करों के नीचे अंत अविशेष)
प्रपत्र 9.4									
आगामी वर्ष (एन+2)	आस्तियों का विवरण								
ए) मुद्रि									
बी) भवन									
सी) मुख्य सिविल कार्य									
डी) संयंत्र एवं मशीनरी									
ई) लाईटिंग व केबल नेटवर्क									
एफ) बाड़न									
जी) फर्नीचर्स व फिक्सचर्स									
एच) कार्यालय उपकरण व अन्य मदें									
योग									
आगामी वर्ष (एन +3)	आस्तियों का विवरण								
ए) मुद्रि									
बी) भवन									
सी) मुख्य सिविल कार्य									
डी) संयंत्र एवं मशीनरी									
ई) लाईटिंग व केबल नेटवर्क									
एफ) बाड़न									
जी) फर्नीचर्स व फिक्सचर्स									
एच) कार्यालय उपकरण व अन्य मदें									
योग									
									सांख्यिककर्ता

क्रम सं (6)	सूख अड्डानों के अड्डान (6)				वर्गीकृत प्रदान की तिथि पर वार्षिक वृत्तीय खर्च (6)			श्रेणी/वर्ग (6)	शहर (6-3-4-5)	शहर के लिए व्यय (7)	शुद्धा लागत (8)
	नाम	रक	अनुमानित प्रति	वर्ष	मात्रा	रक	अनुमानित प्रति				
10.0	निर्माण और लागत जाने से पूर्व कार्य										
10.1	स्वायत्त परिसर और स्वयत्त प्रशासन आदि										
10.2	दस्ता एवं संयंत्र										
10.3	निर्माण बीमा										
	कुल निर्माण और लागत जाने से पूर्व कार्य										
11.0	ऊपरकीर्ण										
11.1	स्वायत्त										
11.2	संपरीक्षा और लेखा										
11.3	आकस्मिकता										
	कुल ऊपरकीर्ण										
12.0	संरचना एवं मशीनरी की लागत										
13.0	संरचना एवं मशीनरी संकेत शुद्धी लागत										
13.1	निर्माण के दौरान ब्याज(अर्द्धवर्षी)										
13.2	विरा लागत (एकत्री)										
13.3	शिष्टेकी मुद्रा दर परिवर्तन (एकवर्षी)										
13.4	प्रतिष्ठा लागत										
	कुल अर्द्धवर्षी, एकत्री, एकवर्षी एवं प्रतिष्ठा लागत										
	शुद्धी लागत जिसमें अर्द्धवर्षी, एकत्री, एकवर्षी तथा प्रतिष्ठा लागत भी शामिल है										

टिप्पणी:

1. लागत और के संबंध में शहर और के कारणों का उल्लेख करते हुए एक विस्तृत टिप्पणी प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें इसका संकेत हो कि क्या यह लागत अधिकतम परमाणु अनुक्रमी के नियंत्रण से बाहर है।
2. जीरो/पेटे पर शून्य का अलग-अलग विवरण है।

संशोधकता

पारोक्षण अनुज्ञापी का नाम,

प्रपत्र एफ 9.8

वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि के पश्चात् अतिरिक्त पूंजीकरण का पत्रक

(आंकड़े रू0 करोड़ में)

क्र0 सं0	वर्ष	अंतिम तिथि तक/अंतिम तिथि के बाद वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि के पश्चात् जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित कार्य/उपकरण	पूंजीकृत/पूंजीकृत किए जाने के लिए प्रस्तावित राशि (लाख रुपये में)	औचित्य	किस विनियम के अधीन आच्छादित है	स्वीकृत लागत 1
1						
3						
4						
5						

1. यदि परियोजना पूरी कर ली गई है और टैरिफ अधिसूचना (अधिसूचनाएं) पहले ही जारी कर दी गई है, तो (प्राधिकारी का नाम) द्वारा पहले ही जारी की गई टैरिफ अधिसूचना के प्रयोजन के लिए यथा स्वीकृत लागत देते हुए स्तंभ 7 को भरें (टैरिफ आदेश की प्रति संलग्न करें)।

टिप्पणी:

- प्रारूप को क्रमानुसार वर्ष भर भरें जिसमें लगावियों की आवश्यकता और प्रोद्घत लाभ का ब्यौच स्पष्ट रूप से दर्शित करें।
- यदि आर्थिक पुर्जें किसी भी उपकरण के साथ क्रय किये जाते हैं तो ऐसे पुर्जों की लागत पृथक रूप से इंगित की जानी चाहिए।
- आस्तियों के पूंजीकरण निरसन के बारे में पृथक विवरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त इन आस्तियों का बाहियों में दर्ज मूल वही मूल्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जहां डि-कैम्प अनुमानित आधार पर है, उन्हें अलग से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता

पारेशन अनुज्ञापी का नाम

प्रपत्र एफ 9.9

अतिरिक्त पूंजीकरण का वित्त पोषण

(आंकड़े ₹0 करोड़ में)

वित्तीय वर्ष (वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से आरम्भ)	(वास्तविक / अनुमानित)					स्वीकृत				
	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5 और उससे आगे	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5 और उससे आगे
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कार्य/उपकरण में पूंजीकृत राशि										
वित्तीय ब्यौरे										
ऋण-1										
ऋण-2										
ऋण-3 और उससे आगे										
कुल ऋण										
इसिवटी										
आंतरिक संसाधन										
अन्य										
कुल नोट										

1. वर्ष 1 नए घटकों के सम्बन्ध में वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि के वित्तीय वर्ष को निर्दिष्ट करता है। वर्तमान घटकों के लिए यह 2014-15 से है तथा वर्ष 2, वर्ष 3 आदि क्रमशः पश्चातवर्ती वित्तीय वर्ष है।

2 अतिरिक्त पूंजीकरण की आवश्यकता को पूरा करने वाले ऋण का विवरण प्रारूप 7 या 8, जो भी सुसंगत हो, के अनुसार दिए जाने चाहिए।

याचिकाकर्ता

पारेषण अनुज्ञापी का नाम

प्रपत्र एफ 9.ए
निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय

(आंकड़े रु0 करोड़ में)

क्र0सं0	व्यय	मापदंड	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5
1	कार्मिकों को परिश्रमिक एवं लाभ						
2	वित्तीय लागत						
3	जल प्रभार						
4	संचार व्यय						
5	विद्युत प्रभार						
6	अन्य कार्यालय एवं प्रशासनिक व्यय						
7	अन्य (कृपया विवरण दें)						
8	अन्य प्रचालन पूर्व व्यय						
						
नी	कुल व्यय						
	घटाएं: निविदाओं के विक्रय से आय						
	घटाएं: गेस्ट हाउस से आय						
	घटाएं: टैकेटों से वसूली गई आय						
	घटाएं: जमा पर ब्याज						
						

टिप्पणी: आईटीसी का लेखा परीक्षक के प्रमाण पत्र के समतुल्यी आंकड़ों के साथ विधिवत मिलान किया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता

पारिषद अनुज्ञापिका का नाम

प्रपत्र एक: 9.बी
पूजीकरण निरसन का विवरण

(आंकड़े का करोड़ में)

क्र.सं.	पूजीकरण निरसन का वर्ष	पूजीकरण निरसन के लिए प्रस्तावित कार्य/उपकरण	पूजीकरण निरसन की या रही आवृत्ति/उपकरण के पूजीकरण का वर्ष	पूजीकरण निरसन की या रही आवृत्ति का मूल बर्ष मूल्य	पूजीकरण के समय आम प्रकृष्टी अनुपात	पूजीकरण निरसन के सम्बन्धित संचयी अकलपन	पूजीकरण विहीनता के सम्बन्धित आम का संचयी प्रतिशतव्य	औचित्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2								
3								
4								
5								

साक्षिकाकर्ता

पारेषण अनुज्ञापी का नाम

प्रपत्र एक 11.2

पूजीगत प्रगति अधीन कार्यों का पत्रक

(आंकड़े रु0 करोड़ में)

विवरण	पूर्व वर्ष (एन-1) (सांख्यिक/संघीय)	वर्तमान वर्ष (एन)			आगामी वर्ष (एन+1) प्रक्षेपित	आगामी वर्ष (एन+2) प्रक्षेपित	आगामी वर्ष (एन+3) प्रक्षेपित	टिप्पणी
		आय-वित्तकर (सांख्यिक)	अक्टूबर-मार्च (अंकांकित)	योग (अंकांकित-मार्च)				
(ए) सीढक्यू आई पी की प्रारंभिक जमा राशि								
कोषधियों के अनुसार आविशेष सीढक्यू आईपी राशि का अनुपरोक्त (क) में पूर्वी देयताओं की राशि								
ग) उपरोक्त (क) में (i) आईसीपी, (ii) एकसी, (iii) एफईआरपी, (iv) होमिंग लागत की राशि								
(बी) अति: संचुद्धि/समायोजन								
क) अति के दौरान सीढक्यू आई पी राशि में संचुद्धि/समायोजन								
अनुपरोक्त (क) में पूर्वी देयताओं की राशि								
ग) उपरोक्त (क) में (i) आईसीपी (ii) एकसी, (iii) एफईआरपी, (iv) प्रतिष्ठा लागत की राशि								
(सी) पूंजीकृत व्यय								
क) अति के दौरान सीढक्यू आई पी राशि की स्थिर आस्तियों का पूंजीकरण/स्वाम्यंतरण								
अनुपरोक्त (क) में पूर्वी देयताओं की राशि								
ग) उपरोक्त (क) में (i) आईसीपी, (ii) एकसी, (iii) एफईआरपी, (iv) होमिंग लागत की राशि								
(डी) सीढक्यू आई पी का वार्षिक सकल योग								
क) वार्षिक के अनुसार अति सीढक्यू आईपी राशि								
अनुपरोक्त (क) में पूर्वी देयताओं की राशि								
ग) उपरोक्त (क) में (i) आईसीपी (ii) एकसी, (iii) एफईआरपी, (iv) प्रतिष्ठा लागत की राशि								

पारिभाषिका

पारेषण अनुशापी का नाम	प्रश्न 11.4	नवी योजनाओं में लिये योजना-वार पूंजीगत व्यय का व्योरा	विवरण	सकल प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कुल व्यय	पूर्व वर्ष (एन 1)		वर्तमान वर्ष (एन)		अनुमोदित योजना के अनुसार वर्तमान वर्ष तक उपपन्न कराये जाये वाले कुल व्यय	एन 6 व 7 के मध्य अंतर	टिप्पणी +	आवसीकृत (एन + 1)	आवसीकृत (एन + 2)	आवसीकृत (एन + 3)
					वास्तव में उपपन्न व्यय	व्यय - रिहा. (सांख्यिक)	व्यय - रिहा. (सांख्यिक)	अल्प. - कार्य (सांख्यिक)						
लाईन- उप स्टेशन का नाम					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				2				6	7	8	9	10	11	12
ए) व्यय विवरण														
ए) प्रति														
बी) मयन														
सी) मुख्य विरहित कार्य														
डी) संरचना एवं मशीनरी														
ई) लाईंस व केबल नेटवर्क														
एफ) माइन														
जी) फर्नीचर व फिक्स्चर														
एच) कार्यालय उपकरण एवं अन्य मदें														
योग (ए)														
नी) शिल्ल योजना के स्रोतों का व्योरा														
ए) ऋण/ उधार														
बी) प्रुविक्ट														
सी) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)														
योग (बी)														
नोट:														
(i) टिप्पणी + : 6 व 7 के मध्य अंतर के कारणों को स्पष्ट करें।														
														यादिकारदा

Formal for Transmission

आगामी वर्ष (एन +2)	व्याज की दर (%)	व्याज की अवधि (वर्ष)	वर्ष के आरम्भ में वसुली	वर्ष के दौरान प्राप्त होने वाली पछि	वर्ष की वसुली में देय मूल	वर्ष की वसुली में वसूल मूल	वर्ष के अंत पर बचि देय मूल	वर्ष के अंत पर देय मूल	वर्ष के अंत पर देय मूल	वर्ष के अंत पर देय मूल
ऋण वित्तियकरण (ऋण का स्रोत) (1) _____ (2) _____ (3) _____ (4) _____ (5) _____ (6) _____ (7) _____ (8) _____ (9) _____ (10) _____										
आगामी वर्ष (एन +3) (1) _____ (2) _____ (3) _____ (4) _____ (5) _____ (6) _____ (7) _____ (8) _____ (9) _____ (10) _____										

1) यदि किसी ऋण का मूल अनुसूचितकाल सिमा पार 1 हो प्रत्यक्षतः ऋण के विकसन इच्छा की वजह से ऋण को एक वर्ष की प्रती के प्रत्यक्ष ऋण संरक्षण के अन्तर्गत ले लिया जाए।
 II) यदि ऋण का सिमा विधिगत अन्तर्गत का आकस्मिक न किया गया हो तथा किसी अनुसूचितकाल सिमा पार 1 हो तो ऋण को एक वर्ष के अन्तर्गत ले लिया जाए।
 III) यदि ऋण का सिमा विधिगत अन्तर्गत का आकस्मिक न किया गया हो तथा किसी अनुसूचितकाल सिमा पार 1 हो तो ऋण को एक वर्ष के अन्तर्गत ले लिया जाए।
 IV) ऋण का सिमा विधिगत अन्तर्गत का आकस्मिक न किया गया हो तथा किसी अनुसूचितकाल सिमा पार 1 हो तो ऋण को एक वर्ष के अन्तर्गत ले लिया जाए।
 V) ऋण का सिमा विधिगत अन्तर्गत का आकस्मिक न किया गया हो तथा किसी अनुसूचितकाल सिमा पार 1 हो तो ऋण को एक वर्ष के अन्तर्गत ले लिया जाए।
 VI) ऋण का सिमा विधिगत अन्तर्गत का आकस्मिक न किया गया हो तथा किसी अनुसूचितकाल सिमा पार 1 हो तो ऋण को एक वर्ष के अन्तर्गत ले लिया जाए।

व्यक्तिगत

क्रम सं०	पारेषण अनुज्ञापी का नाम	प्रपत्र 16	व्याज एवं वित्त प्रभार	ऋण विकरण	पूर्व वर्ष (एन-1) (वार्षिक / संपरीक्षित)	वर्तमान वर्ष (एन)			व्याजीवर्ष (एन + 1)	व्याजीवर्ष (एन + 2)	व्याजीवर्ष (एन + 3)	(आंकड़े रा० करोड़ की)
						अप्रैल - सित. (वार्षिक)	अक्टू - मार्च (आंकड़ित)	योग (अप्रैल - मार्च)				
ए	राज्य सरकार के ऋणों, बैंड्स एवं अभिर्षों पर व्याज प्रभार											
1	राज्य सरकार के ऋण											
2	बैंड्स											
3	विरेशी मुद्रा ऋण/क्रेडिट्स											
डी	डिबेन्चर्स											
	उप-योग ए											
	राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित वित्तीय संस्थान / बैंक्स / संगठनों से दीर्घवधि ऋणों/क्रेडिट्स पर व्याज											
	संक्षिप्त ऋण											
1												
2												
3												
	एकित ऋण											
1												
2												
3												
सी	उप-योग बी											
डी	मानकीय ऋण											
ई	कुल व्याज प्रभार (एनबी+सी)											
एफ	परियोजना ऋणों पर वित्त व बैंक प्रभार जारी करने की लागत											
जी	व्याज एवं वित्त प्रभार का कुल योग (डी+ई)											
	घटा कर : मुंजी लेखे को प्रभारित व्याज व वित्त प्रभार											
एच	राजस्व लेखा को प्रभारित कुल व्याज व वित्त प्रभार (एफ-जी)											

व्यक्तिककर्ता

क्रम सं०	पारेषण लाईन व संबंधित उप-स्टेशनों का नाम	लाईन की लंबाई (मी के टी/ कि.मी.) / S/S. CAP.- (एमवीए)	अनुमानित लागत (करोड़ ₹ में)	पूर्ण होने की अनुसूचित तिथि	पूर्णता कार्यक्रम / टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
	I. 400 के वी लाईनें				
1					
2					
3					
	उप-योग (II) (400 के वी लाईनें)				
	II. 400 के वी उप-स्टेशन्स				
1					
2					
3					
	उप-योग (II) (400 के वी उप-स्टेशन)				
	III. 220 के वी लाईनें				
1					
2					
3					
	उप-योग (III) (220 के वी लाईनें)				
	IV. 220 के वी उप-स्टेशन्स				
1					
2					
3					
	उप-योग (iv) (220 के वी उप-स्टेशन्स)				
	V. 132 के वी लाईनें				
1					
2					
3					
	उप-योग (iv) (132 के वी लाईनें)				
	VI. 132 के वी उप-स्टेशन्स				
1					
2					
3					
	उप-योग (vi) (132 के वी उप-स्टेशन्स)				
	VII. विविध कार्य				
1					
2					
3					
	उप-योग (vii) विविध कार्य				
	कुल योग (I-VIII)				
					याचिकाकर्ता

परिपत्र अनुसूची का नाम		परिपत्र का नाम		परिपत्र का नाम		परिपत्र का नाम		परिपत्र का नाम		परिपत्र का नाम		परिपत्र का नाम		परिपत्र का नाम		परिपत्र का नाम		परिपत्र का नाम		परिपत्र का नाम		
क्र. सं.	परिपत्र का नाम	सं. सं.	परिपत्र का नाम	सं. सं.	परिपत्र का नाम	सं. सं.	परिपत्र का नाम	सं. सं.	परिपत्र का नाम	सं. सं.	परिपत्र का नाम	सं. सं.	परिपत्र का नाम	सं. सं.	परिपत्र का नाम	सं. सं.	परिपत्र का नाम	सं. सं.	परिपत्र का नाम	सं. सं.	परिपत्र का नाम	
1	I. 400 के वी लाईने	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
1	उप - योग (II) (400 के वी लाईने)																					
2	उप - योग (I) (400 के वी लाईने)																					
3	उप - योग (III) (220 के वी लाईने)																					
1	उप-योग (IV) (220 के वी लाईने)																					
2	उप-योग (V) (132 के वी लाईने)																					
3	उप-योग (VI) (132 के वी लाईने)																					
1	उप-योग (VII) (132 के वी लाईने)																					
2	उप-योग (VIII) (132 के वी लाईने)																					
3	उप-योग (IX) (132 के वी लाईने)																					
1	उप-योग (X) (132 के वी लाईने)																					
2	उप-योग (XI) (132 के वी लाईने)																					
3	उप-योग (XII) (132 के वी लाईने)																					
1	उप-योग (XIII) (132 के वी लाईने)																					
2	उप-योग (XIV) (132 के वी लाईने)																					
3	उप-योग (XV) (132 के वी लाईने)																					
1	उप-योग (XVI) (132 के वी लाईने)																					
2	उप-योग (XVII) (132 के वी लाईने)																					
3	उप-योग (XVIII) (132 के वी लाईने)																					
1	उप-योग (XIX) (132 के वी लाईने)																					
2	उप-योग (XX) (132 के वी लाईने)																					
3	उप-योग (XXI) (132 के वी लाईने)																					
1	उप-योग (XXII) (132 के वी लाईने)																					
2	उप-योग (XXIII) (132 के वी लाईने)																					
3	उप-योग (XXIV) (132 के वी लाईने)																					
1	उप-योग (XXV) (132 के वी लाईने)																					
2	उप-योग (XXVI) (132 के वी लाईने)																					
3	उप-योग (XXVII) (132 के वी लाईने)																					
1	उप-योग (XXVIII) (132 के वी लाईने)																					
2	उप-योग (XXIX) (132 के वी लाईने)																					
3	उप-योग (XXX) (132 के वी लाईने)																					

विशेष नोट: 2011-12 से प्रभावी विद्युत प्रदान की विद्युत निरीक्षण द्वारा अनुमोदन की तिथि, विद्युत निरीक्षण/पुनरीक्षण की तिथि मानी जाएगी।

कार्यकाण्ड

पारिषद अनुज्ञापनी का नाम							
प्रपत्र 20							
सहीकरण का सार							
अंतिम सहीकरण के लिये पूर्व वर्ष (एन-1)							
(आंकड़े रु० करोड़ में)							
क्र.सं.	विवरण	अनुमोदित	वास्तविक	विचलन	विचलन के कारण	नियन्त्रण योग्य	नियन्त्रण अयोग्य
ए	वार्षिक पारिषद प्रभार						
1	ऋण पर ब्याज (मानकीय ऋणों पर ब्याज सहित)						
2	अवक्षय						
3	पट्टा प्रभार						
4	इक्विटी पर प्रतिफल						
5	ओ एंड एन व्यय						
6	कार्यशील पूंजी पर ब्याज						
7	आय कर						
8	अन्य व्यय (कृपया विवरण दें)						
9	सकल वार्षिक पारिषद प्रभार (1+2+3+4+5+6+7+8)						
10	घटा कर : अन्य आय (विवरण दें)						
	वार्षिक पारिषद प्रभार						
बी	राजस्व						
1	पारिषद प्रभारों से राजस्व						
2	अन्य व्यापारों से आय, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 41 के अधीन						
	कुल राजस्व						
सी	अधिशेष/(अन्तराल)						
नोट : अनियन्त्रीय आयोग कारकों के कारण विचलनों हेतु विस्तृत स्पष्टीकरण पृथक रूप से प्रदान करें							
वर्तमान वर्ष (एन) वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा							
							राशि करोड़ रु० में
क्र.सं.	विवरण	अनुमोदित	वास्तविक	परिवर्तन	परिवर्तन के कारण	नियन्त्रण योग्य	नियन्त्रण अयोग्य
ए	वार्षिक पारिषद प्रभार						
1	ऋण पर ब्याज (मानकीय ऋणों पर ब्याज सहित)						
2	अवक्षय						
3	पट्टा प्रभार						
4	इक्विटी पर प्रतिफल						
5	ओ एंड एन व्यय						
6	कार्यशील पूंजी पर ब्याज						
7	आय कर						
8	अन्य व्यय (कृपया विवरण दें)						
9	सकल वार्षिक पारिषद प्रभार (1+2+3+4+5+6+7+8)						
10	घटा कर : अन्य आय (विवरण दें)						
	वार्षिक पारिषद प्रभार						
बी	राजस्व						
1	पारिषद प्रभारों से राजस्व						
2	अन्य व्यापारों से आय, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 41 के अधीन						
	कुल राजस्व						
सी	अधिशेष/(अन्तर)						
नोट : अनियन्त्रीय आयोग कारकों के कारण विचलनों हेतु विस्तृत स्पष्टीकरण पृथक रूप से प्रदान करें							
							याचिकाकर्ता

	पारेषण अनुज्ञापी का नाम	
	प्रपत्र 21.1	
	शंट कैपेसिटर परिवर्धन/मरम्मत कार्यक्रम	(आंकड़े रु0 करोड़ में)
क्र.सं.	विवरण	क्षमता (एमवीएआर)
	कैपेसिटर परिवर्धन	
1	पूर्व वर्ष के अंत पर कुल कैपेसिटर आवश्यकता	
2	पूर्व वर्ष के अंत पर वास्तविक संस्थापित कैपेसिटर	
3	पूर्व वर्ष के अंत पर बैक लौग/कमी (1-2)	
4	वर्तमान वर्ष हेतु अतिरिक्त आवश्यकता	
5	वर्तमान वर्ष के दौरान जोड़े जाने के लिये आवश्यक कुल क्षमता (3+4)	
6	वर्तमान वर्ष के प्रथमार्ध के दौरान वास्तव में संस्थापित	
7	वर्तमान वर्ष के द्वितीयार्ध हेतु लक्ष्य	
8	वर्तमान वर्ष के दौरान जोड़े जाने के लिये संभावित कुल कैपेसिटर (6+7)	
9	वर्तमान वर्ष में अंत तक उपलब्ध होने के लिये संभावित कुल क्षमता (2+8)	
10	कमी, यदि कोई है (6-9)	
	त्रुटिपूर्ण शंट कैपेसिटर की मरम्मत	
11	पूर्व वर्ष की समाप्ति के अंत में	
12	पूर्व वर्ष के अंत तक उपलब्ध शुद्ध क्षमता (2-11)	
13	वर्तमान वर्ष के प्रथमार्ध के दौरान क्षतिग्रस्त कैपेसिटर	
14	वर्तमान वर्ष में प्रथमार्ध के दौरान मरम्मत किये गये कैपेसिटर	
15	वर्ष के प्रथमार्ध के अंत तक उपलब्ध शुद्ध क्षमता (12-13+14)	
16	वर्तमान वर्ष के अंत तक क्षतिग्रस्त कैपेसिटर का लक्ष्य स्तर	
17	वर्तमान वर्ष के अंत तक उपलब्ध होने के लिये संभावित शुद्ध क्षमता (9-16)	
18	वर्ष के अंत तक शुद्ध कमी (5-17)	
	उपरोक्त विवरण के साथ इसके कारणों व उसके सुधार हेतु किये गये उपायों / नियोजित उपायों को रेखांकित करते हुए विस्तृत नोट सलग्न किया जाये।	

क्र.सं.	पारषण अनुज्ञापी का नाम	प्रपत्र 21.3	परिवर्तकों की विफलता	मद	पूर्व वर्ष			वर्तमान वर्ष (वार्षिक)		
					परिवर्तकों की संख्या	विफलताओं की संख्या	विफलता की कुल अवधि (घंटे)	परिवर्तकों की संख्या	विफलताओं की संख्या	विफलता की कुल अवधि (घंटे)
1				परिवर्तक अनुपात 1						
2				परिवर्तक अनुपात 2						
3				परिवर्तक अनुपात 3						
4				परिवर्तक अनुपात 4						
				व्यवधान की औसत अवधि						
5				परिवर्तक अनुपात 1 के लिये प्रति परिवर्तक व्यवधान की औसत अवधि						
6				परिवर्तक अनुपात 2 के लिये प्रति परिवर्तक व्यवधान की औसत अवधि						
7				परिवर्तक अनुपात 3 के लिये प्रति परिवर्तक व्यवधान की औसत अवधि						
8				परिवर्तक अनुपात 4 के लिये प्रति परिवर्तक व्यवधान की औसत अवधि						
										याचिकाकर्ता

आयोग के आदेश से,

नीरज सती,

सचिव,

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग।

पी0एस0यू0 (आरई0) 15 हिन्दी गजट/170-भाग 1-क-2016 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।